लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
28	9	श्रीमती भानाबेन देवराज भाई चिखलिया	श्रीमती भानाबेन देवराजभाई चिखलिया
119	नीचे से 12	अप्रकाशित शब्द	अतिरिक्त भूमि
119	नीचे से 13	अप्रकाशित शब्द	प्रशिक्षण कार्यक्रमों
135	नीचे से 9	(5) के स्थान पर	(घ) प्रतिस्थापित करें
141	नीचे से 6	श्री चित्र सेन सिंह	श्री चित्रसेन सिंह
163	10	प्रश्न संख्या 889 को	प्रश्न संख्या 888 पढ़े
215	13	श्री जार्ज फर्नान्डीस	श्री जार्ज फर्नान्डीज

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 5, बुधवार, 27 नवम्बर, 1996/6 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	82, 84 से 86	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	81, 83 और 87 से 100	22—35
अतारांकित प्रश्न संख्या	784 से 919	35—205
सभा पटल पर रखे गए पत्र		205—207
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		207
कार्य मंत्रणा समिति		
सातवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		207
धगन प्रस्ताव के बारे में		207—223
नियम 193 के अधीन चर्चा		
(एक) आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति		
श्री चतुरानन मिश्र		223—233
श्री एच.डी. देवे गौड़ा		271—278, 280—283
(दो) उड़ीसा में सूखे की स्थिति		
श्री भक्त चरण दास		298—306
दलित ईसाईयों के आरक्षण के लिए आन्दोलन के बारे में		233—238
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
12 नवम्बर, 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी के निकट विमानों की आकाश में हुई टक्कर		
श्री जार्ज फर्नान्डीज		239, 241—248
श्री सी.एम. इब्राहीम		239—241, 262—271
श्री काशीराम राणा		248—250
श्री विजय गोयल		252—253
श्री सुमित्रा महाजन		253—255
श्री सुधीर गिरि		255—256
श्री जगमोहन		257—258
श्री ई. अहमद		258—260
श्री रमेश चेन्नित्तला		260—261
श्री कोडीकुनील सुरेश		261

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) अफगानिस्तान की स्थिति	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	283—286
(दो) उड़ीसा में सूखे की स्थिति	
श्री श्रीकान्त जेना	290—293
नियम 377 के अधीन मामले	286—289
(एक) उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में रसोई गैस बिक्री केन्द्र शीघ्र खोले जान की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	286—287
(दो) केरल में मेन सेंटर रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडीकुनील सुरेश	287
(तीन) तमिलनाडु में चेगलपट्टु रेलवे स्टेशन जंक्शन के निकट एक ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. परसुरामन	287—288
(चार) उत्तर प्रदेश के देवरिया, पदरौना तथा बलिया जिलों मे बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूढे जाने की आवश्यकता	
श्री हरिवंश सहाय	288
(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	288—289
(छः) सोनारपुर-केनिंग रेल लाइन का दोहरीकरण और सियालदाह-केनिंग ब्रांच लाइन पर सवारी डिब्बों की हालत सुधारे जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	289
(सात) सम्बलपुर, झारसुगुडा और सुन्दरगढ़ जिलों को नवसृजित पूर्व तटीय रेलवे के क्षेत्राधिकार में लाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	289

लोक सभा

बुधवार, 27 नवम्बर, 1996/6, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन योजना

+

*82. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के "दैनिक ट्रिब्यून" में "पावर्टी इरैडीकेशन प्लान नांट रियलिस्टिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले सभी निर्धन व्यक्तियों का उत्थान सन् 2005 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष-वार ऐसे कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है?

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि गरीबी को वर्ष 2005 तक समाप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जाएगा, सरकार ने 2005 तक गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले सभी गरीब परिवारों को ऊपर उठाने हेतु अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ग) योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना संगठन सर्वेक्षण के पंचवर्षीय उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गरीबी का अनुमान लगाता है। 1987-88 के सर्वेक्षण के संशोधित अनुमानों के अनुसार पूरे देश में 201.4 मिलियन लोग (अथवा कुल जनसंख्या का 25.49 प्रतिशत) गरीबी की रेखा से नीचे थे। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 168.2 मिलियन (कुल ग्रामीण जनसंख्या का 28.37 प्रतिशत) थी।

(घ) नवीं पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन की कवरेज के लक्ष्यों और समयावधि को नवीं पंचवर्षीय योजना के आकार व कार्य नीति को तय कर लेने के पश्चात ही निर्दिष्ट किया जा सकता है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न माननीय प्रधान मंत्री जी से है जिन्होंने विश्व के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ भुखमरी और गरीबी के प्रश्न पर रोम सम्मेलन में भाग लिया।

वहां पर एक नक्शा प्रदर्शित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि तीन सौ मिलियन भारतीय प्रतिदिन भूखे सो जाते हैं तथा भारत की कुल जनसंख्या के 21 प्रतिशत लोग भूख से मर जाते हैं। इन दो बातों का वहां उल्लेख किया गया था। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस सम्मेलन की यही राय थी कि विश्व की कुल गरीबी का 30 प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रो. मधु दण्डवते, जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ने 8.8.1996 के यह टिप्पणी की थी कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता घटकर 19 प्रतिशत हो गई है, के संबंध में दी गई पूर्व सूचना गलत थी।

लाकड़वाला समिति की कार्य प्रणाली, जिसे वे अभी अपना रहे हैं, के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है। इसका आशय यह है कि विगत दस वर्षों में, 1978-79 से 1987-88 तक तथा 1987-88 से 1995-96 तक यह प्रतिशत 25 से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है तथा माननीय मंत्री जी ने जो 19 प्रतिशत का आंकडा दिया है वह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अपना प्रश्न कह दिया है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग द्वारा परिचालित वर्ष 1987-88 के नवीनतम आंकड़े देश में क्रियान्वित किए जाने वाले हमारे कार्यक्रमों पर आधारित थे। योजना आयोग द्वारा दिए गए गरीबी संबंधी आंकड़ों के आधार पर हम राज्यों को धन जारी करते हैं।

जहां तक लाकड़वाला समिति की कार्य प्रणाली और वह कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंची, का संबंध है तो इस बारे में योजना आयोग ही बता सकता है। क्योंकि सभी कुछ उसकी की देख-रेख में हो रहा है। यह योजना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस संबंध में हमारे मंत्रालय के पास जो भी आंकडे उपलब्ध हैं उन्हें दिया जा रहा है।

मूल्यांकन और अन्य बातों के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन आंकड़ें उपलब्ध कराता है। हमारा मंत्रालय उन्हीं आंकडों से संबंधित है जो हमारे मंत्रालय को भेजे जाते हैं। उन्हीं आंकड़ों के

आधार पर हम गरीबी उन्मूलन और अन्य बातों के लिए धन का आवंटन करते हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। वास्तविकता यह है कि इस वर्ष 8 अगस्त को योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने यह कहा था कि हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या, जैसा कि 1995 में श्री मनमोहन सिंह द्वारा उल्लेख किया गया था, 19 प्रतिशत नहीं है और न ही 25 प्रतिशत है जैसा कि योजना आयोग द्वारा पहले कहा गया था। उन्होंने कहा था कि जो सूत्र अपनाया गया था वह गलत था और वास्तविक आंकड़ा 40 प्रतिशत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है अथवा नहीं।

मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी रोम सम्मेलन में भाग लेने गए तो उन्होंने वहां यह कहा था कि कुल भूखे लोगों की जनसंख्या का 30 प्रतिशत भाग भारत में है और वहां जो नक्शा दर्शाया गया था उसमें यह दिखाया गया था कि इस देश की 26 प्रतिशत जनसंख्या को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। मैं इसका उत्तर चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री स्वयं रोम में थे ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें इस बारे में हमें यह बताना चाहिए ..**(व्यवधान)**

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, क्या आप योजना ओयग और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री को इसका उत्तर देने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : सामान्य तौर पर एक प्रश्न का उत्तर दो अलग अलग मंत्रियों द्वारा नहीं दिया जाता। मुझे इस बारे में खेद है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : गरीबी की रेखा के नीचे रहे रहे लोगों का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न किया जाता है तो ...**(व्यवधान)**

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि माननीय सदस्य इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वह अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रोम—जहां प्रधान मत्री जी के साथ मैं भी मौजूद था—में दिए गए वक्तव्य का संबंध है तो प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । उन आंकडों के अनुसार ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने यह नहीं कहा है कि प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने दें।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने नहीं कहा है कि प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था। मैंने रोम सम्मेलन के निष्कर्ष के बारे में कहा था। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में नहीं। मेरी बात को गलत उद्धृत मत कीजिये ...**(व्यवधान)**

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के 1987-88 के सर्वेक्षण पर आधारित है। 1993-94 में भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) ने सर्वेक्षण कराया था। सभी मंत्रालयों को आंकड़े प्रेषित नहीं किए गए हैं। योजना आयोग ने उन्हें अब तक परिचालित नहीं किया है। मुझे अद्यतन आंकड़ों और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा दिए गए प्रतिशत के बारे में जानकारी नहीं है। किंतु हमने योजना आयोग से प्राप्त आकड़ों का आधार लिया है और उनके आधार पर हम निर्धनता उन्मूलन के लिए धनराशि आवंटित कर रहे हैं। मेरा मंत्रालय वह कार्य कर रहा है। ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : वह मुद्दे से किनारा करने वाली बात है। मैंने पूछा है कि मधु दंडवते द्वारा दिया गया यह वक्तव्य कि 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, सही है या गलत। वित्त मंत्रालय इस बात को स्वीकार करता है या इसे गलत बताता है। यदि इसे गलत बताता है तो किस आधार पर ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते?

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय आप श्रम मंत्री रह चुके हैं आपको मदद करनो चाहिए ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप मेरी बात नहीं सुन रहे है। यह बर्ताव ठीक नहीं है।

जब मैं बोल रहा हूं तो आपको कम से कम मेरी बात सुननी चाहिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि मंत्री राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 1987-88 के सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़े दे रहे हैं। मंत्रालय के पास यही आंकड़े उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का वर्ष 1993-94 का अद्यतन सर्वेक्षण मौजूद है। इसके आंकड़े आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए। अतः मंत्री महोदय उन आंकड़ों को बताने की स्थिति में नहीं है। चूंकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की कुछ सूचना तक पहुंच है अतः यह संभव है कि उन्होंने उन आंकड़ों के आधार पर कोई वक्तव्य दिया है। अतः मैं मंत्री महोदय को अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न कराने के लिए दोष नहीं देता हूं क्योंकि वे उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उन्हें योजना आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों को मानना होता है। किंतु मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन सर्वेक्षण के आंकड़े यथाशीघ्र जारी किए जाने चाहिए।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : जी हां महोदय।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

जस्टिस गुमान मल लोढा : वह मेरा पहला प्रश्न था। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि यद्यपि यह विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है किंतु वे अभी तक निर्धनता उन्मूलन और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना पाये हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस विशेष विषय अर्थात निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में कब तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा। मैं इसके कार्यान्वयन की समय सीमा के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि नई सरकार ने पहले ही छह माह ले चुकी है और हम नहीं जानते कि यह कब तक चलेगी। उन्हें वह कहने दो।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हमने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जो निर्धनता, भुखमरी और बेरोजगारी के उन्मूलन में सहायक होंगे। वे प्राकतिक क्षेत्र के लिए सात क्षेत्र हैं जिनकी पहचान हमने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सहमति से की है। हमने 2480 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। यह राशि पहले ही सभी राज्यों को जारी की जा चुकी है। यह योजना आयोग द्वारा नियत दिशा-निर्देशों और अन्य बातों पर आधारित है जिन्हें ध्यान में रखा गया है।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार इस निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को सन् 2000 ई. तक एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की ओर भी उतनी ही रूचि ले रही है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, पावर्टी लाइन का आधार 11000 रुपये वार्षिक आमदनी और 2000 से 2400 तक यूज ऑफ कैलोरीज है। क्या यह सही है? यदि सही है तो कीमतों में जो वृद्धि हो रही है जैसे पहले गेहूं की कीमत 500 रुपये क्विंटल थी लेकिन अब 800 रुपये क्विंटल में बिक रही है। इसी तरह से चावल और दाल की कीमतें भी बढ़ गयी हैं। जो चीजें लोग कन्ज्यूम करते हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ गयी हैं। अगर इसका आधार 11000 रुपये है तो क्या उससे गरीबी की रेखा नही बढ़ेगी? दूसरा, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबी को अपलिफ्ट करने में इंट्रस्टेड है। पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यह है कि 2195 करोड़ रुपये का फंड एलोकेट किया गया था जिसमें से 1579 करोड़ रुपये अनयूटीलाईजड रहा। क्या यह सही है? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। आपका अंतिम प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यदि इतनी धनराशि अनयूटीलाईज्ड रहेगी तो अनइम्प्लायमैंट कितनी होगी? खास तौर से गांवों में हर मां-बाप यह सोचता है कि जमीन पिक्स है लेकिन पौपुलेशन इनक्रीज हो रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। केन्द्र जो धनराशि एलोकेट करता है वह भी सही रूप में यूटीलाईज नहीं हो रही है। क्या सरकार इसे सिनसेयरली दूर करने के लिए तैयार है? मंत्री जी कह रहे हैं कि सन् 2005 तक हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में गरीबी हटाना तय कर लिया है लेकिन अब तक कोई टारगैट फिक्स नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि टारगैट कब फिक्स करेंगे?

श्री मधु दण्डवते ने कहा है कि मौडीफाई मैथडोलॉजी एडॉप्ट करेंगे। मौडीफाई मैथडोलॉजी क्या होगी, वह भी हम जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही उल्लेख किया है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धनता उन्मूलन मुख्य विषय है। उसके आधार पर इस वर्ष के बजट में योजना आयोग ने राज्यों की जनसंख्या और निर्धनता को आधार मानकर 2004 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इन मूल सेवाओं के तहत पहले ही आवंटन आदि निर्धारित कर दिया गया है। यह सरकार निर्धनता उन्मूलन के बारे में विशेष रूप से सजग है।

जहां तक 11000 रुपये का संबंध है पहले हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 11000 से कम आय वाले गरीबी की रेखा से नीचे हैं। नौवीं योजना में हम उसे भी संशोधित करना चाहते हैं। अतः सन् 2005 ई. तक हम सब कुछ उन्मूलन करना चाहते हैं। उसके आधार पर योजना आयोग ने योजना आदि बनाने की व्यवस्था की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-98 से 2002 में भी केवल तीन वर्ष बचे हैं। उसके आधार पर हम योजना बना रहे हैं कि कितने परिवार हैं, प्रत्येक क्षेत्र को कितना धन दिया जाए और निर्धनता आदि का कैसे उन्मूलन किया जाए। यह प्रक्रियाधीन है।

जहां तक खर्च न की गई बकाया राशि का संबंध है उसमें काफी समय है, यह व्यस्तम मौसम है। पिछला मौसम मंदी और वर्षा का था। इसीलिए राज्य सरकारें अपने धन को पूरा खर्च कर रही है। अब जहां तक धन खर्च करने का संबंध है उसका कारण सही है। इस निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिशेष भी अधिक है। हमने राज्य सरकारों को आदिशेष और जारी धनराशियों सहित सभी अनुप्रयुक्त राशि को तत्काल खर्च करने के निर्देश दिए हैं और अब सभी राज्य सरकारें केवल वही कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने अभी बताया कि ग्रामीण रोजगार हेतु आपने केन्द्र से 2450 करोड़ रुपया राज्य शासन को भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि

इस राशि के अन्तर्गत क्या सुनिश्चित रोजगार योजना की राशि भी शामिल है।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : महोदय, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा है, कि हमने सात मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की पहचान की है, राज्य सरकारें इनमें से तीन सेवाएं चुन सकती हैं और वे जारी की गई धनराशि उन पर खर्च कर सकती हैं।

रोजगार आश्वासन योजना एक अच्छी योजना है। ...**(व्यवधान)** यह मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं। इस सरकार ने निर्णय लिया है ...**(व्यवधान)** मैं उत्तर दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री किंजारप्पू येरननायडू : मैं उत्तर दूंगा। इस बारे में मेरे पास सामग्री है। हम रोजगार आश्वासन योजना का सम्पूर्ण देश में विस्तार करना चाहते हैं। इस वर्ष हमने देश में 1,128 खंडों में इस योजना का विस्तार किया है और पहली अप्रैल से शेष बचे हुए खंडों को भी रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। यह मांग-संचालित कार्यक्रम है। इसमें धनराशि की कोई सीमा नहीं है। राज्य सरकार जितनी धनराशि व्यय करेगी हम जारी करेंगे। इसमें कोई लक्ष्य और धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्य सरकारों को जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, हम उतनी जारी करने को तैयार हैं। यही हमारा कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना है कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में एक योजना चलती है, गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग जीवन जीते हैं, उनको ऋण देने की योजना आई. आर.डी.पी. के अन्तर्गत चलती है। उसमें कई बार भ्रष्टाचार के कारण जितना ऋण मिलना चाहिए, उतना तो मिलता ही नहीं है। सात हजार रुपये अगर मिलना हो तो कई बार तो सिर्फ 3500 रुपये मिलता है, इसलिए मुझे मंत्री जी से और मंत्री जी के मुख्य प्रधान मंत्री जी हैं और वे भी यहां उपस्थित हैं, इसलिए मुझे यह पूछना है कि गांवों में महिलाओं को उसका विशेष लाभ मिले, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह भी है और प्रश्न भी है कि महिलाएं जब किसी प्रकार का काम करना शुरू करती हैं और ऋण लेना चाहती हैं तो वे ज्यादा संघर्ष करती हैं और भ्रष्टाचार के सामने झुकने के लिए तैयार भी नहीं होती हैं तो यह जो ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की और गरीबी को दूर करने की जो गांवों में ऋण देने की योजना चलती है, उसमें अगर महिलाओं का एक कोटा तय कर दिया जाय कि इतनी महिलाओं को ऋण देना ही पड़ेगा तो उसमें महिलाएं भी खासकर के जो विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं या पति परित्यकता महिलाएं होती हैं, उनको भी सहारा मिल जाएगा। वे ठीक ढंग से जीवन निर्वाह भी कर सकेंगी। यदि प्रधान मंत्री जी उत्तर दें तो यह भी कह दें कि आई.आर. डी.पी. के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ठीक कहती हैं। प्रत्येक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कुछ प्रतिशतता आरक्षित की गई है। आई.आर.डी.पी. में महिलाओं के लिए चालीस प्रतिशत कोटा आरक्षित है। जितनी मजदूरी पुरूष को मिलती है उतनी ही महिला को भी मिलती है। हमारा निगरानी विभाग जांच आदि करता है। मैंने अपने मंत्रालय से संबंधित नोटादि पहले ही दिये हैं यदि महिलाओं संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में कोई उल्लंघन हुआ है तो वे ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का ब्यौरा दे सकते हैं जहां कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। तब हम अधिकारियों से इसकी जांच करवाएंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मध्य प्रदेश में वाएलेशन होता है, मैं एविडेंस लेकर दूंगी।

श्री दत्ता मेघे : महाराष्ट्र में भी बहुत वाएलेशन होता है।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : महोदय, समस्त कार्यक्रम की धनराशि राज्य सरकारों को जारी की जाती है। सभी अधिकारी राज्य सरकारों के होते हैं क्योंकि वे ही कार्यान्वयन एजेंसी हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किये गये किसी उल्लंघन के बारे में किसी संसद सदस्य का प्रत्यावेदन अथवा शिकायत हम जांच हेतु राज्य सरकार को भेजेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य की अपनी कोई शिकायतें हैं तो वे मुझे भेज सकते हैं, जिन्हें मैं कार्यवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजूंगा।

राज्य विद्युत बोर्ड और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय

***84. श्री हरिन पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कोयले पर आधरित वृहत् बिजली परियोजनाएं स्थापित करना व्यावहारिक है;

(ख) क्या,सरकार निजी क्षेत्र में उत्पादित बिजली को उचित रूप से वितरित करने के उद्देश्य से राज्य बिजली बोर्डों और निजी विद्युत परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) देश में विभिन्न स्थानों पर वृहद् परियोजनाओं की उपलब्धता संबंधी मुद्दा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, 2 सितम्बर, 1996 की एक रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार का विचार वर्तमान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की शक्तियां घटाकर निजी विद्युत उत्पादकों को इसकी परिधि में लाकर विद्युत क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है। मेरा प्रश्न इस रिपोर्ट पर आधारित था। पर मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार का यह विश्वास है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाने और इसे एक वास्तविक स्वतंत्र विनियामक निकाय का स्वरूप देने से शीघ्र निकासी और एक कार्यक्रम विद्युत क्षेत्र की स्थापना के उद्देश्य का प्राप्त किया जा सकेगा? यदि हां, तो सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कैसे सुदृढ़ बनायेगी?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, 16 अक्तूबर को प्रधान मंत्री जी ने विद्युत क्षेत्र में कई प्रोत्साहनों की और कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं कीं। एक घोषणा—राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर—अलग-अलग विनियामक आयोग के गठन के बारे में थी, जो शुल्क ढांचे की निगरानी करेगा। तदनुसार, हमने सभी मुख्य मंत्रियों की स्वीकृति हेतु उन्हें प्रारूप नोट भेजे हैं।

माननीय सदस्य ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के बारे में अच्छा प्रश्न किया है। अब के.वि.प्रा. लागत तथा शुल्क और प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर भी नजर रखेगा। यह परियोजना स्थल, ईधन और संप्रेषण तंत्र की उपलब्धता की भी जांच करेगा। इसकी भूमिका इतनी ही होगी।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बारे में है। वह भाग्यवश सदन में उपस्थित हैं और मैं उनका ध्यान मध्य-अक्तूबर की उस घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को बड़ी अथवा छोटी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु केन्द्र के पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है। यह राज्यों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। हां, जहां तक विद्युत परियोजनाओं का संबंध है मैंने वर्तमान प्रक्रिया में छूट देने के बारे में घोषणा की थी। पहले केन्द्र सरकार ने राज्यों को 400 करोड़ रुपये अर्थात 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया था। यह लागत लगभग 400 करोड़ रुपये है। बाद में हमने इसे 1000 करोड़ रुपये अर्थात 250 मेगावाट तक की परियोजनाओं तक विकेन्द्रित करने का निर्णय लिया। राज्यों को केन्द्र की स्वीकृति के बिना 1000 करोड़ रुपये अर्थात 250 मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ मुख्य मंत्रियों ने उल्लेख किया था कि प्रक्रियागत विलम्ब के कारण केन्द्रीय सरकार के स्तर पर बहुत समय लगता है। इसीलिए मैंने यह घोषणा की है कि परियोजना की लागत को ध्यान में रखे बिना हम देखेंगे कि राज्यों को शक्तियां दी जायें। हम दिशा-निर्देश बनाने जा रहे हैं और वे दिशा-निर्देश सभी मुख्य मंत्रियों को परिचालित किया जाएंगे और पुनः मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। यदि दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के मानदंड होंगे।

उसके आधार पर विद्युत मंत्रालय ने दिशा-निर्देश तैयार किए और उन्हें सभी मुख्य मंत्रियों को परिचालित किया। इस माह की 25 और 26 तारीख को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का इरादा था किंतु संसद का सत्र होने के कारण उसे स्थगित किया गया। अलगे माह किसी शनिवार या रविवार को मैं मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने जा रहा हूं जिसमें मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लिया जाएगा और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्री सनत मेहता : महोदय, क्या प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाये जाने के बावजूद इनमें से किसी परियोजना का कार्यान्वयन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकतर परियोजनाएं आयातित नेफ्था और कोयले पर आधारित हैं। जब तक ईंधन नीति निर्धारित नहीं की जाती है तब तक कोई भी विद्युत परियोजना शुरू नहीं जा सकेगी। आयातित नेफ्था और कोयले के बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और इसे अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : नहीं, महोदय, देश में पर्याप्त नेफ्था उपलब्ध नहीं है। पहले केन्द्रीय सरकार ने कच्चे माल के रूप में नेफ्था पर आधारित कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। इन परियोजनाओं के लिए हमने राज्य सरकार से 'पहले आओ पहले पाओ' नीति का अनुसरण करने के लिए कहा था किंतु उन्होंने वह भी नहीं किया, किसी अन्य आधार का प्रश्न ही नहीं है।

जो लोग आवश्यक गति के साथ परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और यदि परियोजना पूरी हो जाने के बाद वे और परियोजना लगाना चाहते हैं तो हम ध्यान में रखेंगे कि प्राथमिक दिशा-निर्देश लागू किए जाएं। जो लोग परियोजनाओं को पूरा कर देंगे, उन्हें ही नेफ्था आवंटित किया जाएगा। एक दिशा-निर्देश यह है। यह इसलिए किया गया था कि हम उन लोगों में थोडी सी प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहते हैं जो कच्चे माल के लिए नेफ्था पर निर्भर हों। निश्चित रूप से देश में उपलब्ध नेफ्था पर्याप्त नहीं है और हमें इसका आयात करना पड़ेगा। उसके लिए विद्युत मंत्रालय की एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति कार्यविधि और अन्य बातों की जांच कर रही है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मैंने यह सुझाव दिया था कि जो लोग नेफ्था की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे उन्हें परियोजना को पूरा करने के लिए कहा जाए और फिर वे सरकार से मांग करें और हम देश में उपलब्ध नेफ्था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उन्हें आवंटित करेंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि परियोजना की लागत को ध्यान में न रखते हुए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को परियोजनाओं की स्वीकृत करने की शक्ति देने पर विचार कर रही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इस स्वीकृति में पर्यावरण और वन अधिनियम के तहत दी जाने वाली स्वीकृति भी शामिल है।

यदि वह शक्ति भी राज्यों को दी गई तो हमारे वनों का विनाश न हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो, इसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जाएंगे?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री की पहल पर माननीय पर्यावरण और वन मंत्री पर्यावरण के बारे में कार्यविधि तैयार कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 250 मेगावाट अर्थात 110 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं के संबंध में भी शक्तियों का प्रत्यायोजन करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। जो उत्तर दिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली प्रदाय करने के संबंध में सरकार बिल्कुल गम्भीर नहीं है और आयातित कोयले के ऊपर आधारित परियोजना की यहां चर्चा हो रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसानों को केवल आठ घन्टे या उससे भी कम समय के लिए बिजली मिल रही है और वह भी समय पर नहीं मिल रही है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसकी व्यवस्था करने के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है। क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहते हैं?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, मैं सदस्य से एक अलग प्रश्न पूछने का निवेदन करता हूं क्योंकि यह मध्य प्रदेश के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 85–श्री अशोक प्रधान

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : यह तो समस्या अभी हाल की है, अलग से प्रश्न कब पूछेंगे? ...**(व्यवधान)**

श्री श्याम बिहारी मिश्र : माननीय मंत्री जी किसानों की समस्या को टालने का काम कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** देश लूट रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : काफी हो चुका।

[हिन्दी]

क्वैश्चन नम्बर 85, श्री अशोक प्रधान

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली घर बन्द हैं, तीन साल से बन्द पड़े हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल प्रोजैक्ट के बारे में है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रश्न संख्या 85–मंत्री महोदय

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं दूसरे प्रश्न पर हूं। हम अब दूसरे प्रश्न पर हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी देश के प्रधान मंत्री और किसान के बेटे हैं। ...**(व्यवधान)** देश के प्रधान मंत्री धरती पुत्र और किसान के बेटे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कठेरिया जी, आप बैठ जाइए। वर्मा जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

आप काफी बोल चुके।

(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितनी जमीन अधिग्रहीत हुई? वहां जो टोटल प्लांट चल रहा है उनमें कितने प्रतिशत किसानों के परिवार के लोगों को रोजगार दियां गया, यह बताएं। वहां टोटल कितने कर्मचारी हैं? मैंने यह अपने प्रश्न में पूछना चाहा था?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : अध्यक्ष महोदय, पहले फेस में 1,882 परिवार प्रभावित थे। उनमें से 1,878 एकड़ जमीन 6 गांवों में प्रभावित थी। पहले फेस में 692 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 551 एकड़ जमीन प्राइवेट थी जो 1975-76 में ली गई थी। दूसरे फेस में 1,186 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 883 एकड़ जमीन प्राइवेट थी वह विस्थापित लोगों के लिए ली गई। इनमे से 537 विस्थापितों ने ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : इनका प्रश्न यह था कि कितने लोगों की जमीन ली, कितने कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं और जो प्रभावित थे उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया। आपने कहा कि उनमें से केवल 197 परिवारों को रोजगार दिया। इनका कहना यह है कि टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 197 कितना प्रतिशत बनता है, वह एकड़ में इंटरस्टेड नहीं हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, आप उन्हें कैसे अनुमति दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है। यह एक स्पष्टीकरण है। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अगर आप मेरी बात सुनें तो मैं बता रहा हूं कि कितने परिवारों को जमीन दी गई। ...**(व्यवधान)**

श्री अशोक प्रधान : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने परिवारों की जमीन ली गई?

श्रीमती सुषमा स्वराज : कितनों की जमीन ली गई और कितनों को नौकरी दी गई?

श्री अशोक प्रधान : मैंने कुल संख्या पूछी है, वहां कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।

नरोरा परमाणु संयंत्र

***85. श्री अशोक प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस तारीख को स्थापित किया गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा संयंत्र स्थापित किए जाने के समय विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने तथा उस क्षेत्र का समुचित विकास करने हेतु कोई आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस क्षेत्र में शुरू किए गए विकास कार्यों तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस मद पर हुए खर्च के बारे में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को रोजगार दिलाने तथा उस क्षेत्र के समुचित विकास हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है/किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना पर वर्ष 1977 में कार्य शुरू किया गया था।

(ख) विस्थापित परिवारों के पात्र सदस्यों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। परियोजना की लागत से उस क्षेत्र का विकास करने का कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया था।

(ग) प्रभावित परिवारों के 197 सदस्यों को अब तक रोजगार दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). संयंत्र में जब भी रिक्तियां होती हैं, उन्हें गांव की पंचायतों को अधिसूचित किया जाता है ताकि विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति के मामले में दी जाने वाली प्राथमिकता मिल सके। संयंत्र के आस-पास के क्षेत्र का विकास करना स्थानीय सरकार का कार्य है।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : इनका जो यह सवाल है कि कितने लोगों को नौकरी दी है वह तो लिखित जवाब में भी दिया है कि 197 लोगों को नौकरी दी गई और जो पूर्ण कर्मचारी हैं वे 1,634 हैं। ...**(व्यवधान)** आप साफ सवाल पूछें तो मैं उसका जवाब भी दूं।

श्री अशोक प्रधान : आप यह बता दें कि टोटल में ये कितने प्रतिशत हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : 197,1634 का रफली 18 होता है। ...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : इनका गणित कमजोर मालूम होता है। ...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : मान्यवर, इनकी समझ में प्रश्न नहीं आया है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मेरी समझ में पूरा प्रश्न आ रहा है, आपकी समझ में जवाब नहीं आ रहा है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, उन्होंने इस प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझा है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैंने प्रश्न को अच्छी तरह समझ लिया है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने प्रश्न को ठीक तरह समझ लिया हैं किंतु आप उन्हें उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : मेरा दूसरा प्रश्न यह है वहां जो पोल्यूशन है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : कुछ लोग जो इससे प्रभावित हुए थे उन्हें रोजगार दिया गया और अन्य की भूमि दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : वहां पोल्यूशन बहुत हो गया है, वहां के किसान उस पोल्यूशन को भी बर्दाश्त कर रहे हैं उसके बावजूद भी उन किसानों को वहां बिजली उपलब्ध नहीं है। वहां के आस-पास के किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं। वहां पांच-छः दिन तक बिजली नहीं आती है और किसानों की खेती सूख रही है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट की नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है ...**(व्यवधान)**

श्री श्याम बिहारी मिश्र : वे पर्यावरण पर पूछ रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं पर्यावरण पर आ रहा हूं। अगर आप मौका दें और अगर सरकार का जवाब आपको नहीं सुनना है तो आपकी मर्जी। ...**(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की समस्या होगी तो हम जरूर प्रोजेक्ट अथॉरिटी से कहेंगे कि क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर जैसे माननीय सदस्य के साथ मिलकर-बैठकर समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि यह जिम्मेदारी क्षेत्रीय अथॉरिटी की है। लेकिन माननीय सदस्य की फीलिंग को देखते हुए हम उन्हें कहेंगे। ...**(व्यवधान)** प्रोजेक्ट अथॉरिटी कई चीजों को कर रही है। वे हॉस्पिटल के अंदर वे फैसिलिटीज दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

डा. रमेश चन्द तोमर : आप आश्वासन दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं बिल्कुल यह आश्वासन दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक क्यों नहीं सुनते?

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : कितने दिन में यह आश्वासन पूरा होगा?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं यह आश्वासन दे रहा हूं । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां

[हिन्दी]

बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई क्षेत्रीय अथॉरिटी की जिम्मेदारी है।...**(व्यवधान)** आप मेरी बात सुनिये। नहीं सुनना चाहते हैं तो आप जो मर्जी बोलिये। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप बैठ जायें। जब वे नहीं चाहते तो आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। . ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं पर उत्तर नहीं सुनते। आपको ऐसा करने का बिलकुल अधिकार नहीं है। श्री जोशी आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

जवाब देने का मौका आप देते नहीं हैं, साफ-साफ कैसे कहेंगे?

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। मेरा निवेदन है कि क्या यह सही है कि ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं किन्तु मंत्री जी को उसका उत्तर नहीं देने देते। यह क्या है? मंत्री जी अब उत्तर नहीं देंगे। अब वह उत्तर नहीं देंगे, यह मेरा विनिर्णय है।

[हिन्दी]

आप पहले बैठिये।

श्री विनय कटियार : आप किसी मेम्बर को डांट सकते हैं ...**(व्यवधान)** यह कोई तरीका तो नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। आपको सर्वप्रथम अनुशासन का पालन करना चाहिए। आपको उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब आप बैठ जायें। आप पहले चुपचाप बैठ जायें। आप अध्यक्षपीठ को आदेश नहीं दे सकते। यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छे तरीके से अनुरोध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर शोर कर रहे हैं। मैंने आपको चुप रहने को कहा है। मैं सर्वप्रथम शांति चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री जी अब आप उत्तर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के.डी. सुल्तानपुरी, आप कृपया बैठ जायें। हां, मंत्री जी अब आप उत्तर दें। माननीय सदस्य, कृपया माननीय मंत्री जी का उत्तर ध्यान से सुनिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं जिन दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं वह ये हैं कि मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि स्थानीय सरकार का यह उत्तर-दायित्व है कि वह सुविधा प्रदान करे। लेकिन हम परियोजना प्राधिकारियों से यह अनुरोध करेंगे कि वे स्थानीय नेताओं के साथ बैठकर यह देखें कि वे किन क्षेत्रों में अपनी सहायता दे सकते हैं। जैसाकि वे चिकित्सा सुविधाओं और अन्यों के मामले में पहले से दे रहे हैं। हम इस परियोजना को समुदाय का एक अंग बनाना चाहते हैं।

जहां तक प्रदूषण के पूरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे पास सूचना है कि किसी भी स्वीकृत सीमाओं से ज्यादा एन.ए.पी.एस. में प्रदूषण नहीं है। वस्तुतः यह परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा तय सीमाओं से 20 प्रतिशत कम है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने वचन दिया है कि वह परियोजना अधिकारियों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिल-बैठकर इस समस्या के निवारण करने हेतु निर्देश देंगे। इसके अलावा और वह क्या कह सकते हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरा प्रश्न इससे थोड़ा अलग है लेकिन वह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। आज सारे भारत में परमाणु ऊर्जा केन्द्र या तो बंद होते जा रहे हैं या बंद हो रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता था जो कभी भी अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं कर पाया। यह केन्द्र पिछले तीन साल से बंद हैं। बंद होने के समय यह आश्वासन दिया गया था कि तीन साल के अंदर यह चालू कर दिया जायेगा। इसके बावजूद इसकी टैक्नीक हमें नहीं मिली है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि यह परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब तक चालू कर दिया जायेगा और अब तक क्या कारण है कि चालू नहीं हो पा रहा है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय सदस्य को पहले तो यह बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे परमाणु ऊर्जा प्राजैक्ट्स अच्छी तरह से चल रहे हैं। जहां तक राजस्थान के कोटा परमाणु केन्द्र का सवाल है, मैं यह बता दूं कि हमारा हर एक प्लांट लोड फैक्टर 60 परसेंट पर था। इसका अर्थ यह है कि डिजाईन लोड फैक्टर पर चल रहा है। राजस्थान का प्लांट 20-25 साल पुराना है। इसलिये हमने उसको स्टैटुटरी रिपेयर्स में लिया हुआ है। और वह काफी हद तक खत्म हो गयी है। चूंकि काफी पुराना है, उसके इक्विपमेंट्स बदलने पड़ेंगे, फिर भी उसको स्ट्रीमलाईन में लायेंगे और ठीक प्रकार से चलायेंगे। सोचने की बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार अब हमारे सारे अटामिक पॉवर प्राजैक्ट्स राजस्थान अटामिक पावर प्राजैक्ट को छोड़कर स्टैटुटरी रिपेयर्स में हैं। उनके प्लांट्स इस समय डिजाईन लोड फैक्टर पर हैं। और इसीलिए हम यह चाहते हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में तो हम इसको और बढ़ावा देंगे क्योंकि हमने न्यूक्लिअर पावर टैक्नोलोजी को अब मास्टर कर लिया है और हमारे प्लांट लोड फैक्टर चल रहे हैं। प्रधान मंत्री ने भी इसके लिए मीटिंग ली थी और हम एक नया न्यूक्लिअर पावर प्रोग्राम बना रहे हैं, इसकी जो स्ट्रैटेजी है वह हमारी पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर में होगी। हमारा जो राजस्थान का प्लांट है वह 1997-98 में फिर से फुल्ली रीफर्बिश होकर चालू हो जाएगा और हमें उम्मीद है उसको हम अच्छी तरह से चलायेंगे। ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : 6 सल में यह प्रोजेक्ट चालू होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, कृपया मेरी बात सुनिए। मंत्री महोदय, मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं और विचारों को अच्छी तरह से समझता हूं। कई वर्षों तक एक मंत्री के रूप में मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब कभी भी परियोजनाएं आरम्भ की जाती हैं तो लोग विस्थापित होते हैं और उन्हें आश्वासन दिए जाते हैं। कुछ समझौते किए जाते हैं और हम उनके बारे में भूल जाते हैं। लोग तकलीफ उठाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि मात्र इस मामले में ही नहीं अपितु और अनेक अन्य मामलों में जो भी आश्वासन लोगों को दिए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं मात्र एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : इसके लिए मैं मात्र एक सेकेण्ड लूंगा। मैं आपके वचन को अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लेता हूं। मैं गंभीरता के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सरकार के पास राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन का एजेण्डा है जिसे हम मुख्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में लाने वाले हैं।

[हिन्दी]

गांवों को जलापूर्ति

+

*86. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जलापूर्ति स्रातों के संचालन तथा देखभाल का काम ग्राम पंचायतों को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस निर्णय के कब तक प्रभावी होने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारापू येरननायडू) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की अधिकार प्राप्त समिति में सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने सिफारिश की है कि ग्रामीण पेयजल सुविधाओं के संचलन एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व पंचायतों का होना चाहिए।

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्वंय ही संचलन एवं रख-रखाव की प्रणाली को पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से विकसित कर रहे हैं।

(ग) समय-सीमा की सिफारिश नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी उन्मूलन का सवाल हो, विद्युत सप्लाई का सवाल हो। कोई भी प्रश्न जो जन समस्याओं से संबंधित हो उनके बारे में सस्कार का बहुत गैर-जिम्मेदाराना जवाब आता है। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सदन की भावनाओं को देखते हुए अभी अपनी एक रूलिंग दी है और मुझे विश्वास है कि आपके निर्देशों का यह सरकार पालन करेगी। ऐसा न हो इनके एश्योरेंस के लिए एश्योरेंस कमेटी में फिर हमको जाना पड़े। मान्यवर, इसी प्रकार ग्रामीण पेयजल की समस्या इस देश की...

अध्यक्ष महोदय : कुछ सवाल आपको पूछना है?

श्री सत्यदेव सिंह : यह तो भूमिका थी, अभी प्रश्न तो आया ही नहीं है, भूमिका आपने छोटी कर दी। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो पेयजल समस्या के बारे में अभी जवाब दिया है यह बहुत सरसरा जवाब है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार इसके बारे में कोई चिंता करती है। 1.4.94 को इस देश में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार 24113 मुख्य गांव और 1,16,862 गांव ये शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित थे। 1995-96 में जो सरकार की तरफ से आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं उनके अनुसार 59736 गांव इस योजना से वंचित रहेंगे। उन गांववासियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा। आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लास्ट में कह दिया कि समय-सीमा की सिफारिश नहीं की गई है। आजादी के पचास वर्ष हो रहे हैं और अभी तक आपकी समय-सीमा की कोई मर्यादा सरकार के ध्यान में नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप जो राशि इस संबंध में पेयजल की समस्या का निदान करने के लिए प्रदेश सरकारों को देते हैं उसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना के अंतर्गत अभी तक कितनी राशि दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको दूसरा सवाल भी पूछना है।

श्री सत्यदेव सिंह : अभी तो मैंने पहला सवाल पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आप समय की बात कर रहे थे, समय देख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री किंजारापू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान संयुक्त मोर्चा सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता पेयजल है। यह संयुक्त मोर्चा सरकार जून के महीने में सत्ता में आयी हैं। यह सरकार इस समस्या के निवारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, हमारी न्यूनतम मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत, पेयजल सर्वप्रथम मद है। हम 2000 ईसवीं तक सभी गांवों में पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं। 1997-98 तक, इस सरकार को उन सभी गांवों में पानी की व्यवस्था करना है जहां यह नहीं है तथा इसमें पानी की आंशिक व्यवस्था किए गए गांव भी शामिल हैं जिन्हें प्रतिदिन 1 से 10 लिटर के बीच पानी मिलता है यही हमारी कार्य योजना है। इसे आधार बनाते हुए हम राज्य सरकारों से यह कहने का अनुरोध करते हैं कि हम उन सभी गावों में, जिन्हें इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है तथा उन गांव में, जिन्हें अंशतः शामिल किया गया है आगामी दो वर्षों में पानी की व्यवस्था कर देंगे और हम अपनी कार्यवाही योजना उस स्तर पर आधारित कर रहे हैं। हम प्रचालन, रखरखाव और ए. आर.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए कुल निर्धारित बजट का 10 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। एम.एल.पी. के अंतर्गत भी, राज्य सरकारें धन का 10 प्रतिशत खर्च कर रही है। इसका यह अर्थ है कि जिले के लिए उपलब्ध धन का 20 प्रतिशत इस प्रचालन और रखरखाव के लिए उपलब्ध है। कुछ राज्य इसे ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहे हैं और कुछ राज्य स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। यह इस प्रकार चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं।...

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार ग्राम पंचायतों को पेयजल की व्यवस्था सौंपने जा रही है या नहीं, जिसके उत्तर में मंत्री जी ने कह दिया कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्वयं ही संचलन एवं रखरखाव की प्रणाली को पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से विकसित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने कौमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हुए कहा कि इसमें हमारा दोष नहीं है, इस सरकार का दोष नहीं है कि अब तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई लेकिन आपकी सरकार ने कौमन मिनिमम प्रोग्राम में ग्रामीण पेयजल को समस्या को प्राथमिकता दी है। आज दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में आप शासन कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश ने कोई नीति निर्धारित की है और कब तक पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए आप इस व्यवस्था को पंचायती राज को हस्तांतरित कर रहे हैं और सक्षम बना रहे हैं? पेयजल के लिए आपने कितनी राशि उत्तर प्रदेश को दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि 'इंडिया मार्क-2 हैंडपम्प' में भारी अव्यवस्था और धांधली हो रही है। अध्यक्ष महोदय आप भी उससे चिन्तित होंगे। इंदिरा आवास योजना में भी धांधली हो रही है। क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश को दी गई धनराशि के बारे में बताएंगे तथा उस धनराशि का सदुपयोग कैसे होगा, इस बारे में आप क्या करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जल आपूर्ति राज्य का विषय है। निगरानी, आयोजना, कार्यन्वयन और अन्य सारे कार्य राज्यों द्वारा किए जाते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार है।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : हम केन्द्र सरकार की ओर से कुछ सहायता कर रहे हैं। ए.आर.डब्ल्यू.एस. के अन्तर्गत, 1996-97 में हम अब तक 122 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं परन्तु उ.प्र. सरकार द्वारा किया गया व्यय 45 करोड़ रुपए है। एम.एन.पी. के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने 128 करोड़ रुपए जारी किए और 41 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। उ.प्र. सरकार के पास उपलब्ध कुल धनराशि 250 करोड़ रुपए है जबकि अब तक 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। धन की कोई समस्या नहीं है। आप यह 80 करोड़ रुपए खर्च कीजिए। आप स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को कहिए, सब कुछ तैयार कीजिए और अधिक धन खर्च कीजिए।

संयुक्त मोर्चा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल है। धन की कोई समस्या नहीं है। आप 80 करोड़ रुपए खर्च कीजिए, तब हम आपको धन देंगे। धन कोई मानदण्ड नहीं है।

श्री सत्यदेव सिंह : यह केवल धन का प्रश्न नहीं हो सकता। उ.प्र. सरकार सीधे केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन है। यह अच्छी बात है कि धन की कोई समस्या नहीं है। परन्तु धन खर्च नहीं किया जा रहा है। मेरा प्रश्न है, जो भी धन खर्च किया जा रहा है, वह लूटा जा रहा है। आप इस पर निगरानी क्यों नहीं रखते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है और न कि हमारी जिम्मेदारी ...**(व्यवधान)**

श्री किंजारप्पू येरननायडू : आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यदि आप मुझे लूटे जा रहे धन के बारे में सूचना देंगे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन

***81. डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के सहयोग से कुछ नई परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार किये जाने वाले संयुक्त उद्यम/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन परियोजनाओं को किस तारीख तक आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). इंडियन आयल कारपोरेशन ने एक संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में पूर्वी भारत में 6.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के संबंध में दिनांक 16 सितम्बर, 1995 को कुवैत पेट्रोलियम का. (के पी सी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

लागत अनुमान, निश्चित स्थान तथा पूरे किए जाने से संबंधित समय सहित परियोजना के ब्यौरों का पता विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही लग पाएगा।

तेल चयन बोर्ड

***83. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार/कदाचार के आरोपों के कारण किसी राज्य में तेल चयन बोर्ड का विघटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). नीचे दिए गए ब्यौरों के मुताबिक गत तीन वर्षों के दौरान कुछ तेल चयन बोर्डों के अध्यक्षों तथा सदस्यों का कार्यकाल, उनके असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था:-

1.	बिहार	मार्च, 1994
2.	हरियाणा	मार्च, 1994
3.	कर्नाटक	मार्च, 1994
4.	महाराष्ट्र, गोवा,दमन और दीव	मार्च, 1994
5.	पंजाब	मार्च, 1994
6.	उत्तर प्रदेश	मार्च, 1994
7.	केरल और लक्षद्वीप	मार्च, 1994 तथा अगस्त, 1996
8.	हिमाचल प्रदेश	अप्रैल, 1995
9.	राजस्थान	अप्रैल, 1995
10.	तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अगस्त, 1996

मूलभूत सुविधाएं

***87. डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत सुविधाओं और ईंधन की कमी के कारण विद्युत परियोजनाओं के अवरूद्ध हो जाने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित विदेशी सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योजनाओं को अर्थक्षम बनाने हेतु पर्याप्त परिवहन और पत्तन सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). मूलभूत सुविधाओं और ईंधन की कमी के कारण विद्युत परियोजनाओं के अवरूद्ध हो जाने का कोई खतरा नहीं है। भारत सरकार सभी निजी विद्युत परियोजनाओं की मूलभूत तथा ईंधन आवश्यकताओं की गहन मानिटरिंग करती है तथा मूलभूत सुविधाओं और ईंधन को उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है।

(ग) और (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

समझौता ज्ञापन/आशय-पत्र आदि के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले, विदेशी निवेश को अंतर्निहित करने वाले प्रस्तावों में से 16 परियोजना प्रस्तावों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, 21 प्रस्तावों को विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है तथा 3 परियोजनाओं को भारत सरकार की प्रति-गारंटी प्राप्त हो गई है।

भारत सरकार सभी विद्युत परियोजनाओं, जिसमें एमएनसी द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए परिवहन प्रबंधों की मानीटरिंग कर रही है ताकि सभी परियोजनाओं को, जब कभी भी आवश्यक हो, पर्याप्त परिवहन तथा बंदरगाह सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

क्रायोजेनिक इंजन

***88. श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी देने से अंततः मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका हमारे राकेट कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्थिति, भारत और रूस के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के लिए किए करार के संबंध में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर.) विनियमों की व्याख्या के कारण उत्पन्न हुई है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 1991 के मूल करार के प्रावधान को वर्ष 1993 के दौरान की गई पुनर्वार्ता के पश्चात निरस्त कर दिया गया।

(ग) यद्यपि इससे राकेट कार्यक्रम में कुछ विलंब हो सकता है, किन्तु इससे कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। सरकार ने 1994 में स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना के विकास को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस जटिल प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, स्वदेशी चरण की प्राप्ति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 1999-2000 के समय ढ़ाचे के लिए निर्धारित किया गया है। जब तक हमारा अपना क्रायो चरण अर्हक नहीं हो जाता है, तब तक जी. एस.एल.वी. की उड़ानों को जारी रखने के लिए रूस से साल क्रायो चरण उपलब्ध होंगे।

त्वरित जन परिवहन प्रणाली

*89. **श्री भक्त चरण दास :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली त्वरित जन परिवहन प्रणाली के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां। दिल्ली त्वरित जन परिवहन प्रणाली परियोजना, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 17 सितम्बर, 1996 को अनुमोदित की गई।

(ख) परियोजना के संशोधित प्रथम चरण के अंतर्गत 11 कि.मी. का भूमिगत (विश्वविद्यालय से केन्द्रीय सचिवालय तक बरास्ता अंतर्राज्य बस अड्डा, पुरानी/नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनॉट प्लेस, (मेट्रो कॉरीडोर), और साथ ही 44.3 कि.मी. का भूमोपरि (खम्भों पर) भूतलीय रेल कॉरीडोर (जो आजादपुर, ट्रांस्पोर्ट नगर, बांदली, सिरसपुर व इरादत नगर से होकर सब्जी मंडी से होलंबी कलगं तक, तथा अंतर्राज्यीय बस अड्डा, रामपुरा व मंगोलपुरी होकर शाहदरा से नांगलोई तक) शामिल है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत, अप्रैल, 1996 के मूल्यस्तर पर 4860 करोड़ रुपए है। परियोजना की लगभग 60 प्रतिशत लागत जापान की कम्पनी ओ.ई.सी.एफ. के ऋण से पूरी की जाएगी तथा लगभग 30 प्रतिशत लागत की व्यवस्था भारत सरकार और दिल्ली राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में इक्विटी द्वारा की जाएगी। शेष लागत खर्च की पूर्ति सम्पत्ति विकास तथा समर्पित करों/उपकरों से जुटाई जाएगी। परियोजना का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर. सी.) द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन हो चुका है।

(ग) और (घ). ओ.ई.सी.एफ. (जापान) ने परियोजना की कुल वास्तविक लागत के लगभग 60 प्रतिशत के बराबर येन ऋण 2.3 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर पर देने की पेशकश की है। ऋण-करार पर ओ.ई.सी.एफ. द्वारा बताई जाने वाली तारीख को हस्ताक्षर होने की संभावना है।

(ङ) परियोजना का कार्यान्वयन, धन मिलने पर, 1997-98 के दौरान आरंभ हो जाने की संभावना है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

*90. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र ने अपनी बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को विद्युत की आपूर्ति रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो आज तक की स्थिति के अनुसार "डेसू" पर कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या इसके कारण निकट भविष्य में राजधानी में विद्युत के उत्पादन तथा इसकी आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस), दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को अपनी जनित समस्त विद्युत संभरित कर रहा है।

(ख) से (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

डेसू द्वारा बीटीपीएस को 31.10.1996 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया देय राशियां 5057.36 करोड़ रुपए थी, जिसमें विद्युत आपूर्ति के लिए 2382.50 करोड़ रुपए तथा अधिभार के रूप में 2674.86 करोड़ रुपए शामिल हैं। दिल्ली प्रशासन 1 अक्टूबर, 1996 से बीटीपीएस को 36 करोड़ रुपए प्रति मास अदा करने के लिए सहमत हो गया है। दिल्ली प्रशासन 1 जनवरी, 1997 से वर्तमान पूर्ण देय राशियों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गया है ताकि बीटीपीएस को ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति एवं परिवहन हेतु "पूर्व-भुगतान योजना" के अनुरूप समर्थ बनाया जा सके।

दिल्ली में विद्युत की आपूर्ति की स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपचारी उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :— 1. बीटीपीएस तथा डेसू के स्वामित्व वाले विद्युत केन्द्रों का कोयला/ईंधन की आपूर्ति में सुधार 2. कोयले की समय पर ढुलाई के लिए रेलवे के साथ समन्वय, 3. उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति का विस्तार।

तेल क्षेत्र

*91. **श्री मोहन रावले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय तेल क्षेत्रों को विश्व बैंक के कहने पर निजी कम्पनियों को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कतिपय तेल क्षेत्रों को निजी कम्पनियों को सौंप दिए जाने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को कितना घाटा हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सरकार के एक नीतिगत निर्णय के अनुसार में खोजे गए तेल क्षेत्रों को संयुक्त उद्यमों द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। इन बोलियों में हस्ताक्षर और उत्पादन बोनस बोली योग्य मदें हैं और इन मदों की धनराशि ओ एन जी सी को मिलती है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी परियोजना का अर्थतंत्र इसकी अनुमति देता है, ओ एन जी सी को अतीत में खर्च की गई लागतों के लिए अलग से मुआवजा मिलता है।

इन क्षेत्रों को निजी प्रतिभागिता के लिए प्रस्तावित करने के कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं :—

1. कुछ क्षेत्रों का सीमांत अर्थतंत्र।
2. प्रस्तावित छोटे क्षेत्रों के कम भण्डार।
3. अन्वेषण और विकास में कुल निवेश में वृद्धि करना।
4. इन क्षेत्रों से शीघ्रतापूर्वक उत्पादन आरम्भ करके तेल/गैस के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करना।
5. वर्धित तेल निकासी प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के लिए।
6. नवीनतम प्रबंधकीय और प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों का समावेश करना।

रामागुंडम विद्युत परियोजना

***92. श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एन.टी.पी.सी. तथा एक निजी विकारक दोनों से प्रत्येक के द्वारा रामागुंडम में लगभग 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन सुविधाएं स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्राप्त हुए हैं। इन्हें कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय स्वीकृति जैसी अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने हेतु वापस लौटा दिया गया था। प्रवर्तकों के द्वारा के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन प्रस्तावों के लिए अंतिम स्वीकृतियां प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य व्यापार और विकास संगठन

***93. श्रीमती भावनाबेज देवराज भाई चिखलिया :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य व्यापार और विकास संगठन द्वारा फल प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) मंत्रालय को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे भारतीय खाद्य व्यापार तथा विकास संगठन नामक किसी निकाय के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोल/डीजल पम्प

***94. श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पेट्रोल और डीजल पम्पों के लिए कोई उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या पेट्रोल पम्प केवल कुछ गिन चुने शहरों में ही स्थित हैं जबकि पर्वतीय लोग दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं;

(ग) क्या इन दूर-दराज के क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). तेल उद्योग के पास उत्तर प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज के क्षेत्रों को शामिल करने वाला 164 खुदरा बिक्री केन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क

है। जिलेवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	जिला	योग
1.	नैनीताल	53
2.	उद्यम सिंह नगर	25
3.	पिथौरागढ़	5
4.	अल्मोड़ा	7
5.	देहरादून	41
6.	उत्तरकाशी	3
7.	टिहरी गढ़वाल	6
8.	चमोली	7
9.	पौड़ी गढवाल	12
		164

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में 17 और खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा निवेश

***95. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार 9वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को किन-किन मुख्य परियोजनाओं पर खर्च किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई सभी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा किये जाने वाले इस निवेश से देश में तेल का कितना उत्पादन बढ़ जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) ओ एन जी सी का 9वीं योजना के दौरान लगभग 23,400 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करने का प्रस्ताव है।

(ख) यह धनराशि सर्वेक्षण, अन्वेषण वेधन, विकास वेधन और उत्पादन से संबंधित योजनाओं पर खर्च की जानी है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई कई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और कुछ कार्यान्वयन के सक्रिय चरण में है।

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान ओ एन जी सी द्वारा अनुमानित तेल उत्पादन लगभग 145 मिलियन टन होगा।

रसोई गैस का आयात

***96. श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरॉन ने कतार से रसोई गैस आयात करने तथा इसकी गुजरात में बिक्री करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनसे कितने क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जैव प्रौद्योगिकी का विकास

***97. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) देश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में, जैवप्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों के विकास के लिए संगठित सहायता प्रदान की गई है जिनमें पराजीनी अनुसंधान, रेशमकीट-जैवप्रौद्योगिकी, मानव आनुवंशिकी, खाद्य जैवप्रौद्योगिकी, नैदानिक किटों का विकास, डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी के लिए नए केन्द्र की स्थापना और मानव संसाधन विकास गतिविधि का विस्तार शामिल हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों को विकसित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। पराजीनी पादपों, नैदानिक किटों तथा जैवउर्वरकों और जैव नियंत्रण अभिकर्मकों से संबंधित कई अनुसंधान लीड्स उपलब्ध हैं। 1080 हेक्टेयर क्षेत्र में ऊतक संवर्धन से उगाए गए 25 लाख से ज्यादा पादपों को खेत में लगाया जा रहा है। 102 हेक्टेयर के क्षेत्र में ऊतक संवर्धित इलायची से उपज में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के बहुगुणन के लिए प्रोटोकोलों को तैयार कर लिया गया है। कृषकों के लिए आठ नए जैवकीटनाशक सरूपण विकसित किए गए हैं तथा 2 प्रायोगिक संयंत्र जैवनियंत्रण अभिकर्मकों को तैयार कर रहे हैं। जैवउर्वरकों के लिए, 7000 प्रयोगात्मक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है और लगभग 6000 कृषकों को नील हरित शैवाल और राइजोबियल

प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। भ्रूणों की सैक्सिंग के लिए अन्वेषियों का 100 प्रतिशत विशुद्धता के साथ परीक्षण किया गया है। कुष्ठ रोग वैक्सीन की चरण-III क्लिनिकीय जांच चल रही है जिसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। लाइपोसोमल इन्टरकैलेटिड एम्फोटेरिसिन-बी प्रणालीबद्ध कवकीय संक्रमण को दूर करने में सफल रहा है। विभाग द्वारा स्थापित जैव सूचना प्रणाली नेटवर्क का 10,000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। 30 से ज्यादा प्रदर्शन परियोजनाओं ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए अच्छे परिणाम दिए हैं जिससे लगभग 15,000 लक्ष्यगत दलों को लाभ मिला है। मैंग्रोवो में तथा राजस्थान तथा गुजरात के कुछ भागों में आण्विक उपायों के माध्यम से जैवविविधता संरक्षण भी सफल रहा है। औषधीय तथा सुगंधित पादपों के लिए जीन बैंक के पास हजारों की संख्या में प्राप्तियां हैं तथा वे महत्वपूर्ण प्रजातियों की उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री को उपलब्ध कराकर किसानों की सहायता भी कर रहे हैं। राज्य स्तर की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, विभागों, स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ अत्यधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किए गए हैं।

जैवप्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, विशेषतौर पर देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग करके जैवउत्पाद विकास पर प्रमुख बल दिया जायेगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में मिशन मोड कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा विकास और प्रदर्शन गतिविधियों को शुरू किया जायेगा :- जीनोम मैपिंग का उभरता हुआ क्षेत्र, पराजीनी अनुसंधान, संयुक्त रसायन विज्ञान, ड्रग डिजाइनिंग तथा ड्रग विकास, जैविक संसाधनों का पूर्वेक्षण, नए संक्रमणों के लिए नैदानिकी का विकास, आनुवंशिक काउंसलिंग, आनुवंशिक वृद्धि केन्द्रों तथा सूक्ष्मप्रवर्धन पार्कों आदि की स्थापना। आवश्यक जैवसुरक्षा मार्गनिर्देशों को भी बनाया गया है। स्थान विशिष्ट मांगों तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य क्षेत्रों में मानव संसाधन कार्यक्रम को बढ़ाया जायेगा।

पट्टे पर दी गयी भू-सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड सम्पत्ति में बदलने वाली एजेंसी

*98. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कौन-कौन सी एजेंसियां दिल्ली में पट्टे पर दी गयी भूसम्पत्ति को फ्रीहोल्ड सम्पत्ति में बदलने संबंधी कार्य कर रही है;

(ख) क्या उन्होंने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को इस संबंध में किस-किस प्रकार की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली में निम्नलिखित एजेन्सियां पट्टा सम्पत्तियों को पट्टामुक्त सम्पत्ति में बदलने का कार्य कर रही हैं :-

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण

(2) भूमि तथा विकास कार्यालय

(3) गृह मंत्रालय का पुनर्वास विंग

(4) दिल्ली राज्य सरकार का भूमि तथा भवन निर्माण विभाग,

(5) दिल्ली नगर निगम।

(ख) और (ग). सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं, जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर आधारित हैं। अधिसूचाओं की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) योजना में उपांतरण संबंधी आपत्तियां और सुझावों पर सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता रहा है तथा यथा आवश्यकता उपांतरण जारी किये गये हैं।

विवरण

पट्टा सम्पत्ति को फ्री होल्ड सम्पत्ति में बदलने संबंधी आदेशों की मुख्य बातें

(I) यह परावर्तन उन पट्टा सम्पत्तियों का है जो "रिहायशी" हैं तथा जिनका भू उपयोग मास्टर प्लान में "रिहायशी" दर्ज है।

(II) यह योजना 500 वर्ग मीटर तथा इससे कम क्षेत्र वाले निर्मित प्लाटों पर लागू है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित फ्लैटों और छोटे मकानों पुनर्वास विभाग एवं भूमि विकास कार्यालय द्वारा आबंटित छोटे मकानों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से पट्टे पर प्राप्त जमीन पर सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों पर 1 प्रतिशत का विचलन होगा।

(III) 50 वर्ग मीटर आकार के प्लाटों तथा 300 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र वाले तैयार फ्लैटों/मकानों का परावर्त्तन निःशुल्क सुलभ है। प्लाटों के मामले में एक बार परावर्त्तन प्रभार देय होगा, यह 01.04.1987 को लागू अधिसूचित भूमि दरों से जुड़े फार्मले के अनुसार है। फ्लैटों के प्रसंग में ये प्रभाार फ्लैट की श्रेणी तथा इलाका, जहां फ्लैट हैं, पर निर्भर करता है।

(IV) हाल ही में, निर्देशों के अनुसार, 1.4.87 से प्रभावी भूमि दरों पर आधारित मूल घोषित दरों पर परावर्तन शुल्क में छूट 50 प्रतिशत सीमा तक पुनर्वास कालोनियों में मूल पट्टों के प्रसंग में वहां मिलेगी, जहां प्रथम बिक्री अनार्जित आय वृद्धि से माफ है तथा पट्टाधारियों से नाममात्र का अर्थात केवल 1/-रुपये का भूतल लगान देने की अपेक्षा की गयी है। इसी प्रकार अन्य पट्टों के प्रसंग में परावर्तन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट

निर्मित प्लाटों के लिए तथा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत छूट निर्मित फ्लैटों के लिए है।

(V) यह स्कीम ऐच्छिक है और आवेदक चाहे तो पट्टा की शर्तों और निबन्धनों के अधीन अपनी संपत्ति बनाये रख सकता है अथवा पट्टा मुक्त कराने का विकल्प चुन सकता है।

(VI) आवेदकों से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है कि उसकी सम्पत्ति में कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है।

(VII) जहां किसी मकान का कोई हिस्सा गैर-रिहायशी प्रयोजनों के इस्तेमाल में है, वहां अतिरिक्त परावर्तन प्रभार देना होगा, जो मकान के रिहायशी प्रयोग वाले हिस्से के लिए आनुपातिक सामान्य परावर्तन प्रभार के तीन गुणा होगा। ऐसा क्षेत्र 500 वर्ग मीटर के कुल फर्शी क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(VIII) ऐसी सम्पत्तियों के प्रसंग में भी परावर्तन की अनुमति है जिनका अन्तरण जनरल पावर आफ अटार्नी पर हुआ है किन्तु शर्त यह है कि आवेदक के पास सम्पत्ति के निपटान हेतु पट्टाधारी से विधिवत पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो तथा आवेदक का उस सम्पत्ति पर कब्जा हो। ऐसे मामलों में परावर्तन शुल्क पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत सरचार्ज अतिरिक्त देना होगा।

(IX) नये आवंटित फ्लैटों के प्रसंग में, जहां आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर है तथा जहां प्लाट लीज-होल्ड आधार पर है, परावर्तन की अनुमति होगी किन्तु ऐसे मामलों में उस प्लाट को जिस पर फ्लैट बना है, संपत्ति के फ्री-होल्ड में बदलाव हेतु स्थानीय निकाय से (डी) फार्म पर पूर्णतः प्रमाण-पत्र लेकर संलग्न करना होगा।

(X) परावर्तन प्रभारों की अदायगी 5 वर्षों की अवधि में किश्तों पर भी की जा सकती है, किन्तु उस पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा। अगर कोई आवेदक परावर्तन प्रभारों की अदायगी, किश्तों में करना चाहता है तो आवेदक को मध्यवर्ती अवधि के लिए सामान्य भू-लगान की अदायगी के बजाय 1/- रुपये का नाम-मात्र का भू-लगान देना होगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम

***99. श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने एक अप्रैल, 1990 से एक्जिक्यूटिव कैडर के लिए सेवा निवृत्ति लाभ योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गैर-एक्जिक्यूटिव कैडरों के लिए इसे लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में 01.04.1990 से आज तक कितने गैर-एक्जिक्यूटिव कैडर के कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये हैं; और

(घ) क्या सरकार का गैर-एक्जिक्यूटिव कैडरों के लिए भी ऐसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ). गैर-अधिशासी संवर्ग के लिए योजना नवम्बर, 1995 से आरम्भ की जा रही है, क्योंकि मान्यताप्राप्त संघ पहले इस योजना पर सहमत नहीं हुए थे।

(ग)

सीआरबीसी	ईआरबीसी	एमआरबीसी	एनआरबीसी	एसआरबीसी	डब्ल्यूआरबीसी	एचक्यूआरएस (दिल्ली सहित)	योग
96	386	34	20	98	1,107	261	2,002

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

***100. डा. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुनाफे में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अपने संगठन को नया रूप देने के लिए एक अमरीकी परामर्शदात्री कम्पनी के साथ कोई समझौता करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो अमरीकी कम्पनी के साथ समझौता करने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस समझौते के संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(च) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का इसे लाभप्रद बनाने के लिए विनिवेश करने/अपनी कोई नीति अपनाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान 1994-95 में प्रमुख परियोजनाओं के आरम्भ लेने की वजह से अपेक्षाकृत अधिक मूल्यह्रास प्रभारों तथा वाह्य वाणिज्यिक उधारों पर विनिमय क्षति के कारण आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के लाभों में गिरावट थी।

(ग) और (घ). जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने अपने संगठनात्मक रूपान्तरण से संबंधित कार्य को करने के लिए एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शदाता मैसर्स मैककिन्सी एण्ड कं., न्यूयार्क, को आशय पत्र दिया है।

(ङ) संविदागत विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन पहले ही लाभकारी संगठन है और यह अपनी लाभप्रदत्ता को आगे और सुधारों के लिए प्रयास करेगा।

कृषि विज्ञान केन्द्र

784. श्री एन.जे. राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को कृषि मंत्रालय से देश के कुछ कृषि विज्ञान केन्द्रों को बंद किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उन्हें बंद होने से बचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). योजना आयोग को देश में कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र (के वी के एस) को बंद करने के संबंध में कृषि मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ). कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु सहायता के मौजूदा पैटर्न के अनुसार भारत सरकार पहले पांच वर्षों के दौरान सभी के वी के एस को शत-प्रतिशत और अगले पांच वर्षों के लिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। तत्पश्चात् मेजबान संस्थानों को के वी के एस चलाने के लिए स्वयं के वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है। 1994 में यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि 261 की संख्या के पश्चात् स्थापित किए गए के वी के एस को आई सी ए आर के माध्यम से भारत सरकार से पहले 5 वर्षों के लिए शत प्रतिशत और अगले पांच वर्षों के लिए 60 प्रतिशत सहायता प्राप्त होगी। तत्पश्चात मेजबान संस्थानों से स्वयं के वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी के वी के एस को कठिनाई से बचाने के लिए अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी के.वी.के.एस. को मौजूदा आधार पर वित्त पोषित किया जाना जारी रहेगा।

मूलभूत सुविधाएं

785. श्री के.पी. नायडु : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री तट पर मछलियों के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या प्रशीतन भंडार गृहों के निर्माण तथा मछली प्रसंस्करण के लिए मशीन खरीदने हेतु निजी उद्यमियों, कंपनियों तथा अन्य एजेन्सियों के सहायतार्थ कोई सहायतानुदान योजना चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सहायतानुदान के रूप में राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु मंत्रालय की एक स्कीम है। स्कीम के तहत आईस प्लांट, कोल्ड-स्टोरेज, रेफ्रिजरेटिड वाहनों, प्रसंस्करण मशीनरी आदि की पूंजीगत लागत के अंश के रूप में विभिन्न संगठनों और निजी उद्यमियों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(घ) पिछले 3 सालों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
		(लाख रुपये में)	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69.75	-	-
मिजोरम	28.00	-	
उड़ीसा	31.00	50.00	-
दिल्ली	11.88	-	-

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	42.00	11.00	20.00(*)
महाराष्ट्र	67.50(*)	-	15.47(*)
केरल	-	-	171.26(*)
आन्ध्र प्रदेश	-	-	164.33(*)
गुजरात	-	-	75.00(*)

* समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के मार्फत ।

हल्दिया तेलशोधक कारखाना

786. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई मांग से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई तेलशोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) क्या हल्दिया तेलशोधक को क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य की मांग किस प्रकार पूरी किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). सरकार ने विद्यमान हल्दिया रिफाइनरी के अतिरिक्त हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 6.00 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की एक नई रिफाइनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किया है। 1.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की क्रूड आसवन इकाई की स्थापना के द्वारा हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता 2.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की जा रही है। क्रूड आसवन इकाई की स्थापना से संबंधित परियोजना मार्च, 1997 में पूरी कर ली जाएगी।

अपार्टमेंटों का निर्माण

787. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा उच्च अधिकारियों को आवंटित प्रत्येक बंगला कई एकड़ जमीन में फैला हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उनमें से प्रत्येक बंगले की कीमत 200/- से 400/- करोड़ रुपये है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन भूखण्डों पर बहुमंजिले अपार्टमेंटों का निर्माण करने तथा अतिरिक्त भूमि को बेच देने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख). यह सच है कि मंत्रियों तथा संसद सदस्यो को आबंटित बंगले तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र में फैले हैं तथा इस भूमि का बाजार भाव शहर के मध्य में स्थित होने के कारण बहुत अधिक है।

(ग) उपरोक्त बंगले लुटियन बंगलों जोन एरिया में स्थित हैं। लुटियन बंगलों जोन एरिया दिशानिर्देशों के अनुसार बंगले यथावत रखे जाने हैं। इन बहुमंजिला अपार्टमैटों को बनाने तथा अतिरिक्त भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आदमटीला तथा वशकण्डी विद्युत परियोजनाएं

788. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी असम में आदमटीला तथा वशकण्डी नामक स्थानों पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए गैस टर्बाईन परियोजनाएं अभी पूर्ण की जानी है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कब तक पूर्ण होने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार ने सूचित किया है कि प्रवर्तकों के अनुसार विलंब के कारणों में वर्षा, असम में बाढ़ वित्तीय संस्थानों में अर्थाभाव तथा सीमा शुल्क संबंधी समाशोधन में विलंब होना इत्यादि रहे हैं।

(ग) आदमटीला मुक्त साइकल तथा संयुक्त साईकल विद्युत परियोजनाओं को क्रमशः 31 जनवरी, 1997 व 30 अप्रैल, 1997 तक पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशा की गई।

बंसकांडी मुक्त साईकल तथा संयुक्त साईकल विद्युत परियोजनाओं को क्रमशः 28 फरवरी, 1997 व 31 मई, 1997 तक पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशा है।

सरकारी आवासों पर कब्जा

789. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य पूल के ऐसे आवासों की संख्या कितनी है जिनमें गैर-सरकारी व्यक्ति रह रहे हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को सरकारी आवासों को आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे आवंटिती उन आवासों में कब से रह रहे हैं तथा आवंटन की शर्त क्या है;

(ङ) क्या उन आवासों को खाली कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). साधारण पूल के 239 मकान गैर सरकारी व्यक्तियों के कब्जे में हैं।

टाइप-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

टाइप-I	शून्य
टाइप-II	शून्य
टाइप-III	4
टाइप-IV	73
टाइप-IV (विशेष)	13
टाइप-V	95
टाइप-VI	37
टाइप-VII	04
टाइप-VIII	06
हॉस्टल (वी.पी.हाउस सहित)	07

(ग) से (च). सरकारी मकान उन गैर सरकारी व्यक्तियों को आवंटित किये जाते हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय महत्व के उपयोगी कार्य में लगे होने और समाज के लिए उनके योगदान के लिए होती है जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, उप राष्ट्रपति एवं स्वर्गीय राष्ट्रपति/प्रधान मंत्रियों आदि की विधवाएं आदि।

ऐसे आवंटन साधारणतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से एक विशेष समयावधि के लिए किए जाते हैं। मकान खाली कराने की कार्रवाई बढ़ाये गये समय, यदि कोई हो, तो सहित वैध अवधि पूरी हो जाने के पश्चात की जाती है।

उपर्युक्त श्रेणियों में आवास मुहैया कराने के लिए आवंटन नियमों के तहत जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यक्तियों को समय-समय पर आवंटन किए जाते हैं।

रसोई गैस बोट्लिंग संयंत्र

790. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने तथा कौन-कौन से रसोई गैस बोट्लिंग संयंत्र हैं तथा उनकी संयंत्र-वार प्रतिदिन उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या ये संयंत्र राज्य की मांग से निबटने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या पश्चिम बंगाल में और ज्यादा बोट्लिंग संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत स्थित विद्यमान भरण संयंत्रों के ब्यौरे निम्नवत है :—

क्षमता (एम टी)

क्र.सं.	भरण संयंत्र/स्थान	वार्षिक	प्रतिदिन
1.	कल्याणी	44,000	122.2
2.	दुर्गापुर	64,000	177.8
3.	हल्दिया	20,000	55.6
4.	पहाड़पुर	26,000	86.6

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). राज्यों की आगामी मांग को पूरा करने के लिए निम्नांकित स्थानों पर नए एल पी जी भरण संयंत्रों की योजना बनाई गई है :-

	भरण संयंत्र/स्थान	तेल कंपनी	क्षमता (हजार एम टी प्रति वर्ष)
1.	कलकत्ता	आई ओ सी	44
2.	उलबेरिया (कलकत्ता)	बी पी सी	22
3.	रायगंज	बी पी सी	10
4.	बर्द्धवान	बी पी सी	10

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पहाड़पुर स्थित भरण संयंत्र अपनी क्षमता का 26 हजार एम टी प्रतिवर्ष से 44 हजार एम टी प्रति वर्ष तक विस्तार करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

एल पी जी डीलर

791. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1996-97 के दौरान कितने एल पी जी डीलरों की नियुक्ति की जानी है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के नवाबगंज, मीरगंज, फतेहगंज पश्चिम तथा संथाल शहरी क्षेत्रों में कब तक एल पी जी डीलरों की नियुक्त की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). तेल विपणन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की 1994-95 की विपणन योजना में शामिल 211 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है। इसमें बरेली जिले का नवाबगंज नामक स्थान शामिल है। विज्ञापन जारी करने की तारीख से डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने तक आमतौर पर 1-2 वर्ष लगते हैं।

उपर्युक्त के अलावा तेल उद्योग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों के लिए 207 एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिपों को 1996-97 की विपणन योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसमें बरेली जिले के पश्चिमी फतेहगंज और सैंथाल नामक स्थान सम्मिलित हैं। सरकार द्वारा विपणन योजना का अनुमोदन कर दिए जाने और निर्धारित पद्धति के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

टी.वी. एंटिना का विनिर्माण

792. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंटिना विनिर्माण कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत है;

(ख) कया सरकार को इस महत्वपूर्ण घटक के घटिया किस्म के होने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो टेलीविजन पर बेहतर चित्र दिखाई देने के लिए एंटिना और तार की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य तथा जन वितरण मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी रेडियो संचार अनुभागीय समिति लिमिटेड 20 के जरिए टीवी एन्टेना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड प्रकाशित किए हैं :-

(1) 30 मेगा हट्र्ज के । गीगा हट्र्ज की आवृत्ति रेंज में ध्वनि एवं टेलीविजन प्रसारण के अभिग्रहण के लिए आईएस 9793 (भाग/1/खण्ड 1-3)-1992 एन्टेना-विनिर्दिष्ट परिमाप की कार्यविधियां भाग ।

(2) 90 मेगा हट्र्ज से । गीगा हट्र्ज की आवत्ति रेंज में ध्वनि एवं टेलीविजन प्रसारण के अभिग्रहण के लिए आईएस 9793 (भाग 2/खण्ड 1)-1991 एन्टेना-विनिर्दिष्ट भाग-II अपेक्षाएं।

उपर्युक्त मानदण्ड तैयार करने वाले विशेषज्ञ पैनल लिमिटेड 20 में लघु उद्योग क्षेत्र में एन्टेना के विनिर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल थे।

"स्टैम्प ड्यूटी" का अपवंचन

793. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1996 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में "सौल्युशन लाईज इन चेंजिंग ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली राज्य सरकार ने कहा है कि जनरल पावर ऑफ अटार्नी के जरिये सम्पत्ति के अन्तरण के एक मामले में स्टाम्प कलक्टर द्वारा बिक्री करार में लिखी राशि पर तथा अंतरण विलेख में दर्शित परावर्तन प्रभारों पर 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 5 प्रतिशत अन्तरण शुल्क लगाने के लिए की गई कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल जज खण्डपीठ के समक्ष मुकदमा दायर हुआ था। न्यायालय ने केवल अंतरण विलेख में दर्शित राशि पर स्टाम्प शुल्क/अन्तरण शुल्क का अनुमोदन किया किन्तु बिक्री करार में लिखी राशि पर स्टाम्प शुल्क/अन्तरण शुल्क की अनुमति नहीं दी।

उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैट

794. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "सैनिटरी लैण्ड फिल्स" के निकट निर्मित आवास कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ये आवास किन-किन स्थानों में बने हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन आवासों की बिक्री हेतु हनमें सुधार करने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वित्त निगम

795. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को बोर्ड-वार तथा वर्ष-वार दिए गए ऋण के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर विद्युत वित्त निगम का कितना ऋण बकाया है; और

(ग) बकाया ऋणों के भुगतान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा प्रत्येक बोर्ड को दिए गये ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31 अक्तूबर, 1996 की स्थितिनुसार विद्युत वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने वालों पर बकाया ऋण दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पी.एफ.सी. वसूली कार्यक्रम के अनुसार अपने ऋणियों से सामन्य अवधि में देय होने वाले ऋणों को वसूल कर रही है तथापि चूक की दशा में पी.एफ.सी. उचित नोटिस देकर संवितरण रोक लेती है और अन्य बातों के साथ-साथ एस्क्रो खाता/राज्य सरकार की गारन्टियों/बैंक गारन्टियों के लिए अनुरोध करने, राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ उच्च स्तर पर मामला उठाने, ऋणों का पुनः कार्यक्रम/पुनः संरचना तैयार करने तथा राज्यों का देय केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से बकाया राशियों में कमी करने जैसे उपाय करती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा संवितरित ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	रा.वि. बोर्ड का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आ.प्र.रा.वि.बो.	174.22	232.6	322.02
2.	बिहार	0.48	-	-
3.	गुजरात	13.28	-	-
4.	हरियाणा	2.45	12.88	27.18
5.	हि.प्र.	10.88	3.59	18.9
6.	जे एण्ड के एसईबी	-	-	-
7.	के.ई.बी.	61.49	99.91	107.93
8.	के.एस.ई.बी.	0.78	-	11.82
9.	म.प्र.	92.74	21.46	46.99
10.	महाराष्ट्र	35.63	26.29	204.09
11.	उड़ीसा	15.35	95.83	90.36
12.	पंजाब	-	-	-
13.	राजस्थान	81.97	98.12	78.22
14.	तमिलनाडु	66.76	64.67	40.05
15.	उत्तर प्रदेश	26.75	-	-
16.	प. बंगाल	4.58	3.76	-
17.	मेघालय	-	-	-

विवरण-II

31.10.96 की स्थितिनुसार ऋण प्राप्तकर्त्ताओं पर बकाया ऋण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	ऋण प्राप्तकर्त्ता	बकाया राशि
1	2	3
1.	हरियाणा	11.49
2.	एच.एस.ई.बी.	56.04
3.	हि.प्र. सरकार	0.75
4.	एच.पी.एस.ई.बी.	53.90
5.	जे एण्ड के एस.ई.बी.	5.02
6.	पी.एस.ई.बी.	36.48

1	2	3
7.	राजस्थान सरकार	5.05
8.	आर.एस.ई.बी.	329.14
9.	यू.पी.एस.ई.बी.	165.59
10.	जी.ई.बी.	235.24
11.	एम.पी.ई.बी.	390.43
12.	एम.एस.ई.बी.	840.66
13.	ए.पी.एस.ई.बी.	840.66
14.	के.ई.बी.	390.37
15.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	25.95
16.	के.एस.ई.बी.	46.15
17.	टी.एन.ई.बी.	412.58
18.	बिहार स्टेट हाईड्रो पावर कारपोरेशन लिमि.	7.07
19.	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	128.59
20.	ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा	207.50
21.	उड़ीसा पावर जनरेटिंग कारपोरेशन लि.	227.91
22.	सिक्किम सरकार	5.30
23.	डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.	14.45
24.	पश्चिम बंगाल पावर डैव. कारपोरेशन लि.	184.28
25.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	0.86
26.	मणिपुर सरकार	2.59
27.	मिजोरम सरकार	15.60
28.	नागालैण्ड सरकार	37.48
	जोड़	4189.77

वैज्ञानिक अनुसंधान

796. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अनुसंधान करवाने हेतु उद्योग को संबद्ध करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस समय किस प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है; और

(घ) अनुसंधान कार्य उद्योग विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध होंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). सरकार विभिन्न विभागों द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने हेतु उद्योग को जोड़ती है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआइआर) अपने प्रौद्योगिकीय स्वावलम्बन लक्षित कार्यक्रम (पेट्सर) के अन्तर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी का समावेशन तथा संवर्धन समसामयिक उत्पादों तथा उच्च प्रभाव वाली प्रक्रियाओं के वाणिज्यीकरण तथा विकास हेतु स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करने, तथा पूंजीगत माल का विकास करने के लिए उद्योग को अपनी ओर से अथवा राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के सहयोग से सहायता प्रदान करता है। अब तक 44 करोड़ रुपए की कुल लागत की परियोजना में से 18 करोड़ रुपए की डीएसआइआर सहायता वाली उद्योग से प्राप्त 58 अनुसंधान, विकास, डिजाइन तथा इंजीनियरी (आरडीडीई) परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें 41 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजनाओं में से 17 करोड़ रुपए की डीएसआइआर की सहायता वाली 51 परियोजनाएं चल रही हैं। परियोजना सहायता के लिए उद्योग से वर्ष 1996-97 के दौरान 100 से अधिक पूछताछ व लगभग 40 अतिरिक्त आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। अभी तक यांत्रिक इंजीनियरी, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, रसायन तथा पेट्रोरसायन, जैवप्रौद्योगिकी, धातुकर्मी तथ सिरैमिक्स इत्यादि के क्षेत्र में परियोजनों की सहायता की गई है। ये परियोजनाएं प्रायोगिक संयंत्र स्केल पर उत्पादों के आदि प्ररूपों, पूंजीगत सामग्री के विकास तथा प्रक्रियागत प्रौद्योगिकीय के विकास से जुड़ी है। वर्ष 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) ने उद्योग के हित वाले तथा उसके सहयोग से अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू करने पर जोर दिया है। इस प्रकार का अनुसंधान एवं विकास कार्य संविदागत अनुसंधान एवं विकास तथा परामर्शी के रूप में किया जाता है। उद्योग ने इन प्रयासों में सीएसआइआर का सहयोग देन के लिए सामान्यतः सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। अनुसंधान एवं विकास के ऐसे मुख्य क्षेत्र जहां इस प्रकार के सहयोग किए गए, हैं-औषधियां एवं फार्मास्यूटिकल, पैट्रोरसायन और लघु इंजीनियरी गैजेट/उपकरण।

विकास और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएमटी) अपनी पंजीकृत सोसायटी नामशः प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) के माध्यम से वाणिज्यीकरण और वृहत स्तर अनुप्रयोग के लिए बेंच स्तर की प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के वास्ते देश में विकसित प्रौद्योगिकी (एचजीटी) गतिविधि के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास सहायता (टीडीए) उपलब्ध कराता है। उन प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए भी आंशिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिनमें उद्योग, उपभोक्ता और अनुसंधान एवं विकास संस्थान भागीदार हैं। उद्योग की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है और एचजीटी गतिविधि के अंतर्गत वित्तपोषित एवं क्रियान्वित कुछ परियोजनाएं निम्नवत्

हैं :—सोएफसी प्रतिस्थापक (एचएफसी 134 ए), सहआधारित रसायन, 64 अल्पशः सामान्तर कम्प्यूटर "फ्लोसॉल्वर" हाई एनर्जी रेयर अर्थ मैग्नेट, जिंक अपशिष्ट से कोबाल्ट को पुनः प्राप्ति, डाईमिथाइल संल्फोआक्साइड, जैवउर्वरक आदि।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के "औषधि एवं फार्मास्यूटिकल अनुसंधान कार्यक्रम" के अन्तर्गत औषधि विकास के लिए, जिसमें सभी प्रकार की औषधीय प्रणालियों के अन्तर्गत नए औषधि अणुओं का विकास शामिल है, उद्योग और सरकारी निधिबद्ध वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों की सहयोगी परियोजनाओं को चुनिंदा समर्थन प्रदान किया जाता है। उद्योग की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 6 औद्योगिक कंपनियों के सरकारी निधिबद्ध अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से सहयोग किया गया है। ये अनुसंधान परियोजनाएं हमारे देश की स्थानिक बीमारियों जैसे तपेदिक, एड्स, कैंसर, मलेरिया आदि के लिए औषधियों का विकास करने से संबंधित है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग (डीएसटी) उपकरणों के विकास/उन्नयन और उन्नत सामग्री विकास जैसे क्षेत्रों में भी परियोजनाओं की सहायता करता है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत हाल ही में गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का लक्ष्य, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने तथा वृहत घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के वास्ते औद्योगिक संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों का सहयोग करना है।

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनइएस), डीएसआइआर द्वारा अभिज्ञत उद्योग में घरेलू आर एंड डी यूनिटों या उद्योग के एक सहायता संघ, शैक्षिक संस्थानों और आर एंड डी संस्थानों अथवा नवीकृत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, वायु, बायोमास आदि के क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए एमएनईएस के सहयोग से एक औद्योगिक यूनिट से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को समर्थन देता है।

इलैक्ट्रॉनिक विभाग (डीओई) एक ऐसी स्कीम, यथा "उद्योग के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान एंव विकास का वित्तपोषण (फ्रंड)" को चलाता है जिसके अन्तर्गत उद्योग, आर एंड डी प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों समेत सहयोगी आर एंड डी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए आंशिक वित्तपोषण किया जाता है।

(घ) प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के बाद विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत समर्थन प्राप्त अनुसंधान कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप इन कंपनियों का काफी अधिक टर्नओवर होने की संभावना है। इस अनुसंधान कार्य से कुशल जनशक्ति तथा विशेषज्ञता के सर्जन, उद्योग में प्रोत्साहन योग्य सतत् अनुसंधान व विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के निर्माण तथा सरकारी निधिबद्ध अनुसंधान व विकास संस्थाओं व उद्योग की शक्ति के साथ सहयोग बढ़ाने की भी संभावना है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

797. श्री दिनशा पटेल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार को वर्ष 1995-96 के दौरान अहमदाबाद में उच्च न्यायालय भवन को पूरा करने के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह शर्तें पूरी की हैं; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना को समय पर पूरा करने में राज्य सरकार ने क्या प्रगति की?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). वार्षिक योजना 1995-96 के दौरान अहमदाबाद में उच्च न्यायालय भवन को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि इस शर्त पर मुहैया कराई गई थी कि इस भवन को पूरा करने के लिए अपेक्षित शेष धनराशि राज्य सरकार मुहैया कराएगी ताकि इसे वार्षिक योजना 1995-96 के दौरान पूरा किया जा सके। यद्यपि योजना आयोग को परियोजना की प्रगति की जानकारी नहीं है।

जनसुविधाओं का निर्माण

798. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव की जा रही किन-किन सरकारी कालोनियों में 1 जनवरी, 1985 और उसके पश्चात् आबंटन आरम्भ किया गया था;

(ख) किन-किन कालोनियों में अब तक सामुदायिक केन्द्रों/बारात घरों का निर्माण नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार का विचार उपरोक्त भाग (क) में वर्णित सरकारी कालोनियों में अब तक ये सुविधायें प्रदान करने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सम्पदा निदेशालय द्वारा निम्नलिखित नई कालोनियों में 1.1.85 या इसके बाद आबंटन किए जाने के बाद उनका रखरखाव शुरू किया :-

1. वसंत विहार
2. बापू धाम
3. एन्ड्रयूज गंज
4. नेहरू नहर

(ख) उपर्युक्त चार में से निम्नलिखित सरकारी कालोनियों में बारात घर/समाज सदनों का निर्माण नहीं किया गया है :-

1. वसंत विहार
2. बापू धाम
3. नेहरू नगर

एन्ड्रयूजगंज में समाज सदन का तो निर्माण हो गया है लेकिन बारात घर नहीं बना है।

(ग) जहां तक सरकारी कॉलोनियों मे समाज सदनों के निर्माण की बात है तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्णय लिया है कि भविष्य में समाज सदनों के निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जाएगा।

हैदराबाद में मैट्रो संयुक्त साइकिल परियोजना

799. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 650 मेगावाट हैदराबाद मैट्रो संयुक्त साइकिल परियोजना के क्रियान्वयन कार्य को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी संभावदेयता रिपोर्ट सी.ई.ए. को भेज दी गयी थी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण-संक्रमण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार को आगे कार्य आरम्भ करने हेतु प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक स्वीकृति आवश्यक थी;

(च) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक स्वीकृति दे दी गयी है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरंभ कर दी है तथा यह मसौदा घोषणा-पत्र जारी किए जाने की स्थिति में पहुंच गई है।

(ङ) परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आगे की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।

(च) से (ज). के.वि.प्रा. ने इस परियोजना के लिये "सिद्धांत रूप में" अपनी स्वीकृति संसूचित कर दी है। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए जल की उपलब्धता तथा नेफ्था की ढुलाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है और उसने एन.टी.पी.सी., को सुझाव दिया है कि वह परियोजना को किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किए जाने की संभावनाओं की जांच करे।

हजीरा गैस प्रक्रम चरण-III

800. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के हजीरा गैस प्रक्रम चरण-III विस्तार परियोजना का उद्घाटन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के चालू हो जाने के बाद इससे होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) हजीरा में चरण-III विस्तार परियोजना से सावर गैस की डिजाइन संसाधन क्षमता 20 एम एम एस सी एम डी से बढ़कर 25 एम एम एस सी एम डी हो जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स

801. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए नागपुर में फ्लैटों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान नागपुर में टाइपवार कुल कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया; और

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान फ्लैटों का निर्माण करने की सरकार की क्या योजना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) शून्य।

(ग) नागपुर में वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 के दौरान निम्नलिखित सामान्य पूल आवास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किए जाने का प्रस्ताव है।

टाईप-I	16
टाईप-II	120
टाईप-III	112
टाईप-IV	32
टाईप-V	24
योग	304

शरावंथी तैल रेस तथा काली-दो विद्युत परियोजना

802. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में शरावथी तैल रेस तथा काली दो द्वितीय चरण विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की अनुमति लागत सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). कालीनदी चरण-2 के लिए योजना आयोग द्वारा 163.03 करोड़ रुपये की लागत पर 4x32+4x25 मेगावाट क्षमता के लिए 14.5.1980 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। 1994-95 के मूल्य स्तर पर 3x40+3x50 मेगावाट क्षमता के लिए परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 446 करोड़ रुपये है। शरावती तैल-रेस परियोजना को 1993 के मूल्य स्तर पर 4x60 मेगावाट क्षमता के लिए 159.43 करोड़ रुपये की लागत पर 6.5.1987 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना की अद्यतन लागत 232 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ). केन्द्र सरकार आमतौर पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए सकल योजना सहायता उपलब्ध कराती रही है। विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

परमाणु ऊर्जा निगम को धनराशि

803. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसी) को पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा निगम इस समय पूंजी बाजार से धनराशि जुटा रहा है; यदि हां, तो कितनी धनराशि जुटाई गई; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन को चालू परमाणु विद्युत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 8वीं योजना में कुल मिलाकर संसाधनों संबंधी कठिनाईयों के भीतर ही पर्याप्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, परमाणु विद्युत रूपरेखा में परिकल्पित नई परियोजनाओं के लिए संसाधनों संबंधी कठिनाइयों की वजह से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका।

(ग) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन बांड जारी करके पूंजी बाजार से धन जुटाती आ रही है और अब तक करीबन 3000 करोड़ रुपए जुटा चुकी है।

(घ) प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन-व्यवस्था के प्रचलन को देखते हुए परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। देश का कार्यक्रम बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहे बिना स्वदेशी अनुसंधान के आधार पर विकसित किया जा रहा है।

कापार्ट

804. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "काउंसिल फार एडवांसमेन्ट ऑफ पीपुल एक्शन एण्ड रूरल टैकोलाजी (कापार्ट)" ने देश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक शौचालय, मूत्रालय तथा एक हैण्ड पम्प उपलब्ध कराने की एक पायलट परियोजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई संस्वीकृत योजना नहीं है।

माल सूची

805. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार के पी-ब्लाक में लेखन सामग्री विभाग की माल सूची इसके विक्रय से काफी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस माल सूची को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). जी, नहीं। माल सूची लेखन सामग्री की 9 दिन की बिक्री दर्शाती है और इसे अधिक नहीं माना जाता है।

बिजली कनेक्शन

806. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में और इसके इर्द-गिर्द स्थित विभिन्न मजदूर कालोनियों में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्राधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की सभी कालोनियों को बिजली कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

तैल पूल बांध

807. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.वी.सी. प्रशासन ने तेल पूल बांध परियोजना पर निवेश करने के पश्चात् इस परियोजना को त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) तैल-पूल बांध के निर्माण को पूर्णतः बंद करने के कारणों में कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं तथा इसके पूरा होने में अनिश्चितता उत्पन्न करने वाले बारम्बार व्यवधान संबंधी घटक हैं। दामोदर घाटी निगम द्वारा किए गए नये मूल्यांकन से यह तथ्य प्रकाशित हुआ है कि क्षेत्र में बदले हुए विद्युत परिदृश्य में परियोजना आर्थिक दृष्टि से अब व्यवहार्य एवं प्रासंगिक नहीं है।

[हिन्दी]

दुकानों का आवंटन

808. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय ने अनेक बाजार तथा दुकानों का निर्माण कराया है तथा उन्हें आवंटित भी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक आवंटित दुकानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन दुकानों के आवंटियों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : यह निदेशालय इस समय विभिन्न सरकारी कॉलोनियों में 36 बाजारों का नियंत्रण कर रहा है।

(ख) विवरण I में ब्यौरे संलग्न हैं।

(ग) से (ङ). दुकानदारों को 4 पुनर्वास बाजारों (विवरण-II) के मालिकाना हक का निर्णय 1978 में लिया गया था। तदोपरांत 1989 में 10 बाजारों (विवरण-III) को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 1989 में 10 अन्य बाजारों में मालिकाना हक देने का निर्णय किया गया। विवरण-IV में उल्लिखित शेष 22 बाजारों में विभिन्न कारणों यथा-भू उपयोग प्लान के अनुरूप नक्शे न होने, निकटस्थ कार्यालय परिसर, सार्वजनिक परिसर आदि होने के कारण मालिकाना हक प्रदान करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

विवरण-I

दुकानों का विवरण (बाजार-वार)

क्र.सं.	बाजार का नाम	दुकान	स्टाल	थडे	शौरूम	ईन्धन डिपो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पटौदी हाउस	111	दिनांक 12.10.96 को गिरा दिया गया				
2.	श्रीनिवास पुरी मार्केट	111			12		123

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	एन्ड्रयूजगंज मार्केट	40			4		44
4.	नानक पुरा मार्केट	120	28		6	2	156
5.	लान्सर रोड मार्केट	28			1		29
6.	रिंग रोड मार्केट			217			217
7.	आर.के.पुरम् सेक्ट. 1	29	10		8	1	48
8.	आर.के.पुरम् सेक्ट.2	29	10		8	1	48
9.	आर.के.पुरम् सेक्ट.3	25	10		7	1	42
10.	आर.के.पुरम् सेक्ट.4	30	10		7	1	48
11.	आर.के.पुरम् सेक्ट.5	35				1	36
12.	आर.के.पुरम् सेक्ट.7 सी II	21				1	22
13.	आर.के.पुरम् सेक्ट. 7 सी I	18					18
14.	आर.के.पुरम् स्थल डी			50			50
15.	वाई सेप बिल्डिंग	5					5
16.	जनपथ	29					29
17.	एशिया हाउस	11					11
18.	मिन्टो रोड	5					5
19.	डी आई जेड वी.के.एस. मार्ग	10	7				17
20.	लोधी रोड कम्प्लैक्स सी 1	12	19				31
21.	हनुमान रोड	3	6				9
22.	लोधी रोड कम्प्लैक्स सी 2	5	6				11
							989

चार पुर्नवास बाजारों की दुकान (जो अब भी पुर्नवास क्षेत्र में है)

1.	कमला मार्किट	46					46
2.	सरोजनी नगर मार्केट	65					68
3.	पहाड़गंज मार्केट	41					41
4.	न्यू सेन्ट्रल मार्केट	10					10
							165
							कुल योग 1154

विवरण II

चार पुनर्वास बाजार, जहां 1978 में मालिकाना हक दिया गया :-

1. सरोजनी नगर मार्केट
2. कमला मार्केट
3. पहाड़गंज मार्केट
4. न्यू सेन्ट्रल मार्केट

बाजार का नाम	यूनिट संख्या
1	2
आई एन ए (थोड़े)	275
आई एन ए (एम एस एम)	224
बाबू मार्केट	120
अलीगंज मार्केट	7

1		2
मोहन चन्द मार्केट		152
कस्तूरबा नगर मार्केट		59
आर.के. पुरम् मार्केट, दुकान		34
सेक्टर-VI	फ्लैट	6
	ईंधन डिपो	1
आर.के.पुरम् मार्केट, दुकान		24
सेक्टर-VIII	स्टाल	27
	फ्लैट	12
	ईंधन डिपो	1
आर.के.पुरम् मार्केट, सेक्टर-IX	दुकान	8
	फ्लैट	4
आर.के.पुरम् मार्केट, सेक्टर-XII	दुकान	22
	स्टाल	18
	फ्लैट	6
	ईंधन डिपो	2
		1002

विवरण-III

दस बाजार जहां अक्टूबर, 1989 में मालिकाना हक दिया गया :-

1. बाबू मार्केट (सरोजनी नगर)
2. मेहर चन्द मार्केट (लोधी रोड़)
3. मोहन सिंह मार्केट
4. आर.के.पुरम्, सेक्टर-VI
5. आर.के.पुरम्, सेक्टर- VIII
6. आर.के.पुरम्, सेक्टर-IX
7. आर.के.पुरम्, सेक्टर-XII
8. आई.एन.ए. मार्केट (केवल प्लेटफार्म)
9. अलीगंज मार्केट (लोधी कालोनी)
10. कस्तूरबा नगर मार्केट (सेवा नगर)

विवरण-IV

वे बाजार, जहां मालिकाना हक नहीं दिया गया है :-

1. श्रीनिवास पुरी मार्किट
2. एण्ड्रयू गंज मार्किट
3. नानकपुरा मार्किट
4. लांसर रोड मार्किट
5. रिंग रोड मार्किट
6. आर.के.पुरम सेक्टर-I
7. आर.के.पुरम-सेक्टर-II
8. आर.के.पुरम-सेक्टर-III
9. आर.के.पुरम सेक्टर-IV
10. आर.के.पुरम सेक्टर-V
11. आर.के.पुरम सेक्टर-VII सी-II
12. आर.के.पुरम सेक्टर-VII सी-I
13. आर.के.पुरम सेक्टर-साइट -डी
14. "वाई" शेप बिल्डिंग
15. जनपथ
16. एशिया हाउस
17. मिन्टो रोड
18. डी आई जैड बाबा खडग सिंह मार्ग
19. लोधी रोड कम्पलैक्स (सी-I)
20. हनुमान रोड
21. लोधी रोड कम्पलैक्स (सी-II)

[अनुवाद]

पनकी विद्युत ग्रिड कानपुर

809. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को, पनकी ग्रिड में खराबी आने के कारण कानपुर में निरंतर बिजली गुल (ब्रेक डाऊन) होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). उ.प्र.रा.बि.बो. द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार कानपुर में बिजली गुल होने का कारण, कुछ अवसरों पर कम उत्पादन के

फलस्वरूप आपातकालीन नामावली (रोस्टरिंग), कुछ प्रमुख, गौण और वितरण ट्रांसफार्मरों का भार अधिक हो जाना, पुरानी भूमिगत केबलों तथा पुरानी लो टैंशन वाली वितरण लाइनों का भार अधिक हो जाना था।

(ग) उठाए जा रहे कुछ उपचारात्मक उपायों में उ.प्र.रा.बि.बो. के स्वयं के विद्युत केन्द्रों से विद्युत के उत्पादन को अधिकतम करना, विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करना, नये ट्रांसफार्मरों और उप-केन्द्र इत्यादि की स्थापना करना शामिल है। कानपुर में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि वाली एक प्रणाली सुधार स्कीम तैयार की गई है ताकि इसे अगले छः माह के दौरान पूरा किया जा सके।

पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण

810. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में अयोध्या नामक स्थान पर पम्प स्टोरेज हाइडल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा दिनांक 9.2.1994 को निवेश अनुमोदन हेतु पुरूलिया पम्प स्टोरेज स्कीम (4x225 मे.वा.) को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। परियोजना का वित्तपोषण किए जाने हेतु ओईसीएफ जापान के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। परियोजना संबंधी अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है तथा यूनिटों को वर्ष 2002-2003 से चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

भ्रष्टाचार के आरोप

811. श्री के.पी.सिंह देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सम्बद्ध संवर्गों के कितने अधिकारियों पर किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है। केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह सूचना कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड । और उससे ऊपर) का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में, उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई करने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास है, जिनके अधीन वे अधिकारी फिलहाल कार्यरत हैं। अतः, केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें, जैसा भी मामला हो, अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। राज्य सरकारों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से रखी या मानीटर नहीं की जाती है। जहां तक केन्द्र सरकार में कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सवाल है, इस समय छः अधिकारी ऐसे हैं जिनके विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है। नौ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों तथा एक केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

आवास प्रौद्योगिकी

812. श्री संतोष मोहन देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के सभी भागों में निर्माण केन्द्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार कर कम मूल्य पर उचित आवास प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में 500 ग्रामीण भवन निर्माण केन्द्र तथा 75 चल भवन निर्माण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों के स्थानों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा वर्ष 1988 में शुरू किया गया भवन निर्मिति राष्ट्रीय नेटवर्क, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और भवन निर्माण के क्षेत्र में किफायती तथा उपयुक्त आवास प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना प्रचार-प्रसार हेतु प्रौद्योगिकी अंतरण का प्रारंभिक स्तरीय तंत्र है। आज की तारीख तक पूरे देश भर में 443 भवन निर्मिति केन्द्र मंजूर किए गये हैं, जिसमें से 239 केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) से (घ). ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखकर हुडको ने केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से ग्रामीण भवन निर्मित केन्द्रों की स्थापना बाबत एक योजना बनाई है। इस योजना में 3400 तालुक/तहसील तथा 75 चलते फिरते निर्मित केन्द्रों में 500 केन्द्रों के निर्माण का विचार है जिनका निर्माण कार्य 1996-2000 के दौरान शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

813. श्रीमती शीला गौतम : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन-वार तथा राज्य-वार कितना विदेशी निवेश किया गया है तथा कितने उद्योग विदेशी सहयोग से चल रहे हैं;

(ख) विदेशी निवेश का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास तथा रोजगार सृजन पर इस निवेश/सहयोग का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1991 में उदारीकरण से लेकर मार्च 1996 तक अनुमोदित विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I पर और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उदारीकरण से लेकर मार्च 1996 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदित विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश से कृषि उत्पाद के अधिकतम उपयोग, मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन, बाजार के विस्तार, और निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलने की संभावना है।

विवरण-I

जुलाई, 1991 से 31 मार्च, 1996 तक अनुमोदित विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा।

राशि (करोड रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र	विदेशी निवेश
1.	अनाज मिलिंग एवं अनाज आधारित क्षेत्र	320
2.	फल एवं सब्जी उत्पाद	583
3.	मांस और पाल्ट्री	292
4.	गहन समुद्री मत्स्यन, मछली प्रसंस्करण और एक्वाकल्चर	540
5.	किण्वन उद्योग	287
6.	मृदु पेय/जल/कन्फैक्शनरी आदि समेत उपभोक्ता उद्योग	1054
7.	दूध और दूध उत्पाद	229
8.	खाद्य योगज, फ्लेवर आदि समेत अन्य	111
	कुल	3416

विवरण-II

जुलाई, 1991 से 31 मार्च, 1996 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विदेशी निवेश
1.	आंध्र प्रदेश	183
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	99
5.	हरियाणा	80
6.	हिमाचल प्रदेश	92
7.	जम्मू और कश्मीर	–
8.	कर्नाटक	16
9.	केरल	27
10.	मध्य प्रदेश	26
11.	महाराष्ट्र	498
12.	मणिपुर	–
13.	मेघालय	–
14.	नागालैंड	–
15.	उड़ीसा	1
16.	पंजाब	228
17.	राजस्थान	23
18.	तमिलनाडु	452
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	361
21.	पश्चिम बंगाल	23
22.	सिक्किम	–
23.	अंडमान निकोबार	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	–
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादर व नगर हवेली	–
27.	दिल्ली	–
28.	दमन व द्वीव	–
29.	एल.एम.एंड ए. आइग्लैंड	–
30.	मिजोरम	–
31.	पांडिचेरी	–
32.	गोवा	27
33.	स्थान का उल्लेख नहीं/ यूनिटें एक से अधिक जगह पर स्थित हैं	1245
	जोड़	3416

विवरण-III

जुलाई, 1991 से 31 मार्च, 1996 तक अनुमोदित विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	देश का नाम	विदेशी निवेश
1.	आस्ट्रेलिया	12
2.	आस्ट्रिया	16
3.	बेल्जियम	75
4.	कनाडा	165
5.	फ्रांस	32
6.	जर्मनी	70
7.	आयरलैंड	36
8.	इटली	346
9.	जापान	15
10.	कोरिया (दक्षिण)	14
11.	मारिशस	19
12.	मैक्सिको	89
13.	नीदरलैंड	126
14.	सिंगापुर	45
15.	स्पेन	11
16.	स्विटजरलैंड	11
17.	ताइवान	13
18.	थाइलैंड	374
19.	यू.के.	101
20.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	677
21.	अन्य	1169
	कुल	3416

[अनुवाद]

इंडियन रेअर अर्थ्स कर्मचारियों को बोनस

814. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चवारा, केरल में इंडियन रेअर अर्थ्स के कर्मचारी अधिक बोनस की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स में हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई;

(घ) क्या प्रबंधकों ने मजदूर संघ से कोई बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की चवारा यूनिट के कर्मचारी 22.8.1996 से हड़ताल पर गए थे। लगभग 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने 4.11.1996 को पुनः कार्यारम्भ कर दिया था और शेष कर्मचारी 19.11.1996 से हड़ताल पर गए थे।

(ग) हड़ताल की अवधि के दौरान उत्पादन में लगभग 29000 मीटरी टन खनिज जिसका मूल्य लगभग 15.00 करोड़ रुपए आंका गया है, की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ). केरल सरकार के माननीय श्रम मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री की मौजूदगी में 9.10.96 और 1.11.96 को मजदूर संघों के साथ बैठकें आयोजित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप दो संघों के 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने 4.11.96 को पुनः कार्यारम्भ कर दिया था।

विद्युत संशोधन अधिनियम

815. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत पारेषण तथा वितरण को निजी क्षेत्र में देने हेतु विद्युत संशोधन अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ख). विद्यमान नीति विद्युत के उत्पादन आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति प्रदान करती है। उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। तथापि, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रोजगार

816. श्री विजय गोयल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए इस समय कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) दिल्ली में इस प्रकार की कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) गत वर्ष इन योजनाओं के माध्यम से कितने लोगों को दिल्ली में रोजगार दिया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिए दो केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों नामतः नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रत्येक स्कीम पर एक विस्तृत टिप्पणी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) एन आर वाई का एक घटक शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे) दिल्ली में 1989 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) गत वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान दिल्ली में शहरी लघु उद्यमों की स्कीम के तहत कोई भी लाभार्थी लाभान्वित नहीं हुआ।

विवरण

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी)

शहरी गरीबी की समस्या की गंभीरता और जटिलताओं, विशेष रूप से छोटे कस्बों जहां पर उनके वातावरण और विकास के नियोजन हेतु संसाधनों की कमी के कारण समस्या और विकट हो गई है, को देखते हुए नवंबर, 1995 में प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

उद्देश्य :

साधारणतया पीएमआईयूपीईपी का उद्देश्य शहरी गरीबी के अनेक मूल कारणों को एकीकृत तरीके से एक साथ दूर करना है ताकि शताब्दी के अंत तक लक्षित शहरी क्षेत्रों से गरीबी दूर की जा सके। कार्यक्रम के विशेष उद्देश्य (1) सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों की कारगर रूप से उपलब्धि प्राप्त करना। (2) समुदाय को शक्तियां प्रदान करना। (3) स्थायी सहायता प्रणाली के माध्यम से जानकारी देना। (4) रोजगार सृजन और कौशल उन्नयन। (5) पर्यावरणीय सुधार। (6) आश्रय उन्नयन।

विस्तार :

कार्यक्रम 50,000 से 1 लाख के मध्य के आबादी वाले सभी श्रेणी-II के शहरी समूहों के लिए लागू है बशर्ते स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये हों। इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि विभिन्न कारणों से शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो पाये हैं और कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को प्रोत्साहनों की सुविधा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक बार के अपवाद के रूप में भी (1995-96) के लिए ऐसे राज्यों को निधियां रिलीज की जायें। इसके अतिरिक्त, पिछड़े और पर्वतीय राज्यों की असाधारण समस्याओं को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र (उ.प्र.) के 74 जिला कस्बों को कार्यक्रम के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम का दृष्टिगत प्रभाव वाले सभी लक्षित समुदायों में विस्तार करते हुए और शामिल किए जाने वाले कस्बों के समग्र विकास को सुगम बनाते हुए समग्र कस्बा/परियोजना आधार पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं :

कार्यक्रम में समुदाय, शहरी स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से भी संसाधन जुटाने पर विचार किया गया है। कार्यक्रम में 100 प्रतिशत आयकर छूट से जुड़े निजी क्षेत्र के अंशदान वाले राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष के सृजन के लिए भी व्यवस्था है।

न्यूनतम 100 परिवारों वाले प्रत्येक परिवेश समुदायों के लिए सामुदायिक स्कूल-पूर्व/कार्यसाधक शिक्षा/गैर-औपचारिक शिक्षा, प्राइमरी स्वास्थ्य देखरेख/ सांस्कृतिक केन्द्र आदि के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक लगभग 300 वर्गफीट में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।

कार्यक्रम के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 पर सड़क, खडंजे, नालियां, सामुदायिक स्नानघर/शौचालय आदि जैसे छोटी निर्माण गतिविधियों सहित जल आपूर्ति, सामान्य सफाई, कूड़ा-कचरा निपटान जैसी भौतिक सुविधाएं मुहैया करना प्रस्तावित है।

सामुदायिक कार्य-कलापों के लिए प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति 100/- रुपये और परवर्ती वर्षों में 75/- रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

वित्तीय परिव्यय :

राज्यों/संघ राज्यों में धन का आवंटन व्याप्त शहरी गरीबी निधियां और संबंधित कस्बों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। 5 वर्ष की समग्र कार्यक्रम अवधि (1995-96 से 1999-2000) के लिए केन्द्र के शेयर के रूप में 300 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय शेयर के रूप में 106.20 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध की गयी है। वर्ष 1996-97 के लिए कार्यक्रम हेतु केन्द्र के शेयर के रूप में 100 करोड़ रुपये मुहैया किया जाना प्रस्तावित है।

नेहरू रोजगार योजना

नेहरू रोजगार योजना बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले शहरी गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैया किए जाने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1987 में आरंभ की गयी थी। यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए लागू है और इस व्यापक श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इस योजना में तीन स्कीमें में हैं :-

(1) **शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे)** का उद्देश्य उद्योग, सेवाएं और व्यापार के क्षेत्र में लघु उद्यमों की स्थापना के उद्देश्य के साथ शहरी निर्धन लाभार्थियों को कौशल उन्नयन और सब्सिडी तथा ऋण की व्यवस्था करना है। शहरी लघु उद्यमों की स्कीम सभी शहरी बस्ती में लागू है।

(2) **शहरी मजदूरी रोजगार की स्कीम (सूमे)** का उद्देश्य एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में कम आय परिवेशों में आर्थिक और सामाजिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्ति के निर्माण के माध्यम से शहरी निर्धन लाभार्थियों हेतु मजदूरी श्रम का प्रावधान करना है। निर्माण-सामग्री-श्रम का अनुपात 60:40 का रखा जाना है।

(3) **आवास और आश्रय उन्नयन की स्कीम (शासू)** में निर्माण व्यवसाय में प्रशिक्षण तथा हुडको से सब्सिडी व ऋण पर विचार किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी को 1,000 रुपये और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी के रिहायशी मकान के सुधार हेतु हुडको ऋण को 9,950/-रुपये तक सीमित कर दिया गया है। 19,500/-रुपये की सीमा तक अतिरिक्त धन की सुविधा, आवास तथा नगर विकास निगम की ईडब्लूएस स्कीम के तहत प्राप्त की जा सकती है। यह स्कीम 20 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए लागू है।

वित्त व्यवस्था पद्धति

नेहरू रोजगार योजना पर व्यय की भागीदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/विधान वाले संघ राज्यों के मध्य 60:40 के आधार पर होगी।

जारी किया गया धन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	धनराशि
1	2
1989-90	145.65
1990-91	112.14
1991-92	102.80
1992-93	70.80
1993-94	74.77
1994-95	69.80
1995-96	61.04
1996-97	71.00 (नियतन)

उपलब्धि (31.8.96 को) आंकड़े लाख में

	उपलब्धि	लक्ष्य
सूमे के तहत लाभान्वित किए गए लाभार्थियों की संख्या	8.19	7.23
सूमे और शासू के तहत सृजित कार्य दिवसों की संख्या	671.97	947.98
सूमे और शासू के तहत प्रशिक्षित/प्रशिक्षण : पर जा रहे व्यक्तियों की संख्या	2.96	3.40

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

817. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री सुशील चन्द्र :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान और 1996-97 में अक्टूबर, 1996 तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1996-97 के वर्ष के लिए सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को राशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि की सिफारिश करने हेतु प्राधिकृत किया गया है; और

(च) प्रत्येक संसद सदस्य को एक करोड़ की राशि कब तक आबंटित कर दी जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 1995-96 के दौरान और वर्ष 1996-97 में अक्टूबर, 1996

तक विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ). संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के वास्ते प्रत्येक सांसद को पहली किश्त के रूप में 50 लाख रु. स्वीकृत करने से संबंधित आदेश दिनांक 1.8.1996 को जारी कर दिए गए हैं। मौजूदा वर्ष के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों का निर्मोचन कलेक्टरों के पास उपलब्ध बकाया अधिशेष राशि को देखते हुए कलेक्टरों द्वारा प्राप्त मांगों के आधार पर किया जा रहा है। उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं जिनके वास्ते 22.11.1996 तक निधियां जारी की जा चुकी हैं। बाकी मामलों में कलेक्टरों से मांगपत्रों के न मिल पाने जैसे कारणों के चलते निधियां जारी नहीं की गई हैं। निधियों के जारी करने से संबंधित और कार्य शीघ्र ही किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च). संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के मुताबिक हर संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र/खास जिले में एक करोड़ रु. तक का निर्माण कार्य करवाने के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का अधिकार है। तथापि, मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह विहित है कि निधियों का निर्मोचन निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा कार्य के लिए निधियों की और आवश्यकता के आधार पर दो किश्तों में किया जाएगा। चूंकि निधियां पीछे की बची हुई राशि की उपलब्धता को देखते हुए निर्मोचित की जा रही हैं, अतः यह व्यवहार्य नहीं है कि निधियों के निर्मोचन के लिए समय सीमा तय की जाए, क्योंकि यह वांछित सूचना देने वाले कलेक्टरों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 और 1996-97 (अक्टूबर, 1996 तक) के दौरान संसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं	राज्य/केन्द्र शासित	जारी की गई राशि	
		1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5800.00	650.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	-
3.	असम	2200.00	350.00
4.	बिहार	7650.00	600.00
5.	गोवा	300.00	100.00
6.	गुजरात	3700.00	450.00
7.	हरियाणा	1350.00	350.00
8.	हिमाचल प्रदेश	700.00	150.00
9.	जम्मू और कश्मीर	-	300.00
10.	कर्नाटक	3900.00	600.00
11.	केरल	2900.00	600.00
12.	मध्य प्रदेश	5500.00	1150.00
13.	महाराष्ट्र	6900.00	1300.00
14.	मणिपुर	300.00	-
15.	मेघालय	300.00	-
16.	मिजोरम	200.00	-
17.	नागालैंड	200.00	100.00
18.	उड़ीसा	3000.00	400.00
19.	पंजाब	2100.00	200.00
20.	राजस्थान	3500.00	350.00
21.	सिक्किम	200.00	100.00
22.	तमिलनाडु	5750.00	800.00
23.	त्रिपुरा	300.00	-
24.	उत्तर प्रदेश	11750.00	1850.00
25.	पश्चिम बंगाल	5900.00	750.00
26.	अंडमान व निकोबार	100.00	-
27.	चंडीगढ़	100.00	-
28.	दादर व नगर हवेली	100.00	50.00
29.	दमन व दीव	100.00	-
30.	दिल्ली	900.00	-
31.	लक्षद्वीप	100.00	-
32.	पांडिचेरी	200.00	-
	जोड़	76300.00	11200.00

विवरण-II

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (लोकसभा) जिनको वर्ष 1996-97 में दिनांक 22.11.1996 तक के लिए 50 लाख रु. की पहली किश्त का निर्मोचन हो चुका है।

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश
1. श्रीकाकुलम
2. पार्वतीपुरम (अ.ज.जा)
3. बोबिली

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र	राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
4. विशाखापटनम	8. सीतामढ़ी
5. अंकापल्ली	9. शिवहर
6. काकीनाडा	10. दरभंगा
7. राजामुंदरी	11. समस्तीपुर
8. अम्लापुरी (अ.जा.)	12. सहरसा
9. नरसापुर	13. राजमहल (अ.ज.जा.)
10. मछलीपट्टनम	14. गोड्डा
11. विजयवाड़ा	15. भागलपुर
12. बापाल्ला	16. खगरिघा
13. औगला	17. नालंदा
14. नेल्लौर (अ.जा.)	18. पटना
15. करनूल	19. अरहा
16. नगरकरनूल (अ.जा.)	20. बक्सर
17. महबूबनगर	21. सासाराम (अ.जा.)
18. सिकन्दराबाद	22. बिक्रमगंज
19. अदिलाबाद	23. नवादा (अ.जा.)
20. करीमनगर	24. गया (अ.जा.)
21. हनमकोडा	25. कोडरमा
22. वारांगल	26. गिरीडीह
23. नालगोंडा	27. जमशेदपुर
24. मिरघालगुडा	28. सिंहभूम (अ.ज.जा.)
25. नंदयाल	29. हजारीबाग
असम	30. बरह
1. करीमगंज (अ.जा.)	31. कटिहार
2. धरबी	32. पलामू
3. तेजपुर	33. औरंगाबाद
4. डिब्रुगढ़	34. मधोपुरा
5. लखीमपुर	35. बेतिया
बिहार	36. धनबाद
1. बगहा (अ.जा.)	37. रोजरा
2. मोतीहारी	38. छत्रा
3. गोपालगंज	**गोवा**
4. हाजीपुर (अ.जा.)	1. पणजी
5. छपरा	2. मोरमुगाओ
6. वैशाली	**गुजरात**
7. मुजफ्फरपुर	1. जामनगर

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
2. राजकोट
3. पोरबंदर
4. जुनागढ़
5. अमरेली
6. धनधुका (अ.जा.)
7. अहमदाबाद
8. गांधीनगर
9. पाटन (अ.जा.)
10. साबरकंठा
11. कपाडवंज
12. गोधरा
13. कैरिया
14. आनन्द
15. छोटा उदयपुर (अ.ज.जा.)
16. बरौडा
17. भरूच
18. दाहोद
19. सुरेन्द्र नगर
20. महसाना
हरियाणा
1. अंबाला
2. कुरूक्षेत्र
3. करनाल
4. सोपीपत
5. रोहतक
6. फरीदाबाद
7. महेन्द्रगढ़
8. भिवानी
9. हिसार
10. सिरसा (अ.जा.)
हिमाचल प्रदेश
1. मंडी
जम्मू व काश्मीर
1. बारामुला
2. श्रीनगर

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
3. अनंतनाग
4. लदाख
5. उधमपुर
6. जम्मू
कर्नाटक
1. बीदर (अ.जा.)
2. गुलबर्गा
3. बल्लेरी
4. दावनगरे
5. चित्रदुर्गा
6. तमकुर
7. कोलार (अ.जा.)
8. बंगलौर (नार्थ)
9. बंगलौर (साउथ)
10. चमराजनगर (अ.जा.)
12. मैसूर
13. चिक्कोडी (अ.जा.)
14. बीजापुर
15. बेलगम
केरल
1. कसरगोड
2. चेन्नानोर (कचूर)
3. बडगारा
4. कालीकट (कोझीकोड़)
5. मंजेरी
6. पोपणी
7. पलाक्कड
8. ओट्टापल्लम (अ.अ.जा.)
9. त्रिसूर (त्रिचुर)
10. अर्नाकुलम
11. कोट्टायम
12. अलापफुजा
13. अडोर (अ.जा.)
14. क्विलन (कोल्लम)
15. चिरायिनीकुल
16. त्रिवेन्द्रम

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
मध्य प्रदेश
1. मुरैना (अ.जा.)
2. भिंड
3. ग्वालियर
4. गुना
5. सागर (अ.जा.)
6. दामोह
7. रेवा
8. शहडोल (अ.ज.जा.)
9. संरगुजा (अ.ज.जा.)
10. रायगढ़ (अ.ज जा.)
11. जांजगीर
12. बिलासपुर (अ.जा.)
13. सरनगढ (अ.जा.)
14. रायपुर
15. महासमुंद
16. कांकरा (अ.ज.जा.)
17. बस्तर (अ.ज.जा.)
18. दुर्ग
19. राजनंदगांव
20. बालाघाट
21. मंडला (अ.ज.जा.)
22. जबलपुर
23. हौशंगाबाद
24. भोपाल
25. राजगढ़
26. शाजापुर (अ.जा.)
27. खंडवा
28. खारगांव
29. धार (अ.ज.जा.)
30. उज्जैन (अ.जा.)
31. मंदसौर
32. छिंदवाडा
33. बेतुल
34. खुजराहो
35. विदिशा

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
महाराष्ट्र
1. राजापुर
2. रतनगिरी
3. कोलाबा
4. थाणे
5. दहानू (अ.ज.जा.)
6. नासिक
7. मालेगांव (अ.ज.जा.)
8. धुले (अ.ज.जा)
9. नंदुरबार (अ.ज.जा)
10. इरनडोल
11. जलगांव
12. बुलधाना (अ.जा)
13. अमरावती
14. नागपुर
15. भंदारा
16. चन्द्रपुर
17. यवतमाल
18. हिंगोली
19. नांदेड
20. जालना
21. औरंगाबाद
22. बीड़
23. लातुर
24. ओसमानाबाद (अ.जा.)
25. शोलापुर
26. पंधारपुर (अ.जा.)
27. सतारा
28. करड
29. सांगली
30. इचालकरंजी
31. कोल्हापुर
मणिपुर
1. इनर मणिपुर
2. आउटर मणिपुर (अ.ज.जा)
मेघालय
1. तुरा

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
नागालैंड
1. नागालैंड
उड़ीसा
1. मयूरभंज (अ.ज.जा)
2. बालासौर
3. भद्रक (अ.जा.)
4. भुवनेश्वर
5. कोरापुट (अ.ज.जा)
6. कालाहांडी
7. फुलाबनी (अ.जा.)
8. धेनकनाल
9. सुंदरगढ़ (अ.ज.जा)
10. क्योंझर (अ.ज.जा)
11. कटक
पंजाब
1. गुरदासपुर
2. अमृतसर
3. तरन तारन
4. पटियाला
5. भटिंडा
6. फरीदकोट
7. फिरोजपुर
8. संगरूर
9. होशियारपुर
राजस्थान
1. गंगानगर (अ.जा)
2. चुरू
3. अलवर
4. अजमेर
5. टोंक (अ.जा.)
6. झालावार
7. चित्तौड़गढ़
8. भीलवाड़ा
9. पाली
10. दौसा

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
11. बाड़मेर
12. जयपुर
13. उदयपुर
14. सलम्बर
सिक्किम
1. सिक्किम
तमिलनाडु
1. मद्रास सैंट्रल
2. अरककोनम
3. वेल्लूर
4. तिरूपत्तूर
5. सलेम
6. तिरूचेगोड
7. नीलगीरी
8. गोबीचेट्टीपालयम
9. कोयम्बटटूर
10. पोलाची (अ.जा)
11. मदुरैई
12. पेरियाकुलम
13. करूर
14. मेइलादुतुरई
15. नागापट्टिनम (अ.जा.)
16. तंजावुर
17. पड्डूकोट्टाई
18. शिवगंगा
19. रामानाथपुरम्
20. शिवकाशी
21. तिरूनेलवल्ली
22. तेनकाशी (अ.जा.)
23. नगरकोइल
त्रिपुरा
1. त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा)
उत्तर प्रदेश
1. टिहरी गढ़वाल
2. गढ़वाल

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र	
3.	अल्मोडा
4.	नैनीताल
5.	बिजनौर(अ.जा.)
6.	रामपुर
7.	बदायूं
8.	पीलीभीत
9.	शाहजहांपुर
10.	खीरी/लखीमपुर
11.	शाहबाद
12.	सीतापुर
13.	मिसरिख (अ.जा.)
14.	हरदोई (अ.जा.)
15.	लखनऊ
16.	मोहनलालगंज (अ.जा.)
17.	उन्नाव
18.	राय बरेली
19.	प्रतापगढ़
20.	अमेठी
21.	सुल्तानपुर
22.	फैजाबाद
23.	बाराबंकी (अ.जा.)
24.	केसरगंज
25.	बहराइच
26.	बस्ती (अ.जा.)
27.	दोमारहंज
28.	खलीलाबाद
29.	बनासगांव (अ.जा.)
30.	गोरखपुर
31.	पदरौना
32.	देवरिया
33.	सलेमपुर
34.	बलिया
35.	घोसी
36.	आजमगढ़
37.	लालगंज
38.	मछलीशहर
39.	जौनपुर
40.	गाजीपुर
41.	फुलपुर
42.	इलाहाबाद
43.	चेल (अ.जा.)
44.	फतेहपुर
45.	बांदा
46.	हमीरपुर
47.	झांसी
48.	गौतमपुर (अ.जा.)
49.	बिलहौर
50.	कानपुर
51.	इटावा
52.	कन्नौज
53.	फर्रूखाबाद
54.	मैनुपरी
55.	जलेसर
56.	एटा
57.	फिरोजाबाद (अ.जा.)
58.	आगरा
59.	मथुरा
60.	हाथरस (अ.जा.)
61.	अलीगढ़
62.	खुरजा (अ.जा.)
63.	बुलंदशहर
64.	हापुड़
65.	मेरठ
66.	मुजफ्फरनगर
67.	कैराना
68.	सहारनपुर
69.	हरिद्वार (अ.जा.)
70.	जालौन
पश्चिम बंगाल	
1.	अलीपुरदौर (अ.ज.जा.)
2.	जलपाईगुडी
3.	रायगंज

राज्य का नाम/निर्वाचन क्षेत्र
4. बालूरघाट (अ.जा.)
5. माल्दा
6. जंगीपुर
7. मुर्शिदाबाद
8. बहरामपुर
9. बारासत
10. बासीरहट
11. बैरकपुर
12. दमदम
13. सैरामपुर
14. हुगली (प.बंगाल)
15. आरामबाग
16. पुरुलिया
17. विष्णुपुर (अ.जा.)
18. दुर्गापुर (अ.जा.)
19. आसनसोल
20. बर्दवान
21. कटवा
दादरा एवं नागर हवेली
1. दादरा एवं नागर हवेली
दमन व दीव
1. दमन व दीव
लक्षद्वीप
1. लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)
पांडिचेरी
1. पांडिचेरी
चंडीगढ़
1. चंडीगढ़

[अनुवाद]

विलम्ब शुल्क

818. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल कम्पनियों द्वारा घाटों के उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न पत्तनों में कितने टैंक दिवस बेकार हुये हैं;

(ख) घाटों के अधिग्रहण न किये जाने पर तेल कम्पनियों द्वारा अनुमानित कितना वार्षिक विलंब शुल्क दिया गया है;

(ग) क्या सरकार समझती है कि पत्तनों पर तेल टैंकों का जमाव पत्तनों से भण्डारण तथा तेल की ढुलाई के लिए आयातों के आयोजनबद्ध तथा तेल कम्पनियों की ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण होता है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार किन कदमों पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी परियोजना हेतु विदेशी वित्तीय सहायता

819. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शहरी भीड़-भाड कम करने संबंधी कार्यक्रम लागू करने-और जिला मुख्यालयों में जलापूर्ति और जल मल व्ययन परियोजनाओं के लिए हैदराबाद महानगर क्षेत्र हेतु विदेशी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुख-सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय धन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अपेक्षित है।

(ग) मामला एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) के साथ उठाया गया था तथा बैंक ने आन्ध्र प्रदेश को लक्ष्य (फोकस) राज्यों में सम्मिलित किया है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

820. श्री पी.एम. गढ़वी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसमें इस क्षेत्र के निर्वाचित संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र (कच्छ क्षेत्र) के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया;

(घ) क्या दी गई अनुदान राशि पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या विकास कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि दी जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) कार्यक्रम के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 1995-96 हेतु गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए स्वीकृत अनुदान निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	लाख रुपये आबंटन/जारी
1993-94	698.14
1994-95	793.33
1995-96	858.00

कार्यक्रम के लिए धनराशि की उपलब्धता में वृद्धि के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति

821. श्री एन. डेनिस : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में सरकार द्वारा अनुपालित नीति क्या है; और

(ख) मछली पकड़ने के संबंध में परम्परागत तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) भारत सरकार भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों के अधिग्रहण के अलावा 1981 और 1986 की चार्टर स्कीमों तथा नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति 1991 जिसमें संयुक्त उद्यम, लीजिंग और टेस्ट फिशिंग निहित है, के तहत भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को अनुमति दे रही है।

(ख) प्रत्येक राज्य में उनके समुद्री मत्स्यन विनियमियन अधिनियमों/नियमों के तहत केवल पारम्परिक मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ये क्षेत्र अलग-अलग राज्यों में तट से 5-10 किलोमीटर तक हैं। तट से 12 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र, जिसे तटवर्ती जल कहा जाता है, पारम्परिक मछुआरों तथा कुल मिलाकर 20 मीटर से कम लम्बे यंत्रीकृत ट्रालरों द्वारा मत्स्यन के लिए अनन्य रूप से आरक्षित है। गहन समुद्री मत्स्यन के जलयानों को इस क्षेत्र से बाहर ही मत्स्यन करना होता है। खराब मौसम जैसे भारी वर्षा, तूफान आदि में समुद्र में न जाने के बारे में मछुआरों को चेतावनी देने के लिए राज्यों द्वारा नियमित रूप से मौसम की पूर्व सूचना की भी व्यवस्था की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों का रख-रखाव

822. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यान की भली-भांति देखभाल नहीं की जा रही है तथा उनके रख रखाव के लिए आबंटित राशि को दूसरी मदों में लगाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई पार्कों पर व्यक्तियों तथा स्थानीय क्षेत्रों की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पार्कों को अतिक्रमण से खाली कराने तथा उनकी उचित देखभाल के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) डीडीए ने बताया है कि उनके पास का अनुरक्षण समुचित ढंग से हो रहा है तथा इनके लिए निर्धारित किसी भी धन का इस्तेमाल अन्य कार्यों में नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). 2955 पार्कों में से 151 पार्कों में अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण बहुत पुराने हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद की जाती है। तथापि, और अतिक्रमण न हो इसके लिए निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं :-

चहार दीवारी का निर्माण

कड़ी चौकीदारी

नये अतिक्रमण को हटाना

मूलभूत कार्यक्रम

823. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई गुणवत्ता अवसंरचनात्मक कार्यक्रम लागू कर रही है, ताकि इस क्षेत्र में विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों में यह कार्यक्रम कहां तक सफल रहा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एक प्रमुख मूलसंरचनात्मक सुविधा है, जिसकी स्थापना अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है ताकि उन्हें विश्वस्तर पर प्रतियोगी बनाया जा सके। एसटीक्यूसी कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 22 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क हैं। ये प्रयोगशालाएं परीक्षण, अंशांकन, गुणवत्ता परामर्श-सेवा एवं सलाह, विकासात्मक सहयोग तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

2. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए एसटीक्यूसी ने अनेक प्रमाणन योजनाएं आरम्भ की हैं तथा उन्हें कार्यान्वित किया है जैसे कि :

- गुणवत्ता प्रणाली प्रबंध आईएसओ 9000(एसक्यू योजना)
- सुरक्षा (एस चिह्न)
- इलेक्ट्रो चुम्बकीय संगतता (ईएमसी) चिह्न
- इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग-आईईसीक्यू

3. एसटीक्यूसी सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता एवं मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से एसटीक्यूसी ने प्रमाणन एवं परीक्षण सेवाओं की परस्पर मान्यता के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते पत्र हस्ताक्षर किए हैं जैसेकि ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई) क्यूए-ग्रेट ब्रिटेन, जापान गुणवत्ता आश्वासन संगठन (जेक्यूए)-जापान, काइटेक-कोरिया, अन्डरराइटर्स लेबोरेटरीज (यूएल)-संयुक्त राज्य अमेरिका, सेपरेई-चीन,वीडीई-जर्मनी, एनएसएआई-आयरलैंड, एचकेक्यूएए-हांगकांग।

(ग) एसटीक्यूसी कार्यक्रम सफल रहा है तथा देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग इस कार्यक्रम के प्रति प्रोत्साहजनक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। जब से विभिन्न प्रमाणन योजनाएं आरम्भ हुई हैं तब से अनेक उद्योगों को आईएसओ 9000 (एसक्यू), सुरक्षा (एस चिह्न), ईएमसी तथा आईईसीक्यू के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है।

नीलम तेल क्षेत्र

824. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलम तेल क्षेत्र बंद होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी निजी कम्पनियां तेल क्षेत्रों में तेल की खोज में भागीदारी कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन निजी कम्पनियों को नीलम तेल क्षेत्र से हटने के लिए कहने का है;

(ङ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम से अकेले ही इस कार्य को करने के लिए कहा जाएगा; और

(च) इस तेल क्षेत्र के पुनरोद्धार हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). फिलहाल कोई अन्वेषण क्रियाकलाप नहीं चल रहा है क्योंकि इस क्षेत्र का विकास कार्य समाप्त हो चुका है। इस क्षेत्र के प्रचालनों का प्रबंधन ओ एन जी सी द्वारा किया जा रहा है तथा नीलम तेल क्षेत्र में कोई तेल कंपनी प्रचालन नहीं कर रही है।

(च) उक्त तेल क्षेत्र को बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं :—

(1) ओ एन जी सी द्वारा व्यापक वर्क ओवर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कूपों पर कृत्रिम लिफ्ट (गैस लिफ्ट, आटो गैस लिफ्ट और जेट पम्प) प्रणालियां आरम्भ की जा रही हैं।

(2) उत्पादन समस्याओं से निपटने के लिए कार्यनीति का निर्धारण करने हेतु ओ एन जी सी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ सम्पर्करत है।

(3) क्षेत्र के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य अन्वेषण और उत्पादन कंपनी के साथ कार्यनीतिक गठबंधन करने की संभावना के बारे में ओ एन जी सी द्वारा विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

रसोई गैस की आपूर्ति

825. श्री सिद्दय्या कोटा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ईंधन की कमी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण लोगों की मांग पूरी करने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). उत्पाद की कमी के कारण, फिलहाल नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले केवल शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से व्यवहार्यता

की शर्त पर सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा खोली जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर शहरी क्षेत्रों में अपने अपने बाजार क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों का पंजीकरण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन केवल संसद सदस्यों की सिफारिश/स्वीकृति पर और ऐसे शहरी क्षेत्रों के निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जहां अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का कार्यक्षेत्र उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए बढ़ा दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रचालन के क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पद

826. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों की संख्या क्या है;

(ख) इन बकाया पदों को भरने में क्या कठिनाइयां, यदि कोई हों, आ रही हैं;

(ग) क्या आरक्षित पदों पर अन्य श्रेणियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषतः महाराष्ट्र के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ). राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों की सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

827. श्री बादल चौधरी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को राज्य सरकारों को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावित अंतरणों के कब तक प्रभावी होने की संभावना है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदान के मामले में राज्य सरकारें किसी तरह का नियंत्रण रख सकती हैं अथवा कोई भूमिका निभा सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचालित सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की पुनरीक्षा की जाएगी। एक दस्तावेज जिसमें अन्य बातों के साथ राज्यों को स्थानांतरित की जा सकने वाली स्कीमों के संबंध में सुझाव शामिल होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अपने संबंधित मार्गदर्शन/स्कीमें हैं जिनके अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओस) को सहायता अनुदान की मंजूरी दी जाती है। जहां तक ग्रामीण विकास क्षेत्रक का संबंध है कांउसिल फोर एडवांस मैंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नॉलाजी (कापार्ट) निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यकता आधारित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुमानित सहायता मुहैया कराता है। कतिपय चुनिंदा राज्य सरकारों को परिषद की आम सभा और कार्यकारी समितियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है जो इसके कार्य व्यापार का प्रबन्ध करती हैं। इसके अतिरिक्त कापार्ट की छः क्षेत्रीय समितियां हैं जो 5 लाख रुपये तक एन जी ओस के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने और उन्हें मंजूर करने के लिए प्राधिकृत हैं। कुछ ग्रामीण विकास सचिवों का भी इनमें प्रतिनिधित्व है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय स्तर की सहयोगी मशीनरी ने सिफारिश की है कि एन जी ओस के कार्य को सुगम बनाने के लिए और सरकारी अधिकारियों और एन जी ओस के बीच निकटता लाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को अपना एक कक्ष स्थापित करना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें गैर सरकारी संगठनों की प्रचालनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ आवधिक विचार-विमर्श करती हैं।

समवर्ती सूची में आवास

828. श्री प्रमोद महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने आवास को समवर्ती सूची में शामिल करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ताकि देश में आवास की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें संयुक्त रूप से प्रयास कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में एक उपयुक्त विधान लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) "आवास तथा शहरी विकास के क्षेत्र में कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाएं" विषय पर फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा 30 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में इस बारे में एक सुझाव दिया गया था।

(ख) से (ङ). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि आवास मूलतः राज्य स्तरीय कार्यकलाप है, फिर भी केन्द्र सरकार कई केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है। "आवास" को समवर्ती सूची में शामिल करने से सरकार को कोई खास लाभ होगा, ऐसा नहीं लगता।

भूमि से विस्थापित किए गए लोग

829. श्री तारिक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने बिहार में अपनी परियोजनाओं हेतु स्थानीय ग्रामीण लोगों की कृषि भूमि को अधिग्रहीत कर लिया है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ उन लोगों को जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है, रोजगार देने का भी प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में अब तक कितने लोगों की नियुक्ति की गयी है;

(घ) क्या भूमि विस्थापित लोगों को मुआवजा दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) एनटीपीसी ने बिहार में कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के लिए 56019.60 एकड़ कुल भूमि में से 47.47 एकड़ कृषि भूमि का स्थानीय जनता से अधिग्रहण कर लिया है।

(ख) और (ग). उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार बिहार राज्य के रोजगार के अधीन कोयलकारो परियोजना के भू-विस्थापितों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रावधान विद्यमान है। अभी तक 70 भू-विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

(घ) से (च). जी, हां। एनएचपीसी द्वारा अभी तक अधिगृहीत की गई 47.47 एकड़ भूमि के लिए वर्ष 1985 के दौरान मुआवजा के रूप में भू-स्वामियों को 7.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी।

मुक्ता पुन्ना तेल कूप

830. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कार्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पहचान किए गए बाम्बे हाई के तेल कुंओं नामतः मुक्ता पन्ना तेल कुओं और गोदावरी अपतटीय रव्वा तेल कुंओं में विकास के लिए निविदाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या निविदाएं आमंत्रित करते समय उक्त कुंओं को निम्न क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ये ठेके दिए गए थे और इनकी शर्तें क्या-क्या थीं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) उन फर्मों के नाम, जिनहोंने मुक्ता, पन्ना तथा राव्वा तेल क्षेत्रों के संबंध में अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं, नीचे दिए हैं :-

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. भारत, एनरान एक्सप्लोरेशन कंपनी, यू एस ए	पन्ना
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. भारत, एनरान एक्सप्लोरेशन कंपनी, यू एस ए	मुक्ता
ह्युन्दाई हैवी इंडस्ट्रीज, दक्षिण कोरिया, एस्सार आयल लि., भारत	पन्ना + मुक्ता (संयुक्त)
डान आफशोर इनर्जी का. (डी ओ ई सी) यू एस ए अल्बियन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यू एस ए	पन्ना (संयुक्त)
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एच ओ ई सी), भारत	पन्ना + मुक्ता (संयुक्त)
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एच ओ ई सी), भारत	पन्ना
एस्सार आयल लिमिटेड, भारत	पन्ना
बंबई आफशोर सप्लाईज एंड सर्विसिस (बी ओ एस एस), भारत, कल्याणी स्टील लि., भारत	पन्ना
बंबई आफशोर सप्लाईज एण्ड सर्विसिस (बी ओ एस एस), भारत, कल्याणी स्टील लि., भारत	मुक्ता

इन बोलियों में से दो पन्ना और मुक्ता क्षेत्रों के संयुक्त विकास के संबंध में थीं जबकि अन्य बोलियां पन्ना तथा मुक्ता क्षेत्रों के अलग-अलग विकास के संबंध में थीं।

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
पेट्रोनास कैरिगली, मलेशिया हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एच ओ ई सी) भारत ओक्सीडेन्टल, यू एस ए, एस्सार, भारत वीडियोकान, भारत कमाण्ड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, मरूबेनी, जापान। टाटा पेट्रोडाइन, भारत वाल्को, यू एस ए, ह्युन्दाई, दक्षिण कोरिया। इंटरनेशनल पैट्रोलियम कारपोरेशन (आई पी सी), दुबई रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर आई एल), भारत ओर्लोपिका, यू एस ए, ग्रासो, यू एस ए एनप्रो सर्विसेज, भारत वाल्टर इंटरनेशनल, यू एस ए मासबेशर कं., यू एस ए न्यूत्रो इनर्जी इंक, यू एस ए	राव्वा

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के अर्थतंत्र को उपांतिक समझा गया था।

(ग) कंपनियों के नाम, जिन्हें मुक्ता, पन्ना तथा राव्वा तेल क्षेत्र दिए गए हैं, विशेष शर्तों सहित नीचे दिए गए हैं :-

क्षेत्र का नाम	कंपनी/परिसंघ का नाम जिसे एवार्ड किया गया
मुक्ता तथा पन्ना	एनरान, यू एस ए-रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत
राव्वा	कमाण्ड पेट्रोलियम इंडिया प्रोइवेट लि., आस्ट्रेलिया, वीडियोकोन पेट्रोलियम लि0, नई दिल्ली, राव्वा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि., सिंगापुर।

यह क्षेत्र एक ओर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी एल) तथा दूसरी ओर निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन उद्यम के अंतर्गत 40 प्रतिशत अंश ग्रहण करेगा। कंपनियों को रायल्टी, उपकर इत्यादि जैसे सांविधिक उद्ग्रहण वहन करने होंगे। तेल अन्वेषण में लगी विदेशी कंपनियों से 50 प्रतिशत की नियत दर पर आयकर वसूल किया जाएगा जबकि भारतीय कंपनियां आयकर के संगत प्रावधानों द्वारा शासित होंगी। इसके अतिरिक्त, निजी कंपनियां लाभ तेल में सरकार के साथ भागीदारी करेंगी।

तेल आपूर्ति

831. **श्री गोरधन भाई जावीया :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस की राज्य-वार मांग तथा आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है:

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इनके उत्पादन को बढ़ाने तथा इनके आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 78.4 मि.मी. टन होने का अनुमान है। इस मांग का स्वदेशी उत्पादन, जो कि अनुमानतः 61.49 मि.मी. टन है के जरिए पूरा करने का प्रस्ताव है। शेष मात्रा आयातों के जरिए पूरी करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). चूंकि तेल का उत्पादन, जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है अतः कमी को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। शोधन क्षमता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विचार से सरकार ने सार्वजनिक, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए तथा विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार के लिए अनुमति दे दी है। सरकार ने उत्पादन भागीदारी संविदाओं के तहत कच्चे तेल के उत्पादन के लिए मध्यमाकारीय तथा लघु आकारीय तेल क्षेत्रों को निजी/विदेशी पक्षकारों को भी प्रस्तावित किया है।

रसोई गैस सिलेंडरों का दुबारा भरा जाना

832. **श्री जी. एम. कुंटूरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उचित समय पर रसोई गैस का आयात न कर पाने के कारण उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडरों में दुबारा भरे जाने में भारी कठिनाई पेश आ रही है; सरकार द्वारा इस स्थिति में निपटने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ख) रसोई गैस आयात करने में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिनकी वजह से लाखों लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). उत्तरी भारत सहित, देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत एल पी जी के वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग फिलहाल कमोबेश पूर्णतः पूरी की जा रही है। अस्थाई रूप से उत्पन्न होने वाले बकायों को,

बढ़ाए गए घंटों और छुट्टियों में भरण संयंत्रों के प्रचालन और आस-पास के क्षेत्रों में स्थित भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था के माध्यम से एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके निपटाया जाता है। सितम्बर-अक्तूबर, 1996 में विभिन्न बाजारों में आई कमी पर सामान्यतः काबू पा लिया गया है।

हाल ही में मंगलौर और कांडला में नई एल पी जी आयात सुविधाओं के चालू होने से देश में एल पी जी की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इन सुविधाओं के जनवरी 1997 तक सुदृढ़ हो जाने की आशा है और उसके बाद देश में एल पी जी का और अधिक आयात संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

833. श्री चित्रसेन सिंकु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों हेतु लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) पेट्रोल पम्पों तथा रसोई गैस एजेंसी हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अर्हता और मानदंड क्या है; और

(ग) उन्हें अपने ही क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त कराने के लिए क्या सरकारी सुविधायें उपलब्ध कराई गई है और प्रावधान बनाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1993-94 से 1996-97 के दौरान बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नलिखित है :-

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
बिहार	28	05
उड़ीसा	06	02
पश्चिमी बंगाल	07	03
मध्य प्रदेश	38	14

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाने वाली 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्यवार आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती हैं। अनुसूचित व्यक्तियों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच रिक्तियों का परस्पर आबंटन हरेक राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए अर्हता शर्तें नीचे दर्शाई गई है :-

राष्ट्रीयता	- भारतीय
आयु	- अनु.जा./अनु.ज.जा., शारीरिक रूप से विकलांग, प्रतिरक्षा और सामान्य श्रेणियों के लिए 21-50 वर्ष।
	- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 35 वर्ष और इससे अधिक।
	- स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं।
शैक्षणिक योग्यता :	
(1) अनु.जा./अनु.ज.जा., शारीरिक रूप से विकलांग, प्रतिरक्षा और सामान्य श्रेणी के लिए	- मैट्रिक अथवा समकक्ष
(2) स्वतंत्रता सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी के लिए	- लागू नहीं
आय :	
व्यक्ति	- 50000/-रुपए प्रतिवर्ष
सहकारी समिति	- कोई ऊपरी सीमा नहीं।
निवास :	
(1) अनु. जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक विकलांगों के लिए	- संबंधित जिले को वरीयता देते हुए विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार निकटवर्ती जिलों के निवासी।
(2) स्वतंत्रता सेनानी और सामान्य श्रेणियां	- संबंधित जिले के निवासी।

(3) प्रतिरक्षा, उत्कृष्ट खिलाड़ी और शारीरिक विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांगों के अलावा अन्य – संबंधित राज्य के किसी भी जिले के निवासी।

रिश्तेदारी (सभी श्रेणियों के लिए)

ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दी जाएगी जिसे स्वयं को अथवा जिसके किसी निकट संबंधी (सौतेले रिश्तेदारों सहित) को किसी भी तेल कंपनी के किसी पेट्रोलियम उत्पाद की पहले से कोई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो।

(ग) सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को 1.4.1992 के बाद से प्रदान की गई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए वित्तीय सहायता योजना आरंभ की है और तेल कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबंटितियों को निम्न सुविधाएं प्रदान करती है :–

खुदरा बिक्री केन्द्र :

भूमि और उसका विकास, बिक्री कक्ष, ड्राइववे, कंपाउंड की दीवार, वायु सुविधा, भंडारण टैंक और पंप एवं कार्यशील पूंजीगत ऋण

एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

भूमि और इसका विकास, गोदाम भवन, शोरूम और कार्यशील पूंजीगत ऋण आदि।

[अनुवाद]

विद्युत वित्त निगम

834. श्री अनंत गुढ़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में देश की विद्युत उत्पन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो एकत्र की गई धनराशि की शर्तों सहित अंतिम रूप से किए गए सौदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत वित्त निगम ने निजी क्षेत्र से क्या वायदे किए हैं तथा चालू वित्त वर्ष के लिए केन्द्र और राज्यों के लिए इनकी क्या उपयोगिता है; और

(घ) महाराष्ट्र में सितंबर, 1996 तक योजनावार विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवेदित विद्युत परियोजनाओं हेतु धन देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने क्या वायदे किए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत वित्त निगम ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में देश की लघुकालीन विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निधियां जुटाए जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार प्रवेश किया है।

(ख) पीएफसी द्वारा निधियां जुटाए जाने हेतु प्रस्तावों में 50 मिलियन अमरीकी डालर का व्यवसाय-संघ (सिंडीकेट) का ऋण, 200 मिलियन डीएम के लिए जर्मनी के आईकेबी बैंक के साथ तय ऋण, विश्व बैंक तथा एशिया विकास बैंक, प्रत्येक से 500 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता शामिल है।

(ग) पीएफसी ने बोम्बे सबर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई नामक निजी क्षेत्र यूटिलिटी को 47.5 करोड़ रुपए का एक ऋण तथा नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन नामक केन्द्रीय यूटिलिटी को 109 करोड़ रुपए की राशि का ऋण अनुमोदित किया है।

(घ) महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं हेतु सितम्बर, 1996 तक पीएफसी द्वारा अनुमोदित और संवितरित ऋण निम्नवत् हैं :–

स्कीम	अनुमोदित (करोड़ रुपए)	संवितरित
आर एण्ड एम तापीय	71.79	47.72
आर एण्ड यू जल विद्युत	53.28	08.33
केपिसिटर्स	36.82	36.82
पारेषण	570.66	270.83
शहरी वितरण	147.04	90.12
ताप-विद्युत उत्पादन	155.00	155.00
जोड़	1034.59	608.82

गहरे समुद्र में मत्स्यन

835. श्री नामदेव दिवाथे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में मुरारी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा और संबंधित पक्षों के परामर्श

से इस नीति में प्रस्तावित/अंतिम संशोधनों के संबंध में और संसाधनों के युक्तिसंगत और पारिस्थितिकी के अनुरूप उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्षेत्र प्रतिबंध सहित सभी नियमों की अवहेलना करते हुए पंजीकृत मत्स्यन पोतों के रूप में खरीदे गए तथा गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु अवैध रूप से चलाए जाने वाले पोतों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार निर्धारित समय के अंदर इसको हल करने हेतु कृतसंकल्प है और इस संबंधी में सरकार के दृष्टिकोण के संबंध में ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने 8.2.96 को अपनी रिपोर्ट दे दी और समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा सिद्धान्तः स्वीकार कर ली गई हैं। समिति की सिफारिशों को लागू करने तथा एक नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्ड

836. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्युत सार्वजनिक उपक्रमों पर देय राज्य विद्युत बोर्डो की 10,000 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के विनियोजन हेतु सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड निगम, पूर्वोत्तर विद्युत कंपनी और दामोदर घाटी निगम सहित अन्य केन्द्रीय विद्युत सार्वजनिक उपक्रमों की भी राज्य विद्युत बोर्डो पर बड़ी धनराशि बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). 30.9.96 की स्थितिनुसार राज्य बिजली बोर्डो/राज्य सरकारों पर 8025.65 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया थी, जैसाकि विवरण से स्पष्ट है। ये बकाया राशियां पावर ग्रिड कारपोरेशन, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम तथा दामोदर घाटी निगम समेत केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को देय है। इसलिए सरकार ने राज्यों की केन्द्रीय योजना सहायता से विनियोजन करके बकाया देय राशियों की वसूली संबंधी विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि अग्रिम भुगतानों अथवा अपरिवर्तनीय साखपत्रों के अधीन ही विद्युत की भावी आपूर्ति की जाएगी।

विवरण

30.9.96 की स्थिति के अनुसार सीपीएसयू की रा.बि.बो./राज्य सरकारों की ओर बकाया राशियां

क्र.सं.	रा.बि.बो./ राज्य	आरईसी 09/96	एनटीपीसी 09/96	नीपको 09/96	डीवीसी 09/96	एनएचपीसी 09/96	पीएफसी 09/96	पीजीसी 09/96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	74.37	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.71	0.00	1.03	0.00	0.00
3.	असम	60.42	0.00	79.90	0.00	39.47	0.00	4.93
4.	बिहार	259.77	544.42	0.00	712.26	29.91	105.42	14.49
5.	गुजरात	0.00	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	15.69	214.31	0.00	0.00	274.86	0.00	26.15
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37	0.00	6.16
9.	जम्मू और कश्मीर	2.33	254.82	0.00	0.00	72.84	0.00	12.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कर्नाटक	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
12.	मध्य प्रदेश	253.09	396.41	0.00	0.00	0.00	119.60	0.00
13	महाराष्ट्र	0.00	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	23.82	0.00	29.45	0.00	4.09
15.	मेघालय	7.58	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	8.57	0.00	2.11	1.45	2.49
17.	नागालैंड	0.00	0.00	12.16	0.00	3.99	1.45	2.49
18.	उड़ीसा	80.23	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	106.82	0.00	47.13
20.	राजस्थान	14.83	251.99	0.00	0.00	14.98	0.00	20.49
21.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	437.80	839.68	0.00	0.00	180.30	0.00	172.64
23.	पश्चिम बंगाल	219.37	197.68	0.00	256.94	17.12	78.23	21.43
24.	डेसू	0.00	619.88	0.00	0.00	104.10	0.00	28.77
25.	यूटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	0.00
26.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	1425.48	3876.87	127.37	969.20	923.28	308.62	894.83

30 सितम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार संचयी : 8025.65 करोड़

अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग

837. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट पदार्थ/कूड़ा-करकट का उपयोग किये जाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यवार तैयार की गयी/प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने बताया है कि कचरे के उपयोग से बिजली उत्पादन हेतु, शहरी, म्यूनिसपल तथा औद्योगिक कचरे से बिजली उत्पादन के उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंग के रूप में कचरे से बिजली पैदा करने की एक योजना बनायी गई है। इस योजना में ऊर्जा परियोजनाओं को कचरा एकत्र करने के लिए कई वित्तीय तथा नकद प्रोत्साहनों का प्रावधान है, जिनका संक्षिप्त विवरण संलग्न है। और जो सभी राज्यों और संघ प्रदेशों में लागू हैं।

(ग) शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे से बिजला उत्पादन के लिए परियोजनाएं लगाने में कई उद्यमियों ने रूचि दिखायी है। अभी तक केवल तमिलनाडु राज्य में एक परियोजना शुरू हुई है।

विवरण

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का शहरी म्यूनिसपल एवं औद्योगिक कचरे से ऊर्जा उत्पादन का राष्ट्रीय प्रायोगिक कार्यक्रम

लक्ष्य एवं उद्देश्य।

* ऊर्जा एवं संसाधन प्राप्ति के लिए कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने, विकसित करने, प्रचार-प्रसार में सहयोग हेतु वित्तीय राजकोषीय मदद के अनुकूल स्थितियों व पर्यावरण का सृजन।

* अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाकर कचरा प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार करना ताकि उस कचरे को ऊर्जा में बदला जा सके।
* शहरी म्यूनिसिपल तथा औद्योगिक कचरे के उपयोग के परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना।

अवधि : 31 मार्च, 1997 तक

प्रोत्साहन

(क) वित्तीय प्रोत्साहन :

* शत-प्रतिशत फौरी मूल्य ह्रास
* प्रोजेक्ट उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क में रिआयत, बिजली के नियंत्रण, संचयन तथा अन्य पक्ष की बिक्री। संस्तुति बिजली मूल्य रुपये 2.25 प्रति यूनिट।
* पछोड़न शोधन विधि से उत्पन्न बायो गैस उत्पादन पर उत्पाद शुल्क नहीं। समग्र ऋण अदायगी अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी, जो अधिकतम 4.5 प्रतिशत ब्याज दर पर होगी और पूंजीगत आधार पर अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति मेगावाट के बराबर, होगी।
* उनकी मार्फत सर्विस चार्जेज के रूप में वित्तीय संस्थाओं/बिचौलियों को देय सब्सिडी की 2 प्रतिशत राशि जो परियोजना-वार अधिकतम 2.00 लाख रुपये होगी।

प्रमोटर्स (सम्पारक)

* प्रति मेगावाट 5.00 लाख रुपये के बराबर नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों; और

* स्थल समा-शोधन सुविधाएं
  * नोडल एवं अन्य एजेंसियों आदि को 1.00 लाख रुपये प्रति मेगावाट के बराबर दोनों ही, स्थल पर परियोजना के श्री गणेश पर सभी सुविधाओं के पूर्ण होने पर देय हैं।
* डी.पी.आर/ टी.ई.एफ.आर. की तैयारी
  * मात्र 2.00 लाख रुपये अधिकतम की शर्त पर एक मुश्त आधार पर लागत का प्रति 50% इस मंत्रालय की पूर्व अनुमति की शर्त पर
* निवेश सब्सिडी
  * प्रत्यक्ष इक्विटी अंशदान का 20 प्रतिशत; अधिकतम 70.00 लाख रुपये
* प्रौद्योगिकी उन्नयन/उपार्जन
  * प्रौद्योगिकी शुल्क का 20 प्रतिशत; अधिकतम 5.00 लाख रुपये
- एस.ई.बी. (किसी राज्य में पहले 50 मेगावाट हेतु, केवल 1995-97 के लिए)
  * अंतः संबद्ध/निकासी सुविधाओं हेतु उपकरण लागत की 25 प्रतिशत निसत ऊर्जा के प्रति मेगावाट अधिकतम 1.5 लाख रुपये
  * ग्रिड में फीड की गई ऊर्जा के लिए नकद प्रोत्साहन

(किसी राज्य में सं.3/23/95-सी.पी.जी दिनांक 26.10.95 के माध्यम से)
पहले 50 मिलियन यूनिटों/वर्ष हेतु 5 पैसे/यूनिट
अगले 150 मिलियन यूनिटों/वर्ष हेतु 4 पैसे/यूनिट
अगले 300 मिलियन यूनिटों/वर्ष हेतु 3 पैसे/यूनिट

उपर्युक्त प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम क्षमता वाली परियोजना उपयुक्त हैं :-

ठोस ईंधन के रूप में ऊर्जा खपत - 25 टी.पी.डी (उत्पादन)

गैस वाले ईंधन में रूप में ऊर्जा - 100 क्यूबिक मीटर/घंटा

विद्युत के रूप में ऊर्जा खपत - 0.250 एम. डब्ल्यू. ई.

संयुक्त रूप में ऊर्जा खपत - 0.250 एम.डब्ल्यू.ई. समतुल्य

(प्रत्येक मामले में कच्चे ईंधन में कचरा मिलावट 30 प्रतिशत तक ग्राह्य है)

पिछड़े/पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

838. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु संशोधनों में वृद्धि करने और इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु अपनी नीति के हिस्से के रूप में पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु "काले धन" का उपयोग किए जाने संबंधी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो काले धन को पिछड़े क्षेत्रों में खर्च करने हेतु उनकी रणनीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र, राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा नौवीं योजना के लिए किन अन्य स्रोतों से धन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि योजना प्रक्रिया के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित किया जा सके?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है। संबंधित राज्यों से पंचायती राज संस्थाओं को संसाधनों के स्थानांतरण के संबंध में सिफारिश सुझाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है ताकि नौवीं योजना के दौरान योजना प्रक्रिया के प्रभावी विकेन्द्रीकरण में सुविधा हो सके।

[हिन्दी]

भूमिहीन एवं बेघर किसान/श्रमिक

839. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिहीन तथा बेघर किसान/मजदूर हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए कितने कार्यक्रम बनाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा की है ताकि किसानों/मजदूरों की दुर्दशा सुधारने के लिए दी गई मदद का मूल्यांकन किया जा सके?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). 1991 की जनगणना के अनुसार कृषि मजदूरों और कृषकों के साथ-साथ ग्रामीण आवासीय कमी को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). ग्रामीण गरीबों की दशा में सुधार लाने के लिए अन्य कार्यक्रमों के अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं शिशु विकास ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि ऐसे मूल्यांकनों के निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि मजदूरों की संख्या (1991 की जनगणना)	कृषकों की संख्या (1991 की जनगणना)	आवास इकाईयों की कमी (1991 की जनगणना)
1	2	3	4	5
I.	भारत	74,597,744**	110,702,346	13,721,538
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159	7,891,167	1,118,355
2.	असम	844,964	3,559,117	2,243,965
3.	बिहार	9,512,892	11,164,519	4,095,740
4.	गुजरात	3,230,547	4,703,628	264,805
5.	हरियाणा	896,782	1,829,530	29,510
6.	हिमाचल प्रदेश	58,668	1,125,311	16,111
7.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–
8.	कर्नाटक	4,999,959	5,915,633	426,915
9.	केरल	2,120,152	1,015,983	346,780
10.	मध्य प्रदेश	5,863,029	12,904,121	289,770
11.	महाराष्ट्र	8,313,223	10,172,108	659,900
12.	मणिपुर	47,350	437,499	89,198
13.	मेघालय	89,492	395,801	147,918
14.	नागालैंड	7,233	371,597	88,881
15.	उड़ीसा	2,976,580	4,598,500	684,655
16.	पंजाब	1,152,828	1,917,210	44,370

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	1,391,670	8,181,512	110,965
18.	सिक्किम	12,851	95,078	12,446
19.	तमिलनाडु	7,896,295	5,664,090	318,095
20.	त्रिपुरा	187,538	305,523	192,133
21.	उत्तर प्रदेश	7,833,258	22,031,181	1,251,095
22.	पश्चिम बंगाल	5,055,478	5,844,993	1,084,675
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1,989	14,525	17,948
24.	अरुणाचल प्रदेश	20,054	235,987	112,170
25.	चंडीगढ़	1,642	2,302	454
26.	दादर व नगर हवेली	6,233	36,278	3,857
27.	दिल्ली	25,195	33,296	4,125
28.	गोवा	35,284	56,528	9,910
29.	दमन व द्वीव	1,199	3,266	4,483
30.	लक्षद्वीप	–	–	165
31.	मिजोरम	9,527	178,101	36,897
32.	पांडिचेरी	77,203	17,959	6,247

** जम्मू व कश्मीर को छोड़कर

* राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1987-88 के अनुसार आंकड़ा 8.5 मिलियन है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार की योजनाएं

840. श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशीराम राणा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलम्बित केन्द्रीय सरकार की योजनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार इसके कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल संख्या और विगत 4 वर्षों के दौरान विलंब से चल रही परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

		तारीख			
		1.4.93	1.4.94	1.4.95	1.4.96
1.	परियोजनाओं की कुल संख्या	352	371	370	400
2.	नवीनतम स्वीकृत समय-सीमा के संदर्भ में विलंब से चल रही परियोजनाएं	188	200	214	198
3.	कुल की तुलना में प्रतिशत (%)	53.41	53.91	57.84	49.63

(ख) और (ग). इन परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण समय और लागत की वृद्धि हुई। समय और लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की सूची संलग्न है (विवरण I)। सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई अलग-अलग परियोजनाओं और अलग-अलग समय में अलग-अलग होती है। क्रियान्वयन की गति को तेज करने के वास्ते

आमतौर पर किए जाने वाले उपाय संलग्न हैं (विवरण II)। परियोजनावार ब्यौरा संसद पुस्तकालय में उपलब्ध परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट जनवरी-मार्च, 1996 में दिया गया है। समय वृद्धि और लागत वृद्धि पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप कुछ ही समय पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को क्रियान्वयन में आशा है कि कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

विवरण-I

परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा अभिज्ञापित विभिन्न कारण, जो परियोजनाओं से जुड़े हुए अधिकारियों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा और विश्लेषण से पता चले हैं, संक्षेप में निम्नवत प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-

1. भूमि अधिग्रहण में विलंब।
2. वन/पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति मिलने में देरी तथा आधार ढांचा के विकास के लिए अग्रिम कार्रवाई का न होना।

   परियोजना की अधूरी तैयारी।
4. पर्याप्त धनराशि और धनराशि के स्रोतों (बजटीय आंतरिक संसाधन, अतिरिक्त बजटीय और बाहरी सहायता) के ऊपर रोक के कारण विलंब।
5. विस्तृत अभियंत्रण के बारे में अंतिम निर्णय लेने और रेखाचित्र प्राप्त होने में विलंब तथा अग्रभाग के उपलब्ध होने में विलंब।
6. कार्यक्षेत्र/विषय क्षेत्र में बार-बार परिवर्तन।
7. निविदा देने तथा आदेश देने में विलंब।
8. परामर्शदाता तथा परियोजना संगठन के संबंध में जवाबदेही का निरूपण न किया जाना।
9. औद्योगिकीय संबंध एवं कानून तथा व्यवस्था की समस्या।
10. साधनों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न हो पाना।
11. निर्मित उपकरणों की आपूर्ति में क्रमिकता/पर्याप्त मात्रा का न होना तथा उसमें विलंब होना।
12. यंत्रों के सही रूप में काम नहीं करने के कारण आरंभिक कठिनाइयां।
13. बिना परखी हुई टेक्नोलाजी का चुनाव।
14. परियोजना स्थल पर भू-स्थलीय कठिनाई।
15. परियाजना संबंधी प्रबंध का ढिलाई से काम करना।

केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार लागत में वृद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण दर्शाए गए हैं :-

1. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्रीकरण आदि जैसे सांविधिक करों में परिवर्तन।
2. विदेशी मुद्रा विनिमय की दरों में परिवर्तन।
3. पर्यावरण संबंधी सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी उपायों की अधिक लागत।
4. भू-स्वामियों द्वारा क्षतिपूर्ति की अधिक राशि मांगे जाने के फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण की लागत में बढ़ोत्तरी।
5. परियोजना के कार्यक्षेत्र/विषय क्षेत्र में परिवर्तन।
6. कतिपय अशांत क्षेत्रों में बोली लगाने वाले ठेकेदारों द्वारा अधिक राशि का निविदा प्रस्तुत करना।
7. वास्तवितक लागत अनुमान में यथार्थ से कम अनुमान लगाया जाना, और
8. सामान्य मूल्य वृद्धि।

विवरण-II

वास्तविक लागत का अनुमान तैयार करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के वास्ते सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय

1. चरण-2 में क्रियान्वयन के वास्ते किसी परियोजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने से पहले चरण-I में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासी पत्र (क्लीअरेंस) और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने हेतु परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।
2. परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन। इससे प्रबोधन अभिकरण कठिनाइयों का पता लगा पाते हैं और उपचारात्मक कदम उठाने में प्रबंधन को सहूलियत होती है।
3. परियोजना प्राधिकरणों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहरी और विवेचनात्मक समीक्षा।
4. ठेका संबंधी कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्यदलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।
5. विलंब न्यूनतम हो इसके लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार , उपकरणों के सप्लायरों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।
6. अंतर-मंत्रालयीय समन्वय और संपर्क।
7. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यथार्थपरक योजना तैयार करने पर बल देना।
8. अवरोधग्रसित विशिष्ट परियोजनाओं की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा।

[हिन्दी]

कपार्ट

841. डा. बलिराम : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कपार्ट" के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लोगों के लिए कपार्ट कार्यालय लखनऊ द्वारा आबंटित धनराशि उन्हें नहीं मिली है;

(ख) "कपार्ट" के अन्तर्गत धनराशि कब आबंटित की गयी थी और अब तक चेक प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों को शीघ्रातिशीघ्र धनराशि आबंटित करने का है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). लखनऊ स्थित कापार्ट की क्षेत्रीय समिति ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कार्यान्वयन हेतु 10.8.1996 को एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तथापि, संबंधित स्वैच्छिक कार्यान्वयन एजेंसी से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इन स्पष्टीकरणों के प्राप्त होते ही मंजूर की गई 27,500/-रूपए की धनराशि को लखनऊ स्थित कापार्ट की क्षेत्रीय समिति द्वारा स्वैच्छिक एजेंसी को जारी कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

842. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पवन ऊर्जा कार्यक्रम के कोई प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल राज्यों में प्रत्येक में 2 मेवा. की प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केरल में नल्लातानी के लिए प्रस्ताव के संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड से मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी उपलब्ध कराई जानी है। महाराष्ट्र में गुडे पंचगनी और आंध्र प्रदेश में सिंगनमाला के लिए दो अन्य प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाएगा, जब इस बात की पुष्टि प्राप्त हो जाएगी कि संबंधित राज्यों द्वारा परियोजनाओं की लागत का 40 प्रतिशत भाग का अंशदान किया जाएगा।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

843. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकसित हो जाने से अनाच्छादित वन क्षेत्र के वृक्षारोपण में तथा मिट्टी लवणता का पता लगाकर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त प्रयोजनार्थ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अधिकतम उपयोगिता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ). : (क) जी, हां।

(ख) सुदूर संवेदन उपग्रहों ने देश में मृदा लवणता/क्षारीयता से प्रभावित भूमि के स्थानिक वितरण की पहचान करने में मदद की है। राज्य सुदूर संवेदन केन्द्रों और राज्य मृदा सर्वेक्षण विभागों के अलावा, अन्तरिक्ष विभाग के केन्द्रों, अर्थात् अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी और क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र के साथ-साथ मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजना का राष्ट्रीय ब्यूरो तथा अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन जैसी अन्य संस्थाओं ने देश में लवण-प्रभावित मृदा क्षेत्र का मानचित्रण किया है। यह देखा गया है कि 19.88 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता/क्षारीयता से प्रभावित है। इस सूचना का उपयोग संबंधित केन्द्र और राज्य के विभागों द्वारा भूमि-उद्धार संबंधी कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

उपग्रह-आधारित सर्वेक्षणों ने इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए 16.27 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि की भी पहचान कर ली है।

(ग) मृदा की लवणता/क्षारीयता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली स्थानिक सूचना भूमि-उद्धार में कार्यरत संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। लवणता प्रभावित क्षेत्रों में भूमि-उद्धार संबंधी उपायों की प्रगति के मानीटरन के लिए उपग्रह आधारित सर्वेक्षण तथा मानचित्रों के उपयोगों के निर्देशन के लिए प्रशिक्षण मैनुअलों को तैयार करने का कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही, अन्तरिक्ष विभाग, समुचित भूमि पुनरुद्धार और वृक्षारोपण संबंधी उपायों को सुनिश्चित करने में स्थानिक विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए माइक्रो स्तर के ब्यौरों का पता लगाने के लिए आगामी वर्षों में उच्च विभेदन वाले बहुस्पेक्ट्रमी उपग्रहों के प्रमोचन की योजना बना रहा है।

नई विद्युत परियोजनाएं

844. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्युत ग्रिड निगम ने देश में नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विद्युत ग्रिड निगम ने राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या है; और

(ङ) इस समय परियोजना किस स्थिति में लंबित पड़ी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). क्षेत्र के भीतर तथा एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाने हेतु अंतर्क्षेत्रीय लिंकों को स्थापित करने के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अनेक महत्वपूर्ण संचारण लाइनों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण करने की योजना है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नवत् हैं :-

1. भार प्रेषण एवं संचार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
2. भार प्रेषण एवं संचार पूर्वी क्षेत्र
3. भार प्रेषण एवं संचार पश्चिमी क्षेत्र
4. पूर्व-उत्तर उच्च वोल्टता दिष्ट धारा अंतर्संयोजक
5. पूर्व-पश्चिम अंतर्क्षेत्रीय लिंक
6. रिहंद संचारण लाइन
7. उंचाहार संचारण लाइन
8. फरीदाबाद सीसीजीबीपी संचारण लाइन
9. कायमकुलम संचारण लाइन
10. रंग नदी-एलॉंग संचारण लाइन
11. तालचेर-2 संचारण लाइन
12. धौलीगंगा संचारण लाइन

(ग) पावर ग्रिड का राजस्थान में पहले से ही एक संचारण नेटवर्क है, जिसमें जयपुर (बस्सी) में 400 कि.वा. लाइनों का निस्सरण/अंतस्थ उपकेन्द्र समाविष्ट है। इसके साथ-साथ पावरग्रिड की आरएपीपी-बी विद्युत परियोजना "ख" से विद्युत निष्क्रमण हेतु संचारण प्रणाली निर्मित करने की योजना है।

(घ) और (ङ). निर्माणाधीन लाइनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

	क्षमता	लम्बाई (सर्किट किमी.)	पूरा होने का लक्ष्य
आरएपीपी-"ख"चित्तौड़गढ़ डी/सी	220 के.वी.	260	मई, 1998
आरएपीपी-"ख"उदयपुर एस/सी	220 के.वी.	226	मई, 1998
आरएपीपी-"ख"-अंता एस/सी	220 के.वी.	110	मई, 1998

उपर्युक्त की अनुमानित लागत लगभग 116 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

आवास को स्मारक में बदलना

845. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के कितने आवास स्मारक में परिवर्तित हुये हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बल्लभ भाई पटेल के आवास को भी स्मारक में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चू. वेंकटेश्वरलू) : (क) राष्ट्रीय नेताओं के चार निवासों को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) **1. तीन मूर्ति हाउस :** जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

2. 1, सफदरजंग रोड एवं 1, अकबर रोड : ये दोनों बंगले इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के कब्जे में हैं। तथापि, अब तक कोई औपचारिक आवंटन नहीं किया गया है।

3. 12, विलिंग्डन क्रीसेंट : संजय गांधी स्मारक न्यास को आवंटित है।

(ग) और (घ). स्व. सरदार बल्लभ भाई पटेल को साधारण पूल से कोई आवास आवंटित नहीं था।

[अनुवाद]

उड़ी जल विद्युत परियोजना

846. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पुनर्निर्धारित समय सारणी के अनुसार शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा इसकी कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता होगी; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां। सभी मुख्य कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं। 120 मेगावाट वाली एक यूनिट 21.10.1996 को चालू कर दी गई थी और 120 मेगावाट वाली अन्य 3 यूनिटों पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर समग्र रूप से 96.5 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ). मार्च, 1995 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 3070.67 करोड़ रुपए है। परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 480 मेगावाट (4×120 मेगावाट) है तथा परियोजना को पूर्ण रूप से मई, 1997 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

महानगर योजना

847. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** अनधिकृत निर्माण के बारे में 31 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सत्य निकेतन तथा मोती बाग में मकान मालिक/भवन निर्माता द्वारा किए गए कुछ अनधिकृत निर्माण पाये गये हैं। वर्ष 1996 में सत्य निकेतन में दो मामलों में पाये गये अनधिकृत निर्माण कार्यों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की संगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

सिरमोर प्लाट

848. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण हेतु उसी मांग पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिये गये सिरमोर प्लाट को राज्य सरकार को न सौंपने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की सम्पत्तियां उसे सौंप दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य को उक्त प्लाट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) सिरमोर प्लाट का कब्जा केन्द्र सरकार द्वारा 1943 में तत्कालीन बड़ौदा दरबार से लिया गया था और यह तभी से केन्द्र सरकार के पास है। इस प्लाट की केन्द्र सरकार को अपने इस्तेमाल के लिए जरूरत है, इसलिए इसे महाराष्ट्र सरकार को नहीं लौटाया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार को उनकी पात्रता के अनुसार श्रीनिवासपुरी इलाके में 1.5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने की पेशकश की गई है।

(ख) और (ग). केरल तथा महाराष्ट्र राज्यों की परिसम्पत्तियां केन्द्र सरकार द्वारा सीधे सम्बन्धित राज्यों से पट्टे पर ली गई थी तथा परिसम्पत्तियों के बदले संबंधित राज्यों को परिसम्पत्तियां/भूमि दी गई थी। ये मामले, सिरमोर मामले जैसे नहीं है क्योंकि सिरमोर प्लाट का कब्जा बड़ौदा दरबार से लिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पवन चक्कियां

849. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पवन चक्कियों द्वारा स्थानवार कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों में पवन चक्कियों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की क्षमता है;

(ग) क्या इस संबंध में पूरे राज्य का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) देश में 30 सितम्बर, 1996 तक कुल 816 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। इन संस्थापनाओं में 8 राज्यों में फैले हुए 36 स्थल

शामिल हैं। स्थलों और क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पवन सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। पवन विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थलों के रूप में अब तक राज्य में तीन संभाव्यता वाले स्थलों नामतः जमगोदरानी, खेड़ा और कुकरू की पहचान की गई है।

विवरण

पवन विद्युत संस्थापित क्षमता का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्थलों की संख्या	क्षमता (मेवा. में)
1.	तमिलनाडु	11	615.250
2.	गुजरात	14	130.220
3.	आंध्र प्रदेश	2	52.400
4.	मध्य प्रदेश	2	8.015
5.	कर्नाटक	2	3.925
6.	महाराष्ट्र	3	3.050
7.	केरल	1	2.025
8.	उड़ीसा	1	1.100
		36	815.975 (मेवा.)

पेंशन की एक तिहाई रूपांतरित भाग की बहाली

850. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** पेंशन की एक तिहाई रूपांतरित भाग की बहाली के बारे में 24 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित होते समय स्वीकार्य यथा-आनुपातिक पेंशन के एक-मुश्त भुगतान की इच्छा व्यक्त की थी, के मामले में पेंशन की एक-तिहाई रूपांतरित भाग की बहाली हेतु 15 दिसम्बर, 1995 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के संबंध में तब से क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को, जो सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के हकदार हैं, यह सुविध प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में अपने संविलियन के समय अनुज्ञेय यथा-आनुपातिक पेंशन के एक-मुश्त भुगतान के लिए विकल्प दिया था, पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत भाग की बहाली के लिए उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.12.1996 के निर्णय को कार्यान्वित करने के आदेश पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 30.9.96 के का.ज्ञा. संख्या 4/3/86-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग). वे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने संविलियन के समय अनुज्ञेय यथा-आनुपातिक पेंशन के एक-मुश्त भुगतान के लिए विकल्प दिया था, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के हकदार नहीं हैं।

महासागरीय वाटिका (ओसिएनेरियमस) स्थापित करना

851. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ राज्यों में महासागरीय वाटिका (ओसिएनेरियमस) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी देश से इन परियोजनाओं हेतु वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धी मदद मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक परियोजना में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी भागेदारी है; और

(च) प्रत्येक परियोजना पर अनुमानित लागत क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी हां। सरकार ने एक समुद्री जलजीवशाला स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) प्रस्तावित समुद्री जलजीवशाला गोवा में मीरामार तट पर स्थापित की जाएगी।

(ग) जी हां, इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय तथा विशेषज्ञ सहायता विदेशों से प्राप्त की जा रही है।

(घ) भूमण्डलीय निविदा के माध्यम से निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा रख-रखाव (बी.ओ.ओ.एम.) आधार पर समुद्री जलजीवशाला निर्मित करने के लिए आस्ट्रेलियाई साझेदार के सहयोग से एक भारतीय कम्पनी से निवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा 100 प्रतिशत निवेश किया जाएगा।

(ङ) केन्द्र सरकार ने भूमण्डीय निविदा के लिए विशिष्टियां तैयार करने तथा प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। गोवा सरकार द्वारा उचित वार्षिक प्रतिलाभ के साथ समुद्री जलजीवशाला स्थापित करने के लिए पट्टा आधार पर भूमि की व्यवस्था की जा रही है।

(च) गोवा में जलजीवशाला की स्थापना पर खर्च की अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपये है।

महानगर योजना

852. श्री दिनशा पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर योजना के अंतर्गत अहमदाबाद को शामिल किये जाने संबंधी गुजरात सरकार का प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). जी, नहीं। अहमदाबाद को मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव गुजरात सरकार से पहले प्राप्त हुआ था। मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत नगरों को शामिल करने के लिए मूल पात्रता मानदंड 1991 की जनगणना के अनुसार 4.00 मिलियन आबादी है और अहमदाबाद शहर की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 3.31 मिलियन थी, अतः अहमदाबाद नगर को मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार करना संभव नहीं था। स्थिति राज्य सरकार को सूचित कर दी गई थी।

रसोई गैस उपभोक्ता

853. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अहमदाबाद में हाल ही में आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा का ब्यौरा क्या है और क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ राज्य के अन्य भागों में भी खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं को इसी तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य तेल कंपनियों को भी दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) जी, नहीं। तथापि, मैसर्स बी पी सी उद्योग आधार पर अहमदाबाद में दो आयात सेवा प्रकोष्ठों (ई एस सी) का प्रचालन कर रही है।

(ख) आई ओ सी दिनांक 01 अक्तूबर, 96 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में निम्नांकित स्थानों पर आयात सेवा प्रकोष्ठ का प्रचालन कर रही है :—

भावनगर
पालीताना
अमरेली
केशोद
दोराजी
मनवादर

आयात सेवा प्रकोष्ठ को केवल डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के गैर-कामकाजी घंटों के दौरान अर्थात् कार्य दिवसों पर डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के कार्य समापन घंटों के पश्चात अगले दिन सुबह तक जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप पुनः खुलती है, तथा रविवारों एवं छुट्टी के दिनों में 24 घंटे आधार पर ग्राहकों की गैस रिसाव संबंधी शिकायतों की देखभाल किया जाता है।

(ग) सभी तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आई ओ सी, बी पी सी तथा एच पी सी ने सभी महानगरों/प्रमुख नगरों में आयात सेवा प्रकोष्ठ पहले ही स्थापित कर दिए हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

854. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान शुरू किये गए कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान कितने ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है;

(ग) 9वीं योजना में कितने कार्यक्रमों को बंद किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). आठवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम संलग्न विवरण में सूचीबद्ध हैं।

सरकार ने नौवीं योजना में कार्यान्वित किए जा रहे किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बन्द करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1. जवाहर रोजगार योजना
2. रोजगार आश्वासन स्कीम
3. इन्दिरा आवास [illegible]
4. मिलियन [illegible] स्कीम
5. ग्रामीण आवास*
6. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
7. स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण
8. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
9. मरूस्थल विकास कार्यक्रम
10. ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
11. ग्रामीण सफाई व्यवस्था
12. राज्य प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण
13. विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण
14. भूमि संबंधी अध्ययनों हेतु संस्थाओं को अनुदान सहायता तथा भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण
15. राजस्व मशीनरी का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि रिकार्डों का आधुनिकीकरण
16. ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान को अनुदान
17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
18. ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान को अनुदान
19. काउन्सिल फॉर एडवान्समेन्ट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलाजी (कापार्ट) को सहायता
20. [illegible] क्रमों, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का संगठन
21. [illegible] भूमि की हदबन्दी के प्राप्तकर्त्ताओं का संगठन**
22. राजस्व प्रशासन के पुनर्जीवीकरण पर राष्ट्रीय परिषद
23. ग्रामीण गरीबों का संगठन
24. संचार सैल
25. स्वैच्छिक स्कीम का संवर्धन
26. लाभार्थियों का संगठनीकरण
27. पंचायत विकास एवं प्रशिक्षण
28. कृषि विपणन
29. एएआरआरओ हेतु इमारत
30. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास

* ग्रामीण आवासीय योजना इन्दिरा आवास योजना के साथ मिला दी गयी है।

** राज्य सरकारों को स्थानान्तरित

केन्द्रीय भंडार की बिक्री

855. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1996 में अब तक केन्द्रीय भंडार की वार्षिक बिक्री कितनी हुई है;

(ख) किस वर्ष तक केन्द्रीय भंडार के खातों की लेखा परीक्षा की गई है; और

(ग) लेखा परीक्षकों द्वारा उनके खातों में पाई गई खामियों/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार की वार्षिक बिक्री इस प्रकार रही :-

वर्ष	बिक्री के आंकड़े (लाख रुपये)
1993-94	10,002.83
1994-95	11,758.01
1995-96	13,888.18

अप्रैल, 1996 से बिक्री के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि खातों को अंतिम रूप चालू वित्त वर्ष के पूरा होने पर दिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1995-96 तक के खातों की लेखा-परीक्षा की जा चुकी है।

(ग) खातों के संचालन तथा रख-रखाव के संबंध में कुछ छोटी-मोटी टीका-टिप्पणियों के अतिरिक्त लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्टों तथा लेखा-परीक्षा किए गए वार्षिक खातों में किन्हीं खास कमियों या अनियमितताओं का उल्लेख नहीं किया गया है।

शरद पवार समिति

856. श्री संतोष मोहन देव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत क्षेत्र की पूर्ण समीक्षा का आदेश दिया है;

(ख) क्या तीन वर्ष पुरानी शरद पवार समिति की रिपोर्ट, जिसमें विद्युत क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तनों का उल्लेख किया गया था, पर योजना आयोग द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने शरद पवार समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्री को निदेश देने हेतु योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) नौवीं योजना प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्रक की गहन समीक्षा सम्मिलित की जायेगी।

(ख) से (घ). शरद पवार समिति की सिफारिशें अभी योजना आयोग के विचाराधीन है। रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख इन सिफारिशों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई तैयार करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

यूरेनियम भंडार

857. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरेनियम भंडार वाले स्थानों तथा वहां से प्राप्त यूरेनियम अयस्क की मात्रा तथा यूरेनियम धातु की श्रेणी और मात्रा के संबंध में विवरण क्या हैं;

(ख) क्या बिहार की जादूगोडा स्थित खानें देश में उत्तम गुणवत्ता वाले यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकास कार्यों हेतु युरेनियम का उपयोग किए जाने के लिए और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) देश में व्यवहार्य यूरेनियम अयस्क निक्षेपों का विवरण नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	स्थान	अयस्क की मात्रा मिलिटन टन)	U308 का औसतन ग्रेड	उसमें (U308) धातु की मात्रा (टन)
1.	जादुगोडा, बिहार	10.7	0.065%	6700
2.	भाटिन, बिहार	2.25	0.051%	1150
3.	नरवापहाड़, बिहार	25.01	0.044%	11000
4.	मोहलडीह, बिहार	2.83	0.063%	1700
5.	डोमियासियात, मेघालय	9.22	0.104%	9500

इसके अलावा, हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के लाम्बापुर क्षेत्र में 0.93 प्रतिशत ग्रेड वाले लगभग 3950 टन यूरेनियम धातु युक्त निक्षेपों का पता लगाया गया है। यूरेनियम धातु का बिहार की ताम्र खानों में से निकली ताम्र पछोड़नों में से भी दोहन किया जाता है।

(ख) और (ग). जादुगोडा के निक्षेप सबसे बड़े नहीं है, किन्तु वे सबसे पुराने और अपेक्षाकृत ऊंचे ग्रेड वाले हैं, जैसाकि ऊपर (क) में दर्शाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

टेल पांड डैम पावर हाउस

858. श्री टी. गोपाल कृष्ण :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में टेल पांड डैम पावर हाउस (नागार्जुन सागर की निचली धारा) से संबंधित परियोजनाओं की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार सहायता के लिए सिफारिश की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). नौवीं योजना अवधि के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए नागार्जुन सागर टेल जलाशय बांध बिजली घर जल विद्युत स्कीम (2×25 मेगावाट) को प्रस्तुत किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति तथा योजना आयोग का निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही परियोजना को विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मेट्रो रेल परियोजना हेतु रूसी सहायता

859. श्री पंकज चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आरंभ की जाने वाली मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू-कश्मीर में आई.एस.आई. की गतिविधियां

860. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (आई.एस.आई.) ने जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्य मंत्री को निशाना बनाने का कोई षडयंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मुख्य मंत्री को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आई.एस.आई. की इन घृणित हरकतों के प्रति विश्व संगठन के समक्ष विरोध व्यक्त किया है अथवा उनका ध्यान आकृष्ट करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री डा. फारूख अब्दुल्ला की सुरक्षा को विभिन्न आतंकवादी/उग्रवादी गिराहों से खतरे के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। भारत सरकार के साथ परामर्श करके राज्य सरकार ने उनके सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की और इन्हें सुदृढ़ कर दिया गया है। इसके अलावा इस खतरे का सामना करने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं और सभी संबंधितों को समुचित रूप से सावधान कर दिया गया है/परामर्श दिया गया है।

(घ) से (च). सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद और हिंसा को प्रायोजित करने से बाज आने के लिए पाकिस्तान से लगातार कहा है। इन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को भी राजनयिक एवं विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया है। ये प्रयास गहन और अनवरत रूप से जारी रखे जाएंगे।

[अनुवाद]

विद्युत का पारेषण और वितरण

861. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). विद्यमान नीति विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान करती है। उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। तथापि, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में अधिकाधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों की जांच की जा रही है।

धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना

862. श्री हरिन पाठक :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 1995-96 के दौरान दिए गए अनुदान का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुदानों का उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। कुछेक राज्य सरकारें ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 1995-96 के दौरान उन्हें दिए गए अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं रहीं। राज्य जो प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के 90 प्रतिशत से भी

कम धन का उपयोग कर सके, निम्नानुसार हैं :-

योजना	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
(1) आई.आर.डी.पी. (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम)	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादर व नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
(2) जे.आर.वाई (जवाहर रोजगार योजना)	केरल, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
(3) ई.ए.एस. (सुनिश्चित रोजगार योजना)	मिजोरम,सिक्किम तथा त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां यह योजना क्रियान्वित है।
(4) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम)	हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य।

(ग) और (घ). जी नहीं, इस मंत्रालय के ध्यान में सम्बद्ध कार्यक्रमों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 1995-96 के दौरान रिलीज की गई निधियों के उपयोग की कोई घटना नहीं लाई गई है।

विविधीकरण कार्यक्रम

863. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक खाद्य उद्योगों ने विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काजू के विपणन के लिए, यदि कोई हो, क्या समझौते किए गए हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. का मुख्य क्रियाकलाप ब्रेड का उत्पादन करना है। फिर भी, मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. ने विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया और ऊर्जा खाद्य, केक, एक्स्ट्रूडिड खाद्य जैसी मदों का उत्पादन शुरू किया। हाल ही में इतने न्यूट्रो और ग्लूकोज बिस्कुट का उत्पादन और विपणन शुरू किया है। कंपनी ने काजू का भी विपणन शुरू किया है।

(ग) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि., ने मैं. पियरती लेसलि कैश्यूनट एंड काफी लि., द्वारा उनके ब्रांड नाम "रॉयल च्वाइस" के तहत पैक और प्रसंस्कृत किए गए काजू के विपणन हेतु मै. पियरसी लेसलि कैश्यूनट एंड कॉफी लि. के साथ 1.2.1995 से 5 वर्ष की अवधि हेतु एक अनुबंध किया है। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि., केरल, माही (पाण्डिचेरी), तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए एकमात्र विपणन एजेंट है। विपणन एजेंट अर्थात माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि., के प्रथम वर्ष में कमीशन उत्पाद की फैक्ट्री लागत का 3.5 प्रतिशत के बराबर और बाद के वर्षों के लिए कमीशन 6 प्रतिशत है।

कोचीन रिफाईनरी लिमिटेड

864. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाईनरी लिमिटेड की तेल शोधन क्षमता को बढ़ाने का कोई नया प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने 1470.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अपनी परिशोधन क्षमता का विस्तार 7.5 एम एम टी पी ए से 10.5 एम एम टी पी ए करने के लिए प्राथमिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव को चरण-I की स्वीकृति देने हेतु कार्रवाई जारी है।

पेय जल

865. श्री भक्त चरण दास : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा और अन्य राज्यों में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से पेय जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति सोलर फोटो वाल्ट पम्पिंग प्रणाली के माध्यम से की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). उड़ीसा और अन्य राज्यों के जन जातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल ग्रामीण बसावटों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ). जी, हां। अभी तक देश में 225 फोटो वॉल्टिक पम्पिंग प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

कापार्ट

866. श्री मोहन रावले :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री संदीपान थोरात :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कापार्ट" द्वारा ग्रामीण विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित अधिकांश राशि का दुरूपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "कापार्ट" के कार्यकरण की समीक्षा करने तथा इसमें पारदर्शिता लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने कितने गैर-सरकारी संगठनों को "कापार्ट" द्वारा आवंटित धनराशि का दुरूपयोग करने के कारण काली सूची में डाल दिया है; और

(ङ) इसमें शामिल गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). कापार्ट की कार्य प्रणाली की इसकी कार्य समिति और जनरल बाडी की बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है इसकी कार्य प्रणाली को कारगर बनाने हेतु आवश्यक उपचारी कदम उठाए जाते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। हाल ही में कापार्ट की लोगों तक पहुंच बनाने और इसके तथा स्वयं सेवी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर तथा लखनऊ में 6 क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय समितियों को 5 लाख रुपए तक के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह आशा की जाती है कि कापार्ट के विकेन्द्रीकरण से न केवल इसकी कुशलता और प्रभावकता में सुधार होगा बल्कि इससे इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

(घ) 31.12.95 तक कापार्ट ने 224 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाल दिया था। इसके अलावा कापार्ट ने अन्य दूसरे 152 स्वैच्छिक संगठनों को भी काली सूची में डाल दिया है जिन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था।

(ङ) कापार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए संगठनों को इससे आगे स्वीकृत निधियों की रिलीज को रोकना, कापार्ट द्वारा की जाने वाली अन्य कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई में दोषी संगठनों से निधियों की वूसली, कानूनी प्रक्रिया की शुरूआत करना, मामले को पुलिस को अग्रेषित करना आदि शामिल हैं। कापार्ट ने सूचित किया है कि उसने 61 संगठनों से संबंधित मामलों को आगे जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अग्रेषित कर दिया है।

पेट्रोलियम उत्पाद

867. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात संबंधी वस्तुओं के भंडारण और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई हेतु आधारभूत ढांचा विकसित करने संबंधी कार्य में पूर्णरूप से लगी संयुक्त उद्यम की कंपनी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) इससे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात हेतु देश की क्षमता बढ़ाने में कहां तक सहायता मिलेगी, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के आयात, भंडारण तथा विपणन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए कई एक संयुक्त उद्यम कंपनियां आगे आई है। मध्यम तथा दीर्घावधि में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं निर्यात के लिए देश की क्षमता को सुधारने हेतु इसके उपयोगी होने की आशा की जाती है।

कैडर समीक्षा

868. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैडर समीक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है;

(ख) ग्रुप-ए संगठित केंद्रीय सेवाएं, सेवा-वार और सी.एस.एस. में किए गए कैडर समीक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति में कोई विषमता है; और

(घ) यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) नियमित रूप से गठित सेवा की दक्षता को बनाए रखने के लिए संवर्ग समीक्षा एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी साधन है। यह आवधिक औधार पर की जाती है। यह समीक्षा कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा सेवा के सदस्यों की वैध आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य लाती है। संवर्ग की कार्यदक्षता, मनोबल और कारगरता को प्राप्त करने के लिए संवर्ग समीक्षा का उद्देश्य जनशक्ति प्रक्षेपण एवं भर्ती योजना तथा किसी सेवा की विद्यमान संवर्ग संरचना को युक्तिसंगत बनाना है।

(ख) समूह "क" संगठित केन्द्रीय सेवाओं के लिए की गई संवर्ग समीक्षाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। समूह "क" को छोड़, अन्य सेवाओं की संवर्ग समीक्षा संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा समूह "क" सेवाओं में सम्मिलित नहीं है चूंकि सीधी भर्ती समूह "क" पदों से नीचे के स्तरों पर की जाती है।

(ग) और (घ). किसी संवर्ग में पदों के सृजन/अपग्रेडेशन का मूल आधार सेवा की कार्यात्मक अपेक्षा है। सेवाओं में जहां कहीं संबंधित सेवा की गतिविधियों में वृद्धि के संदर्भ में और पदों के लिए प्रमाणित कार्यात्मक अपेक्षा है, वहां उस सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति के अवसर भी बेहतर होंगे। यद्यपि, संवर्ग समीक्षा की कार्रवाई के दौरान, संगठन की कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा सेवा के सदस्यों की वैध आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास रहता है परन्तु विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के मामले में हमेशा समानता बनाए रखना संभव नहीं होता।

विवरण

समूह "क" केन्द्रीय सेवाएं

(1.1.1996 के अनुसार)

क्र.सं.	सेवा का नाम	की गई संवर्ग समीक्षाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	भारतीय विदेश सेवा	3
2.	भारतीय राजस्व सेवा (आयकर)	3
3.	भारतीय राजस्व सेवा (केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क)	2
4.	भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा	3
5.	भारतीय डाक सेवा	4
6.	भारतीय रक्षा लेखा सेवा	3
7.	भारतीय डाक-तार लेखा तथा वित्त सेवा	शून्य
8.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा	3
9.	भारतीय रेल यातायात सेवा	3
10.	भारतीय रेल कार्मिक सेवा	3
11.	भारतीय रेल लेखा सेवा	3
12.	भारतीय व्यापार सेवा	शून्य
13.	भारतीय सूचना सेवा	2
14.	भारतीय आयुध फैक्टरी सेवा	2
15.	भारतीय सिविल लेखा सेवा	3
16.	भारतीय दूर-संचार सेवा	2
17.	भारतीय रेल संकेत इंजीनियरी सेवा	3
18.	भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा	3
19.	भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा	3
20.	भारतीय रेल इंजीनियर सेवा	3
21.	भारतीय रेल स्टोर सेवा	3
22.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	3
23.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा	2
24.	भारतीय निरीक्षण सेवा	3
25.	भारतीय आपूर्ति सेवा	3
26.	भारतीय नौसेना शस्त्रीकरण सेवा	1
27.	केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)	4
28.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (के.लो.नि.वि.)	4
29.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क)	3
30.	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा	1
31.	भारतीय प्रसारण सेवा (इंजीनियरी)	1
32.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा	3
33.	डाक-तार निर्माण कार्य सेवा	1
34.	केन्द्रीय वास्तुविद सेवा (के.लो.नि.वि)	1
35.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा	2
36.	भारतीय रेल चिकित्सा सेवा	3
37.	भारतीय आयुध फैक्टरी स्वास्थ्य सेवा (सी.एडं एम.ओ. संवर्ग)	1

1	2	3
38.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्वास्थ्य सेवा	2
39.	सीमा सुरक्षा बल स्वास्थ्य सेवा	2
40.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस स्वास्थ्य सेवा	2
41.	भारतीय अर्थ सेवा	1
42.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा	शून्य
43.	भारतीय लागत लेखा सेवा	1
44.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा	शून्य
45.	डिफेंस ऐरोनॉटिकल क्वॉलिटी एश्योरेंस सर्विस	3
46.	डिफेंस क्वॉलिटी एश्योरेंस सर्विस	2
47.	भारतीय विधि सेवा	1
48.	केन्द्रीय कम्पनी कानून सेवा	1
49.	भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा	1
50.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	3
51.	भारतीय मौसम विज्ञान सेवा	1
52.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	2
53.	सीमा सुरक्षा बल	2
54.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	1
55.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1
56.	रेल सुरक्षा बल	2
57.	केन्द्रीय श्रम सेवा	1
58.	भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा	1

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

869. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई; और

(ख) एन.टी.पी.सी. द्वारा उक्त अवधि के दौरान किन उद्देश्यों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विदेशी सहायता की कुल धनराशि तथा इसके द्वारा समुपयोजित की गई धनराशि निम्नवत थी :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आवश्यकता	समुपयोजन
1993-94	1352.51	1232.02
1994-95	931.50	869.39
1995-96	533.80	495.48

(ख) एनटीपीसी ने अपनी विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों तथा विद्युत संयंत्रों के प्रापण के लिए अनुरोध किया था तथा विदेशी सहायता प्राप्त की थी।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

870. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा अन्य विदेशी संस्थागत निविदाओं संबंधी विश्व बैंक के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग इसके पुनर्गठन पर विचार कर रहा है जो बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसियों की आकर्षक ऋण योजनाओं से संबद्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना पैनल के तत्वावधान में नये बने कार्यदल द्वारा इसके पुनरूद्धार संबंधी यह नीति बना ली गई है; और

(घ) विद्युत बोर्डों का पुनरूद्धार करने के लिए नई रणनीति कब तक बना ली जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग को राज्य विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा अन्य विदेशी संस्थागत निविदाओं संबंधी विश्व बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). योजना आयोग द्वारा नियुक्त नौवीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट अभी योजना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। नौवीं योजना बनाते समय विद्युत क्षेत्रक विकास से संबंधित सभी प्रश्नों की साथ ही साथ विद्युत बोर्डों के सुधार से संबंधित प्रश्नों की गंभीरता से जांच की जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम

871. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सोनपुर गोदामों से 35 लाख रुपये मूल्य का सामान चुरा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की कई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) ओ एन जी सी के कुछ पुराने वाहनों के लगभग 4 लाख रुपये के अतिरिक्त कलपुर्जे कार्पोरेशन के सोनारपुर भंडारों से जनवरी, 1994 में चोरी हो गए।

(ख) जी, हां।

(ग) ओ एन जी सी द्वारा की गई सतर्कता जांच से पता चला कि ओ एन जी सी के सुरक्षा और भण्डार विभागों के कर्मचारियों द्वारा कतिपय बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत से कुछ वाहनों के अतिरिक्त कल-पुर्जों की चोरी की गई। यद्यपि ओ एन जी सी के भण्डार विभाग के एक पदाधिकारी पर बड़े दण्ड के लिए आरोप लगाया गया था, किन्तु, अनुशासन प्राधिकारी ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि विभागीय जांच में आरोप साबित नहीं हो सके। विभागीय जांच की अन्तिम रिपोर्ट ओ एन जी सी द्वारा पूरी कर ली गई है तथा अन्य आरोपित कर्मचारियों के विरूद्ध जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पानीपत तेलशोधक कारखाना

872. श्री आई.डी.स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की क्षेत्र के उन स्थानीय निवासियों को रोजगार देने में वरीयता देने की कोई नीति है जो अपनी जमीन के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होते हैं जैसा कि पानीपत तेल शोधशाला (जिसका पहले करनाल शोधशाला नाम था) के मामले में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनको जो अपनी कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुये हैं, की मदद करने के लिए ऐसी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने स्थानीय क्षेत्र से अब तक किन्हीं व्यक्तियों की भर्ती की है; और

(ङ) यदि हां, तो जिस श्रेणी के लिए उनकी भर्ती की गई है उसकी संख्या क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस खोज कार्य संबंधी नीति

873. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कार्य संबंधी नीति में आमूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर और अधिक गौर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में कहां तक तेजी लाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

बजट आबंटन

874. श्री विजय गोयल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक नीति को लागू करने के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में एक जाने माने/वरिष्ठ वैज्ञानिक ने इस कमी के कारण प्रयोगशालाओं की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की स्थिति

875. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षों पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सैकड़ों फ्लैट/मकान अभी भी खाली पड़े हैं तथा इन मकानों की हालत खस्ता होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मकानों के खाली रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) समस्या के उचित समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उनके द्वारा निर्मित फ्लैटों, जहां-जहां सेवाएं उपलब्ध हैं, सम्बन्धित आवास स्कीम के पंजीकृतों को तुरन्त दिय जाने की पेशकश की जाती है। विगत में कुछ स्कीमों में बुनियादी सेवाओं विशेषकर विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसके कारण निर्माण के पश्चात् उस स्थल पर कुछ फ्लैट खाली पड़े रह गये। पूरे किये गये फ्लैटों, जहां अभी भी विद्युत उपलब्ध नहीं है, के ब्यौरे इस प्रकार है :-

स्ववित्त पोषित	1189
मध्यम आय वर्ग	5539
कम आय वर्ग	6861
जनता	950
योग	14539

(ग) इसके अतिरिक्त आबंटन के बावजूद निम्नलिखित कारणों से भी फ्लैट खाली पड़े हैं :-

(1) आवंटियों द्वारा फ्लैट वापस कर दिये जाने से।

(2) आवंटियों द्वारा आबंटन की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन न करने के कारण फ्लैटों के रद्द हो जाने से।

(3) रद्द हुए/वापस कर दिये गये फ्लैटों के पुनः आबंटन की प्रक्रिया में समय लग जाने से।

(4) न्यायिक मामलों के कारण।

(5) विद्युत की उपलब्धता शीघ्र कराये जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जानी हैं।

सरकारी आवास बदलना

876. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित किए गए सरकारी आवास को सुरक्षा कारणों से बदलने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय से प्राप्त विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा आधार पर सामान्य पूल रिहायशी वास आवंटित करने के संशोधित मार्गनिर्देश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। संशोधित दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिये गये हैं। सुरक्षा मुहैया कराये गये लोगों, जिनके दखल में सरकारी आवास हैं, के विद्यमान आवंटनों की भी दिशानिर्देशानुसार पुनरीक्षा की जा रही है और तत्पश्चात् अपात्र व्यक्तियों से आवास खाली कराये जायेंगे।

विवरण

(1) साधारण पूल आवास केवल उन लोगों को ही आवंटित किया जायेगा जो जेड + सुरक्षा श्रेणी के अन्तर्गत हैं।

(2) ऐसे व्यक्तियों को साधारण पूल आवास के आवंटन को तर्क संगत सिद्ध करने के लिए उसका लोक हित में दिये जाने की बात स्पष्ट होनी चाहिए। गृह मंत्रालय प्रत्येक मामले की जांच करेगा कि जेड + श्रेणी के व्यक्ति के लिए सरकारी आवास का आबंटन जन हित में है और पूर्व में उसके द्वारा धारित सरकारी पद में निष्पादित ड्यूटियों से यह प्रकट होता है कि व्यक्ति को सुरक्षा का जोखिम है। गृह मंत्रालय को इस पर भी सहमत होना चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति को दिल्ली में मकान मुहैया कराना नितान्त आवश्यक है।

(3) सुरक्षा आधार पर सरकारी आवास के आवंटन हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोध पर गृह मंत्रालय यह पता लगायेगा कि जेड + श्रेणी वाले व्यक्ति के नाम अथवा उसकी पत्नी के नाम दिल्ली में मकान है और क्या उस मकान में जेड सुरक्षा व्यवस्था मुहैया की जा सकती है।

(4) सुरक्षा मुहैया कराये गये लोगों को मकान मुहैया कराने के लिए आगे की कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर सम्पदा निदेशालय करेगा।

(5) ऐसे व्यक्तियों को आवंटित आवास टाइप-VI से ऊपर नहीं होना चाहिए और यहां तक कि व्यक्तिगत मामलों में जोखिम सुरक्षा पर निर्भर करते हुए यह छोटा भी हो सकता है।

(6) आवेदक को सहमति/बाजार किराया/लाइसेंस शुल्क के भुगतान की क्षमता की अग्रिम रूप से पुष्टि करनी होगी और तीन महीने अथवा अधिक समय तक लगातार निर्धारित किराये के भुगतान में चूक होने से वह बेदखली का भागी होगा।

(7) सुरक्षा मुहैया कराये गये व्यक्ति को इस प्रकार आवंटित सरकारी आवास के लिए बाजार दर पर लाइसेंस शुल्क वूसल किया जायेगा। यदि सुरक्षा मुहैया कराये गये किसी व्यक्ति का दिल्ली में मकान है उसे वह मकान सरकार को तब तक के लिए सौंप देना होगा जिस अवधि तक उसके कब्जे में सरकारी वास है। ऐसे मामलों में सरकारी मकान के लिए कब्जे की अवधि के लिए बाजार किराये के बजाय विशेष लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

(8) आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और इसे एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाने वाली जांच से जोखिम स्तर के कारण से समय बढ़ाने की आवश्यकता से मंत्रिमण्डलीय आवास समिति सहमत होती हो।

2. सरकारी आवास के कब्जे वाले सुरक्षा मुहैया कराये गये व्यक्तियों के विद्यमान मामलों की पुनरीक्षा करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि क्या वे ऐसे सरकारी आवास हेतु पात्र हैं।

उपरि पुल

877. श्री तारीक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने उपरि पुलों का निर्माण कराया गया ;

(ख) उनमें से कितने उपरि पुल यातायात योग्य नहीं हैं;

(ग) दिल्ली में कितने उपरि पुलों के निरंतर रख-रखाव तथा मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उपरि पुल लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार ने दो फ्लाई ओवरों और दिल्ली नगर निगम ने एक फ्लाईओवर का निर्माण किया था। दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित फलाईओवर के साथ सेवा सड़कों/घुमावदार सड़कों के अलावा, मुख्य वाहन मार्ग का निर्माण किया जा चुका है और वे पूरी तरह चालू हैं। दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित अन्य दो फ्लाईओवर पूरी तरह चालू हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) सभी फ्लाईओवरों की नियमित देख-भाल जरूरी है।

(घ) जी, नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिकों का पलायन

878. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न अनुसंधान निकायों से वैज्ञानिकों का लगातार पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई/की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके पलायन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). कुछ भारतीय वैज्ञानिक अन्य देशों में प्रवास कर गए हैं। किन्तु इनके मात्रात्मक आंकड़े निर्धारित करना संभव नहीं हो सका है।

(ङ) इस उत्प्रवाह को कम करने और विदेशों में बसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत वापस आने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाये गये हैं। इनमें से कुछ हैं :—

नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।

विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में उत्कृष्ट/उन्नत अध्ययनों के और केन्द्रों की स्थापना।

विज्ञान के नये और प्रवेश द्वार क्षेत्रों में अनुसंधान को जारी रखने के लिए अपेक्षित आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के कोर समूहों का सृजन।

उद्यमवृत्ति विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।

एसोसिएटशिप/अध्येतावृत्ति/पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण/प्रतिधारण कार्यक्रम।

वैज्ञानिक पूल की योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और टक्नोक्रैटो को अस्थाई रूप से नौकरी देने की व्यवस्था।

विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के विशिष्ट पुरूषों और महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभर रहे क्षेत्रों में सहायता करने के लिए अल्पकालिक तकनीकी दत्तकार्य के लिए आमंत्रण।

इस देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए विशेष पहल।

विदेशों से वापस आने वाले व्यावसायिकों के लिए उपस्कर के आयात के लिए सुविधाओं की व्यवस्था।

पेट्रोलियम उत्पाद

879. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की इस समय राज्य-वार कितनी आपूर्ति की जा रही है;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इन चीजों की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति क्या थी;

(ग) क्या 1996-97 के दौरान किसी राज्य के लिए इन वस्तुओं के कोटे में वृद्धि किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). समूचे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति जरूरत के अनुसार पूरी की जाती है। मिट्टी का तेल एक आर्बीटित उत्पाद है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को पूर्ववर्ती आधार पर मिट्टी के तेल का थोक आबंटन करती है तथा राज्य इसके खुदरा वितरण की व्यवस्था करते हैं।

राज्य सरकारों से एस.के.ओ. के अतिरिक्त आबंटन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा में अड़चन तथा इसमें शामिल भारी राज्य सहायता को देखते हुए राज्यों की पूर्ण मांग पूरा करना संभव नहीं है। इसके बावजूद वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान मिट्टी के तेल के आबंटन में समूचे देश में गत वर्ष हुए आबंटन पर 3 प्रतिशत की वृद्धि दी गई थी, जिसके तहत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक अतिरिक्त मात्रा का आबंटन किया गया, जहां प्रति व्यक्ति खपत कम थी।

वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की मात्रा की राज्यवार आपूर्ति संलग्न विवरण I और II में दिखाई गई है।

विवरण-I

1994-95 के दौरान एम.एस./एच.एस.डी./एस.के.ओ. की राज्यवार बिक्री

(हजार मि.ट.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम.एस.	एच.एस.डी.	एस.के.ओ.
1	2	3	4
चंडीगढ़	37.2	43.8	17.9
दिल्ली	407.7	924.8	241.2
हरियाणा	132.2	1220.1	157.6
हिमाचल प्रदेश	25.7	148.1	38.8
जम्मू और कश्मीर	45.9	201.7	106.1
पंजाब	285.1	1599.1	335.0
राजस्थान	160.4	1778.8	306.6
उत्तर प्रदेश	362.0	3642.6	1025.4
असम	51.7	349.4	256.5
अरुणाचल प्रदेश	14.9	54.8	12.7
मणिपुर	8.9	21.5	22.3
मेघालय	15.7	78.5	16.4
मिजोरम	5.2	17.1	6.4
नागालैंड	10.5	24.9	11.2
त्रिपुरा	5.4	31.8	22.3
सिक्किम	4.9	14.9	11.9
बिहार	144.7	1457.3	558.7
उड़ीसा	63.2	578.9	197.1
पश्चिम बंगाल	149.4	1521.1	753.2
अंडमान	2.4	39.9	4.8
महाराष्ट्र	625.6	3193.6	1514.2
गुजरात	329.6	1927.3	807.8
मध्य प्रदेश	191.5	1662.8	447.3
गोवा	28.1	164.8	29.2
दमन	2.0	7.4	1.5
दादर व नगर हवेली	2.7	22.9	3.1
दीव	0.4	1.7	1.4
तमिलनाडु	291.9	2447.1	666.6
केरल	174.3	1056.8	272.4
पांडिचेरी	9.7	82.2	14.6
कर्नाटक	274.4	1516.1	461.5
आंध्र प्रदेश	268.4	2414.9	599.3

विवरण-II

1995-96 के दौरान एम.एस./एच.एस.डी./एस.के.ओ. की राज्यवार बिक्री

(हजार मि.ट.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम.एस.	एच.एस.डी.	एस.के.ओ.
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	45.99	124.09	195.04
पंजाब	313.26	352.58	1766.41
राजस्थान	195.71	329.51	2142.60
उत्तर प्रदेश	394.60	1092.19	3700.20

1	2	3	4
हरियाणा	148.98	164.60	1350.86
हिमाचल प्रदेश	26.09	37.08	169.99
चंडीगढ़	42.42	19.57	52.56
दिल्ली	436.37	240.23	1152.76
असम	54.81	265.92	353.20
मणिपुर	9.16	22.19	23.85
मेघालय	17.89	16.97	88.48
नागालैंड	10.57	12.60	28.75
त्रिपुरा	5.89	23.32	32.74
अरुणाचल प्रदेश	16.20	11.94	59.42
मिजोरम	6.08	7.04	17.77
बिहार	156.04	607.97	1564.25
उड़ीसा	72.22	222.19	627.47
पश्चिम बंगाल	158.58	816.04	1644.49
सिक्किम	4.56	10.17	8.51
अंडमान और निकोबार	2.35	5.08	44.22
गोवा	32.06	28.27	171.33
गुजरात	393.13	811.80	2401.16
मध्य प्रदेश	215.85	481.34	1922.03
महाराष्ट्र	719.73	1545.25	3814.67
दादर व नगर हवेली	3.58	3.11	38.65
दमन और दीव	2.97	3.16	9.04
आंध्र प्रदेश	314.38	613.80	2863.64
केरल	205.68	291.42	1176.21
तमिलनाडु	336.64	683.52	2866.63
कर्नाटक	316.17	493.56	1774.02
लक्षद्वीप	-	.20	.17
पांडिचेरी	12.09	14.84	106.19

[हिन्दी]

तुरमडीह परियोजना को बन्द करना

880. श्री चित्र सेन सिंकू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुरमडीह परियोजना के बन्द होने से हजारों श्रमिकों की आजीविका समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित परिवारों को रोजगार दिलवाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) तुरमडीह परियोजना में यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वेतन चिट्ठे पर के 352 व्यक्तियों को कम्पनी की निकटवर्ती नरवापहाड़ और जादुगोडा खानों में आमेलित कर लिया गया है।

[अनुवाद]

आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाएं

881. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंधन के अभाव से प्रभावित उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें विदेशी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऐसी विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं जो कोयले की तत्काल उपलब्धता या परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है;

(ख) विद्युत की चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित लघु एवं दीर्घकालिक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दीर्घकालिक विकास के परिप्रेक्ष्य में व्यापक विद्युत नीति तैयार करने हेतु कोयला, विद्युत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेलवे तथा वित्त मंत्रालयों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्र, जो कम उपलभ्यता अथवा परिवहन समस्याओं के कारण कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति द्वारा प्रभावित हुए हैं, की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। प्रस्तावित नई परियोजनाएं, जो ईंधन लिंकेज प्राप्त करने में समस्याओं का सामना कर रही हैं, को कोयले के लिए केप्टिव खनन खण्ड (केप्टव माइनिंग ब्लाक) का विकल्प देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें कोयला आयात करने का विकल्प भी दिया गया है, आयात कर में कमी कर दी गई है अथवा लिग्नाइट, तरल ईंधन, प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ईंधन के लिए भी विकल्प दिया गया है।

(ख) विद्युत उपलभ्यता में वृद्धि हेतु अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपायों के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

अल्पकालिक उपाय

(1) विद्युत का अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय विनिमय।

(2) नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

(3) अल्प-प्रारम्भिक अवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना।

(4) कोयले की पर्याप्त मात्रा तथा गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति।

दीर्घकालिक उपाय

(1) विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना।

(2) शिखर कमी को घटाने की दृष्टि से जब विद्युत शक्यता के अधिकाधिक दोहन पर बल देना।

(3) तटवर्तीय विद्युत केन्द्रों के लिए जलयानों द्वारा कोयले का परिवहन तथा स्वतः खाली होने वाले जलयानों का प्रयोग।

(4) नई कोयला खानों के लिए कोयला हितकर संयंत्र।

(5) हानियां कम करने तथा विश्वसनीयता सुधारने के लिए संचारण एवं वितरण प्रणाली का प्रबलन।

(6) ऊर्जा संरक्षण एवं सह-उत्पादन।

(ग) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले तथा गैस की आपूर्ति का प्रबोधन मंत्रीमण्डल सचिवालय के सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अन्तर-विभागीय समिति जिसमें विद्युत, कोयला, रेलवे तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा किया जाता है। एक संदर्शी तथ समन्वित विद्युत नीति को विकसित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है।

विवरण

विद्युत उत्पादन में हानि

वर्ष 1996-97 के दौरान कोयले के कारण होने वाली मासिक विद्युत उत्पादन हानि

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	अप्रैल, 96	मई, 96	जून, 96	जुलाई, 96	अगस्त, 96	सित., 96	अक्टू, 96
1.	बदरपुर	54	117	57	69	96	0	54
2.	फरीदाबाद	11	7	0	2	0	0	0
3.	पानीपत	6	30	0	0	16	0	0
4.	सिंगरौली टीपीएस	0	0	0	17	214	0	0
5.	वानकबोरी	9	0	0	0	0	0	0
6.	कोराबा एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0
7.	विंध्याचल	0	0	0	4	8	0	99
8.	चन्द्रपुर	0	0	0	0	0	16	0
9.	खापरखाड़ी	0	0	0	0	0	0	0
10.	पारली	160	0	49	92	5	0	12
11.	दहानू	163	30	0	41	0	0	0
12.	रामागुण्डम	0	0	0	0	270	0	0
13.	रायचूर	81	109	15	0	0	0	0
14.	ईब धाटी	5	8	0	0	0	0	0
15.	फरक्का	0	417	0	0	0	0	0
	जोड़	489	718	121	225	609	16	165

[हिन्दी]

कार्यबल

882. डा. बलिराम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अप्राधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी कार्यबल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यबल के गठन से आज तक किन-किन स्थानों से अप्राधिकृत अतिक्रमण हटाया गया है; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में किन-किन स्थानों में निकट भविष्य में अप्राधिकृत अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां। उप राज्यपाल दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रत्येक जिले में एक कार्य बल का गठन किया गया है।

(ख) और (ग). विशेष कार्य बल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हटाये गये अवैध अतिक्रमण और हटाये जाने के लिए प्रस्तावित

स्थानों दक्षिण दिल्ली जिला, नई दिल्ली जिला, उत्तरी जिला, पूर्वोत्तर जिला, उत्तरपूर्वी जिला, पूर्वी जिला, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर परिषद के बारे में ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

विवरण-I

जिन क्षेत्रों से अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाये गये।

क्र.सं.	स्थल
1	2
विशेष कार्य बल-दक्षिण जिला	
1.	चितरंजन पार्क
2.	कालका जी एल ब्लाक
3.	ए-295, सरिता विहार
4.	108 गांव पुल प्रहलाद पुर
5.	संगम विहार
6.	सी-34, अमर कालोमी, लाजपत नगर
7.	एच-81, एन.डी.एस.ई-I
8.	लाल बत्ती सरिता विहार
9.	सराय काले खां
10.	खसरा नं. 957, तुगलकाबाद
11.	ओखला फेज I और II
12.	सराय जुलाहा
13.	चिराग दिल्ली
14.	पीपल चौक से मदनगीर
15.	लाजपत नगर
16.	आई.एन.ए. मार्किट से अतिक्रमण हटाया
17.	गुरू रविदास मार्ग से अतिक्रमण हटाया
18.	जी.एस. भाटी से अतिक्रमण हटाया
19.	भीष्म पितामह मार्ग
20.	जमरूद पुर (आधा कार्य हुआ)
21.	कालका जी डी डी.ए. फ्लैट
22.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र (डी.डी.ए. के दो औद्योगिक प्लाट पुनः प्राप्त किये।)
विशेष कार्य बल-नई दिल्ली जिला	
1.	पी-3/90, कनाट प्लैस
2.	20, स्कूल लेन
3.	आई.टी.डी.सी. अशोका होटल
1	2
विशेष कार्य बल-उत्तरी पुलिस जिला	
दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत सदर पहाड़गंज जोन	
1.	मैन बाजार प्रताप नगर
2.	ओल्ड रोहतक रोड
3.	राम बाग रोड
4.	मैन बाजार सब्जी मण्डी से घण्टाघर आईस फैक्टरी सब्जी मण्डी
दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत सी टी रोन	
1.	लाल किला क्षेत्र
2.	एस.पी. मुखर्जी मार्ग
3.	चान्दनी चौक
4.	कैमलियन रोड
5.	कसबपुरा
6.	सुभाष पार्क
7.	लाजपत राय मार्किट
8.	परेड ग्राउण्ड
9.	ओल्ड पंजाब बस स्टेण्ड
10.	सदर बाजार एरिया
11.	अंगूरी बाग
12.	तिलक बाजार एरिया
13.	भगीरथ प्लैस
दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत सिविल लाइन्स क्षेत्र	
1.	तीस हजारी
2.	तीमार पुर
3.	कश्मीरी गेट
4.	निकल्सन रोड
दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत रोहिणी क्षेत्र	
1.	सहीपुर गांव
2.	केला गोदाम रोड
3.	शालीमार बाग
4.	डेसू कालोनी
5.	कनाल रोड से सुन्दर लाल जैन रोड़ को जोड़ने वाली टी जक्शन रोड
6.	नं. 37 आनन्द नगर नजफगढ़ नाले के निकट
7.	संत नगर टो जक्शन रानी बाग
8.	रानी बाग मैन बाजार
9.	मुझे लाल मार्ग

1	2
10.	गांव पीतमपुरा
11.	पटवार मार्किट मुगोलपुर कलां
12.	रामपुरा डी.एस.आई.डी.सी. कम्पलैक्स रोड लारेंस रोड
13.	रोड नं. 43 सम्राट सिनेमा
	दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत नरेला क्षेत्र
1.	किरारी निलोठी रोड
2.	लामपुर रोड
	दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत नजफगढ़ क्षेत्र
1.	केला मन्दिर रोड
2.	मंगोलपुरी क्षेत्र
3.	सुलतानपुरी क्षेत्र

1	2
	दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत क्षेत्र
1.	शकरपुर गांव में बारात घर के निकट तिकोना पार्क स्थल
	दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत सिविल लाइन क्षेत्र
1.	किंगजवे कैम्प
2.	मोरिस नगर
3.	माली रोड
4.	जी.टी.के. रोड
5.	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
6.	आदर्श नगर
7.	शक्ति नगर
8.	जैन कालोनी जी.टी.के. रोड

विशेष कार्य बल पूर्वोत्तर जिला
विशेष कार्यबल के तहत की गई कार्रवाई रिपोर्ट

क्र.सं.	तारीख	स्थान/स्थल	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	2.9.96	खसरा नं. 93 कबीर नगर महौल्ला बाबरपुर शाहदरा 100 फुटा रोड	निर्माण कार्य चालू था और उसे गिरा दिया गया है
2.	2.9.96	सी.299/डी 114 भजनपुरा	आगे की एक दीवार श्रमिकों को रोककर गिर दी गई और कार्य रोक दिया गया।
3.	वही	पी.एन.371, विजय गली नं. 24	एक तरफ की दीवार गिरा दी गई और उस स्थल से श्रमिकों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
4.	वही	6/16 मैन रोड, ब्रहमपुरी	बीच की दीवार गिरा दी गई और श्रमिकों को रोककर कार्य रोक दिया गया।
5.	3.9.96	म.न. 57/97 गली नं. 13 बलवीर नगर	आगे की दीवार गिराकर काम रोक दिया गया और स्थल से श्रमिकों को हटा दिया गया
6.	वही	म.न. 10/346 पश्चिमी गोरख पार्क गली नं. 1	मजदूरों को रोककर दीवार गिरा दी गई और कार्य रोक दिया गया।
7.	वही	पी. नं. 1449/एम-21 दुर्गापुरी गांधी गली	चार ईंटवाली दीवार गिरा दी गई, सीढियों से दरवाजा और खिड़की गिरा दी गई, श्रमिकों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
8.	वही	पी.नं,701, गली नं.9 दुर्गा पुरी	एक दीवार गिरा दी गई श्रमिकों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
9.	4.9.96	हर्ष विहार कोलोनी	दो कमरों की दीवार और चार दिवारी गिरा दी गई
10.	वही	वही	दीवारें और चाहर दिवारी गिरा दी गई
11.	वही	वही	एक कमरा गिरा दिया गया
12.	7.9.96	75-76 उत्तरी छज्जुपुर 100 फुटा रोड	तहखाना और 17 दुकानें सील कर दी गई
13.	वही	1/97 पश्चिमी गोरख पार्क	तहखाना सील कर दिया गया है

1	2	3	4
14.	9.9.96	यमुना विहार डी व सी ब्लाक	सड़क से पांच पक्के अतिक्रमण हटा दिये गये।
15.	10.9.96	भजनपुरा डिस्पेंसरी के निकट दिल्ली नगर निगम मलेरिया स्टोर	स्टोर लगी चार दिवारी के साथ सड़क पर एक पक्की दुकान गिरा दी गई थी।
16.	वही	डिस्पेंसरी रोड सुभाष मोहल्ला ई ब्लाक	दिल्ली दरबार स्वीटस हाउस की स्थायी अतिक्रमण हटाया गया और वस्तुएं कब्जे में ले ली गई।
17.	वही	सी.3/155,156,158,160-सी-6/3,4,5,6 यमुना विहार	इन मकानों के आगे पक्का अतिक्रमण टिन शैड/दीवार गिरा दी गई और समान कब्जे में ले लिया गया।
18.	वही	भजनपुरा डिस्पेंसरी	डिस्पेंसरी के सामने रोड पर पड़े 2000 ईंटों को कब्जे में ले लिया गया।
19.	वही	बाबरपुर गांव मस्जिद वाली गली	दीन होटल द्वारा किया गया पक्का अतिक्रमण और दो अन्य चाय दुकानों को गिरा दिया गया था।
20.	वही	माया गली 2/1 ईस्ट बाबर पुर	सड़क पर दाहिनी ओर पक्के अतिक्रमण को गिरा दिया गया और चाय खोखे को हटा दिया गया 3 मदें कब्जे में ले ली गई।
21.	12.9.96	दिव्या टैंट हाउस ए-4/30 नन्द नगरी	स्कूल की चार दिवारी से लगे 24 खोखे हटा दिये गये और चार दिवारी के अन्दर 100 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हटा दिया गया। 80 वर्ग शैड और स्थायी छप्पर हटा दिये गये सड़क पर दो पक्की सीढ़ियां और 5 पक्के अतिक्रमण हटा दिये गये
22.	13.9.96	नन्द नगरी ब्लाक ई, ए और बी	कुल 46 मदें कब्जे में ले ली गई सीनियर सैकण्डरी स्कूल की चार दिवारी के निकट गौतम बिल्डिंग मैटिरियल स्टोर द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित पक्का कमरा गिराया गया। सड़क पर किनारे की 5 पक्की दिवारें गिरा दी गई, 107 छप्पर और टिन शैड हटाये गये। ए और बी ब्लाक में 42 खोखे हटाये गये 50 मदें कब्जे में ले ली गई।
23.	वही	गली नं. 9 न्यू उस्मान पुर	श्रमिकों को हटाकर दो बीच की दीवारें गिरा दी गई और कार्य रोक दिया गया।
24.	वही	गली नं.4 कैथवाड़ा	मजदूरों को रोक कर दो आगे की दिवारें गिरा दी गई और कार्य रोक दिया गया।
25.	वही	ए-92 कैथवाड़ा	श्रमिकों को हटाकर एक तरफ की दीवार गिरा दी और कार्य रोक दिया गया।
26.	19.6.96	गांव सबोली की राजस्व सम्पदा	शैड और चार दिवारी की दीवारें गिरा दी गई।
27.	वही	मंडौली गांव	मन्दिर रोड हर्ष विहार मे एक कमरे की दीवार गिरा दी गई।
28.	वही	वही	मन्दिर रोड हर्ष विहार में एक चार दिवारी गिरा दी गई।
29.	17.9.96	सी-7/175 भजनपुरा	चार बीच की दिवारें गिरादी गई और एक शटर हटा दिया गया
30.	वही	नन्द नगरी एन ब्लाक	17 खोखे, 28 छप्पर, 6 टिन शैड और 57 अतिक्रमण तथा 3 पक्के अतिक्रमण गिरा दिये गये 20 मदें कब्जे में ले ली गई।
31.	16.9.96	सुन्दर नगरी एम और ओ ब्लाक	सरकारी भूमि पर बंधी हुई चार भैंसें कब्जे में ले ली गई, 55 अस्थायी अतिक्रमण हटाये गये और 55 मदें कब्जे में ले ली गई
32.	18.9.96	गली नं. 1 100 फुटा रोड दुर्गापुरी चौक	आगे की दीवार गिरा दी गई तथा लाल पत्थर का स्लैब छत से हटाकर किनारे की दीवार गिरा दी गई

1	2	3	4
33.	18.9.96	बी-5/2 भजनपुरा मैन वजीराबाद रोड से जुडा	शुभन बैंकट हाल और जैमनी मोटर के आगे की दीवार दूसरे तल पर गिरा दी गई।
34.	19.9.96	पी नं. 1/6688 ईस्ट रोहताश नगर	55 पावंइटपर ग्राउण्ड फ्लोर पर एक हाल सील किया गया।
35.	वही	क्राउन पब्लिक स्कूल वजीराबाद रोड	एक कमरा तथा दुकान की दीवार गिरा दी गई।
36.	19.9.96	बी-5/2 भजनपुरा वजीराबाद रोड	दो विभाजक दीवारें आगे का छज्जा गिरा दिया गया।
37.	25.9.96	म.न. बी-11, नवीन शाहदरा	मजदूर हटाकर कार्य रोक दिया गया।
38.	वही	प्लाट नं. 3731 लोनी रोड रामनगर	एक ईट की दीवार तोड़ दी गई तथा मजदूरों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
39.	26.9.96	प्लाट नं. डी-994-ए गली नं. 12, अशोक नगर मैन वजीराबाद रोड, खसरा नं. 877/ 546/2	किनारे की दीवार, आगे की दीवार, पीछे की दीवार गिरा दी गई, मजदूरों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
40.	वही	बी-43 पाकिट-बी जी.टी. एन्कलेव नन्द नगरी	कार्य रोक दिया गया।
41.	27.9.96	प्लाट नं. सी-46 ज्योति कालोनी	मंमटी और कमरे की विभाजक दीवारें गिरा दी गई तथा मजदूर रोककर कार्य रोक दिया गया।
42.	वही	प्लाट नं. ई-1011 पश्चिमी बाबरपुर	मुंढेर की दीवार गिरा दी गई मजदूरों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
43.	वही	प्लाट नं. 1/4951 बलबीर नगर	कमरे की दीवारें गिरा दी गई और मजदूरों को हटाकर कार्य रोक दिया गया
44.	वही	प्लाट नं. 5797 गली नं. 13 बलबीर नगर	बाहरी सीढ़ियां आगे की दीवार किनारे की दीवार गिरा दी गई। मजदूरों को हटाकर कार्य रोक दिया गया।
45.	वही	नन्द नगरी ब्लाक ई-3, ई-4, 5 और ई-1	ई-3से 3 खोखे हटाये गये, शेड़ पर शौचालय के पास पक्का अतिक्रमण हटाया गया। इस प्रकार 50 वर्ग गज सरकारी भूमि खाली कराई गई। ई-5/1 से म.नं. 20 और डीडी.ए. फ्लैटों तक 10 मकानों के आगे पक्के अतिक्रमण गिराये गये। ई-4/1 में तीन मकानों की किनारे की दीवार से लगे पक्के अतिक्रमण को गिराया गया और ई-4, ई-5 तथा ई-1 में खोखे हटाये गये।

विशेष कार्य दल उत्तर पूर्वी जिला

क्र.सं.	तारीख	स्थान/स्थल	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	3.10.96	ई-ब्लाक सुन्दर नगरी मेन मार्किट, एफ-1, से एफ 100 सुन्दर नगरी तथा गगन सिनेमा के सामने नाले पर	ई ब्लाक मुख्य मार्किट में 29 पक्के थड़े, मकान नं. एफ.1 से एफ-100 के सामने 92 पक्के अतिक्रमण, गगन सिनेमा के सामने 26 छप्पर तथा 45 अस्थायी अतिक्रमण गिराये/हटाए गए।
2.	4.10.96	गली नं. 1 नवीन शाहदरा	सड़क पर अतिक्रमण हटाया गया
3.	4.10.96	1576 पोस्ट ऑफिस भवन, नवीन शाहदरा	3 मंजिला मार्किट को दर्ज कर लिया गया है तथा दिल्ली नगर निगम की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

1	2	3	4
4.	7.10.96	100 फुटी सड़क, ज्योति नगर, शाहदरा	बी.के. इंजीनियर्स की सामने की एक दीवार गिरा दी गई तथा स्थल से मजदूर हटाकर कार्य बन्द करवाया।
5.		बी-3/90, यमुना विहार	एक पिछली दीवारें गिराई गई, मजदूर हटाये और काम रूकवाया
6.		सी-63, गली नं. 2 भजनपुरा के पास	दो तरफी दीवारें गिराई गई, मजदूर हटाये और काम रूकवाया
7.		सी-383, गली न. 16 भजनपुरा	सामने की दोवार गिराई, मजदूर हटाये और काम रूकवाया
8.	8.10.96	1576, पोस्ट आफिस बिल्डिंग नवीन शाहदरा	दूसरे तल की पार्टिशन दिवारें गिराई, स्लैब को भारी नुकसान तथा दूसरे तल और तीसरे तल पर पैरा पेट दीवार को पूरी तरह नष्ट किया। भवन के मालिक ने दूसरे तल तथा प्रथम तल पर स्थगन आदेश दिखाये ताकि आगे कार्रवाई न की जा सके।
9.		गली नं. 13 अशोक नगर नन्द नगरी	बगल की दीवार पर चल रहे काम को गिराय, आगे और पीछे की दीवार गिराई
10.		दुर्गापुरी चौक	फाइल नं. 178 दिनांक 2.6.96 के माध्यम से 10 निर्मित दुकानों को अनधिकृत दुकान के रूप में दर्ज किया गया, परिसम्पत्ति जब्त की गई
11.	9.10.96	गांव मण्डौली खसरा नं. 543	कमरों की दीवारें और सेटरी का छप्पर गिराया गया।
12.	10.10.96	सी-8/267 यमुना विहार	एक पिछली दीवार गिराई, मजदूर हटाये तथा काम रूकवाया।
13.		डी-118 गली नं. 16 भजनपुरा	सामने की एक दीवार गिराई, मजदूर हटाये और काम रूकवाया।
14.	14.10.96	329ए गली नं. 7 अमर कालोनी	कमरे और हाल की दीवारें गिराई
15.		मुख्य वजीराबाद रोड, क्राउन पब्लिक स्कूल के निकट	कमरे की दीवारें गिराई
16.		गांव मण्डौली बैंक कालोनी तथा राजीव नगर के पीछे राजस्व सम्पदा	चाहर दीवारी गिराई गई
17.	15.10.96	प्लाट नं. 3731, लोनी रोड	दो ईंटों की दीवारें और कमरे गिराये गये, मजदूर हटाये और काम रूकवाया।
18.	16.19.96	600/16 बी, यमुना विहार मौजपुर के निकट	दो दिवारे गिराई, काम रूकवाया तथा मजदूर हटाये
19.		सी-6/454 यमुना विहार	सामने की दीवार हटवाई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
20.	17.10.96	1/7426 पूर्वी गोरख पार्क 10322 पश्चिमी गोरख पार्क	दो दिवारें गिराई, मजदूर हटाये, काम रूकवाये
21.		10322 पश्चिमी गोरख पार्क	बगल की दीवार गिराई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
22.	18.10.96	गीता नर्सिंग होम के पीछे	सड़क की साइड पर दो अतिक्रमण हटाये, दो प्रयोग शालाएं नष्ट की, बगल की दीवार गिराई और काम रूकवाया
23.		प्लाट 627/9 मुख्य लोनी रोड	चार दीवारें और खम्बे गिराये, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
24.	23.10.96	मीनाक्षी साडी इम्पोरियम बी 62ए न्यू उस्मानपुर	द्वितीय तल की छत गिराई तथा पिछले हिस्से की छत को भारी नुकसान
25.	24.10.96	प्लाट नं. 1756 मोतीराम रोड	जीना, दो दीवारें और बीम गिराये, मजदूर हटवाये, काम रूकवाया

1	2	3	4
26.	24.10.96	प्लाट नं. 1/2062 मान सरोवर पार्क	ईंटों की दीवार तथा डी.पी.सी. गिराई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
27.		प्लाट नं. ए/2 पश्चिम नत्थू कालोनी	मजदूर हटाये, काम रूकवाया।
28.	25.10.96	म.न. 452 गली नं. 20 मन्दिर वालो गली भजनपुरा	सामने की दीवार गिराई, मजदूर हटाये काम रूकवाया
29.		सी-4/162 यमुना विहार	एक पार्टिशन दीवार गिराई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
30.	28.10.96	डी-7 शास्त्री पार्क	सामने की एक दीवार हटाई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
31.		एच-22 शास्त्री पार्क	पीछे की एक दीवार गिराई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
32.	31.10.96	प्लाट नं. एफ 115 पश्चिमी ज्योति नगर	कमरे की दीवारें गिराई, मजदूर हटाये, काम रूकवाया
33.		गली नं. 5 कबीर नगर	कमरे की दीवारें गिराई
34.		सी-49 गली नं. 4 छज्जुपुर	कमरे की दीवार गिराई
35.		बी-73 गली नं. 3, उत्तर छज्जुपुर	कमरे तथा बरामदे की दीवारें गिराई

विशेष कार्य दल पूर्वी जिला

विनोद नगर, कृष्णा नगर, बाबूराम स्कूल, भोला नाथ नगर, बैंक इन्कलेव, कृष्णा कुंज, दिलशाद गार्डन, विकास मार्ग, जी.टी.रोड, स्कूल ब्लाक, शकरपुर, शंकर नगर, शाहदरा बाजार, झील, खुरेंजी, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के नजदीक, मयूर विहार फेज-I और II, गणेश नगर एक्सटेंशन, रेलवे क्रासिंग मधुबन चौक, पांडव नगर, पटपड़गंज, त्रिलोकपुरी, गांधी नगर, झील चौक, भीकम सिंह कालोनी, यमुना पुश्ता, सड़क नं. 57-जगतपुरी, कस्तूरबा नगर, ज्वाला नगर, झीलमिल कालोनी, विश्वास नगर, कड़कड़डूमा कोर्ट रोड, मन्डावली फाटक, खुरेंजी रोड, चन्द्र नगर, मधुबिहार, चन्द्र बिहार, बिहारी कालोनी, गीता कालोनी, पूर्वी अर्जुन नगर, लक्ष्मी नगर, मदर डेयरी के नजदीक, नरवाना रोड, हरगोविन्द इन्कलेव, दल्लुपुरा गांव, पी.डब्ल्यू डी रोड-71-ए,58-ए,56 कांति नगर, बाबरपुर गांव

14. पीपल चौक से मदनगीर

दिल्ली नगर निगम

लक्ष्मी नगर, गीता कालोनी, मेन मार्किट गांधी नगर, नरवाना रोड, मदर डेयरी, पटपड़गंज, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज-I, झीलमिल रोड, विश्वास नगर, आनन्द विहार, मधु विहार, (पटपड़गंज)।

बी और सी ब्लाक यमूना विहार, मलेरिया स्टोर नजदीक भजनपुरा डिस्पेंसरी, ई ब्लाक सुभाष मोहल्ला डिस्पेंसरी रोड, बाबर पुर गांव गली मस्जिद वाली, माया गली, ए,बी. और सी ब्लाक नन्द नगरी, ई एफ एम एन और ओ ब्लाक सुन्दर नगरी गगन सिनेमा के सामने नाले पर, रेलवे रोड शाहदरा, जी.टी. रोड, सब्जी मंडी, मछली मार्किट, न्यू सीमा पुरी।

शकूरपुर झुग्गी-झोपड़ी कालोनी सम्राट सिनेमा के साथ, निर्मल कालोनी के नजदीक झुग्गी-झोपड़ी कालोनी, वजीरपुर में मेन भरत नगर, सिंगल पुर गांव, शालीमार बाग, केला गोदाम रोड(शालीमार बाग), डीएसआईडीसी कम्पलेक्स (लारेंस रोड)।

जी.टी. करनाल रोड, मॉडल टाऊन, शक्ति नगर, किंगसवे कैम्प, निरंकानी कालोनी।

औद्योगिक क्षेत्र नारायण, पश्चिम पटेल नगर, गंगा मंदिर मार्ग, देव नगर (करोल बाग) विष्णु मंदिर मार्ग, आर्य समाज रोड, टंक रोड।

तिलक नगर, सुभाष नगर, मोती नगर, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, मायापुरी, खासन बस्ती, नॉगल रॉय।

खारी बावली, तिलक बाजार, मिन्टो रोड क्षेत्र, आई.टी.ओ., बहादुरशाह जफर मार्ग, निजामुद्दीन, एसप्लान्डे रोड लाल किला।

आजाद मार्किट, पुल मिठाई, कुतब रोड, प्रताप नगर, रानी झांसी रोड, रामनगर (कुतब रोड), अजमेरी गेट, और पार्ट फासिल रोड, सदन थाना रोड, पुराना रोहतक रोड, राम बाग (आजाद मार्किट) पहाडी धीरज, डिप्टी गंज।

लामपुर रोड(नरेला), रेलवे रोड (नरेला), बवाना रोड (नरेला) कुतब रोड, नरेला मंडी, जी.टी. रोड, वकोली, साफिया दॉब क्रासिंग नरेला, बवाना चौक बवाना, रविदास मार्ग, गोविन्दपुरी, आनन्द मायी मार्ग, ओखला फेज-I और II, मंगला पुरी, वशिष्ठ पार्क, सागरपुर, इन्द्रा पार्क, पालम रोड, व रेलवे रोड, सुल्तानपुरी, डी और पी ब्लाक, महाबीर इन्कलेव, सागरपुर क्रॉसिग, पालम, नजफगढ, पालम गांव, एन.एच.-10, रोहतक रोड, नागलोई, कापसखेड़ा चौक, बसन्तकुंज,

खापसहेड़ा क्रासिंग, जीएच-13 व 14 पाकेट जी-17, पश्चिम विहार, सैयद् नागलोई गांव।

गौतम नगर।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दक्षिणी पटेल नगर, जनकपुरी, पालम, लाजवंती, शकुरपुर, महिपाल पुर, हरगोविन्द इन्कलेव, पटपड़गंज, औद्योगिक क्षेत्र, गौतमपुरी, विवेक विहार, दिलशाद गार्डन, प्रीत विहार, झीलमिल ताहिरपुर, दल्लुपुरा, खिचड़ीपुर, रानी गार्डन सी आर पार्क, सरिता विहार, कालेखान-आईएसबीटी तुगलकाबाद, एक्सटेंशन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी, शाहबाद, दौलतपुर, प्रहलाद पुर, पंशाली रोड से अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाया गया।

नई दिल्ली नगर परिषद

अस्थाई अतिक्रमण को दैनिक आधार पर हटाया जाता है।

विवरण-II

वे इलाके जहां से अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाये जाने हैं।

क्र.सं.	स्थल
1	2
विशेष कार्य दल-दक्षिण दिल्ली जिला	
1.	कोटला मुबारकपुर
2.	कैलाश हिल
3.	होजखास मार्किट
4.	मस्जिद मोठ
5.	ग्रेटर कैलाश-II
6.	लाजपतनगर
7.	मालवीय नगर
8.	मदनपुर खादर
9.	ग्रेटर कैलाश-II
10.	एन.डी.एस.ई-I
11.	मंदाकिनी इन्कलेव
12.	अर्जुन नगर
13.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र
14.	ग्रेटर कैलाश-I
15.	एन.डी.एस.ई-I
16.	मालवीय नगर
17.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र
18.	टिगरी

1	2
विशेष कार्य दल-उत्तरी पुलिस जिला	
1.	पुराना रोहतक रोड
2.	रोशनारा रोड
3.	चन्द्रावल रोड
4.	प्रताप नगर
5.	पहाड़ी धीरज
6.	चांदनी चौक
7.	लाजपत नगर
8.	लाल किला रोड
9.	कश्मीरी गेट
10.	तीस हजारी
विशेष कार्य दल-उत्तरी पश्चिमी पुलिस जिला	
1.	जी.टी.रोड औद्योगिक क्षेत्र
2.	किगंसवे कैम्प
3.	जहांगीरपुरी
4.	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
5.	माडल टाऊन
6.	कमला नगर
7.	नागलोई सुल्तानपुरी रोड
8.	सुल्तानपुरी
9.	शालीमार बाग
10.	शाहपुर गॉव
11.	खेड़ा कंकड़ रोड और सिरसपुर क्षेत्र
12.	अशोक विहार
13.	सेक्टर-9,13,14 रोहिणी
14.	केशवपुरम
15.	लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र

विशेष कार्य दल-उत्तरी पूर्वी जिला

क्र.सं.	शिकायत
1	2
1.	गोकलपुर-इंडियन गैस गोदाम के पीछे-मंदिर और जिमनेजिम
2.	न्यू सीलमपुर में पार्क की भूमि पर अनधिकृत निर्माण
3.	एम.सी.डी. स्कूल मेन रोड कौशिक पुरी पुराना सीलम पुरी पूर्व के निकट डी.डी.ए. की भूमि पर अतिक्रमण

1	2
4.	ए-18/जी-3(जनता फ्लैट) दिलशाद गार्डन के मालिक द्वारा गैर कानूनी मकान का निर्माण
5.	सी-56/X-3 डी.डी.ए. एम.आई.जी. फ्लैट दिलशाद गार्डन द्वारा अनधिकृत निर्माण
6.	सी-4/276 यमुना विहार के पीछे अनधिकृत निर्माण
7.	ओ-17, ए-5 जनता फ्लैट (डीडीए) पर अनधिकृत निर्माण
8.	बाल्मिकी पार्क न्यू जाफराबाद डीडीए फ्लैट के नजदीक सुदामापुरी बाबरपुर पर मूर्ति लगायी
9.	रिहायशी आवास संख्या सी-11, जी-4 जनता फ्लैट (भूतल) दिलशाद गार्डन का गैर कानूनी बदलाव
10.	33 फुटारोड कबीर नगर बाबरपुर ग्राम सभा जमीन पर अनधिकृत निर्माण
11.	शास्त्री पार्क में घर के पीछे श्री मोहम्मद अली सुरमे वाले द्वारा अनधिकृत निर्माण
12.	पी-15/ए-2 दिलशाद गार्डन, द्वारा डीडीए की भूमि पर अनधिकृत निर्माण
13.	सी-14 मेन रोड लोनी रोड ज्योति नगर, डीडीए फ्लैट के सामने अनधिकृत निर्माण
14.	एम.सी.डी. पार्क (बागवानी) सामान्य अस्पताल के सामने झुग्गियां
15.	एम.सी.डी. स्कूल जगजीवन नगर अम्बेडकर चौक खैठवाडा न्यू उस्मानपुर के नजदीक शाहदरा में सड़क पर अनधिकृत निर्माण
16.	के-3/18-ए गली नं. 20 ए पश्चिमी घोंडा शाहदरा के नजदीक सड़क पर अतिक्रमण
17.	2/2 बाबरपुर द्वारा सड़क पर घर बनाया गया
18.	ए-129 न्यू सीलमपुर-पार्क पर अतिक्रमण
19.	सुभाष विहार, उत्तरी घोंडा जनदीक चिकारिया मस्जिद एम.सी. डी. प्राथमिक विद्यालय यमुना विहार, डी-5 डी.डी.ए. की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
21.	आवासीय क्षेत्र बी-1 दिलशाद गार्डन, में निर्माण नियमों का उल्लंघन
22.	चित्रकूट (लोनी का पूर्वी हिस्सा) की स्वच्छता और सफाई।

विशेष कार्य दल-पूर्वी जिला

दिल्ली के पूर्वी जिले के स्थानों/ कालोनियों के नाम जहां से अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का प्रस्ताव है, निम्नवत है :-

यूपी लिंक रोड, युधिष्ठर सेतु रोड नं. 58,56 दयानन्द विहार से रोड नं. 72 का जंकशन, रोड 75 बी, 72,71 और पटपड़गंज डिपो के सामने, मंडावली, त्रिलोक पुरी, चन्द्र विहार, चित्र विहार, पटपड़गंज रोड, जी.टी. रोड, मयूर विहार फेज-I और II के आन्तरिक रोड, विकास मार्ग, रोड नं. 57, मदर डेयरी रोड, नरवाना रोड।

दिल्ली नगर निगम

लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, झीलमिल कालोनी, गांधी नगर, विश्वास नगर, त्रिलोक पुरी, एच मार्किट सुन्दर नगरी, मछली मार्किट और सब्जी मंडी, सुन्दर नगरी, ई-5 नन्द नगरी वेल्कम सीलम पुर, फेज-3 और 4, सीमान्त मैन बांध रोड सीलमपुर, मेन मार्किट न्यू सीलम पुर, न्यू सीमा पुरी के नजदीक डीटीसी डिपो, जी.टी. रोड शाहदरा, पूर्वी रोहताश नगर।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के आर.ओ. डब्ल्यू की झुग्गियां, पी. डब्ल्यू.डी. और एम.सी.डी. क्षेत्र-13 व 18 रोहिणी में फुटपाथ पर झुग्गियां, शालीमार बाग और पीतमपुरा की भूमि पर अतिक्रमण, केशवपुरम लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र बनवल नगर पी. डब्ल्यू रोड और रोड नं. 3 और पार्क

तिमारपुर, जहांगीर पुरी, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, इन्द्रलोक, जी. टी. करनाल रोड, माडल टाउन, शक्ति नगर, किंगसवे कैम्प, निरंकारी कालोनी।

गुरूद्वारा रोड, नाईवाला, शंकर रोड, लोहा मंडी, नारायण, इन्द्र पुरी।

तिलक नगर, सुभाष नगर, मोती नगर, उद्यम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, मायापुरी, खासन बस्ती, नांगल राय।

माता सुन्दरी रोड, गिरदर्द रोड, कमला मार्किट, गली पीपल महादेव।

लामपुर रोड, नरेला रेलवे रोड, नरेला, बवाना चौक, प्रेम नगर, किरारी रोड, फसल रोड, हिम्मतगढ़, जी.बी. रोड के दोनों तरफ, पहाड़गंज मेन बाजार, अमृतकौर मार्किट, पंचकुईया रोड का पिछला हिस्सा, रतन सब्जी मार्किट, आरक्षण रोड, सदर थाना रोड, नानकपुर गौशाला रोड, पहाड़गंज चौक लालबत्ती के तरफ सदर थाना रोड, चुना मंडी, पहाड़गंज, चित्रगुप्ता रोड, पुराना रोहतक रोड, आजाद मार्किट, रामबाग, रोशनारा रोड मेन बाजार सब्जी मंडी, क्लाक टावर से बर्फ फैक्टरी, चन्द्रावल रोड, मल्का गंज, प्रताप नगर, पहाड़ी धीरज, डिप्टी गंज, फुटा रोड, माता शेरा वाली मार्किट, शिवाजी रोड, बहादुरगढ़ रोड।

सरिता विहार, लाजपत नगर, सेन्ट्रल मार्किट, अमर कालोनी, कालकाजी, एन.डी.एस.ई, पार्ट-1 और 11

सुल्तान पुरी, नांगलोई, मंगोल पुरी, नजफगढ़, पालम, नसरीपुर।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(ग) पूरी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम बनाये जाते हैं।

नई दिल्ली नगर परिषद

1. सब्जी मार्किट सरोजिनी नगर।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

883. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में केरल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). सरकार की वर्ष 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के खिलाफ पारम्परिक मछुआरों द्वारा किए गए आन्दोलन को देखते हुए अन्य तटवर्ती राज्य सरकारों समेत केरल सरकार ने उक्त नीति के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम आदि के अधीन जलयान चलाने की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार ने एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया था जिसने 8 फरवरी, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिशों में आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के अध्यधीन संयुक्त उद्यम, लीजिंग आदि के मौजूदा अनुमोदनों को रद्द करना शामिल हैं। समिति की सभी सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर निर्णय लिया गया है।

विद्युत दरें

884. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" मे "सेंटर फर्म आन पावर टैरिफ रिविजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत दरों में संशोधन न करने वाले राज्य विद्युत बोर्डो की वार्षिक योजना राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी लिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ का यौक्तिकरण किया जाना भी शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रसोई गैस वितरक

885. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस वितरकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से दक्षिण क्षेत्र में कितने हैं;

(ग) क्या रसोई गैस वितरक संघ (दक्षिण क्षेत्र) रसोई गैस का नियमित आपूर्ति और कमीशन की राशि बढ़ाने की मांग करता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). 1.10.1995 को पूरे देश में 5305 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत थी। उपर्युक्त में से 132 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें दक्षिणी क्षेत्र में कार्यरत थी।

(ग) और (घ). कमीशन में संशोधन के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा की गई मांग पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सूरतगढ़ में विद्युत परियोजना

886. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ विद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत परियोजना को आरंभ करने हेतु आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी आयात

887. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** सरकारी आवास के बारे में 7 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). अब तक करीब 3000 लोगों के बारे में ब्यौरों की सूचना एकत्र हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद, इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

समुद्री लहरों से ऊर्जा

889. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लहरों से ऊर्जा एकत्र करने के लिए केरल व अन्य तटीय राज्यों में परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों में लहर ऊर्जा काम में लाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या केरल राज्य ने लहर ऊर्जा काम में लाने के लिए और धनराशि की मांग की है अथवा नई परियोजनाओं की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) 150 कि.वा. और 55 कि.वा. उच्चतम क्षमता के दो लहर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण केरल के णिझिनजम (तिरूवनंतपुरम) में क्रमशः 1991 और 1996 में हुआ था।

(ख) सारे देश में लहर ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा के अन्य रूपों के विकास के लिए गत पांच वर्षों के दौरान 4.70 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धन का अन्यत्र उपयोग

889. श्री दिनशा पटेल :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकर के ध्यान में राष्ट्रीय परती भूमि विकास परियोजना के कार्यान्वयन में कतिपय राज्य सरकारों की कुछ खामियां आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा फिजूल खर्च तथा धन का अन्यत्र उपयोग किये जाने के अनेक मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/उठायेगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). बंजरभूमि विकास विभाग में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास परियोजना के नाम से कोई योजना नहीं है, तथापि, समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के नाम से इसकी एक योजना है, जिसके लिए राशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और राज्य सरकारों को दी जाती है। ये परियोजनाएं स्वतंत्र मूल्यांकन-कर्त्ताओं द्वारा मूल्यांकित की जाती है। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अधिकतर परियोजनाएं संतोषजनक चल रही हैं। कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ समय अधिक लगाने के अतिरिक्त विभाग के ध्यान में कोई गम्भीर मामला नहीं आया है।

डांग (गुजरात), यमुना नगर (हरियाणा), जैसलमेर, सीकर (राजस्थान) दुर्ग (मध्य प्रदेश) जिलों के लिए स्वीकृत समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाओं की गति धीमी चल रही है, जिसके लिए उपचारी उपायों के लिए सुझाव दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रतिक्रिया के लिए कोई कारण नहीं है।

विद्युत की खपत

890. श्री भक्त चरण दास :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक देश में राज्य वार विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) उड़ीसा और बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में कम विद्युत की आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विद्युत की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा तथा बिहार दोनों ही राज्य केन्द्रीय क्षेत्र से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विद्युत का आहरण कर रहे हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/घटकों द्वारा किया गया वास्तविक आहरण निम्नवत् था :-

राज्य	आहरण (मि.यू.)
बिहार	4545.9
डीवीसी	1867.4
उड़ीसा	1884.9
पश्चिम बंगाल	1748.9
सिक्किम	28.4
जोड़	10075.4

(ग) किसी राज्य में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत राज्य के समग्र विकास, खासतौर पर उसके औद्योगिक तथा कृषिगत विकास तथा राज्य की प्रति व्यक्ति आय व विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :-

अल्पावधि उपाय

1. विद्युत का अंतःराज्यीय वअंतःक्षेत्रीय आधार पर अंतरण।
2. नीवनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
3. अल्पावधि में तैयार की जाने वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
4. पर्याप्त गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति।
5. केन्द्रीय विद्युत उत्पादन से विद्युत का आबंटन।

दीर्घकालिक उपाय

1. विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
2. व्यस्ततमकालीन कमी को घटाने के उद्देश्य से जल विद्युत शक्यता का दोहन करने पर अधिक बल दिया जाना।
3. रेल परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए समुद्र के तट पर स्थित विद्युत केन्द्रों के लिए जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई करना।
4. नई कोयला खदानों के लिए कोयला उपकारी संयंत्र।
5. हानियों को कम करने तथा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना।
6. ऊर्जा संवर्द्धन तथा सह-उत्पादन।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विद्युत की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा

(कि.वा.घ. में)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	507.24	490.82	466.78
हिमाचल प्रदेश	207.94	218.52	253.55
जम्मू और कश्मीर	188.24	195.06	196.32
पंजाब	683.58	702.51	756.37
राजस्थान	246.45	256.12	269.53
उत्तर प्रदेश	178.62	185.74	204.07
चंडीगढ़	714.68	626.08	676.22
दिल्ली	823.26	733.45	747.48
उप-जोड़	282.45	286.41	302.22
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	536.43	587.33	608.43
मध्य प्रदेश	280.59	310.54	335.01
महाराष्ट्र	438.58	459.09	500.36
गोवा	540.74	588.49	601.82
दमन व द्वीव	1014.70	1182.09	1547.73
दादर व नगर हवेली	1174.50	1392.13	1574.40
उप-जोड़	406.21	436.66	467.71
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	312.49	344.96	373.55
कर्नाटक	302.98	327.72	363.92
केरल	200.10	215.42	236.54
तमिलनाडु	368.85	386.04	429.97
पांडिचेरी	855.91	842.55	968.85
लक्षद्वीप	183.20	207.20	185.00
उप-जोड़	311.80	335.47	369.32

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	117.03	125.78	133.74
उड़ीसा	296.95	313.48	332.64
पश्चिम बंगाल	157.70	171.31	175.16
अंडमान और निकोबार द्वीप	162.35	167.74	178.09
सिक्किम	113.93	122.50	143.06
उप-जोड़	162.39	174.04	182.35
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
असम	96.77	94.98	97.65
मणिपुर	103.88	111.03	107.41
मेघालय	129.10	109.95	139.59
नागालैंड	72.90	67.92	58.98
त्रिपुरा	58.53	59.57	66.28
अरुणाचल प्रदेश	54.13	66.52	65.76
मिजोरम	90.86	101.29	111.74
उप-जोड़	93.44	91.96	96.74
जोड़ (अखिल भारत)	263.10	298.96	320.10

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

891. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रिज क्षेत्र में स्थित किन-किन पेट्रोल पम्पों के संबंध में पर्यावरणीय संरक्षण हेतु उन्हें रिज क्षेत्र से अन्यत्र ले जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने रिज क्षेत्र से अन्यत्र ले जाने के संबंध में सरकारी निवेश जारी किया है;

(ख) दिल्ली के किन-किन स्थानों में इन पेट्रोल पम्पों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन पेट्रोल पम्पों को अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च). माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली के "रिज एरिया" में स्थित निम्नलिखित ।। खुदरा बिक्री केन्द्र डी डी ए द्वारा पहचान किए गए नए स्थानों पर पुनः स्थापित किए जाने हैं। इन स्थलों के लिए लाटरी 25.10.1996 को निकाली गई थी :—

खुदरा बिक्री केन्द्र का नाम	नया स्थान
1. अरोड़ा सर्विस स्टेशन, एस.पी. मार्ग	रोड नं. 44, पीतम पुरा
2. चाणक्यपुरी सर्विस स्टेशन, एस.पी. मार्ग	पश्चिम बिहार, जी-17 के सामने
3. दिल्ली आटोमोबाईल्स, एस.पी. मार्ग	सरिता विहार, कालिंदी कुंज मथुरा रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर
4. एएवीआई विलिंगडन क्रिससेंट रोड	मायापुरी रोड रिंग रोड जेल रोड को जोड़ने वाला
5. सेठी आटो, पूर्वी रोड	दिलशाद गार्डन
6. रिज व्यू सर्विस स्टेशन, शंकर रोड	शालीमार बाग
7. किछर सर्विस स्टेशन	पीतमपुरा
8. पूसा रोड सर्विस स्टेशन	जनकपुरी, नारी निकेतन के समीप
9. पुष्पांजलि	नेलशन मंडेला मार्ग
10. शंकर मार्ग फिलिंग स्टेशन	मादीपुर कम्यूनिटी सेन्टर
11. लिंक रोड फिलिंग स्टेशन	मैत्री कालेज के पीछे, चाणक्यपुरी

2. माननीय न्यायालय के आदशों के अनुसार इन खुदरा बिक्री केन्द्रों को इनके पुराने स्थानों पर 30.4.97 से बंद किया जाना है। माननीय न्यायलय के आदेश का पालन किया जाएगा।

[अनुवाद]

तेल और गैस उत्पादन

892. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भारतीय अपतटीय तेल उद्योग के विकास के लिए और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी नीति

893. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1990-91 में तैयार की गई गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी अपनी नीति, जिसके अन्तर्गत संयुक्त उद्यमों में विदेशी निवेश की अनुमति थी, को बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु कार्यरत पोतों तथा विभिन्न संयुक्त उद्यम योजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने सभी वर्तमान अनुमति रद्द करने तथा गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु पोतों के लिए पूर्वी तट पर 15 से 50 मील तथा पश्चिमी तट पर 100 मील के प्रतिबंधित क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला लिया है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा मुरारी समिति की रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु ठोस नीति पर कब तक विचार किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति 1991 को रद्द करने का निर्णय लिया है।

(ग) वर्तमान में संयुक्त उद्यम स्कीम के तहत भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 21 गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चल रहे हैं।

(घ) सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन हेतु क्षेत्र-नियन्त्रण संबंधी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को कानूनी प्रक्रिया के अध्यधीन सिद्धांततः स्वीकार करने का निर्णय लिया है। फिर भी वैध परमिटों/मंजूरियों को रद्द करने से संबंधित सिफारिश के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981, नियमों और/अथवा परमिटों/मंजूरी पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक मामले में ऐसे परमिटों/मंजूरियों को रद्द करने हेतु कार्रवाई पर निर्णय विधि मंत्रालय की सलाह से लिया जाएगा।

(ङ) और (च). सरकार ने पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। एक नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति बनाने हेतु भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एशियाई विकास बैंक

894. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एशियई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार और स्थानवार क्षमता और लागत कितनी है;

(ग) ये परियोजनाएं किस स्तर पर लंबित हैं; और

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). सितम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा सहायता प्राप्त 6 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	ऋण सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	ऋण राशि मिलि अमरीकी डालर	क्षमता	परियोजनाओं की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु						
1.	798-आईएनडी	उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना	1697.430	150.000	2x210 मे.वा.	सभी यूनिटें प्रचालित
2.	1029-आईएनडी	उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना		200.00	1x210 मे.वा.	यूनिट प्रचालित तथा अन्य कोयला प्रहस्तन प्रणाली कार्य प्रगति पर है, कार्य जून, 1998 में पूरा हो जाने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
3.	988-आईएनडी	रायलसीमा ताप विद्युत संयंत्र	860.300	190.000	2×210 मे.वा.	सभी यूनिटें प्रचालित
पावर फाइनेंस कारपोरेशन						
4.	1161-आईएनडी	विद्युत दक्षता क्षेत्र परियोजना	1746.600	250.000	लागू नहीं	अवार्ड दे दिया गया है, विभिन्न राज्यों में कार्य प्रगति पर है।
		बहु-राज्यीय परियोजना (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु)				
एनटीपीसी						
5.	907-आईएनडी	ऊंचाहार-2 उत्तर प्रदेश	1279.510	160.000	2×210 मे.वा.	बायलर, टरबाइन, जेनेटर के लिए अवार्ड दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है। पहली यूनिट जनवरी, 2000 तथा दूसरी यूनिट जुलाई, 2000 तक प्रचालित की जानी है।
पावरग्रिड						
6.	1405-आईएनडी	विद्युत संचारण (क्षेत्र) परियोजना	1776.100	275.000	लागू नहीं	कुछ परियोजनाओं के लिए अवार्ड दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है। शेष अवार्ड दिए जा रहे हैं। सभी कार्य जून, 2000 तक पूरे किए जाने हैं।
		बहुराज्यीय परियोजना				

परम्परागत तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरे

895. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय क्षेत्रों में परम्परागत तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ख) गहरे समुद्र में अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या खाद्य नीति के समान कोई मत्स्य नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) देश में समुद्री क्षेत्र से होने वाला मछली उत्पादन जो कि 1992-93 में 25.76 लाख टन था, 1995-96 में बढ़कर 27.07 लाख टन हो गया है। इसमें से गहन समुद्री क्षेत्र का योगदान केवल 30 हजार टन के लगभग है और बाकी उत्पादन परम्परागत तथा लघु यंत्रीकृत क्षेत्र से होता है जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र से मत्स्य उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

अतिक्रमण

896. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1996 के "दि ट्रिब्यून" में "सुप्रीम कोर्ट्स वार्निंग ऑन एन्क्रोचमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भूमि राज्य का विषय होने के कारण, भू-अतिक्रमण के मामले से संबंधित राज्य या स्थानीय सरकार या अन्य भू-स्वामी एजेंसी को, इस प्रकार की स्थितियों को मौके पर ही संभालने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार निपटने होते हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की नीति बनाते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों/आपत्तियों को ध्यान में रखना होगा।

विश्व बैंक से एन.सी.ई.एस. सहायता

897. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक तथा के.एफ.डब्लू. जर्मनी से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उक्त विदेशी सहायता को किन-किन परियोजनाओं में निवेश करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). सरकार ने विश्व बैंक तथा के एफ डब्ल्यू, जर्मनी से मथियाना जिला जोधपुर, राजस्थान में केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के तौर पर राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 140 मेवा. एकीकृत और सम्मिलित चक्र विद्युत संयंत्र, जिनमें 35 मेवा. सौर तापीय संघटक तथा 105 मेवा. गैस आधारित विद्युत संघटक शामिल हैं, के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा से सहायता अनुदान तथा के एफ डब्ल्यू से ऋण सहायता के लिए सम्पर्क किया है। विश्व बैंक ने विश्व पर्यावरण सुविधा से 49 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुमोदन किया है जिसमें 4 मिलियन डालर परियोजना के लिए तकनीकी सहायता के रूप में शामिल है। जर्मन सरकार ने भी इस परियोजना के लिए 250 मिलियन डी एम के ऋण का अनुमोदन किया है जिसमें 116.8 मिलियन डी एम उदार दरों पर तथा 133.2 मिलियन डी एम वाणिज्यिक दरों पर उपलब्ध है।

सरकार ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के एक परियोजना प्रस्ताव के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक साख लाइन विकसित करने के उद्देश्य से इरेडा के लिए 400 मिलियन डी एम के ऋण सहायता के लिए भी के एफ डब्ल्यू जर्मनी से सम्पर्क किया है।

इसके अलावा 115 मिलियन अमेरिकी डालर की एक आई डी ए साख तथा विश्व बैंक का 26 मिलियन अमेरिकी डालर का जी ई एफ अनुदान, स्विस विकास निगम के 4 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुदान तथा डैनिश निर्यात वित्त निगम का 15 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुबंधित सहायता साख के साथ "भारतीय अक्षय संसाधन विकास परियोजना" नामक एक परियोजना पहले से ही क्रियान्वयनाधीन है जिसके अंतर्गत इरेडा द्वारा तीन अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में नामतः लघु पनबिजली, पवन ऊर्जा तथा सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र

898. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या की तुलना में बिहार में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों का अनुपात न्यूनतम है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण तथा औचित्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). एल पी जी भरण संयंत्र राज्य में पैक्ड एल पी जी की मांग के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध वर्तमान उपभोक्ताओं की पैक्ड मांग पूर्णतया पूरी की जा रही है। बिहार राज्य में पैक्ड एल पी जी मांग निम्न ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित वर्तमान एलपीजी भरण संयंत्रों से पूरी की जा रही है :

(क्षमता टी एम टी पी ए)

स्थान	वर्तमान भरण क्षमता	आठवीं योजना अवधि के दौरान योजित वृद्धि	वर्धित भरण क्षमता
जमशेदपुर	44	44	88
बरौनी	15	-	15
	59	44	103

उपरोक्त के अलावा, बिहार की मांग समीपवर्ती राज्यों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भरण संयंत्रों द्वारा भी पूरी की जा रही है। तथापि, आठवीं योजना के अंतर्गत पूर्णिया और बेगूसराय में दो नए भरण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 100 टी एम टी पी ए और 2 टी एम टी पी ए है।

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखाने

899. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक तेल शोधक कारखाना वार विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कितना धन तेल संसाधित किया गया;

(ख) कंपनी-वार तथा तेल शोधक कारखाने तेल की क्षमता उपयोगिता क्या है तथा क्या यह क्षमता उपयोगिता इसकी क्षमता के अनुरूप रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन तेल कंपनियों तथा तेल शोधक कारखानों की अधिकतम उपयोगिता क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). कंपनी/रिफाइनरी वार स्थापित क्षमता, वास्तविक थ्रूपुट और क्षमता उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बरौनी, गुवाहाटी, बी आर पी एल की क्षमता उपयोग, असम तेल क्षेत्रों से अपर्याप्त क्रूड उपलब्धता के कारण कम थी। एम आर एल का क्षमता उपयोग वर्ष 1993-94 के दौरान स्नेहक रिफाइनरी सुधार कामों के लिए अधिक समय तक बंद रहने और 1995-96 के दौरान सी डी यू में लगी भीषण आग के कारण कम था।

(ङ) रिफाइनरियों के इष्टतम उपयोग में वृद्धि करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं :-

(1) सरकार ने बरौनी रिफाइनरी को आयातित क्रूड आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाने हेतु आई ओ सी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(2) एक अल्पावधिक व्यवस्था के रूप में हल्दिया से रेल द्वारा आयातित कच्चे तेल की आपूर्ति करके बरौनी रिफाइनरी को क्रूड की आपूर्ति में वृद्धि की गई है।

(3) सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्रूड उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय भी किए हैं, ताकि क्रूड की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

(4) सरकार ने एम आर एल की नारिमनम रिफाइनरी में संसाधन के लिए सड़क द्वारा चेन्नई से नारिमनम तक कच्चे तेल के परिवहन की अनुमति दे दी है।

विवरण

(क) से (ग). कंपनी/रिफाइनरी-वार स्थापित क्षमता, वास्तविक क्रूड थ्रूपुट और क्षमता उपयोग

उपक्रम/रिफाइनरी का नाम	1993-94			1994-95			1995-96		
	स्थापित क्षमता *	वास्तविक क्रूड थ्रूपुट +	क्षमता उपयोग -	स्थापित क्षमता *	वास्तविक क्रूड थ्रूपुट +	क्षमता उपयोग -	स्थापित क्षमता *	वास्तविक क्रूड थ्रूपुट +	क्षमता उपयोग -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आईओसी, गुवाहाटी	0.85	0.91	107.1	1.00	88.0	88.0	1.00	0.84	84.0
आईओसी, बरौनी	3.30	2.22	67.3	3.30	2.22	67.3	3.30	2.32	70.3
आईओसी, गुजरात	9.50	9.43	99.3	9.50	9.89	104.1	9.50	10.16	106.9
आईओसी, हल्दिया	2.75	3.11	113.1	2.75	3.26	118.5	2.75	3.41	124.0
आईओसी, मथुरा	7.50	8.52	113.6	7.50	8.38	111.7	7.50	8.33	111.1
आईओसी, डिग्बोई	0.50	0.55	109.4	0.50	0.54	108.0	0.50	0.56	112.0
बीपीसीएल, बम्बई	6.00	7.20	120.0	6.00	7.51	125.2	6.00	7.34	122.3
एचपीसीएल, बम्बई	5.50	6.02	109.5	5.50	5.23	95.1	5.50	5.97	108.5
एचपीसीएल, विसाख	4.50	4.45	98.9	4.50	5.01	111.3	4.50	5.04	112.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एचपीसीएल, कोचीन	4.50	4.86	108.0	4.50	5.13	114.0	7.50	7.42	98.9
एमआरएल, मद्रास	6.50	5.73	88.2	6.50	6.92	106.5	6.50	5.60	86.2
एमआरएल, नारिमनम	-	0.13	+	0.50	0.38	76.0	0.50	0.37	74.0
बीपीसीएल, असम	1.35	1.17	86.7	1.35	1.18	87.4	1.35	1.22	90.4
**एमआरपीएल, मंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	52.57	54.30	102.9	53.40	56.53	105.9	56.40	58.58	103.9

= : अनंतिम, * : 1.11.93 से उत्पादन आरंभ किया, - : आरंभिक वर्ष की । अप्रैल को स्थापित क्षमता, ** मार्च, 96 में चालू की गई।

[अनुवाद]

वार्षिक योजना

900. श्री तारीक अनवर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुरूप पूरी तरह से धन का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और योजना मानदंडों के बावजूद धन के अन्यत्र उपयोग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) 1995-96 तथा 1996 के दौरान योजना आयोग ने वार्षिक योजना हेतु कितनी राशि दी है;

(ङ) क्या दी गई राशि राज्य के लिए पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (च). योजना आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्यों को वार्षिक योजना परिव्यय की स्वीकृति देता है। स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय केन्द्रीय सहायता (संशोधित गाडगिल मुखर्जी फार्मूला पर आधारित सामान्य केन्द्रीय सहायता सहित) तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाव सहित राज्यों के अपने संसाधन, यदि कोई हो, का समुच्चय होता है।

कवर्ष 1994-95 हेतु बिहार के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय 900.00 करोड़ रुपये (संशोधित) था तथा 1995-96 के लिए 972.00 करोड़ रुपये (संशोधित) था। वर्ष 1994-95 के लिए प्रत्याशित व्यय 967.60 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 1995-96 के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

तेल पूल खाता

901. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में तेल पूल खाते का घाटा आरम्भिक आकलन 9,700 करोड़ की तुलना में 15,500 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि तथा बढ़ते हुए तेल पूल घाटे के फलस्वरूप पेट्रोल उत्पादों के मूल्य में एक और वृद्धि अपरिहार्य है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेट्रोल पदार्थों की आपूर्ति के संकट को दूर करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). 31.3.96 की स्थिति के अनुसार तेल पूल खाते से तेल कंपनियों को संचयी बकाया धनराशि 5,700 करोड़ रुपय थी और 31.3.97 तक इसके 15,500 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने का अनुमान है। पूल खाते में घाटा इसलिए बढ़ा है क्योंकि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से वहन की गई लागतें पूरी तरह वसूल नहीं हो पाई। तेल पूल खाते की स्थिति की सतत आधार पर निगरानी की जाती है और घाटे को सीमित रखने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

अंटार्कटिका अभियान दल

902. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंटार्कटिका में भूकंपीय वेधशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी अभियान दल अर्थात् 16वां अटार्कटिका अभियान दल भेजने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या तैयारियां की गयी हैं;

(ङ) आगामी अभियान दल किस मुख्य उद्देश्य हेतु भेजा जाएगा; और

(च) क्या कोई अन्य देश भी हमारे वैज्ञानिकों के साथ अभियान दल में शामिल हो रहा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, नामतः राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय केन्द्र से पहली बार, अंटार्कटिक में यथा-अभिलिखित भूकम्पीय कार्यकलापों से संबंधित अध्ययन प्रारम्भ किए जाएंगे। 16वें अभियान के साथ, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान का एक वैज्ञानिक, ग्रीष्मकालीन सदस्य के रूप में जाएगा जिसे अंटार्कटिक के ब्रिमाचार नखलिस्तान प्रदेश में इस वेधशाला को प्रारम्भ करने हेतु उपयुक्त स्थान के निर्धारण का कार्य सौंपा जाएगा। बाद में, भूकम्पीय वेधशाला के एक भाग के रूप में अंकीय विस्तृत बैंड भूकम्प यलेखी को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके निम्नलिखित वैज्ञानिक उद्देश्य होंगे :—

(1) अंटार्कटिक में भूकम्पीय सक्रियता की बारम्बारता और तीव्रता का प्रबोधन एवं अध्ययन।

(2) दक्षिणी महासागरों के हिन्द महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले भूकम्पीय झटकों का अभिलेखन।

(3) विश्वव्यापी भूकम्पीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में यह विचार किया गया है कि इस वेधशाला में तैयार आंकड़ा से अंटार्कटिका की गहन भूवैज्ञानिक संरचना और समग्र भूमि की सकल भूकम्पीय विशेषताओं का चित्रण करने में मदद मिलेगी।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) अंटार्कटिका के लिए 16वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा से 12 दिसम्बर, 1996 को रवाना होने की संभावना है। यह अभियान किराए पर लिए गए नार्वे के हिम प्रवर्तित जलयान "एम. वी. पोलर बर्ड" पर, दो किराए पर लिए गए एक्विरेल हेलीकॉप्टरों के साथ रवाना होगा। इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय केन्द्र मैत्री में जहाज से हवाई सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तथा वैज्ञानिक कार्य हेतु क्षेत्र शिविरों को स्थापना करने में भी इनके द्वारा सहायता की जाएगी। वैज्ञानिक एवं संभार उद्देश्यों को अंतिम रूप देने सहित इस अभियान को रवाना करने से संबंधित सभी प्रबन्ध पूरे कर लिए गए हैं। खाद्य सामग्री, क्लोदिंग किट, औषधियों, विभिन्न जीवन समर्थक प्रणालियों के अतिरिक्त पुर्जों, ईंधन और संचार उपकरणों आदि सहित सभी भण्डारण मदों के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

16वें अभियान में 62 सदस्य सम्मिलित होंगे जिनमें से 39 वैज्ञानिक हैं जो 21 राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों से लिए गए हैं। शेष 23 सदस्य भारतीय थल सेना से लिए गए हैं जो इस अभियान को आवश्यक संभार सहायता प्रदान करेंगे। इस अभियान के दो घटक होंगे जिसमें 26 शीतकाल दल के सदस्य (जो मार्च 1998 को भारत लौट आएंगे) और 36 ग्रीष्मकाल दल के सदस्य (जो मार्च 1997 को लौटेंगे)। भारत मौसमविज्ञान विभाग के एक वैज्ञानिक द्वारा इस अभियान का नेतृत्व किया जाएगा।

(ङ) 16वें अभियान के वैज्ञानिक उद्देश्य और संभार कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

विवरण

16वें भारतीय अंटार्कटिका अभियान के वैज्ञानिक उद्देश्य

क. वायुमण्डलीय विज्ञान

(1) ओजोन की उर्ध्वाधर रूपरेखा और ओजोन होल की गतिकी : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने लेजर हेटेरोडाइन प्रणाली का इस्तेमाल करके वायुमण्डल में, 60 कि.मी. की उंचाई तक ओजोन और अन्य गौण ट्रेस गैसों की उर्ध्वाधर रूपरेखा प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित एक अत्याधुनिक प्रयोग का अभिकल्पन किया है। इस उपकरण को वर्ष पर्यन्त आधार पर प्रचलनात्मक बनाया जाएगा जिससे । गेगा हर्टज ध्वानिक प्रकाशीय स्पेक्ट्रममापी के माध्यम से स्पेक्ट्रमी तीव्रता प्राप्त करने के लिए लेजर किरण से सूर्य किरणपुंज को हेटेरोडाइन किया जाएगा। इस आंकड़ा को वायुमण्डल में ओजोन और जल वाष्प की अवशोधन रेखाओं को नापने के लिए प्रतिलोमन संस्तर तकनीक के द्वारा रूपांतरित किया जाएगा। इससे अंटार्कटिक पर ओजोन होल परिघटना की गतिकी की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इस उपकरण के लिए अलग से एक कक्ष बनाया गया है और इस मशीन को ठण्डा रखने के लिए तरल नाइट्रोजन वाला एक संयंत्र अलग से स्थापित किया जाएगा।

(2) फ्लक्स गेट चुम्बक मापी अध्ययन : भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान बम्बई द्वारा जारी रखा जाने वाला यह एक सतत अध्ययन है तथा अंटार्कटिक वायुमण्डल में गतिशील धारा प्रणालियों की गतिकी को समझने के लिए किया जाता है। भूचुम्बकीय स्पंदनों को पीछे छोडने वाली गतिशील ध्रुवीय ज्योति धारा प्रणालियों की गति को प्राप्त करने के उद्देश्य से त्रिभुज की तीनों वर्टिसेज पर तीन फ्लक्स गेट चुम्बकमापी और रिओमीटर प्रचालित किए जाएंगे। इस अध्ययन

से निम्नलिखित समीपस्थ एवं गहन अंतरिक्ष प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी।

(क) भूचुम्बकीय क्षेत्र में शांत समय में दैनिक और मौसमी परिवर्तन

(ख) आयन मण्डलीय और चुम्बक मण्डलीय क्षेत्र संरेखित धाराओं की अनुक्रिया में भूचुम्बकीय क्षेत्र विभिन्नताएं।

(ग) वैद्युत चुम्बकीय क्षुब्धताओं की अनुक्रिया में एच.एफ. रेडियो संचार

(घ) मैत्री में ध्रुवीय ज्योति अण्डवक्र का हारंग अंतराल

(3) जलवायु वैज्ञानिक और मौसमवैज्ञानिक अध्ययन : दशकीय पैमाने पर अंटार्कटिक का जलवायु वैज्ञानिक आंकड़ा तैयार करने के उद्देश्य से भारत मौसमविज्ञान विभाग द्वारा पहले अभियान से ही ये अध्ययन किए जा रहे हैं। इस सूचना को, भूमण्डलीय और भारतीय मौसम प्रणालियों के सन्दर्भ में अंटार्कटिक परिसंचरण के पैटर्नों को समझने के लिए मौसमवैज्ञानिक प्रतिरूपों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मौसम प्राचलों के अभिलेखन और प्रेषण, उपग्रह मेघ प्रतिबिम्ब अभिग्रहण और मौसम चार्ट प्रसारण के लिए एक स्थायी और निरंतर काम करने वाली वेधशाला पहले ही विद्यमान है तथा 16वें अभियान के दौरान यह काम करने लग जाएगी। पृष्ठ तथा पृष्ठ समीप ओजोन दशाओं का प्रबोधन करने के लिए नियमित ओजोन सोन्ड असेन्ट भी किए जाएंगे। इसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला (एन.पी.एल.) की एल.एच.एस. से प्राप्त आंकड़ों के संपूरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 16वें अभियान में रेडियो मीटर सोन्ड असेन्टों द्वारा विकिरण बजट अध्ययनों का संपूरण किया जाएगा। प्रत्यक्ष विकिरण प्रेक्षण के अतिरिक्त विसारित विकिरण प्रेक्षण भी लिए जाएंगे।

(4) वैद्युत चालकता और एरोसॉल का वितरण अध्ययन : भारतीय उष्णकटिबन्धीय मौसमविज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा प्रारम्भ किया जाने वाला यह एक नया प्रयोग है। इस प्रयोग में, अंटार्कटिक पर एरोसॉल कणों के आकार वितरण के साथ-साथ वायुमण्डलीय विद्युत क्षेत्र को नापने का प्रस्ताव है। इन परिमापों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) मैत्री में विद्युत क्षेत्र और वायु भूमि धारा की दैनिक विभिन्नता की तुलना में भूमण्डलीय विद्युत परिपथ और सौर पार्थिव प्रभाव।

(ख) विद्युत चालकता और एरोसॉल सान्द्रण के बीच विपरीत सम्बन्ध और वायुमण्डलीय एरोसॉल के आकार स्पेक्ट्रा में परिवर्तन का अध्ययन।

(ग) अक्षांश के साथ विद्युत चालकता में परिवर्तन का अध्ययन करना और आयन एरोसॉल सन्तुलन समीकरण की जांच करना।

ख. भूमि विज्ञान

(1) भूवैज्ञानिक मानचित्रण और हिमवैज्ञानिक अध्ययन : ये अध्ययन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जी.एस.आई) द्वारा जारी रखे जाने हैं। 16वें अभियान के दौरान आरविन II पर्वत की कुर्ज और हॉटेडॉल पर्वतश्रेणियों में 1000 वर्ग कि.मी. अमानचित्रित क्षेत्र को सम्मिलित करके भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया जाएगा। शैल भू रासायनिक विकास को समझने के लिए प्रयोगशाला विश्लेषण हेतु श्रिमाचार पर्वतों से नमूने एकत्र किए गए।

भूवैज्ञानिक अध्ययनों का उद्देश्य दक्षिण गंगोत्री ध्रुवीय हिमाग्र के प्रबोधन द्वारा हिम गतिकी को समझना है। हिमशेल्फ पर हिम संचयन और अपक्षरण अध्ययन आंकड़ों को संहति संतुलन अध्ययनों की निविष्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(2) श्रिमाचार पर्वत, पूर्व अंटार्कटिक का भूवैज्ञानिक विकास : भूवैज्ञानिक विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा 15वें अभियान में प्रारम्भ किया गया यह एक बहुफलकित अध्ययन है। चलाई जा रही इस परियोजना का उद्देश्य श्रिमाचार नखलिस्तार की चट्टानों में संरचनात्मक शैल वैज्ञानिक भूरासायनिक और भूकालानुक्रमिक संकेतों को समझना है ताकि इस क्षेत्र के भूपर्पटी विकास को समझा जा सके। दाब और ताप वाले अधिकतर क्षेत्र का जिसके अन्तर्गत अश्म इकाईयां लिथो यूनिट्स उत्पादित की गई थी। कायांतरण के ग्रेडों और प्रावस्थाओं के अन्वेषण द्वारा अध्ययन किया जाएगा/गोंडवानालैंड के अन्य छिपे हुए क्षेत्रों के साथ सह सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, इस कठिन इतिहास को समझने हेतु उच्च तापमान वाली माइलानोइट्स की सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाएगा।

(3) अन्टार्कटिक में हिम अपवाह और एल्बिडों अध्ययन : अन्टार्कटिक में विभिन्न समागम भूभागों और वायु मण्डल के बीच शुद्ध ऊर्जा विनिमय बजट को समझने के लिए हिम एवं हिम स्खलन अध्ययन स्थापना (एस ए एस ई) द्वारा जारी रखा जाने वाला एक सतत् अध्ययन है। हिम आवरण पृष्ठ की परावर्तता अर्थात एल्बिडो, जो ऊर्जा सन्तुलन नियंत्रण में सर्वाधिक निर्णायक घटक है उसे विभिन्न भौतिक दशाओं के अन्तर्गत कई प्रयोगों द्वारा नापा जाएगा। इन अध्ययनों का उद्देश्य, हिम अवस्था, ग्रेन आकार और हिम की किस्म, मेघ आवरण, सौर उत्तोलन (एलिवेशन) आदि जैसे हिम पृष्ठ प्राचलों पर हिम एल्बिडों की निर्भरता को सुनिश्चित करना है। हिम पृष्ठ पर तेज हवाएं अपरूपण उत्पन्न करती है जिसके परिणामस्वरूप इस महाद्वीप से आसपास के समुद्रों में हिम अपवाह हो जाता है। तापमान, हिम कठोरता, जल रहित अंश और पृष्ठ विशेषताओं जैसी विभिन्न दशाओं के अन्तर्गत अपवाह सघनता प्रोफाइल को समझने के लिए इस अध्ययन में विभिन्न दशाओं के अन्तर्गत हिम परिवहन का भी अध्ययन किया जाएगा।

(4) झीलों का जल भू रसायन विज्ञान, तापीय संरचना और तलछट विज्ञान : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा प्रारम्भ किया जाने वाला यह एक नया प्रस्ताव है। वार्षिक निक्षेपण घटनाओं के द्योतक झील तलछटों से सम्बन्धित अध्ययनों से

जलवायु अस्थिरता, (घट बढ़) पर प्रकाश डाला जा सकता है जो कि तलछटों की खनिज वैज्ञानिक और रासायनिक विभिन्नताओं में भलीभांति प्रकट होती है। अनुवर्षस्तर स्तरिक पर प्रस्तावित अध्ययनों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(क) समस्थानिक संघटन सहित झील/जल के भूरासायनिक विश्लेषण का ब्यौरा।

(ख) ऊष्मा बजट को समझने के लिए झील की तापीय संरचना का विश्लेषण।

(ग) खनिज वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तलछट क्रोड विश्लेषण।

(घ) उपर्युक्त विश्लेषणों से तलछटों में अभिलिखित पुराजलवायु अस्थिरताओं को स्थिर करना।

(5) **दूर भूकम्पीय अध्ययन :** राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय केन्द्र से पहली बार अंटार्कटिक में यथाअभिलिखित भूकम्पीय कार्यकलापों पर अध्ययन किए जाएंगे। भूकम्पीय कार्यकलापों पर अध्ययन किए जाएंगे। भूकम्पीय वेधशाला के एक भाग के रूप में अंकीय विस्तारित भूकम्पलेखी स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(क) अंटार्कटिक में भूकम्पीय कार्यकलाप की बारम्बारता और शक्ति का प्रबोधन और अध्ययन।

(ख) हिन्द महासागर में उत्पन्न होने वाले भूकम्पी झटकों का अभिलेखन।

(ग) विश्वव्यापी भूकम्पीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में यह विचार किया गया है कि यह अध्ययन न केवल अंटार्कटिक बल्कि सम्पूर्ण भूमि की गहन भूकम्पी संरचना का वर्णन करने में भी सहायक होगा।

(6) **स्थलाकृतिक और भूमणितीय सर्वेक्षण :** भारतीय सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित मानचित्रों को तैयार करने के लिए विस्तृत स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया जाएगा :—

(क) मैत्री के समीप स्थापित वैकल्पिक ग्रीष्मकालीन शिविर हेतु नए स्थान का निर्धारण तथा जलनिकासी (ड्रेनेज) और स्थलाकृति को दिखाते हुए समोच्चरेखी मानचित्र।

(ख) जी पी एस प्रणाली का इस्तेमाल करके मैत्री के निकट शेल्फ से डोजर पाईंट तक रक्षमार्ग का निर्धारण।

(ग) एस.ए.एस.ई. और नौ जल राशि के सहयोग से भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अभियान जलयान को रखने का उपयुक्त स्थान निर्धारित करने के लिए भारत की खाडी के आसपास हिम शेल्फ का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किया जाएगा।

(7) **जलराशिकी अध्ययन :** अंटार्कटिक में भारतीय खाडी की ओर से नौ जलराशिक कार्यालय को एक दल द्वारा आई एच ओ चार्ट नं. 9050 और 9051 के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जलराशिकी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नौ जल राशिकी कार्यालय द्वारा भारतीय खाड़ी प्रदेश में शेल्फ मार्जिन का चार्ट तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण का कार्यालय और एस ए एस ई की सहायता भी की जाएगी। इस अध्ययन से भौतिक समुद्र विज्ञान प्राचलों और समुद्र स्तर से सम्बन्धित सूचना के साथ-साथ बैथीमेट्री और नौसंचालन चार्टों को तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

(ग) पर्यावरण विज्ञान

(1) **पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन :** अटार्कटिक संधि का पर्यावरण संरक्षण पर नयाचार के अनुसमर्थन के साथ, उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन तथा अंटार्कटिक के आसपास के पर्यावरण के आधाररेखा प्राचल तैयार करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चल रहे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक, हमारे कार्य क्षेत्र के भीतर तथा बाहर के क्षेत्रों में वायु, शोर, जल, जीववैज्ञानिक तथा भूघटकों की स्थिति का प्रबोधन करने के उद्देश्य से 16वें अभियान में भाग लेंगे। इस अध्ययन से मैत्री के लिए अपशिष्ट प्रबन्ध योजना तैयार करने तथा पर्यावरण मूल्यांकन योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

(घ) चिकित्सा विज्ञान

(1) **मानव शारीरिकी पर अध्ययन :** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक अंटार्कटिक की कठोर दशाओं में कार्मिकों की उपापचयी स्थिति और सिरकाडियन रिथमीसिटी के सहसंबंध पर प्रयोग जारी रखेंगे। इस अध्ययन में हृदय गति दर, शरीर ताप, शरीर रचना, यकृत जांच, आहार मात्रा और संबद्ध भौतिक भावनात्मक अध्ययन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त 16वें अभियान के दौरान निम्नलिखित प्रयोग आरम्भ किए जाएंगे :—

(क) अंटार्कटिक जलक्षेत्रों में प्रतिरक्षा माडुलन में आफ्रिअग्रोड्स और परिवर्तित फोटो अवधिकी अन्योन्य क्रिया।

(ख) जनन प्रणाली पर तंत्रिका आचरण संबंधी उपायों पर भूचुम्बकीय प्रभाव।

(ग) यू.वी.बी. विकिरण और विटामिन डी उपापचय के संबंध को सुनिश्चित करना।

(घ) मिलामेनिन तथा शरीर तापमान युग्मिकरण।

(2) पोषक आवश्यकताओं का जैव रासायनिक मूल्यांकन : शरीर विशन एवं संबंद्ध विषयों का रक्षा संस्थान (डी आई पी ए एस) शरीर विज्ञान दबाव तथा परिणामी चयापचयी आवश्यकताओं जिस पर एक विषय शीत दशाओं में अनावरित है के प्रभावों का मूल्यांकन तथा पोषक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नयी पहल करेगा। यह

अध्ययन देश के हिमालय क्षेत्र में भी उपयोगी है। इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य है।

(क) अंटार्कटिक अभियान के सदस्यों की पोषक आवश्यकताओं को विवेकपूर्ण बनाना (ग्रीष्म तथा शीत दोनों)

(ख) अभियान सदस्यों के शारीरिकी दशानुकूलन तथा निष्पादन के संबंध में विशिष्ट एंटी आक्सीडेंट्स विटामिनों तथा खनिजों का संपूरण का प्रभाव मूल्यांकन।

(ङ) जीवविज्ञान

(1) स्तनपोषियों और पक्षियों का दीर्घकालिक प्रबोधन : स्तनपोषियों (केवलसील) और पक्षीटेक्सा की जनसंख्या गतिकी हेतु प्रबोधम प्रणाली भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा चलाई जाने वाली सतत परियोजना है। पारितंत्र स्वास्थ्य और मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन किया जाएगा। समय श्रृंखला विश्लेषण पर प्राणिजात एकत्रीकरण के प्रमुख पहलुओं को समझने के लिए लागू किए जा सकने वाले प्रबोधन नयाचारों को विकसित किया जाएगा। एस सी ए आर के संरक्षण में चलायी जा रही अन्तर्राष्ट्रीय ए पी आई एस परियोजना में प्राप्त आंकड़े का योगदान हो सकता है।

(2) ध्रुवीय उद्यानकृषि : अंटार्कटिक में सुरक्षित ध्रुवीय वनस्पति उत्पादन हेतु अभ्यास के लिए पैकेज विकास से सम्बन्धित एक नया कार्यक्रम रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा। मैत्री केन्द्र में पहले ही विद्यमान पादपगृह (ग्रीनहाऊस) में निम्नलिखित प्रयोग प्रस्तावित है :—

(क) भिन्न-भिन्न विधियों से वनस्पति फसलों को लगाना

(ख) वनस्पति बीजों पर प्राकृतिक विकिरण का प्रभाव

(ग) फली (Legume) द्वारा प्रभावित सेम मटरों का उत्पादन।

(घ) प्लांट फोटोसिंथेसिस पर यू.बी.वी. विकिरण और ओजोन ह्रास का प्रभाव

(3) ब्रायो वनस्पति पर अध्ययन : अंटार्कटिक के जैव भिन्नता पर अध्ययन के एक भाग के रूप में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी एस आई) पहली बार श्रिमचार नखलिस्तान में मासेस तथा लिवरवर्ट दोनों सहित ब्रोफाइटों के वर्गीकरण सर्वेक्षण करेगा। ये पौधे पोषण स्थिति तथा प्राथमिक उत्पादकता जैसे पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनके वितरण के विस्तृत अध्ययन को विशेष पारितंत्र में ब्रायोमानिटर्स तथा ब्रायोएक्यूम्लेटर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस परियोजना की अभिकल्पना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गयी है :—

(क) ब्रायोफाइट्स का भारफो टेक्सोनामी तथा पादप अध्ययन

(ख) पादप भूगोलीय संबंध की तुलना में भारतीय उपस्थिति

(ग) पारिप्रबोधन के संदर्भ में पर्यावरणीय नमूना बैंक का विकास।

(च) इंजीनियरिंग तथा संचार

(1) संरचनात्मक इंजीनियरी अध्ययन : अनुसंधान तथा विकास इंजीनियरी स्थापना, पुणे को निम्न तापमान, परिस्थितियों के अन्तर्गत केन्द्र के संरचनात्मक घटकों की स्थिति प्रबोधन पर अध्ययन प्रारम्भ करने का कार्य सौंपा गया है। इन अध्ययनों के नवीन पहलू में इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास पुणे तथा अंटार्कटिक के बीच युगपत् (ऑनलाईन) प्रबोधन सुविधा शामिल है। जलापूर्ति, तापन, विद्युत प्रणाली इत्यादि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार तथा उन्नयन के प्रयोग भी किए जाएंगे।

(2) संचार : रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की रक्षा इलेक्ट्रोनिक्स और अनुप्रयोग प्रयोगशाला को मैत्री से भारत में संचार मैत्री से रक्षदल संचार और रक्षदल से संचार शामिल है। इसके अतिरिक्त, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और अनुप्रयोग प्रयोगशाला द्वारा निम्नलिखित प्रयोग किए जाएंगे :—

(क) तीव्र गति मोडम्स और कम्प्यूटर अन्तरापृष्ठ का इस्तेमाल करके मैत्री और भारत के बीच आंकड़ा और ध्वनि संचार का समुन्नयन।

(ख) आयन मंडलीय दशाओं और भू चुम्बकीय महोर्मियों के एक घटक के रूप में एच.एफ. प्रसारण अध्ययन।

(ग) वी.एच.एफ. संचरण की तुलना मे रेडियो मौसम वैज्ञानिक दशाएं।

(घ) आदर्श बारम्बारता और समय सूची का उल्लेख करने के लिए पैकट बीकन प्रयोग।

(ङ) अचल तस्वीर फ्रेमों की प्रेषण तकनीकों पर प्रयोग।

(3) अंटार्कटिक में पवन ऊर्जा उपयोग : केन्द्र की ऊर्जा आवश्यकताओं पर उपलब्ध आंकड़ों विशेषकर पवन नवीकरण ऊर्जा उपाय के माध्यम से संभावित ऊर्जा निवेशों के रूप में अनुरूपण अध्ययन, पद्धति अभिकल्पन उद्देश्यों के लिए पहली बार राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा। इस अभियान में 28 मीटर मस्तूल पर सतत आंकड़ा संलेखन अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त केन्द्र की ऊर्जा आवश्यकता का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। उपलब्ध आंकडों के साथ, एन ए एल एक उपयुक्त पवन टरबाइन उत्पादन प्रणाली की अभिकल्पना करेगा जो अंटार्कटिक परिस्थितियों में कार्य कर सके।

(4) अग्नि शमन इंजीनियरिंग : मैत्री में अग्नि शमन उपकरणों के नियमित रखरखाव के अतिरिक्त रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान (डी.आई.एफ.आर.) का एक वैज्ञानिक रैखिक ताप ऊर्जा संसूचन प्रणाली का परीक्षण तथा अधिष्ठपन करेगा जो कि आग लगने को रोकने तथा संसूचन की आधुनिक तकनीक है।

16 वें अभियान के लिए निम्नलिखित संभार कार्य निर्धारित किए गए हैं :—

(क) मैत्री के ए ब्लाक से चार जैनसैटों को उतारना और कन्टेनरनुमा आवास में उन्हें लगाना

(ख) इस प्रकार तैयार किए गए स्थान को पूर्ण विकसित एम आई कक्ष में रूपांतरित किया जाएगा जिसमें आपरेशन थियेटर, जांच कक्ष, एक्सरे और डार्क रूम, जीवाणु नाशक कक्ष, वस्त्र (लिनन) और मेडिकल स्टोर कक्ष होंगे।

(ग) प्रमुख जल आपूर्ति लाईन में प्रशीतन रोधी के रूप में एम ई जी मिक्सचर के स्थान पर इलेक्ट्रिकल ट्रेस कॉयल तापन प्रणाली को प्रतिस्थापित करना।

(घ) गैर परिचालनात्मक पादप गृह, खाली पीपों, बचा हुआ भोजन, न चल सकने वाले वाहनों आदि सहित सभी अनुपयोगी मदों को सफाई अभियान के एक भाग के रूप में वापस लाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण अधिकारी एवं पर्यवेक्षक के समग्र समन्वय के अधीन एक विशेष कार्यबल द्वारा समस्त कार्य की देखरेख की जाएगी।

(ङ) वाहन गैराज एवं वर्कशॉप के लिए एक रूपांतरित दरवाजा और बैलून लॉचिग कक्ष के लिए पैनलों की व्यवस्था की जाएगी ताकि इन संरचनाओं को पूरा किया जा सके।

(च) नियमित रखरखाव कार्य के एक भाग के रूप में केन्द्र की संरचना और सभी जीवन समर्थक प्रणालियों का रखरखाव।

(छ) संचार प्रणालियों का समुन्नयन और नियमित रख-रखाव।

(ज) मैत्री उपकरणों की व्यवहार्यता के लिए उन्हें अद्यतन बनाना। एहतियाती उपाए के रूप में केन्द्र परिसर के आंतरिक और बाहरी भाग को अग्नि मंदक रोगन से रंगा जाएगा।

मध्यम आय वर्गीय फ्लैटों का परिवर्तन

903. श्री राम सागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1996 के "द टाईम्स ऑफ इण्डिया" में "एम.आई.फ्लैट्स कनवर्टेड इन टू एस. एफ.एस." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई पैटर्न योजना, 1979 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों हेतु रखे गये कितने मध्यम आय वर्गीय फ्लैटों को बसंत कुंज में स्ववित्तीय योजना में परिवर्तित कर दिया है और उन्हें 9वीं स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत बिक्री हेतु रख कर उक्त फ्लैटों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को इससे वंचित कर दिया गया है और उनकी प्रतीक्षा सूची लम्बी कर दी गयी है; और

(घ) क्या उक्त फ्लैटों 9वीं स्ववित्तीय योजना से वापस लेने और इन्हें नई पैटर्न योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत मध्यम आयवर्ग के व्यक्तियों को आबंटित किये जाने का कोई प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). डी डी ए ने बताया है कि बसन्त कुंज में 201 एम आई जी फ्लैटों को श्रेणी II स्ववित्त योजना फ्लैटों में परिवर्तित किया गया है। यह परिवर्तन इस आधार पर किया गया है कि इन फ्लैटों का कुसरी क्षेत्रफल 81-82 वर्गमीटर है जबकि विवरणिका में दी गई सूचना के अनुसार एम आई जी फ्लैटों का कुरसी क्षेत्रफल केवल 85 वर्गमीटर है। इन 201 फ्लैटों में से 195 फ्लैटों का कुरसी क्षेत्रफल केवल 65 वर्गमीटर है। इन 201 फ्लैटों में से 195 फ्लैट 9वीं स्ववित्त योजना के अंतर्गत विक्रय हेतु प्रस्तुत किए गए हैं और शेष छः फ्लैट निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार बिना बारी आधार पर आबंटन के लिए रखे गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

सौर ऊर्जा

904. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में देश में कुल कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या किसी राज्य ने स्वयं अथवा विदेशी सहयता के माध्यम से और ऊर्जा संयत्र स्थापित करने क लिए अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कोई निजी उपक्रम भी सौर ऊर्जा का दोहन कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सौर ऊर्जा का उपयोग दो मुख्य विधियों से किया जाता है: तापीय विधि, जिसमें ताप का उपयोग जल तापन, खाना पकाने, शुष्कन आदि के लिए किया

जाता है और विद्युत उत्पादन के लिए प्रकाशवोल्टीय विधि, उत्पादित विद्युत का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। विकेन्द्रीकृत अवस्था में कार्य करने और विशिष्ट उपयोगों हेतु ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए देश में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई गई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 12 महीनों के दौरान सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से क्रमशः लगभग 234 मिलियन किलोवाट घं. तापीय ऊर्जा और 22.5 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की लागत भागीदारी से और विश्व बैंक तथा जर्मनी की वित्तीय सहायता से राजस्थान में मथानिया में 140 मेवा. क्षमता का एक एर्काकृत सोलर कम्बांइड चक्रण विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान में 300 मेवा. समग्र क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने तीन निजी पार्टियों को आशय पत्र जारी किए हैं, इन परियोजनाओं में विदेशी निवेश शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी ने "स्वयं बनाओं-चलाओ और रखरखाव करो" के आधार पर 5 मेवा. और 15 मेवा. क्षमता के बीच की सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अभी हाल ही में निजी पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(घ) और (ङ). देश में सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का निर्माण और उपयोग बड़ी संख्या में निजी उपक्रमों द्वारा किया जाता है। इनके उपयोगकर्त्ताओं में होटल, अस्पताल, कपड़ा मिलें, डेयरी यूनिटें, तेल मिलें, चाय बागान आदि शामिल हैं। सौर ऊर्जा उत्पादों के निर्माण कार्य में लगभग 150 कम्पनियां कार्यरत हैं।

शहरी विकास

905. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1996-97 और इसके बाद शहरी विकास पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गंदी बस्तियों की सफाई पर कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(ग) क्या राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई के कार्य में शामिल किया जाएगा; और

(घ) क्या इससे ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में आत पर अंकुश लगेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा 25.8.1996 को कानपुर में शुरू की गई राष्ट्रीय स्लम विकास योजना के तहत संबंधित वित्त वर्ष 1996-97 के लिए 250 करोड़ रुपये के नियतन का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा।

(घ) चूंकि लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आकर बसना मुख्यतः रोजगार अवसरों पर निर्भर करता है, इसलिए नई योजना, ग्रामीण लोगों को शहरों और नगरों में आकर बसने से रोक पायेगी, इसकी संभावना नहीं है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

906. श्री दिनशा पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में विद्युत क्षेत्र के लिए विदेशी ऐजेंसियों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई;

(ख) विदेशी एजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता के वितरण के लिए तथा भारत सरकार द्वारा देश की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को उक्त सहायता देने के संबंध में मापदण्ड क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार को स्वीकृत विदेशी सहायता एकमुश्त रूप से प्राप्त होती है जबकि उक्त राशि किस्तों में जारी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी एजेंशियों को भुगतान की गई ब्याज की दर क्या है तथा सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं से किस दर पर ब्याज वसूल किया गया; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता निम्नवत है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1993-94	2842.80
1994-95	3338.82
1995-96	2595.85

(ख) और (ग). सामान्यतः विदेशी एजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता के संवितरण का मानदण्ड प्रतिपूर्ति आधार पर किया गया है। वर्तमान वितरण के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जा रही विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य को 100 प्रतिशत प्रदान कर दी जाती है। अतिरिक्त

सहायता के लिए अपनाई गई पद्धति 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान हैं। इसके अनुरूप संबंधित राज्य सरकार परियोजना को विदेशी सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए, उधारकर्त्ता और ऋणदाता के मध्य परस्पर रूप से सहमत तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर जो 1.4.1993 से प्रभावी हैं, केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) द्वारा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से भविष्य में लिए गए उधार प्रत्यक्ष (भारत सरकार के हस्तक्षेप के लिए) है। इसे बाद में अनुदानों के लिए भी लागू कर दिया गया।

(घ) भारत सरकार द्वारा ऋणदाता देशों/एजेंसियों को भुगतान की जाने ब्याज की दर विभिन्न स्रोतों के लिए भिन्न-भिन्न होती है तथा इसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। राज्य-क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (स्कीम) राज्यों को ऋण तथा अनुदान के 70:30 अनुपात में प्रदान की जाती है। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार राज्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक पर प्रभावित ब्याज की दर 13 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा केन्द्रीय परियोजनाओं पर यह 16 प्रतिशत थी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	स्रोत	ब्याज की दर	वचनबद्धता शुल्क	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
बहुपक्षीय				
1.	आई.बी.आर.डी.	7.71*	0.75	गत 2 वर्षों के वचनबद्धता शुल्क में 0.50% तक की छूट दी जा रही है
2.	आई.डी.ए.	0.75	0.50	(i) जुलाई, 1988 तक निर्धारित ऋणों के संबंध में पुनर्अदायगी की अवधि 50 वर्ष है जिसमें 10 वर्षों की माफी अवधि भी शामिल है। (ii) वचनबद्धता शुल्क पिछले दो वर्षों से छोड़ दिया गया है।
3.	आई.एफ.ए.डी	1.00		
4.	ए.डी.बी.	6.33*	0.75	
5.	ओपीईसी	2.00		
द्विपक्षीय				
1.	आस्ट्रेलिया	1.635		
2.	आस्ट्रिया	2.00 से 6		
3.	बेल्जियम	0.00 से 3		
4.	कनाडा	0.00		
5.	चेकोस्लावाकिया	2.50		
6.	डेन्मार्क	0.00		
7.	जर्मनी	0.75 *	0.25	मिश्रित सरकार का हिस्सा
		7.50	0.25	मिश्रित बैंक का हिस्सा
8.	फ्रांस	0.90		मिश्रित सरकार का हिस्सा
		10.75*	0.50	मिश्रित बैंक का हिस्सा प्रबंधन शुल्क 0.50 प्रतिशत
9.	इटली	1.50		
10.	जापान	2.50		
11.	नीदरलैंड	2.50**		
12.	यू.के.	0.00		

1	2	3	4	5
13.	यूएसए	2.50		
14.	स्वीडन	1.50***		
15.	स्विटजरलैंड	1.50	मिश्रित सरकार का हिस्सा	
		9*	मिश्रित बैंक का हिस्सा	
16.	यू.एस.एस.आर.	2.50		
17.	ईरान	3.00		
18.	यू.ए.ई.	2.50		
19.	कुवैत फंड	4.00		
20.	आबू धाबी फंड	4.00		
21.	सऊदी फंड	4.00		
22.	ई.पी.सी. (सैक)	0.75		

* ब्याज दर परिवर्तनीय है।

** अन्य शुल्क - परिवर्तनीय दरों पर बैंक-शुल्क केवल प्रति पूर्ति पर दी है।

*** (i) संवितरण पर 0.125 प्रतिशत के बराबर का ऐजेंसी शुल्क (ii) असंवितरित शेष राशि पर 0.50 प्रतिशत के बराबर के वचनबद्धता शुल्क (iii) 5 किश्तों में अदा की जाने वाली ऋण राशि के 7.96 प्रतिशत के समतुल्य ऋण बीमा प्रीमियम (iv) दिनांक 23.2.94 के नये करार के लिए ऐजेंसी शुल्क 0.25 प्रतिशत वचनबद्धता शुल्क 0.50 प्रतिशत असंवितरित शेष राशि, ऋण राशि के 7.95 प्रतिशत का ऋण बीमा प्रीमियम और प्रबंधकीय शुल्क 0.50 प्रतिशत।

सरकारी भूमि का अतिक्रमण

907. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि का अत्यधिक अतिक्रमण कर वहां निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा रिहायशी परिसरों को वाणिज्यिक परिसरों में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उचित समय पर नागरिक प्राधिकारियों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय पर ध्यान न देने के क्या कारण हैं तथा इस अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) नागरिक प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने कर्मचारियों को गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकारी भूमि के अतिक्रमण तथा रिहायशी परिसरों को वाणिज्यिक परिसरों में बदलने की अनुमति देने के कारण गिरफ्तार किया गया है तथा उनमें ये प्रत्येक के विरूद्ध क्या क्यावाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण और भूमि का दुरूपयोग तथा इनको अठाना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे और जब भी किसी अतिक्रमण की सूचना मिलती है तो स्थानीय एजेंसियों द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस की मदद से संबंधित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। डीडीए/एमसीडी/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड तथा दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित की गयी स्थिति निम्न प्रकार से है :-

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी से जुलाई, 1996 के दौरान अनाधिकृत निर्माण के 90 मामले पकड़े गए। परिसर के दुरूपयोग के लिए 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 511 मामलों में अभियोग चलाया गया। पिछले तीन वर्षों में 16 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी तथा 4 कार्मिक निलंबित किए गए।

दिल्ली नगर निगम

1.1.94 से अब तक 405 अधिकारियों के विरुद्ध असाधारण शास्ति के मामले शुरू किए गए हैं। इस अवधि के दौरान 55 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है।

नई दिल्ली नगर परिषद

1.1.96 से 20.7.96 के दौरान नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा अनाधिकृत निर्माण के 107 मामले जानकारी में लाये गये। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली नगर परिषद की भूमि पर 6 झुग्गी-झोपड़ी भी विद्यमान हैं।

दिल्ली छावनी बोर्ड

दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा अनाधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण के क्रमशः 1035 तथा 378 मामले जानकारी में लाए गए हैं। अतिक्रमणकारियों

तथा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गयी है।

दिल्ली पुलिस

जिन मामलों में दिल्ली पुलिस में निर्माण-कर्त्ताओ/कार्मिकों के विरुद्ध 1995 तथा 1996 के दौरान कार्रवाई की गयी वे निम्नवत हैं:-

(i) निर्माणकर्ता	- 1
(ii) दिल्ली नगर निगम कर्मचारी	- 1
(iii) दिल्ली पुलिस कर्मचारी	- 2

प्राकृतिक गैस

908. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बम्बई हाई में इस्तेमाल के लिए बी-55 वेल प्लेटफार्म के लिए न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने के बावजूद तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा उसे ठेका न दिए जाने के उसके निर्णय पर निराशा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा न्यूनतम मूल्य निविदा की उपेक्षा किए जाने के कारण/औचित्य क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने उक्त निर्णय के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया और इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अभ्यावेदन में उल्लिखित बातों पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम की प्रतिक्रिया के संबंध में ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी, हां। परन्तु, मूल्यांकन के बाद, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल) की बोली, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है, सबसे कम नहीं पाई गई।

(ग) और (घ). जी, हां। मूलतः एच एस एल का अभ्यावेदन मैसर्स मजगांव डॉक लि. (एम डी एल) द्वारा दी गई मूल्य में कमी पर विचार विमर्श के संबंध में है। ओ एन जी सी ने बताया है कि एम डी एल का वह पत्र जिसमें मूल्य की कमी का प्रस्ताव किया गया था, उसी लिफाफे में था जिसमें मूल्य बोली थीं। इसलिए उक्त कमी को ओ एन जी सी द्वारा छूट नहीं माना गया। संविदा 15.10.96 को एम डी एल को दी जा चुकी है।

गन्दी बस्ती विकास योजना

909. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 29 अगस्त, 1996 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में किसी गन्दी बस्ती योजना का उद्घाटन किया था और तत्पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों की शीघ्रताशीघ्र उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से निदेश प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रारूप का ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) कब तक यह योजना पूरी होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) माननीय प्रधान मंत्री जी ने कानपुर में 25 अगस्त, 1996 को राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस संबंधमें दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जायेंगे।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य स्लम का विकास करना है। इस स्कीम बाबत वर्ष 1996-97 के लिए कुल केन्द्रीय परिव्यय 250 करोड़ रुपये है।

(ग) चूंकि स्लम विकास एक सतत चलने वाली स्कीम है, अतः इसमें समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

बेघरों के लिए आवास

910. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार का ध्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा विश्व आवास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह को सम्बोधित करते समय इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मकान का होना मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मांग के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मकान वाले प्रत्येक परिवार को मकान प्रदान करने हेतु अनुमानतः कितने मकानों की आवश्यकता है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में तथा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मकान वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने ग्रामीण आवासों की कमी को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 13.72 मिलियन ग्रामीण आवासों की कमी थी जिसमें 33.41 मिलियन बेघर परिवार और 10.31 मिलियन मरम्मत न किए जा सकने वाले मकानों में रहने वाले परिवार शामिल थे। ग्रामीण आवासों की वर्तमान कमी का अनुमान लगभग 17 मिलियन आवासों का लगाया गया है जिसमें लगभग 6.7 मिलियन बेघर परिवार और 10.3 मिलियन मरम्मत न किए जा सकने वाले मकानों में रहने वाले परिवार शामिल हैं।

[हिन्दी]

भू-कटाव/बंजर भूमि को रोकना

911. डा. राम लखन सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 से सितम्बर, 1996 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में "टास्क फोर्स" अथवा अर्थ सैनिक बलों को बंजर भूमि तथा भू-कटाव को रोकने के लिए भूमि आबंटित की गई है तथा इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा उनको कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार का पशु चराने तथा भूमि से चारा काटने पर प्रतिबंध लगाने के कारण पैदा हुए ग्रामीणों की समस्या का हल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन से बंजर भूमि विकास विभाग ने मध्य प्रदेश के मुरेना जिले में चम्बल के अवक्रमित बीहड़ों के विकास के लिए प्रादेशिक सेना निदेशालय की कमान के अधीन 300 भूतपूर्व सैनिकों का कार्य दल बनाया है। उक्त दल के लिए विकास के लिए भूमि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जानी थी और विकास के लिए धनराशि का अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाना था। बजंरभूमि विकास कार्य दल को भूमि केवल निम्नलिखित गतिविधियों सहित वर्गीकरण के माध्यम से बंजर भूमि के सुधार के लिए उपलब्ध की जानी थी :—

- मृदा एवं नमी सरंक्षण
- वृक्षारोपण
- वृक्षारोपण का रखरखाव
- बचाव

परियोजना की समाप्ति के बाद, विकसित भूमि को बचाव और स्थानीय जनता को उससे प्राप्त लाभों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय पंचायतों को सौपना है। राज्य सरकार ने 3 वर्षों की अवधि में उक्त दल द्वारा विकास के लिए लगभग 1200 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है और अभी तक केन्द्र सरकार ने इस पर 76 लाख रुपये का व्यय किया है।

(ख) और (ग). क्षेत्र जहां पर वृक्षारोपण किया गया है/किया जा रहा है वृक्षारोपण को बचाने हेतु कुछ अवधि के लिए इस पर पशुओं के चरने को बंद किया गया है। तथापि बंजरभूमि विकास कार्य दल ने स्थानीय जनता को उनकी मवेशियों के लिए घास आदि के नियंत्रित संग्रहण की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

गंदी बस्ती प्रकोष्ठ में अनियमितताएं

912. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती प्रकोष्ठ में अनियमितताओं के बारे में 18 दिसंबर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं. 4517 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचना दी है कि उसने दिल्ली विकास प्राधिकारण के स्लम विंग (अब दि.न.नि. को स्थानान्तरित) के कार्यकारण पर अप्रैल-जून, 1991 में विशेष लेखा परीक्षा किये जाने के आदेश दिये थे। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्लम विंग में हुई कुछ चूकों का उल्लेख किया है। उस पर लेखा परीक्षा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियां जांच कराने और चूक करने वाले का पता लगाने हेतु जी.एन.सी.टी.डी. के भ्रष्टाचार निवारण विभाग को भेज दी गयी है।

बिना बारी के आबंटन

913. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** सरकारी आवासों का बिना बारी के आबंटन के बारे में 14 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 2002 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भाग (ख) और (ग) के सबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में जनहित याचिका को अंतिम रूप से निबटा दिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.5.96 तक ऐसे 391 व्यक्ति हैं, जो अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। यह सूची भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

जनहित मुकदमा अभी उच्चतम न्यायलय के समक्ष है तथा न्यायलय के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा है।

अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों पर की गई कार्रवाई की स्थिति इस प्रकार है :-

(1)	खाली किए गए/कराए गए मकान	-	330
(2)	नियमित किए गए मकान (क्योंकि वे नीति के दायरे में आ रहे थे)	-	16
(3)	कार्यवाही बन्द की गई	-	34
	योग	-	380

शेष 11 मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

नाम तथा क्वार्टर नं.	टिप्पणी
1	2
टाइप-III	
सर्व श्री	
(i) ओ.पी. जायसवाल एस-V/454, एमबी रोड	ये ऐसे मामले हैं जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों/ बेटों ने मकानों को नियमानुसार अपने नाम पर नियमित करने का अनुरोध किया था। चूंकि दोनों की मामलों में उल्लिखित स्थिति नियम समतन नहीं थीं, इसलिए मामला रद्द कर दिया गया है। श्री ओ.पी. जायसवाल के मामले में बेदखली कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा श्री बनारसी दास, पूर्व आबंटी ने संपदा निदेशालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज की है।
(ii) बनारसी दास 12/195 लोदी कालोनी	
(iii) जावेद सिराज, एस-II/151, सादिक नगर	श्री जावेद सिराज ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक शपथ-पत्र दायर करके गुजारिश की है कि चूंकि उन्हें अब पुनः दिल्ली में तैनात किया गया है तथा वे एक पात्र कार्यालय में कार्यरत हैं, इसलिए उनके मकान को नियमित किया जाये। श्री जावेद द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर आवेदन/शपथ-पत्र का अभी तक निबटान नहीं किया गया है।
(iv) जय नारायण 12/141, देवनगर	इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि किसी समय श्री जय नारायण के कब्जे में सामान्य पूल के दो मकान और विभागीय पूल का एक मकान था, संपदा निदेशालय द्वारा शुरू की गई बेदखली कार्रवाई के विरुद्ध श्री जय नारायण ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में एक याचिका दायर की है। बाद में विभागीय पूल तथा सामान्य पूल के अतिरिक्त मकान को लौटा दिया गया। तथापि, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि श्री शिव सागर तिवारी द्वारा जनहित मुकदमे में जो अंतिम फैसला होगा, वहीं श्री जय नारायण पर लागू होगा।
टाइप-IV श्री जी. सी. अग्रवाल 48-डी, प्रेस लेन	सेवानिवृत्त कर्मचारी (श्री जी.सी. अग्रवाल) के बेटे ने निदेशालय की नीति के अनुसार मकान को अपने नाम पर नियमित करने का अनुरोध किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के बेटे के दफ्तर से सूचना मांगी गई है।
टाइप-V	उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सरकारी वास में दखलकार स्वैच्छिक संगठनों को समुचित समय देकर, जो निर्णय की तारीख अर्थात् 29 फरवरी, 96 से दो वर्ष से अधिक न हो, परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाये। इस अवधि के दौरान इन संगठनों को अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
(i) आलमी उर्दू सम्मेलन	
(क) 164-डी, राउज एवेन्यू	
(ख) 166 डी, राउज एवेन्यू	
(ii) महिला दक्षता समिति, 19-डी फायर ब्रिगेड लेन	
(iii) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 34 डी कोटला रोड	

1	2
टाइप-VI पंडित रवि शंकर 95-लोदी एस्टेट	सक्षम प्राधिकारी ने पं. रवि शंकर के मामले पर विचार किया तथा प्रसिद्ध कलाकार होने के कारण सिफारिश की कि पं. रवि शंकर को सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर 6.10.1995 तक मकान रखने की अनुमति दी जाये। यह तथ्य एक शपथ पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया। इस शपथ पत्र पर और कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।
श्री आर.सी. कोहली सी-II/73, बापा नगर	नार्थ-ईस्ट में तैनात होने के कारण श्री कोहली सी-II वास पर कब्जा रखने के पात्र नहीं थे। तदनुसार, उन्हें नियमानुसार डी-I वास की पेशकश की गई। श्री कोहली ने एक याचिका दायर की जिसकी सुनवाई करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर, 1995 तक का समय दिया और यदि उस समय तक श्री कोहली पुनः दिल्ली में तैनात हो जाते हैं तो यह आवास लागू नियमों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। श्री कोहली 13.3.96 को पुनः दिल्ली में तैनात हुए इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार वे पुनः तैनाती पर केवल डी-I वास के लिए ही पात्र हैं क्योंकि उस समय सी-II मकान हेतु उनकी बारी नहीं आई थी। श्री कोहली को डी-I वास की पेशकश की गई जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। श्री कोहली के कब्जे वाला सी-II वास खाली कराने के लिए श्री कोहली के विरुद्ध बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है।
श्रीमती इन्द्राणी देवी 6, के.एम. मार्ग	सक्षम प्राधिकारी ने यह वास श्रीमती इन्द्राणी देवी के नाम जीवनभर के लिए नियमित किया था। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने इच्छा व्यक्त की है कि यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाये ताकि श्रीमती इन्द्राणी देवी, जो नियमानुसार यह मकान रखने के लिए पात्र नहीं है, को जीवनभर के लिए वास आबंटन के बारे में पहले के निर्णय पर पुनः विचार किया जा सके।

रोजगार आश्वासन योजना

914. श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना में 59 प्रखंडों को शामिल करने के लिए 31 अक्तूबर, 1995 को केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से 12 जिलों के 59 विकास खण्डों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त 59 विकास खण्डों सहित सुनिश्चित रोजगार योजना का हाल ही में राज्य के 90 विकास खण्डों में विस्तार किया गया है।

तेल की खोज

915. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज कार्य के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाई योजना की शर्तें क्या हैं; और

(ख) निजी कंपनियां अपने स्रोत से खर्च का कितना प्रतिशत वहन करेगी तथा सरकार से कितने प्रतिशत राशि प्राप्त होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोली दौरों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधनों व शर्तों का प्रस्ताव किया है :—

अन्वेषण ब्लाकों के ठेके उत्पादन हिस्सेदारी ठेके होते हैं और कच्चे तेल व संबद्ध गैस के संबंध में ठेका अवधि 25 वर्ष तक होती है। कंपनियों को बोनस एवं सांविधिक उद्ग्रहणों के भुगतान से छूट प्राप्त होती है। भारत सरकार को इन ठेकों के तहत उत्पादित तेल के संबंध में अस्वीकार करने का पहला अधिकार होगा और कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उनके तेल के हिस्से का भुगतान किया जा रहा है। अन्वेषण और/अथवा विकास चरण में उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा प्रतिभागिता का प्रावधान रखा गया है और ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रतिभागिता हित ले सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहन के योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा इन ठेकों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया जाता।

डायमंड पार्क

916. **श्री मोहन रावले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर जिले में डायमंड पार्क बनाने के, प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध में सुरक्षा संबंधी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). भारत सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के तहत दिनांक 2.2.96 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें प्रस्ताविक डायमंड पार्क को स्थापित करने के लिए भूमि अर्जन हेतु रंगवासा गांव में विभिन्न सर्वेक्षण संख्याकों को अधिसूचित किया गया है। इस तरह से यह मामला पूरी तरह मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को इस बात का मूल्यांकन करने के लिए इन्दौर भेजा गया था कि क्या इस प्रस्तावित डायमंड पार्क से इन्दौर स्थित प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र की संरक्षा/सुरक्षा को कोई खतरा होगा। इस दल ने सूचित किया है कि प्रस्तावित डायमंड पार्क से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र को कोई खतरा नहीं होगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को सुरक्षा संबंधी कोई अनुमति अभी तक नहीं दी है।

अतिक्रमण

917. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक न्यायालय ने भूमि के अतिक्रमण के संबंध में 1993 में एक निर्णय दिया था कि दिल्ली में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए गए सरकारी परिसरों को पुनः प्राप्त करने तथा भविष्य में उन पर अतिक्रमण रोकने हेतु एक पूर्णकालिक केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा विभाग की स्थापना की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). सूट नं. 581/92-भिखारी लाल, बनाम दिल्ली नगर निगम तथा लक्ष्मी चन्द्र ने तीस हजारी कोर्ट के प्रथम श्रेणी सब-जज न्यायालय ने निर्देश दिया था कि शहरी विकास मंत्रालय को दिल्ली में विकास निकायों के या उनसे सम्बन्धित लोक परिणामों के बारे में एक केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा विभाग बनाने संबंधी सुझावों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1989 की सिविल रिट याचिका सं. 3451-कैलाश कालोनी बूमन एसोसियशन बनाम दिल्ली नगर निगम तथा अन्यों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि अनधिकृत निर्माण और अवैध उपयोग की समस्या को हल करने के उपाय खोजने के लिए तत्काल एक अध्ययन किया जाये और राय व्यक्त की कि यह जरूरी है कि इस समस्या पर शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा विचार किया जाए जिसमें मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम आयुक्त, डी.डी. उपाध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद प्रशासक, डेसू के महाप्रबन्धक और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे। समिति की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई। तदोपरांत उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके भवन उप-नियमों को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये। मसौदा उप-नियमों की प्रतियां स्थानीय निकायों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजकर अनुरोध किया गया है कि आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की जायें और उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ भेजा जाये।

तेल समन्वय समिति

918. **श्री राजीव प्रताप रूडी :**
श्री तारीक अनवर :

(क) क्या तेल समन्वय समिति (ओ.सी.सी.) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों को उनके पत्तनों से निजी कंपनियों के एल.पी.जी. कार्गो को भेजे जाने की अनुमति नहीं देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कदम से निजी कंपनियों की आपूर्ति अत्यधिक प्रभावित होगी जिससे उनके उपभोक्ताओं को कठिनाई होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

महानदी बेसिन में तेल के कुएं

919. श्री दिनशा पटेल :

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडियां लिमिटेड (ओ.आई.एल.) को महानदी बेसिन में असफल खुदाई के फलस्वरूप 175 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल खुदाई गतिविधि में लिप्त कंपनियां/तेल और प्राकृतिक गैस नियम आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो विकसित देशों की कंपनियों की तुलना में इन कंपनियों का स्तर कैसा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). 11. अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन सहित अन्वेषण क्रियाकलापों पर महानदी बेसिन (तटीय और अपतटीय) में आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) 175 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर चुकी है। परन्तु, इन प्रयासों के फलस्वरूप हाईड्रोकार्बन की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं हो पाई। तेल अन्वेषण कार्यक्रम का स्वरूप अत्यधिक संभाव्यवादी होता है और प्रायः निवेश और उत्पादन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता।

(ग) और (घ). अन्वेषण क्रियाकलापों के लिए ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी विश्व में किसी अन्य स्थान पर प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी के समनुरूप है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक लेखे और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-651/96]

राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखा हूं :

राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-652/96]

दिल्ली नागरीकला आयोग नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली नागरीकला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत दिल्ली नागरीकला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली नागरीकला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत, दिल्ली नागरीकला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-653/96]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं भारतीय तेल निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता

ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-654/96]

अपराह्न 12.0 1/2 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.0 3/4 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.01 बजे

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ आपको यह सूचित करना मेरा कर्त्तव्य बनता है कि हम जिस विषय पर पिछले दो-तीन दिनों से जोर दे रहे हैं, वह राज्यपाल को कार्य के मामले में पर्याप्त निर्देश देने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव है—यह उत्तर प्रदेश राज्य में की वर्तमान घटनाओं से संबंधित है। मेरा विश्वास है कि एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह बहु-कोणीय स्थिति है जो उस राज्य के मतदाताओं को संविधान की भिन्न दलीय व्याख्या के नाम पर उनकी लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करने में संविधान की सार्थकता से टकरा रही है। पहले मैं इसी आपत्ति का उल्लेख करना जो इसके पेश होने पर संभावित है। मैं आपके विचारार्थ इसे प्रस्तुत नहीं किया है। मैंने स्थगन प्रस्ताव के रूप में जो पेश किया है वह जो सभा के समक्ष पहले से है उस जैसा नहीं है। मुझे इच्छी तरह से ज्ञात है कि यदि कोई मामला सभा में पहले ही उठाया जा चुका है; उसे स्थगन प्रस्ताव के जारिए मैं उस मामले की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता। अतः मेरा स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल भिन्न है। इसका उद्देश्य सरकार की असफलता को उजागर करना है तथा यह केवल सरकार की असफलता है जिस पर मेरा ध्यान केन्द्रित होगा। मैं उत्तर प्रदेश के महाहिम राज्यपाल तथा उनकी भूमिका और कर्त्तव्य चाहे वह कितना भी निंदनीय क्यों न हो, अथवा कितना ही क्षमायोग्य अथवा संविधान की अव्हेलना वाला क्यों न हो, पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि यदि उस मामले के लिए किसी राज्यपाल के कार्य पर टिप्पणी करने की मेरी मंशा होती और उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के लिए लिए ऐसा किया होता, तो मैं विधिवत प्रस्ताव लेकर आपके पास आता। मैंने ऐसा ही किया होता। मैं आपके पास आया हूं और उस स्थगन प्रस्ताव उठाने हेतु आपकी अनुमति मांगी होती जो सरकार की असफलता के बारे में हैं। मैंने सरकार की असफलता के बारे में सूचना दी है तथा मैं उस आवाज को बुलंद करना चाहता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह असफलता वहां से आरम्भ हुई। असफलता पांच या सात मूल नायकों से उत्पन्न हुई जिसका मेरे विचार से यह सभा संबंधित है। यह मामला तुरंत ध्यान देने का है और यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह जारी रहेगा। यदि हम अपनी चिन्ता से इस सभा को अवगत नहीं कराते तो क्या विश्व में कोई ऐसा करने में सक्षम होगा तथा समाचार पत्रों में टिप्पणी की जा सकती है। सभा के बाहर टिप्पणी की जा सकती है तथा न्यायपालिका को इस मामले से अवगत कराया जा सकता है। अभी भी इस सभा में यह मामला नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आपके पास स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूं।

इसके लिए सरकार की असफलता कहां तक जिम्मेवार है अनुच्छेद-355 के अंतर्गत निर्देश देने में यह मुख्य रूप से जिम्मेवार थी। अनुच्छेद 355 इस बारे में बहुत स्पष्ट है। यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि किस आधार पर निदेश दिया जाना है। निर्देश इसलिए किया जाना है क्योंकि—अनुच्छेद 356 को उत्तर प्रदेश राज्य में पुनः लागू करने की बात की जा रही है—अनुच्छेद 356 अपने आप में सम्पूर्ण है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई कोई उद्घोषण को एक वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह पूर्णतः निषेध है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस पर कोई शर्त नहीं है सकती हो यह पूर्णतः निषेध है। उद्घोषण स्वतः अधिकार से बाहर हो उद्घोषणा के अधिकार का निर्णय न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। यह संवैधानिक सार्थकता है। इसके विपरीत तथा निर्देश देने में सरकार की असमर्थता ने हमें आपके पास ला दिया है।

दूसरे, महोदय, राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने की एक अद्भुत बात हुई है जिसे इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रपति शासन निरस्त करना एक तंत्र था। नई उद्घोषणा जारी करने के लिए इसे स्वीकार किया गया। निसंदेह यह संविधान के साथ धोखा था। क्यों?

क्योंकि—मेरा, मानना है—राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले लोकप्रिय निर्वाचित सरकार होनी चाहिए। यहां पर एक अद्‌भुत स्थिति है, जहां कि पहले ही राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति अपने ही शासन में दोष देख रहे हैं और इसलिए राष्ट्रपति शासन दोबारा लागू कर रहे हैं। एक अजीब किस्म का धोखा किया गया है। राष्ट्रपति को अपना ही शासन ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने इसे निरस्त किया और उन्होंने राष्ट्रपति शासन पुनः लागू किया।

मेरा आग्रह है कि इन दोनों शासनों के बीच लोकप्रिय सरकार का होना जरूरी है। सरकार कार्यकाल पूरा करती है या नहीं यह केन्द्र का मामला नहीं है। इसी कारण हम आपके पास आए हैं।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार कहां असफल हुई। इस सरकार की असफलता यह है कि चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पूर्णतः गठित विधान सभा कार्य करने में अक्षम थी, विधायी शक्तियों—जैसाकि राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने से स्पष्ट है—को संसद को हस्तांतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इसके अतिरिक्त, यहां पर सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष रही और सरकार की अफसफलता स्पष्ट रही। उत्तर प्रदेश के महामाहिम राज्यपाल ने अपने स्व विवेक से राज्य में सरकार के गठन की सभी संभावनाओं का पता नहीं लगाया तथा उनके कार्य और इस सरकार की उस सरकार को उचित निदेश देने की असफलता ने यह पूर्णतः अभूतपूर्व स्थिति पैदा होने दी जोकि आजादी के अब तक के हमारे संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में हुई है।

महोदय, हमें राज्यपाल की रिपोर्ट में से कुछ पढ़ने का अवसर दीजिए। राज्यपाल ने स्वयं कहा है तथा यह दस्तावेज अब सभा के पास है। मैं उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का उद्धरण दे रहा हूं। निसंदेह वे एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है : "इसलिए मैंने पार्टी नेताओं के साथ औपचारिक बातचीत की पहल नहीं की है।" यह अद्‌भुत स्वीकारोक्ति है। इसके बाद उन्होंने एक और अद्‌भुत बात की है। परामर्श के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है : "इससे केवल अनावश्यक खरीददारी होगी...।" किस प्रकार की सट्टेबाजी? "... और शायद खरीद-फरोख्त और दलबदल को प्रोत्साहन देगा आदि।" यह पहले ही चिन्ताजनक स्तर तक हो रहा है।

महोदय, किस राज्य के राज्यपाल का कार्य सरकार के गठन हेतु विकल्पों का पता लगाना है। उस कर्त्तव्य विशेष से हटना राज्यपाल का कर्त्तव्य नहीं है। राज्यपाल का यह कार्य है।

राज्यपाल उस चीज से दूर नहीं भाग सकता जिसे करने के लिए वह बाध्य है। राज्यपाल ने यह बात स्वयं स्वीकार की है और सदन को जिसको जानकारी भी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश नहीं की। न केवल उन्होंने संभावनाओं की तलाश नहीं की अपितु केन्द्र सरकार भी अनुच्छेद 355 के अंतर्गत निदेश देने में असफल रही जिससे कि एक समुचित सरकार का गठन कर लिया होता, संविधान के उल्लंघन को रोका जा सकता और लोकतंत्र के साथ इस खिलवाड़ से बचा जा सकता।

मेरा दूसरा मुद्दा क्या है? मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि माननीय राज्यपाल ने एक अजीब सा तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने सदन के भीतर शक्ति परीक्षण का सहारा न लेकर पूर्णरूपेण अप्रासंगिक अनिवार्यताओं पर निर्भर करते हुए एक निर्वाचित विधानमण्डल की वैधानिकता को ही पूरी तरह से नकार दिया है। किसी सरकार का बहुमत सिद्ध करने अथवा बहुमत सिद्ध करने में असफल होने का परीक्षण केवल सदन के भीतर किया जाता है।

मैं कहता हूं कि मेरे लिए अब आपके सामने बोम्मई मामले का हवाला देना आवश्यक नहीं है जो अब तक काफी प्रसिद्ध हो चुका है और कई बार जिसका जिक्र किया जा चुका है। मुझे तो यह एक व्यंग्योक्ति सा लगता है। लेकिन मैं अपने हास्य बोध का हवाला देने नहीं जा रहा। मुझे यह देखकर वास्तव में बहुत अचरज होता है कि इस समय सत्ता पक्ष में शोभायमान मेरे मित्रों में से प्रत्येक ने इस घटना से ठीक एक दिन पहले प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में कहा था कि अनुच्छेद 356 का कम से कम सैकड़ों बार दुरूपयोग हुआ है और उनमें से प्रत्येक ने अपने राजनैतिक इतिहास में पाया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग गलत और त्रुटिपूर्ण ढंग से किया जाता रहा है। मेरी अपने वामपंथी मित्रों, डी.एम.के. और अन्य पार्टियों के मित्रों से दलील है कि वे खुद याद करें कि इस मुद्दे पर उनका क्या रूख था जो अब वे अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए बदल रहे हैं ताकि सत्ता पक्ष का लाभ भोगते रहें। यह तो संविधान के साथ खिलवाड़ है। आप इस तरह का जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। यह हमारे ऐसे मित्रों की दोमुंही बातें हैं जिनके साथ हमने लगभग अपना सारा राजनैतिक जीवन बिताया है। आज वे मुंह फेर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमारे विरूद्ध अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग कर रहे हैं। वे यहां पर स्वयं हमारे साथ कई वर्षों तक बैठे हैं और अनुच्छेद 356 के दुरूप्रयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मुझे यह एक विडम्बना लगती है ...**(व्यवधान)** मैं अपने मित्र प्रो. कुरियन के दर्द को भी समझता हूं। मैं उनके गुस्से को समझता हूं क्योंकि हमने पहले उनमें कमियां देखी हैं। मैं देखता हूं कि एक समय की यह बहुत बड़ी राजनैतिक पार्टी आज स्वयं भंवर में फंसी हुई है। इसे यह नहीं पता कि क्या करना चाहिए। यह अनुच्छेद 356 के प्रयोग का विरोध करना चाहती है। बाहर आप कहते हैं कि गलत हुआ है। लेकिन जब यहां की बात आती है तो आप कुछ और कहते हैं। या तो आप कहें कि उ.प्र. में ठीक किया गया है और अब तक जो कुछ आपकी बयानबाजी रही है उससे मुकर जाएं या फिर कम से कम यहां सदन के भीतर कुछ क्षण के लिए सब भुलाकर संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खड़े हो जाएं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हमारी पहली प्राथमिकता उन्हें उ.प्र. में सत्ता से बाहर रखना है और राज्य को दूषित नहीं करने देना है। यह हमारी पहली प्राथमिकता है।

श्री जसवंत सिंह : आप द्वारा कही गई बात को मैं समझता हूं कि आपकी पहली प्राथमिकता भाजपा को सत्ता से बाहर रखना है। यदि भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो भी चाहे जो हो

जाय, चाहे संविधान को विकृत करना हो, चाहे अन्य सभी मुद्दों को दरकिनार करना पड़े, आपका केवल एक ही मुद्दा होगा कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाय। आप उस प्रयोजनार्थ संविधान को भी एक किनारे रख देंगे। हमें यह चीज बिलकुल भी समझ में नहीं आती और मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

इसी कारण, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव में प्रयुक्त वाक्यांश बहुत ही प्रासंगिक हैं। यह इस सरकार की असफलता से संबंधित है। उ.प्र. राज्य में निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपना एक सांविधानिक अनिवार्यता है। सांविधानिक अनिवार्यता को दरकिनार किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मानदण्डों को परे रख दिया गया है, पूर्ववर्ती दृष्टान्तों को भी एक किनारे रख दिया गया है—वह सब सिर्फ इसलिए ताकि, जैसाकि मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव ने कहा, भाजपा वहां सरकार न बनाने पाए। मैं आपसे कहता हूं कि इसीलिए वह मेरे स्थगन प्रस्ताव की बात का समर्थन करते हैं। यह सरकार की असफलता है कि वह अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यपाल को एक समुचित, उपयुक्त और समय के भीतर निदेश नहीं दे पायी ताकि उ.प्र. में वास्तव में एक चुनी हुई सरकार का गठन हो सकता और राज्यपाल को निदेश दिए जा सके।

जिस लोकतन्त्र के लिए हमने इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी है उसकी अब उस राज्य में शक्ल ही बिगाड़ दी जाएगी। आप दोमुंही बातें करते हैं, वह आपकी मर्जी है। लेकिन आपके स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं हैं और चूंकि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं इसीलिए हमने आपसे कहा है कि हम इस सरकार की निन्दा करेंगे। हम सरकार की निन्दा केवल संसदीय तरीके से करना चाहते हैं जो हमें उपलब्ध है और वह है स्थगन प्रस्ताव। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाय।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे इसी में थोड़ा एड करना है। आपको मालूम है कि जब तक...**(व्यवधान)** आप केवल मुझे पांच मिनट का समय दे दें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी तो यह सहमति हुई थी कि श्री जसवंत सिंह को बोलने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें बोलने की अनुमति दी गई है। इस तरह से बिल्कुल भी आगे मत बोलिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बस करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उनसे समय मांग रही हूं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)** जो बातें जसवन्त सिंह जी ने कही हैं, आप एडजर्नमेंट मोशन पर बाद में चाहे जो करें, लेकिन हमारा एडजर्नमेंट मोशन किस बात पर है, इसके लिए हमारे तर्क तो सुन लीजिए।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, फाइनल रूलिंग तो आपको देनी है, आप हमारा एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह आपके हाथ में है, लेकिन हमें कम से कम इतना तो कह लेने दीजिए कि हम क्या चाहते हैं, आप विचार कर लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपका नोटिस नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तो ऐसा हुआ कि मारो और रोने भी न दो, यह दोनों तरह की बात यहां चल रही है।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, आप हमारे तर्क को अस्वीकार कर दें...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक अति अनुशासित सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, यह कहां तय हुआ है कि केवल जसवन्त सिंह जी कहेंगे।...**(व्यवधान)** यही हुआ न, आप कहिए कि यह तय नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देती।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, देखिये, हमारे दल की ओर से एडजमर्नमेंट मोशन दिया गया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है। यह आपके नाम से नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जीं, तीन दिन यह सदन नही चला। उत्तर प्रदेश में ये सरकार नहीं बनने दे रहे हैं और आप हम लोगों को सदन में इसके बारे में बोलने को दो शब्द भी नहीं कहने देंगे, इन लोगों से सौदा हो जाय, इसके बाद भी?...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : तो यह आपकी रूलिंग है, सर? लेकिन आप क्यों स्वीकार करें, इसके तर्क भी सुन लीजिए। यह तो वह हुआ कि मारो और रोने भी न दो। आप हमारी बात तो सुन लीजिए। आप एडजर्नमेंट मोशन...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैडमा आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। मैं क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं होता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हमें इसपर दो मिनट बोलना है। यह सवाल सदन का सवाल है, यह कोई जसवन्त सिंह का सवाल

नहीं है और यह लोगों के साथ सौदा करके होने वाला सवाल नहीं है। यह संविधान का मामला है और हम इस सदन के सदस्य हैं। मेरी इस मामले पर एक राय है, जो मुझे रखनी है। जब आप बोले हैं, तो मुझे इसपर दो शब्द कहने हैं।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, ये लोग जो बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। फैसला आपको करना है लेकिन हम एडजर्नमेंट मोशन क्यों चाहते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदन में आपके कालिंग अटेंशन मोशन की भी चर्चा होनी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह ठीक है, वह होगी, उसका और इसका कोई वास्ता नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं चर्चा कराने की मांग नहीं कर रहा हूं। मुझे केवल अपनी बात कहनी है।

[हिन्दी]

ये लोग क्यों बोले, डिबेट की कोई जरूरत नहीं, ये लोग चुप रहें, आप हमें चर्चा के लिए मौका दें। ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, वहां गवर्नर बैठकर जो चाहे चला रहा है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी भी होती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, सवाल यू.पी. का नहीं हैं, ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, संविधान को बनाये रखने की आपकी जिम्मेदारी है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, आप इस सदन में संबिधान का पालन कीजिए। आप मुझे कुछ कहने दीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह, मैं नहीं समझता कि इस तरह से सदन को मैं चला पाऊंगा। आपने अपनी बात कह दी है। अब मुझे अपना निर्णय देना है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप तो हमारा तर्क भी सुनने को तैयार नहीं है। वे मार रहे हैं और आप रोने भी नहीं दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ये लोग सुबह कहते हैं कि 356 नहीं चलेगा और शाम को उसका समर्थन करते हैं। आप लोगों ने संविधान को मजाक बना दिया है।...**(व्यवधान)** आप लोगों ने इसीके लिए आंदोलन चलाया था और अब प्रजातंत्र का गला घोंटने के लिए उसीका इस्तेमाल कर रहे हो...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हमें अपनी बात कहने का अवसर दीजिए...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर हिम्मत है तो हाउस में पास करो कि यही सब चलेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, कृपया मुझे कुछ शब्द कहने दीजिए।...**(व्यवधान)** आप एक संकल्प पारित कीजिए कि...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राज्यपाल का नाम नहीं ले सकती हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मंत्री भी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां बैठ रहा हूं। आप आगे कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरे दिन यहां बैठूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्लाते रहिए। भारत के लिए यह बड़ी अच्छी बात होगी। यदि आप ऐसे चिल्लाते रहे तो भारत के लिए यह बड़ी ही अच्छी बात होगी और भारत एक बड़ा देश बन जायगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या संसद सदस्यों से इसी प्रकार की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। सदन को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। क्या आप सदन को चलाते हैं?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं संविधान व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जिस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं, क्या उससे हिन्दुस्तान की गरिमा बढ़ रही है? भारत विश्व में सबसे

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या यह उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं?...**(व्यवधान)** आप हमें कहने नहीं देते कि कैसे इन्होंने लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया टेलीविजन कैमरों को बन्द कर दीजिए। टेलीविजन कैमरों को बन्द कर दिया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी नहीं शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डा. मुरली मनोहर जोशी, श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन, श्री बंगारप्पा और श्री राम नाईक के नाम से है। मुझे आपकी पार्टी ने बताया कि विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, अतः वह सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

श्री जसवन्त सिंह को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसके बाद अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय देंगे। यही आपसी समझ-बूझ है। यदि आप इससे पीछे हटते हैं तो हम सदन की कार्यवाही कैसे चलाएंगे?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : किस नियम के अन्तर्गत?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मैं नहीं जानता। मुझे तो यही बताया गया है...

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अन्तर्गत यह मन्तव्य बना?....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि किस नियम के अधीन सदस्यगण शोर मचाते हैं? न जाने किस नियम के तहत वे नारे लगाते हैं?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सदस्य सार्वजनिक महत्व का विषय उठा रहे हैं। सदन तीन दिन तक अवरूद्ध रखा गया और हम इसका कारण जानना चाहते हैं... देश को भी इसका कारण पता चलना चाहिए कि...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी करने दें। बार-बार जब अध्यक्ष महोदय बैठक बुलाते हैं, हम सभी उसमें शामिल होते हैं हम चर्चा करते है और अंततः किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। सभी दलों के नेता एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और मुझे पता है कि उसका अक्षरशः पालन करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति भी होती है कि जब कुछ सदस्य नेताओं के द्वारा कही गई बात में कुछ ओर भी जोड़ना चाहते हैं। हम उनसे भी यह पूछने लगें कि किस अधिकार के तहत वे ऐसा कर रहे हैं तो, स्थिति बहुत विकट हो जाएगी...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कृपया गलत उद्धरण न दें।

मैंने यह पूछा था कि "किस नियम के अन्तर्गत यह निष्कर्ष निकाला गया?" मैंने कहा था "किस नियम के अन्तर्गत? मैंने यह नहीं कहा कि उनको इसका अधिकार नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार है और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकार को स्वीकार करता हूं...**(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : यह प्रश्न भी सदन में उठाया गया था। मैं पूछता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत वह बोलेंगे?...**(व्यवधान)** मैं स्वयं यह पूछता हूं; मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना हूं कि किस नियम के अन्तर्गत वह वाजपेयी जी को बोलने का मौका देंगे। मैं यह बात जानना चाहता हूं। श्री वाजपेयी का नाम सूची में प्रस्ताव पेश करने वालों में सर्वप्रथम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक में कहा था कि सदन में यह परम्परा रही है कि जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत या स्वीकृत किया जाए तो प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाए। हमने यह भी स्वीकार कर लिया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने बैठक में सुझाव दिया, कि इस मामले पर विचार किया जाए। हमने राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी की गई उद्घोषणा पर चर्चा के लिए मंगलवार का दिन और समय निश्चित किया है। फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि हमें चुप भी नहीं रहना और हमारे हक भी नहीं छीने जाने चाहिए। आपके अधिकार छीने नहीं गए हैं और इस पर चर्चा कराई जाएगी। अब आप अपने ही नेता से प्रश्न कर रहे हैं। वह नेता स्वयं उस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं ही कुछ कहा था। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा और हो सकता है कि कुछ सदस्यों ने मेरी अनुपस्थिति में कुछ कहा हो। अब हमें इसी को मुद्दा नहीं बनाना है, और हमें समय की पुकार सुननी चाहिए। अब आपको दिखाना है कि आप किस विषय पर श्री वाजपेयी के साथ सहमत हैं। आप आगे आइए और कुछ कहिए।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साधारण परिस्थितियों में कार्य संचालन समिति में हुई गतिविधियों का उल्लेख कभी नहीं किया होता क्योंकि इसका कभी भी उल्लेख नहीं किया जाता। आपकी अध्यक्षता में ही ऐसी चर्चा होती हैं और चर्चा के दौरान बहुत से मुद्दे उठाए जाते हैं, और फिर कोई निर्णय लिया जाता है। परन्तु आज एक उद्धरण दिया गया है आपके कथनों का विरोध नहीं किया गया, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो कहता है वह सदन का

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम होता है और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि हमारी शिकायतें हैं और हम इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। यह प्रश्न भी उठा था कि जब प्रस्ताव पेश ही किया जाना है तो वह स्थगन प्रस्ताव ही क्यों हो और मेरा कहना था कि यह प्रस्ताव उस प्रस्तावों की तरह का नहीं है जिनमें सदन में उद्घोषणा करने, प्रस्ताव वापिस लेने आदि के लिए सम्मति लेनी होती है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपने भी कहा था कि यदि श्री जसवन्त सिंह मामले को उठाएंगे तो बी.एस.पी. और अन्य दलों के सदस्य भी कुछ कहना चाहेंगे। जहां तक मुझे याद है वक्ताओं में अकेला मैं ही बोलने वाला था। अन्य सदस्यों द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करना बिल्कुल उचित है। शायद मुझे गलती लगी, मुझे लगता है श्री संतोष मोहन देव ने स्वयं कहा था कि यदि सदन में इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाती है तो बी.एस.पी. का कोई सदस्य भी अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहेगा...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात याद करें। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं देंगे। यह विनिर्णय भी उन्होंने अध्यक्षपीठ से ही दिया था...**(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : जी, हां। यह समझौता हुआ था। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि आधे घंटे में चर्चा समाप्त हो जाएगी। अब आप अपनी ही बात से पीछे हट रह हैं...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है। महोदय, आप अध्यक्षपीठ से जो भी आदेश देंगे हमें वह स्वीकार होगा। मैंने अपने माननीय सहयोगी से यह अवश्य कहा था कि यदि मेरे बोलने के बाद यदि वह उसी विषय पर कुछ ओर कहना चाहें तो माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति से ऐसा कर सकते हैं। यह भी सर्वथा सम्भव है कि आप इस सबसे इंकार कर दें किन्तु अपना विनिर्णय देते समय यदि बहुत से सदस्य मेरे कथनों का विरोध करना चाहें, जैसा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, जिसमें मेरे परम मित्र भी शामिल हैं, इसे अधिकारों का दुरूपयोग कहकर इसकी निन्दा करना चाहें तो, भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परन्तु यदि वे इस विषय पर कुछ कहना ही नहीं चाहते तो भी यह उनकी मर्जी है। प्रश्न तो यह था कि यदि कोई व्यक्ति हमारी अपीलों के बीच में अपनी आवाज मिलाना चाहता है तो स्थगन प्रस्ताव ही सबसे अच्छा माध्यम है। यही कारण था। यदि आप इसे रद्द कर दें तो जैसा आप कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। सदन को तो आपकी आज्ञा से ही चलना है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह स्थगन प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया के नियम 56 से नियम 63 के अंतर्गत लाया गया है। इस स्तर पर तो स्थगन प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य अध्यक्ष महोदय से इसे पेश करने की अनुमति ले रहे हैं। प्रस्ताव अभी पेश नहीं किया गया है। श्री जसवन्त सिंह केवल प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांग रहे हैं। मैं तो सामान्य प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं कि प्रस्ताव पेश करने वाला इसको पेश करने की अनुमति प्राप्त करेगा और विधि और न्याय मंत्री इसका उत्तर देंगे और फिर अध्यक्ष महोदय यह निर्णय लेंगे कि नियम 56 के अन्तर्गत इसकी अनुमति दी जाए या नहीं। अतः श्री जार्ज फर्नान्डीज हम तो केवल स्वीकृति के चरण तक ही पहुंचे हैं। प्रस्ताव अभी पेश नहीं हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं तो केवल आग्रह करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : आपको श्री जसवन्त सिंह पर विश्वास क्यों नहीं है कि वह मुझे सहमत करने में समर्थ नहीं है। प्रस्ताव को पेश करने वाला प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने अनुमति मांगी है। यदि सरकार इस पर अपना मत व्यक्त करना चाहती है तो करे। मैं सरकार का पक्ष भी सुनुंगा और फिर निर्णय लूंगा कि प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यदि मैं अनुमति दूंगा तो आप सभी उसमें भाग ले सकते हैं। क्या कोई सदस्य सरकारी पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इस बीच आप नियमों सम्बन्धी पुस्तक श्री जार्ज फर्नान्डीज को दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री चटर्जी ऐसा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय मैं नियम 56 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मेरा प्वांइट ऑफ आर्डर है। आपने अभी कहा कि रूल 56 में मूवर के सेट के लिए बोलता है...**(व्यवधान)** आपने नियम 56 का हवाल देते हुए कहा कि एडजर्नमेंट मोशन पर मूवर अपनी बात कहता है आप इसको स्वीकार करें। गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि स्वीकार करें या न करें। आप उस पर रूलिंग देते हैं, उसके बाद डिबेट होती है, यह नियम 56 है। लेकिन सदन की कुछ परम्पराएं हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में जब पैट्रोलियम प्राइस पर भी हमारी ओर से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था कि आप इसे स्वीकार करें, इस पर भी पूरी चर्चा हुई थी, उस समय भी बहुत से लोग बोले थे। कभी भी स्पीकर केवल मूवर और लॉ मिनिस्टर को सुन कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृत नहीं देते। एडजर्नमेंट मोशन पर तो डिबेट बाद में होती है, वह विषय पर होती है। एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार क्यों किया जाए इस पर भी इस सदन में चर्चाएं हुई हैं। आज हम केवल आपकी स्वीकृति लेने के लिए जो तर्क जसवंत सिंह जी ने दिए थे वह अगर आपको 50 फीसदी परसुएड कराने के लिए काफी थे तो मैं कम से कम 75 फीसदी कर दूं, जार्ज फर्नान्डीज जी 90 फीसदी कर दें और बीएसपी वाले सौ फीसदी कर दें। हम भी बहस केवल आपकी स्वीकृति लेने के लिए कर रहे हैं, एडजर्नमेंट मोशन के विषय पर मैं नहीं बोल रही हूं। एडजर्नमेंट मोशन आप स्वीकार क्यों करें। मैं भी जसवंत सिंह जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए आपको दो-तीन नये तर्क देना चाहती हूं और यह सदन

में हुआ है। एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार किया जाए या न किया जाए इस पर भी पूरे सदन में चर्चा हुई है। आप एलाऊ करेंगे तो मैं अपनी बात कहूंगी, नहीं एलाऊ करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्णतः असहमत नहीं होऊंगा। यदि वक्ता चाहें तो अध्यक्ष महोदय इस विषय पर कुछ अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकते हैं। मैं उस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन सभा का कार्य चलाने के लिए हम भी कार्य मंत्रणा समिति के नियम 287, 288, 289, 290 इत्यदि के अनुसार कार्य करते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति सभा के सभी विषयों, सभी पूर्व सूचनाओं जो प्राप्त हुई है तथा सरकार का पूरा कार्य जिसके बारे में सूचना दी गई है, को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है। कार्य मंत्रणा समिति यह निर्णय लेती है कि वे सभा को इस बात की सिफारिश करेंगे कि इस विषय को इतने-इतने समय के लिए चर्चा की अनुमति दी जानी है। अतः उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। हमें हवाई दुर्घटना पर भी चर्चा करनी है। हमें आन्ध्र प्रदेश में आए चक्रवात के बारे में अधूरी चर्चा को भी समाप्त करना है। हमें उड़ीसा में सूखे की स्थिति पर भी चर्चा करनी है। कई अन्य विषय चर्चा के लिए लम्बित पड़े हैं। कार्य मंत्रणा समिति में इस पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया गया था। इसलिए कार्य मंत्रणा समिति के सभी माननीय सदस्यों के बीच इस बात पर मतैक्य था कि इस मामले को प्रस्तावक की बात सुनने के बाद तथा सरकार के पक्ष से तर्क सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा निपटाया जाएगा। यही तय किया गया था। हमें उस बात पर दृढ़ रहना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, बिजनेस एडवायजरी कमेटी फाइनल नहीं है।...**(व्यवधान)** इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए तो आपको अधिकार है कि आप चर्चा करा सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि वह सभा को सिफारिश करती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : हाउस यह चाहता है कि इस विषय पर और अधिक प्रकाश डाला जाए इसलिए आपको सुनना चाहिए। ...**(व्यवधान)** ऐसी परम्परा पहले भी रही है और आप इसको सुनते रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर क्या कर रहा हूं?

श्री भगवान शंकर रावत : आप नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा और दूसरा काम क्या है?

श्री भगवान शंकर रावत : सुषमा जी ने जो कहा है आप उनकी बात को भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरे दिन तो आप लोगों की बात सुनता रहता हूं और मैं क्या कर रहा हूं।

श्री भगवान शंकर रावत : आप इनकी बात को सुन लीजिए जिससे कि जो 50 प्रतिशत कसर रह गई है वह भी पूरी हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कैमरे ऑन किए जा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैंने श्री जसवंत सिंह जी के स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा है। विषय है—उत्तर-प्रदेश में हुई हाल ही की घटनाओं को देखते हुए राज्यों में सरकारों के गठन के प्रश्न पर राज्यपालों के कार्य के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश बनाने में सरकार की असफलता।

सर्वप्रथम, जहां तक कि राज्य स्तर पर सरकार के गठन का संबंध है, भारत सरकार राज्यपालों को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करती है। दिशा निर्देशों का उल्लेख पहले से ही संविधान में किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप निर्देश देते हैं इसलिए गाइड-लाइन्स की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : आप पहले सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप उन्हें आदेश देते हैं, दिशानिर्देश नहीं देते ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे अपने तेरह दिन के अनुभव से ऐसा कह रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : राज्यपालों के लिए संविधान ही दिशा निर्देश हैं। राज्य स्तर पर सरकारों के गठन के संबंध में केवल संविधान ही दिशानिर्देश है। यदि उत्तर प्रदेश विधान सभा में आपके 213 सदस्य होते तो राज्यपाल ने आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यदि आपका दल बहुमत में नहीं है तो आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के गुण तथा अवगुणों पर चर्चा नहीं कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप गलत बात कह रहे हैं। क्या माइनोरिटी गवर्नमेंट नहीं होती है।...**(व्यवधान)** क्या इस देश में माइनोरिटी गवर्नमेंट का प्रावधान नहीं है। मंत्री जी बिलकुल गलत बात कह रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । हमने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किए जाने के संकल्प के संबंध में पहले ही पूर्व सूचना जारी कर दी है ...**(व्यवधान)** आपने कार्य मंत्रणा समिति में पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि इस मामले को मंगलवार को उठाया जाएगा। ...**(व्यवधान)** सरकार इस मामले से दूर नहीं भाग रही है जैसी कि श्री जसवंत सिंह जी द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आप ही इनको बता दीजिए। यह गलत बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, पिछली सरकार में आप स्वयं मंत्री रह चुके हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय सदस्या, हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। क्या मैं इस पर अपना विनिर्णय दूं?

विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डा. मुरली मनोहर जोशी, सर्वश्री जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, एस. नंगारप्पा तथा श्री राम नाईक ने (1) उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल की कथित असंवैधानिक कार्यवाही तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने (2) उत्तर-प्रदेश में राजनीतिक तथा सवैधानिक गतिरोध और (3) राज्यों में सरकारों के गठन करने के लिए राज्यपालों के आचरण के बारे में दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में सरकार की असफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अपने इरादे के बारे में पूर्व सूचनाएं दी है।

लोक सभा में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब लोक महत्व के विशिष्ट मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सभा के कार्य का स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जा सकता है।

चूंकि उत्तर-प्रदेश में राष्ट्रपति-शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए संवैधानिक संकल्प को सभा के कार्य में पहले से ही शामिल किया जा चुका है, इसलिए संवैधानिक संकल्प पर चर्चा के दौरान सदस्यों को इस मामले को उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रक्रिया नियमावली के नियम 56 को विशेष रूप से नियम 58 के साथ पढा जाएगा। नियम 58 के उप-नियम 7 में कहा गया है और मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

> "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो।"

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे उत्तर-प्रदेश सरकार से एक सरकारी संदेश प्राप्त हुआ है कि जहां तक कि राज्यपाल की कार्यवाही की संवैधानिक वैधता का संबंध है, यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित है।

इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों तथा संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनने के बाद मैं स्थगन प्रस्ताव की इन पूर्व सूचनाओं के प्रति अपनी असहमति प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सब-जुडिस विषय दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, शून्यकाल के बारे में आपका क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : यह परिपाटी रही है कि जब भी सभा के समक्ष स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होता है तब शून्यकाल नहीं होता है। मुझे इसके लिए खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) **:** अध्यक्ष महोदय, झांसी में ट्रैक में आग लग जाने के कारण सात लोगों की मृत्यु हो गई है...

अध्यक्ष महोदय : हां, मुझे मालूम है, आपका नोटिस आया हुआ है। शून्य काल के लिए प्राप्त हुई सभी पूर्व सूचनाएं कल के लिए वैध मानी जाएगी।

कार्य सूची के अनुसार है, अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात् प्रधानमंत्री अपराह्न 2.30 बजे के लगभग आन्ध्र प्रदेश में आए चक्रवात पर की गई चर्चा का उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अपना वक्तव्य जारी रखने क्यों नहीं देते? मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं।

कृषि मंत्री, जिन्होंने पूरी चर्चा सुनी है और जिन्होंने उस क्षेत्र का दौरा भी किया है, वह भी प्रधानमंत्री के उत्तर देने से पहले कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन चूंकि यही मामला दोपहर के भोजन के तत्काल पश्चात् राज्य सभा में भी उठाया जाना है इसलिए आप मंत्रीजी से एक ही समय में दोनों सदनों में रहने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अपराह्न 4.00 बजे के लगभग उन्हें उड़ीसा के संबंध में एक वक्तव्य देना है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि यदि सभा सहमत है तो प्रधान मंत्री जी बाद में अपना उत्तर दे देंगे और उनसे पहले कृषि मंत्री जी को 15 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाए। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उसके बाद चर्चा कर सकते हैं। मंत्रीजी अपना वक्तव्य अपराह्न 1.00 बजे तक समाप्त कर देंगे। तत्पश्चात् हम दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे। अपराह्न 3.00 बजे हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा

अपराह्न 12.46 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आन्ध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और हाऊस का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी बात 15 में ही कह दूं और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें।

अपराह्न 12.47 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विषय में हिस्सा दिया है और बड़े ही रचनात्मक सुझाव दिये हैं। आलोचना भी की है, वह भी सही दिशा में की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है और अच्छे सुझाव भी दिये हैं कि साईक्लोन आये तो क्या प्रमुख इन्तजाम किये जायें। मैं इन तमाम चाजों के लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अभी जिस बात की चर्चा करना चाहता था..

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था बनाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : इस चर्चा में पांडिचेरी के माननीय सदस्य ने हमारी आलोचना की थी कि आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया है। मैं उनकी आलोचना से सहमत हूं लेकिन दिक्कत यह थी कि इनके यहां से रिपोर्ट 22 को आयी और निर्णय लेकर आज ही आदेश भेज दिया गया है और गयी रात यह बात तय हो गयी है कि कम से कम एक करोड़ रुपया उनको भेज दिया जाये। भेजने में दिक्कत यह हुई कि वह रुपया यूनियन टैरिटरी का था इसलिये होम मिनिस्ट्री के जरिये जाता। अगर सीधे हमारे साथ रहता तो हम आपको भेज देते। फिर भी आपकी आलोचना को स्वीकार करते हुये उसके मुताबिक काम किया है।

आप लोगों ने इस बात की भी चर्चा की है कि आप क्या मदद दे रहे हैं। मैं पहले आन्ध्र की बात करूंगा और उसके बाद दूसरी बात करूंगा। जैसा कि आपने खुद चर्चा की है कि एडवांस सैंट्रल असस्टिेंस में 50 करोड़ रुपया राजय सरकारों को दिया जा रहा है :—

[अनुवाद]

- आन्ध्र प्रदेश के आपदा राहत कोष के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में 93 करोड़ रुपये की पूरी राशि प्रदान की जा चुकी है।
- आन्ध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के तूफान राहत कोष के लिए प्राप्त धन पर शत प्रतिशत आयकर छूट दी गई।
- प्रधान मंत्री राहत कोष से 4.85 करोड़ रुपये मृतकों के परिवारों को राहत के रूप में दिया गया है जिनकी उस समय संख्या 970 थी। उक्त संख्या में अभी भी वृद्धि हो रही है। कुछ शव अभी भी मिल रहे हैं।
- जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जायेगा।
- इस प्रयोजन के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने 4 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी।
- विद्युत मंत्रालय की तरफ से आर.ई.सी. से विद्युत स्रोतों इत्यादि की मरम्मत, तथा पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
- जैसा कि मैंने पहले ही अपने वतव्य में उल्लेख किया है, गुणवत्ता में छूट के साथ धान की खरीद के लिए आदेश जारी किए गये हैं। सर्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तदर्थ आबंटन के हेतु 50 हजार टन चावल जारी किया गया है। इस उद्देश्य के लिए 10000 लीटर मिट्टी का तेल का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया है।
- केन्द्रीय करों का विकेन्द्रीकरण तथा 331 करोड़ रुपये का अग्रिम आन्ध्र प्रदेश को दिया गया था ताकि राज्य सरकार की राहत कार्यों को करने के लिए मुद्र प्रसार स्थिति में वृद्धि की जा सके।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, क्या मैं आपके भाषण में थोड़ी देर के लिए व्यवधान डाल सकता हूं? ये सभी ऋण के रूप में दिए गये हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त कुछ भी अनुदान के रूप में नहीं दिया गया। चावल भुगतान पर उपलब्ध कराया जाता है; मिट्टी का तेल भुगतान पर उपलब्ध कराया जाता है...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : 15 मिनट का समय दिया है, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे तब आप कह दीजिए। 15 मिनट में अगर चार बार आप बोलेंगे तो हम मिनट कहां से लायेंगे। चार बार रुपया तो हम ला सकते हैं लेकिन मिनट कहां से लायेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने प्रश्नोत्तर काल में कहा था कि जो दो घटनाएं अभी हमारे सामने आई हैं उड़ीसा की और यहां की, इनको हम 10वें वित्त आयोग की सीमाओं के अंदर हल नहीं कर सकते हैं। यह एक कठिन समस्या है। लेकिन यह तो प्रोसीजरल मैंटर है, एक ही राज में हम हल नहीं कर सकते हैं। 10 वें वित्त आयोग से हम और आप सभी बंधे हुए हैं। इसीलिए एक लिक्वीडिटी फंड जैसे सबको दिया जाता था, इनको भी दिया जाएगा। यह सही है कि इतना-इतना फंड जब हम एडजस्ट कर देंगे तो उस स्टेट की प्रोग्रेस बहुत पीछे चली जाती है। बल्कि ऐसा साइक्लोन को जाए जैसे उड़ीसा का हुआ तो मेरे ख्याल से पांच साल वह राज्य पीछे चला जाता है। इसलिए कोई दूसरा इंतजाम करना होगा। लेकिन उसके लिए कुछ तो समय देना होगा। हम लोग तो किंग नहीं हैं, आपके मिनिस्टर हैं, आपके रूल्स से बंधे हुए हैं। इसलिए आपको हम लोगों को कुछ मौका देना चाहिए। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि हम कैसे कह रहे हैं, आपने चर्चा की तो हम कह सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम लागों की प्रधान मंत्री के साथ बैठक हुई, उसके मुताबिक अपना-अपना जो हम लोगों का बजट है, जो आपने पास कर दिया है उससे फंड निकालना शुरू किया। हमने अपने विभाग के दो अफसरों को भेजा और आंध्र प्रदेश में डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भेजा। तीनों ने मिलाकर रिपोर्ट की कि कितने कोकोनट ट्रीज की बर्बादी हुई है और कितने कैश्यूनट ट्रीज की बर्बादी हुई है और उस बर्बादी को देखकर हमने उसके मुताबिक तय कर दिया है कि 63 करोड़ रुपया हम सिर्फ अपने बजट से काट करके आपको देंगे। यह तो अतिरिक्त देंगे लेकिन इसके लिए तो वित्त मंत्री जी से एडजस्टमेंट करने के लिए अनुमति लेनी होगी। वित्त मंत्री विदेश चले गये हैं। हमने कैबिनेट को कह दिया है कि ऐसा कह रहे हैं। वित्त मंत्री ने भी जाते हुए कहा कि जब आप अपने बजट के भीतर से कह रहे हैं तो हम स्वीकृति दे देंगे। लेकिन हम स्टेटमेंट में इसलिए नहीं रख सकते थे कि जब तक फॉर्मल अनुमति नहीं मिल जाए तब तक रखना उचित नहीं होगा। लेकिन आप चिंतित हैं तो हमने आपको बता दिया कि हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं और उस हिसाब से जितने पेड़ टूट गये हैं, बर्बाद हुए हैं उसमें एक सौ रुपया प्रति पेड़ की दर से हम क्षतिपूर्ति देते हैं और भी रूपया प्रति हैक्टेअर के हिसाब से हमने उसको देना है।

श्री पी. उपेन्द्र : कितने पेड़ हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : क्या पेड़ हम गिनें? आप काउन्ट कर लाईए।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : क्या वहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है?

श्री चतुरानन मिश्र : उसमें बहुत टाइम लगेगा। पेड़ गिनने का कम बाद में होगा। हमने मोटा हिसाब लगा लिया कि एक हैक्टेयर में इतने पेड़ होते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दिया और उस हिसाब से 63 करोड़ रुपए हमने दे दिए। यदि कोई घट-बढ़ होगी तो उसके लिए एकाउन्टैंट बैठे हैं, इस हाउस को उसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि हमने कहां से टोटल नम्बर लिया है।

मुझे नहीं मालुम, कभी हमारे देश में ऐसा हुआ हो कि अपनी मिनिस्ट्री से बजट काटकर 63 करोड़ रुपए देकर ऐसे मदद की गई हो और तब भी अप एप्रिशिएट न करें, यह समझ में नहीं आता। यदि आप कहें कि हम आसमान के तारे गिनें, तो कब तक तारे गिन कर लाएंगे। इसलिए हमने आपको बता दिया है...**(व्यवधान)** आपको आलोचना करने का अधिकार है लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, हम उनकी मदद ले रहे हैं। हम दोनो टीमों से सहयोग लेकर काम कर रहे हैं। हम किसी पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं। वहां जितनी बोट्स और जाल या नैट्स बर्बाद हुए हैं, जितनी बर्बादी हुई है, सबको कम्पेन्सेशन देने के लिए हमने रुपया निकाल लिया है और ज्यों ही वह हमारे पास आता है, हम दे देंगे। यह हमारे मंत्रालय का मामला है।

जब भी कोई दुर्घटना होती है, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री इससे बहुत चिन्तित हैं और दुखी हैं, यह बता ठीक है कि उन्होंने उसी रात मुझे खबर कर दी थी, दोनों बार खबर की है और कहा कि इस बारे में कुछ तुरन्त कीजिए। पिछली बार भी मैं गया था, इस बार भी गया था। इस बार मुझे फूड सम्मिट कांफरैंस के लिए रोम जाना पड़ा। रोम जाकर भी मुझे चिन्ता यही थी कि एफ.ए.ओ. की तरफ से इसके लिए क्या किया जा सकता है जो राष्ट्रसंघ का एक सदस्य है। उसकी तरफ से कुछ सहायता दी जाती है। हमने अपने इंडियन ऑफिसर के जरिए उनसे बातचीत की। उन्होंने यहां के अपने ऑफिसर को डायरेक्ट किया, यहां उनके मि. रोजनगर हैं। उन्हें लेकर मैं आन्ध्र प्रदेश गया ताकि तुरन्त रिपोर्ट सबमिट की जा सके और हमें कुछ रुपया मिल जाए। हमें आशा है कि 10-12 करोड़ रुपया उनसे हमें मिलेगा जिसे हम वहां रिहैबिलिटेशन पर खर्च कर देंगे।

वहां हमें कहा गया कि वर्ल्ड बैंक वाले भी मदद करते हैं। हमने अपने ऑफिसर मि. गोडबोले से कहकर उनसे बातचीत की। उन्होंने पूछा कि आप कितनी देर में मदद चाहते हैं, हमने कहा कि जितनी जल्दी आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब साईक्लोन आया था, उस वक्त की रिपोर्ट तैयार की हुई है, उसकी सैकेंड स्टेज करके हम 50-60 मिलियन डालर आपको दे देंगे। उन्होंने हमसे एक

पत्र मांगा जो हमने उनको लिखकर दे दिया। हमें उम्मीद है कि वहां से भी मदद जल्दी आयेगी।

यहां आने पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी भी गए हैं। आपने जो सूचना सदन को दी है कि लोग 200 मिलियन डालर देना चाहते हैं, अभी ऐसी कोई औफर नहीं है। जितनी मदद वहां से आयेगी, उसे हम अफैक्टिड लोगों की मदद पर खर्च करेंगे चाहे आन्ध्र प्रदेश का सवाल हो या उड़ीसा का सवाल हो, वहां हम मदद करेंगे।

माननीय उमा भारती जी ने कहा कि हम भीख क्यों मांगते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, आपको यह गलतफहमी है। हम इन संस्थाओं के सदस्य हैं और उनमें कन्ट्रीब्यूशन देते हैं। वर्ल्ड बैंक के भी हम शुरू से मैम्बर हैं। वहां भी हमारा अपना रुपया जमा होता है। एफ.ए.ओ. में भी हमारा रुपया जमा होता है। इसलिए हमारा जो हिस्सा है, वही हम उनसे मांगते हैं। हमने किसी राष्ट्र से मदद नहीं मांगी है। हम किसी से भीख मांगने का काम नहीं करते। वैसे इससे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, मैं इससे अवगत हूं और इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं आपके साथ हूं। मैं यह भी जानता हूं कि साधु संत भिक्षा पर बहुत ही निर्भर करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि ब्राह्मण कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं कि भिक्षा मांगना हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। मुझे यह भी मालूम है जो शंकराचार्य ने कहा था...**(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती : अभी मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह साधु संतो पर लांछन है। उन्होंने इस बात को कहकर बहुत बड़ा अपमान किया है। अगर मौकरी की टोन में भी उन्होंने बोला है, लेकिन जिस प्रकार बोला है, इससे पहले भी एक-दो बार वे साधु-संतों का मजाक इस सदन में उड़ा चुके हैं। मैं मिश्र जी को बता देना चाहती हूं कि साधु संत आर्थिक हैसियत के अभाव के कारण भिक्षा नहीं मांगते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

कुमारी उमा भारती : बल्कि बहुत बड़ी समृद्धि को लात मारकर भिक्षा मांगते हैं और भिक्षाटन उनके सन्यासी जीवन का एक अंग होता है। भारत अगर भिक्षा मांग रहा है, तो वह साधु नहीं, भिखारी कहलाता है। मैं चतुरानन मिश्र जी को जरा बताना चाहती हूं कि अगर वे हिन्दू संस्कृति और हिन्दी का थोड़ा सा ज्ञान रखते होंगे तो वे यह भी जानते होंगे कि भिखारी और साधु में बहुत बड़ा अन्तर होता है। भिखारी वह होता है जो आर्थिक अभावों से पीड़ित है। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मजबूरी में भीख मांग रहा है। साधु-सन्यासी वह है जो महलों और सुख-सुविधाओं को झुठलाकर घर छोड़ देता है। इन दोनों में बहुत अन्तर होता है। मुझे चतुरानन मिश्र जी के ज्ञान पर बड़ी दया आ रही है कि आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा ज्ञान रखते हैं कि साधु और भिखारी में अन्तर भी नहीं समझते?

श्री चतुरानन मिश्र : अगर आपने चेलेंज किया है, तो सुन लीजिए, हम भी यह सब कुछ जानते हैं, भले ही नहीं करते हैं, लेकिन जन्म तो हमारा ब्राह्मण कुल में ही हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : शंकराचार्य ने कहा था कि "करतल भिक्षा करतल वासा तदपि न मुंछत प्यासा" जब भी वे भीख मांगने वाले जाते हैं जब यही कहते हैं। साधुओं के बारे में कहा था कि "उदर निवृत्तम बहुकृत वेषम" इस श्लोक का पहला पोरशन हमसे छूट गया। ये लोग भीख ही मांग कर जीते हैं। अब उसको छोड़िए। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : ऐसा उन साधुओं के बारे में कहा होगा जो पाखंडी हैं, लेकिन जो सच्चे साधु हैं उनके लिए कभी ऐसा नहीं कहा गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : हमने तो सच्चे साधुओं के बारे में कहा ही नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने आपसे कहा कि इन्होंने जे.आर.वाई. से अलग रुपया देने के लिए कहा है। इसी तरह 10 करोड़ रुपया ले रहे हैं।

कुमारी उमा भारती : साधु, संत और भिखारी में अन्तर होता है...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : हमने इनको जे.आर.वाईए के लिए अलग रुपया मांगने के लिए कहा है।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"हुडको ने 190 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 50 करोड़ रुपये अनुदान है और 140 करोड़ रुपये जिले में पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण है। इसके अतिरिक्त, हुडको ने 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ समुद्री तूफान से प्रभावित जिले के लिए 10 केन्द्रों की भी पेशकश की है।"

[हिन्दी]

आप लोगों ने कहा था कि बड़े-बड़े मकान सुरक्षा के लिए बना दीजिए। यह हमने आपसे संक्षेप में कहा। यह जो भावना है कि रुपया उतना ही 50 करोड़ दिया गया है, यह सही नहीं है। और यह भी है कि अगर वे नहीं भी देते हैं, तो यह उनकी खुशी है। हमने दे दिया है। ज्योंही हमको बाहर से रुपया आ जाता है, हम आपको दे देंगे। अगर इसी बात का झगड़ा है और 10-20 रोज का सवाल है, तो वह आप हमें बताइए, तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन यह अवश्य होना चाहिए कि भूखा कोई नहीं मरे, यह पहले होना चाहिए। काउंटिंग का काम आप बाद में करें।

माननीय जार्ज फर्नान्डीज साहब ने कहा था कि क्यों देश के लोगों का आह्वान नहीं करते हैं। हमने ट्रेड यूनियनों की मीटिंग पहले ही बुलाई है। मीटिंग कल होने वाली है। माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन की कंसेंट नहीं लेते हैं, तो हम एक दिन की भी मदद नहीं कर सकते हैं। हमने यह प्रयास किया है कि एक होलीडे में पूरा राष्ट्र काम करे और उस दिन के पैसे को रिलीफ फंड में दे दिया जाए। हम उसका इंतजार कर रहे हैं और आप सब लोगों से भी इस काम में सहायता चाहते हैं। हम सभी पार्टियों से कहते हैं और जहां-जहां भी जाते हैं वहां यही प्रसास करते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उसी मुद्दे पर कहना चाहता हूं। आप पूरे राष्ट्र का आह्वान करिए।

श्री चतुरानन मिश्र : पूरे राष्ट्र का तो आह्वान किय है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पूरे राष्ट्र का नहीं किया है।

श्री चतुरानन मिश्र : पूरी ट्रेड यूनियन को बुलाकर उनका कंसेंट तो ले लिया हैं। उनसे मीटिंग के बाद हम हाउस के सामने आएंगे। आप टाइम ले लीजिए। जो समस्या है वह मैं बताना चाहता हूं कि रिलीफ और रीहैबिलिटेशन हम कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप कंपैन्सेशन कहते हैं, यह बड़ा दिक्कत का मामला है। अगर कोकनट ट्री का कंपेंसेशन दें, तो एक कोकोनट ट्री को छः साल लगते हैं और एक ट्री में जितने फल छः साल में लगेंगे, उनको यदि एक फल 15 रुपए का है, तो उससे गुणा करें, तो बहुत हो जाता है। यदि 15 रुपये दाम हुए तो आप छः से गुणा कीजिए। इसके बाद 50 लाख से गुणा कीजिये। हमारी सरकार ने आज तक यह किसी को नहीं दिया है और न ही हम दे सकते हैं। हम फिर कहेंगे कि यदि हम छः साल का जोड़ देंगे तो पूरे उड़ीसा की तमाम धान की खेती का क्यों नहीं दे दें? आसाम का क्यों नहीं दे दें? राजस्थान का क्यों नहीं दे दें? बिहार का क्यों नहीं दे दें? बंगाल का क्यों नहीं दे दें? इसलिए डिसक्रिमिनेशन हो जायेगा। कृपया आप तोस हजारी में भेजने का कम मत कीजिए।

दूसरा एकमात्र उपाय यह है कि क्राप्स इंश्योरेंस सिस्टम लागू किया जाये। आप लोगों ने उचित कहा। मैंने पहले ही पत्र लिखा था। आप लोगों ने गांव को कहा, हमने पंचायत को आधार मानकर स्कीम जमा कर दी है। उस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। उस पर टाइम तो लगेगा।...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र : यह बहुत सालों से पैंडिंग है।

श्री चतुरानन मिश्र : बहुत नहीं है। अभी तो तीन हफ्ते ही हुए हैं।...**(व्यवधान)** माननीय सदस्या कुमारी उमा भारती और माननीय उपेन्द्र जी ने एक चर्चा की थी। वह यह है कि आपको रेडियो से जो सूचना दी जाती है, उसमें कुछ गलती हुई है। हमने आप दोनों और बाकी माननीय सदस्यों को कल एक चार्ट दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए।...**(व्यवधान)** आपको और चाहिए तो हम और दे देंगे। आप देखें कि उसमें क्या गलती है।

प्रो. रासा सिंह रावत : गरीब लोगों तक पहुचाने की व्यवस्था ता वहां की जानी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप बार-बार उठ जाते हैं।...**(व्यवधान)** आप सुनते नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : उठने की बात नहीं है। आपने कहा कि रेडियो टी.वी. से सूचना दे दी है।...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आप अपना टाइम लीजिए। आप चर्चा को तो सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : रेडियो, टी.वी. पर तो आपने दे दिया लेकिन आम जनता तक जो पहुचाने की बात है।...**(व्यवधान)** जिनके जीवन और मरण का सवाल है।...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : हम क्या करें। आपको तो बोलने का अधिकार है। हमको तो चुप रहने का अधिकार है इसलिए हम चुप रहेंगे। अगर टाइमिंग गलत हुई तो आप देख लीजिए। हमने उसी दिन सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय को कह दिया है कि आप इस पर जांच करा लें। समस्या यह है कि मछुआरे तो निकल जाते हैं। आठ-आठ, दस-दस दिन समुद्र में रहते हैं तो वहां उनको कैसे रेडियो से सूचना मिले। हम यह इंतजाम करने की सोच रहे हैं कि हरेक नाव पर एक वायरलैस दिया जाये। तब भी कठिन है। अगर आप बहस करना चाहते हैं तो सुन लीजिए। हमने इस बात की कोशिश की है। जापान के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर जब रोम में हमसे मिलने के लिए आये तो हमने उनसे अनुरोध किया कि क्या आप हमको एक मदरशिप दे सकते हैं जो बीच समुद में रहेगी और वहीं पर मछुआरे मछली मारें।

इस प्रकार वहां पर मछली का प्रौसेस भी हो जायेगा, नहीं तो मछली बर्बाद हो जाएगी। हम मल्टी नेशनल कम्पनी को नहीं ला रहे हैं इसलिए नाव वाले ही मछली मारकर लायें और जब ऐसा संकट हो तो सभी मदरशिप में आकर बैठ जायें। मगर उसका दाम बहुत है। संभव है कि हमको गिफ्ट में मिल जाये। अगर यह नहीं होगा तो हम लोग यह बजट लेकर आपके पास लायेंगे। इसके अलावा हमारे पास और क्या उपाय है।

माननीय सदस्या कह रही हैं कि मरने वालों की संख्या निश्चित नहीं है। क्योंकि वह कब गये, अगर कोई आएगा तब तो हमको कहेगा। जो लिस्ट देगा, उसके मुताबिक हम करेंगे। आपने नेशनल डिसआरमानेंट मैनेजमैंट की चर्चा की थी। पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है।

पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने आलरेडी इसको कर दिया था। दूसरा, मैन्टेनैंस ऑफ रिजरवायर के बारे में एक माननीय सदस्य ने फर्स्ट कैलेमिटी के बाद कहा था। मैंने उसी दिन आदेश कर दिया था।

आप उसकी जांच करवा लीजिए कि उसके मैनटेनेंस का फंड एलाऊ किया गया था या नहीं। इसका उस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया था। ऑल पार्टी कमेटी के लिए हमने दोनों जगह कर दिया है और उसमें कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं है। तमाम लोग जायें। पर्सनली जहां हम गये हैं शायद बी.जे.पी. के माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि हम उनके लोगों को स्पेसीफिकली देते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमको अपनी कांस्टीट्वेंसी का लैटर नहीं मिला। उसके बारे में हमने इंक्वायरी की। यहां से गया हुआ है कि जितने भी एम. पीज आ सकते हैं, हम सब पार्टीज के सदस्यों को उस हेलीकाप्टर में बैठाकर ले जाते हैं कि आप हमको सुझाव दीजिए। आप केवल आलोचना न कीजिएगा। अगर आप अच्छा काम करने के लिए आलोचना कर रहे हैं तो हम उस आलोचना को सुन लेते हैं। अगर आप हमारी आलोचना कर देंगे तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। कल आपने पाण्डिचेरी के बारे में कहा तो हमने रात को ही वह कर दिया। इसलिए हमें दूसरे लोग भी मदद कर सकते हैं। फिल्म स्टार भी मदद कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। आज सवेरे हमको खबर की गयी कि कांजीवरम से श्री शंकराचार्य तीन ट्रक सामान लेकर अपने आप आंध्र प्रदेश पहुंच गये हैं।

उनके जूनियर शंकराचार्य उड़ीसा में पहुंचने के लिए कह रहे हैं। आज सुबह मुझे बताया गया।

एक सांइस की बात है, जिसकी आपने चर्चा की। हम भी इससे चिंतित हैं। साईक्लोन जब चाहे आएगा, उसे हम रोक नहीं सकते। वह न हमारे कंट्रोल में है और न ही हाउस के रूल के मुताबिक आता है। वह अपने मन से आता है। यहां एशिया पैसीफिक रीजन के साईंटिस्ट्स की मीटिंग हो रही थी। हमने प्रश्न पूछा था कि साईक्लोन को तो रोक नहीं सकते लेकिन क्या वैज्ञानिक यह कर सकते हैं कि नारियल बड़े पेड़ में लगने की बजाए छोटे पेड़ में ही लग जाए? क्या वैज्ञानिक यह कर सकते है साईक्लोन आने की संभावना से पहले ही फसल मेच्योर हो जाए? हमने साईंटिफिक कमेटी से यह अपील की है। वर्ल्ड कांग्रेस में और एशिया पैसीफिक में चर्चा हुई थी, उसमें भी अपने वैज्ञानिकों से यह पूछा है। हम तो वैज्ञानिक नहीं हैं और ऐसा भी नहीं कर सकते कि फूंक दें और निकल जाए। हमने आपकी तरफ से पहले ही उनको कह दिया है कि इस दिशा में कदम उठाएं।

एक प्रश्न नैशनल कैलेमिटी का उठा है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि नैशनल कैलेमिटी है। नैशनल कैलेमिटी यही है कि जहां तक हो सके, पूरे राष्ट्र से पैसा बचाकर पहले सरकार की तरफ से और फिर सार्वजनिक ढंग से उनकी मदद की जाए। हम कर्मचारियों से कह रहे हैं, एम.पी., एम.एल.एज. सबने एक-एक महीने का पेसा दिया है। दूसरे लोगों से अपील कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो क्रॉप इंश्योरैंस बनेगा, हमने उसी समय देखा था कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नही है, अमरी भी नहीं है, जो फल कम्पैनसेशन देता हो। इसलिए इस सिचुएशन में क्या करना होगा, इसके लिए समय लगेगा। इस बीच हम यह ऐश्योर करते हैं कि पैसे के अभाव में न ही किसी को मरने देंगे न ही बहुत ज्यादा तकलीफ उठाने देंगे। माननीय सदस्य वैसे भी आकर हमको कह सकते हैं। जहां से भी होगा, हम कुछ काट-छांट करके पैसा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि आप कंक्रीट ढंग से बताएं कि इसे कैसे किया जाए।

जैसे-जैसे एनाउंसमैंट हुई, उमा जी ने बहुत जोर दिया। उन्होंने चोर आने के बारे में हसबैंड-वाइ की एक कहानी भी कही थी। मैं उनको कहानी के लिए धन्यवाद देता हूं।...**(व्यवधान)***

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष जी, मिश्रा जी हाउस में जिस प्रकार से मजाक कर रहे हैं, यह इनके लिए बहुत अशोभनीय है। ...**(व्यवधान)** आपको यह जानाकारी होनी चाहिए कि मैं अपने भाई और भाभी के साथ सोती हूं। अपने माता-पिता के साथ भी सोई हूं। और ऐसा भी परिवारों में होता है। आपके परिवार में न हुआ हो, वह अलग बात है। मैं अपने माता-पिता के बीच में सोती रही हूं। अभी मैं अपने बड़े भाई और भाभी के बीच में सोती हूं।...**(व्यवधान)** मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि आप मेरे महिला और साधु होने का बराबर मजाक उड़ा रहे हैं जो आपकी उम्र और आप जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत अशोभनीय है। जब तक मंत्री जी इस मजाक के लिए माफी नहीं मांगेगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस में यहां पर आकर बैठूंगी। इनको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)** इसे रिकार्ड में से बाहर निकालिए।...**(व्यवधान)**

अपराह्न 1.14 बजे

इस समय कुमारी उमा भारती आयीं और सभापटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गईं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : यदि इनको तकलीफ हुई है तो हम इनसे क्षमा मांगते हैं।...**(व्यवधान)** अगर रिकार्ड में कुछ है तो आप उसे हटा दीजिए, हमको क्या एतराज है।...**(व्यवधान)** अगर आप दुखी हुई हैं तो हमने मान लिया लेकिन सब तो आपकी तरह नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

अपराह्न 1.14 $^{1}/_{2}$ बजे

इस समय, कुमारी उमा भारती अपने स्थान पर वापस चली गईं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र, प्रश्न पर आइए।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं पहले ही अपने प्रश्न समाप्त कर चुका हूं। मैं इस अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि इस सभा को मुझे सही परामर्श देना चाहिए। मैं सभी कुछ करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.15 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.24 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा अपराह्न 2.24 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

दलित ईसाईयों के आरक्षण के लिए आन्दोलन के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.सी.थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं एक मामला उठाना चाहता हूं। कुछ ही दूरी पर...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. थामस : एक रैली थी...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री थामस, यह शून्य काल नहीं है।

श्री पी.सी. थामस : दस पादरियों सहित तीन सौ पचहत्तर व्यक्ति हिरासत में हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

श्री पी.सी. थामस : वे संसद मार्ग थाने में हिरासत में हैं...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह बहुत गंभीर है लेकिन आप इसे इस तरह उठा नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : मैं इसे श्री पासवान के ध्यान में लाना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्यों को जानकारी है कि कोई भी तात्कालिक मामला कतिपय नियमों के अन्तर्गत ही उठाया जा सकता है...

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदय, उनको हिरासत में लिया गया है। वे अब हिरासत में हैं...**(व्यवधान)** दो संसद सदस्यों सहित दौ सौ पचहत्तर व्यक्ति। वे प्रधानमंत्री द्वारा बुलाये गये हैं। प्रधानमंत्री अब यहां नहीं हैं। उन्हें बुलाया गया है।...**(व्यवधान)** एक छोटा प्रतिनिधमण्डल उनसे मिलने जा रहा है।

सभापति महोदय : श्री थामस, कृपया प्रधानमंत्री से समय लेकर इस मामले पर चर्चा कर लीजिए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, दस पादरियों को भी गिरफ्तार किया गया है।...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, आप मंत्री से स्पष्ट करने के लिए कहें। यह एक बहुत गम्भीर मामला है...**(व्यवधान)** सही मांग पर, दस पादरियों को गिरफ्तार किया गया है...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मामला साधारण है। सरकार को एक विधेयक लाने के लिए मनाना है। बस...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, आप मंत्री जी से यहां एक वक्तव्य देने के लिए कहें...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : वास्तव में, उनपर निगरानी रखी जा रही है। वे नहीं जा सकते...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री थामस, आपने पहले ही अपनी बात कह दी है। मैंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको करना है तो

आप कृपया प्रधानमंत्री से मिलकर उनके साथ इस मामले पर चर्चा कर लें।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं सदन के माननीय नेता से आग्रह करना चाहता हूं। श्री राम विलास पासवान यहां है। वे एक दलित नेता हैं। श्री पासवान, कृपया ध्यान दीजिए।

सभापति महोदय : श्री थामस, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, आपको भी इसके बारे में अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री पासवान जी, कृपया इसका ध्यान रखिये।

(व्यवधान)

सभापति **महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, उनको सभा से निवेदन करना चाहिये।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने पहले ही, माननीय मंत्री और सभा के नेता से इस समस्या की तरफ ध्यान देने के लिये कह दिया है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, उनको कुछ कहने दें,...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब मद संख्या 9 को लिया जाता है। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री पी.सी. थामस : श्री पासवान जी, कृपया कुछ तो कहिये। अन्यथा, मैं यहां पर बैठने के लिये बाध्य हो जाऊंगा।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री थामस, कृपया बैठ जाइये।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, उनको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें। अन्यथा हम यहां पर बैठने के लिये बाध्य हो जायेंगे।

सभापति महोदय : नहीं, मैंने निर्देश दे दिया है। श्री थामस, कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : श्री पासवानी जी, कुछ तो बोलिये।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मामला क्या है? पहले मैं यह तो जान लूं कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री पी.सी. थामस : दलित ईसाईयों को अनुसूची में शामिल करने की मांग है। इसके लिये विधेयक लाना है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है।... **(व्यवधान)** परन्तु, अब तक विधेयक नहीं लाया गया है। हमारा मानना है कि ऐसा होने वाला है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं। मामला यह नहीं है। श्री पासवान जी, मामला यह है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया टोकाटोकी मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, सभी को बन्दी बनाया गया है। दस पादरियों को बन्दी बनाया गया है।...**(व्यवधान)**

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) **:** महोदय, यह अति गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : श्री सुरेश, कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री पासवान जी, बाहर कोई प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने ब्यौरा दे दिया है। वे बन्दी बनाए जा रहे हैं। किसी को पीटा जा रहा है। यही सूचना है। जब एक माननीय सदस्य सभा को सूचित कर रहे हैं, तो कृपया उस पर ध्यान दीजिये और उपयुक्त कार्यवाही कीजिये।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, दस पादरी बन्दी बनाए गए हैं।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं आया हूं...

सभापति महोदय : क्या आप उत्तर नहीं चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, इसके दो पहलू तो दलित क्रिश्चियन के आरक्षण से संबंधित है और दूसरा गिरफ्तारी से संबंधित है। ये दोनों दो इश्यूज हैं। जहां तक दलित क्रिश्चियन को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का मामला है, वह सरकार के विचाराधीर है और सरकार इस संबंध में विभिन्न पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बैठक बुलाकर शीघ्र ही इस पर...

श्री जी.एम. बनातवाला : जल्दी से जल्दी करिए, कितना समय हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : देखिए, इस विषय पर हर दल में दो व्यूज हैं पोलिटिकल पार्टीज का मैनिफैस्टो कुछ कहता है और लेकिन जब एम.पीज. मिलते हैं, तो उनका दूसरा व्यूज है। इस परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की राय क्या है, वह राय जानने के लिए हम लोग...

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : आप क्यों विलम्ब कर रहे हैं? यह आपका वायदा है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित है।

सभापति महोदय : श्री सुरेश, कृपया बैठ जाइये। कृपया माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री कोडीकुनील सुरेश : आपने कहा था कि आप विधेयक लायेंगे।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह सही है कि यह मामला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है और हम इसको चाहते भी हैं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : आपने वायदा किया था। मेरे पास पत्र है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार चाहती है कि दलित क्रिश्चियन को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, इस संबंध में विभिन्न लीडरों की बैठक बुलाई जाएगी। जहां तक दूसरा मामला है, जो प्रदर्शन हुआ है और उस प्रदर्शन में एम. पीज. की गिरफ्तारी हुई है और जो दूसरी ज्यादतियां हुई हैं, इस मामले को हम संबंधित अधिकारी को नॉलेज में ले आयेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको इससे संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, बैठक बुलाई जाने वाली है। पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि इसी सत्र में विधेयक लाया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या इसी सत्र में विधेयक आयेगा। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको विधेयक को पेश किये जाने के मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मामला सिर्फ आज अभी संसद भवन के बाहर घट रही घटनाओं से संबंधति है और इसको आपको अनुमति भी है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रही है?...**(व्यवधान)** आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से आरक्षण की बात है, हम उसमें हमारा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं।..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आरक्षण पर चर्चा नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपने विचार इस समय व्यक्त करने की आवश्यकता क्या है? अभी इस मामले पर चर्चा नहीं हो रही है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : संसद के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सूचना सरकार को दी जा चुकी है और उसका कहना है कि वह इस पर विचार करके उपयुक्त कदम उठायेगी। आपको इससे शान्त ही जाना चाहिये। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, ईसाई धर्म के अंदर समानता है वहां कोई ऊंच-नीच की भावना नहीं है।...**(व्यवधान)** संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत, यह उचित नहीं है। इस विषय पर अब चर्चा नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : हम हिन्दुओं के विरोधी नहीं हैं। हम हिन्दुओं के साथ हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महादेय : यह मामला यही पर समाप्त किया जाता है। अब हम कार्य-सूची की मद संख्या 9 - ध्यानाकर्षण पर आते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज।

अपराह्न 2.31 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

12 नवम्बर, 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी के निकट विमानों की आकाश में हुई टक्कर

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखत विषय की ओर नागर विमानन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

> 12 नवम्बर, 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी के निकट सऊदी अरब एयर लाइन्स के बोइंग-747 और कजाकिस्तान एयर लाइंस के आईएल-76 विमानों की आकाश में हुई टक्कर, जिसमें इन विमानों में सवार 349 व्यक्यिों की जानें गईं। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : सभापति महोदय, मैं अति दुख के साथ सभा को 12-11-96 को अपराह्न 6.40 बजे पर दिल्ली हवाई अड्डे के पश्चिम करीब 40 नौटिकल मील दूर आकाश में सऊदी अरब एयर लाइन्स के बोइंग-747 हवाई जहाज एच.जेड.-ए.आई.एच की उड़ान एस.वी.-763, जो दिल्ली से दाहरन जा रही थी, और कजाकिस्तान एयर लाइन्स के आई.एल.-76 हवाई जहाज यू.एन.76435 की उड़ान के.जेड.ए.-1907, जो कि चिमकेंट से दिल्ली आ रही थी, की हुई टक्कर की सूचना देना चाहता हूं।

सऊदी एयर लाइन्स का हवाई जहाज दिल्ली हवाई अड्डे से अपराह्न 6.33 बजे उड़ा था। हवाई जहाज पर चालक दल के सदस्यों समेत 312 व्यक्ति थे। इस हवाई जहाज को दिल्ली हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण ने 14,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने की अनुमति दी थी। कजाकिस्तान एयर लाइन्स के हवाई जहाज जिस 37 व्यक्ति सवार थे, को 15,000 फीट की ऊंचाई तक उतरने की अनुमति दी गई थी ताकि दोनों हवाई जहाजों के बीच 1,000 फीट का अन्तर बना रहे। दोनों हवाई जहाज अपराह्न 6.40 बजे पर राडार से गायब हो गए थे। दोनों हवाई जहाजों पर सवार सभी 349 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

सऊदी एयर लाइन्स के जहाज का मलबा हरियाणा के भिवानी जिले में चरखी दादरी के निकट फैल गया था। कोकपिट सहित सम्पूर्ण हवाई जहाज जल गया था। कजाकिस्तान के हवाई जहाज का मलबा हरियाणा के रोहतक जिले में बरोहर के निकट फैल गया था। जमीन पर कोई हताहत नहीं हुआ था।

12-11-96 को शाम हवाई जहाज नियंत्रण कक्ष से सूचना की प्राप्ति के पश्चात, हरियाणा के मुख्य सचिव से सम्पर्क किया गया और दुर्घटना स्थल पर भिवानी और रोहतक जिलों के वरिष्ठ जिला और पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। वायु सेना और थल सेना को भी सचेत कर दिया गया था और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से हवाई जहाज की आग बुझा दी गई थी और लाशों को बाहर निकाला गया था। सहायता और बचाव कार्यो के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे गए थे। नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों का एक दल भी 13-11-96 को सुबह-सुबह ही जांच हेतु प्रमाण इकट्ठे करने के लिये घटनास्थल पर पहुंचा था। जांच हेतु डी.जी.सी.ए. ने हवाई जहाज नियम, 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत एक दुर्घटना निरीक्षक नियुक्त किया था।

सऊदी विमान के यात्रियों के शवों को सिविल अस्पताल, दादरी ले जाया गया था। इनमें से 124 यात्रियों के शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। 94 शवों को उसी स्थान पर जलाया गया/दफना दिया गया। शेष 94 शवों को उनके परिजनों को शवसंवलेपन तथा सुपुर्द किये जाने हेतु दिल्ली भेज दिया गया था। इंडियन एयरलाइन्स ने नियमित और विशेष उड़ानों के जरये 69 शवों को देश के विभिन्न भागों में और नेपाल भेजा था। कजाकिस्तान के हवाई-जहाज से निकाले गए 37 शवों को रोहतक मेडिकल कालेज में भेज दिया गया था और 17-11-96 को सुबह 4.00 बजे विशेष विमान द्वारा चिमकेंट भेजा गया था।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आई.जी.आई. हवाई अड्डे, दिल्ली, दुर्घटना स्थल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सुचेता कृपलानी अस्पाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए थे। प्राधिकरण ने परिजनों को घटनास्थल तक ले जाने और सेन्टूर होटल, दिल्ली में ठहरने और शवसंलेपन की व्यवस्था की थी।

सहायता और बचाव कार्यों के निरीक्षण हेतु मैं 13-11-96 को सुबह-सुबह नागर विमानन सचिव, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और डी.जी.सी.ए. के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। हरियाणा के मुख्य मंत्री और सिविल अधिकारियों ने परिजनों द्वारा शवों को ले जाने हेतु परिवहन व्यवस्था की थी।

माननीय प्रधान मंत्री ने भी दुर्घटना-स्थल का दौरा किया था।

डी.जी.सी.ए. के अधिकारियों के दल ने स्थानीय अधिकारियों की सहायता से दोनों वायुयानों के ब्लैक बॉक्स (फलाइट डाटा रिकार्डर और कॉकपिट वाइस रिकार्डर) ढूंढ लिए थे। सभी दस्तावेजों, जिनमें वायुयान यातायात नियंत्रण, दिल्ली और दोनों वायुयानों के बीच वार्तालाप के टेप भी शामिल हैं, को जांच के लिए सील कर दिया गया है।

सरकार ने वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 75 के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर.सी लाहोरी की अध्यक्षता में दुर्घटना की औपचारिक जांच के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए है। कैप्टन ए.के. वर्मा, महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), एयर इंडिया और एयर कामोडोर (अवकाश प्राप्त) टी. पन्नु को न्यायिक-जांच में सहायता देने के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। जांच-न्यायालय से कहा गया है कि वह 15 फरवरी, 1997 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। जांच-न्यायालय ने अपनी जांच शुरू कर दी है और न्यायमूर्ति लाहोरी ने 16 नवम्बर, 1996 को दुर्घटना-स्थल का दौरा कर लिया है।

अन्त में, मैं मृतकों के परिवारों के सदस्यों के प्रति शोक और सहानुभूति प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह कहने की जरूरत नहीं कि इस बयान में कुछ नया नहीं है जो अखबार में छपकर नहीं आया है। मंत्री जी ने अपना बयान पढ़कर समय ही खराब किया है। यह सवाल है कि कोर्ट ऑफ इन्क्वारी हो कि जहाज 14 हजार की ऊंचाई पर था या 15 हजार की ऊंचाई पर था, ए.टी.सी. ने गलती की या कौन गुनाहगार है, कौन नहीं है- बात यहां तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि सऊदी अरब वालों ने कहा है कि हम केवल 20 हजार डालर एक-एक मृतक को देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। यह भी एक सवाल है लेकन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि हमारे देश में ये सारी जो विमान सेवाएं हैं और उनके साथ जुड़ी हुई सरकार की दूसरी चीजें और जो हवाई अड्डे हैं ये कितने सुरक्षित हैं। इनकी सुरक्षा के बारे में मंत्री जी से आज कुछ अपेक्षा थी।

अध्यक्ष जी, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी नाम की जो एक संस्था है उसकी रिपोर्ट मैं आज लाया हूं। इस संस्था के ऊपर हवाई-अड्डे सम्भालने की, विमानों के आने-जाने के बारे में जितनी भी मशीनों की जरूरत है, जिस भी गजटरी की जरूरत है उसको मंगाने और स्थापित करने की और इन सारे कामों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी है, उस संस्था के बारे में मैं आज कुछ बातें रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जो, इस देश में जितने घोटालों की चर्चा होती है उनमें यह जो नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है यह देश के महाघोटालों में से एक घोटाला है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं साल-दो-साल पहले उस पर चिल्लाता।

300-350 लोगों को मरना पड़ा और आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मेरा नम्बर आना पड़ा और तब यह रिपोर्ट आज मैंने अपने हाथों में ले लिया। सभापति जी, यदि आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से चोर और बदमाश लोग बैठकर इस देश की समूची विमान सेवाओं में कार्यरत विमान चालकों, कर्मचारियों और उनकी जिन्दगी को बर्बाद करने में लगे हुये हैं। मैं आज बहुत ही पेरशानी की हालत में आपके सामने खड़ा हूं। मैंने यह नहीं सोचा था कि आज यह रिपोर्ट आपके सामने लेकर खड़ा होना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के पहले खर्चीले पन्ने पर खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है :

[अनुवाद]

"कारपोरेट मिशन : सुरक्षित, दक्ष, हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करना भारतीय हवाई क्षेत्र के प्रभावी नियंत्रण के लिए विमान संबंधी संचार सेवाएं प्रदान करना, नागर-विमानन के निंतर विकास के लिए हवाई अड्डों और संबंधित सुविधाओं की योजना, विकास और निर्माण करना।

[हिन्दी]

उसके बाद इनके कार्पोरेट ऑब्जैक्टिव्स में लिखा हुआ है और वह भी खूबसूरती के साथ दिया हुआ है। हमने खोजा और पाया कि टेबल ऑफ कंटैंट्स में लिया हुआ है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने लोग विमान में बैठते हैं, कितने लोग उतरे और कौन इस कमेटी का मैम्बर है और जिन लोगों ने बड़ी सेवायें की हैं, उनकों धन्यवाद देते हैं। यह सातवीं वार्षिक रिपोर्ट के चौथे पन्ने पर है। आपने सालभर में क्या किया, कौन मशीनरी लायी गयी, कौन बैठे हैं, क्या किया गया? इस वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के लिये कौन व्यक्ति मंत्रालय का जिममेदार है, कोई सचिव है, कोई अधिकारी है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी जाये? कोई देखने गया है? सभापति जी, यह रिपोर्ट चार साल बाद पेश होती है। यह 14 मार्च, 1995 को पेश होती है तो उस समय इस विभाग कोई मंत्री तो रहा होगा।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को स्पष्ट करने वाला विवरण।"

[हिन्दी]

इसमें बताया गया है कि 1986-87 की रिपोर्ट को चार साल बाद दिया, 1987-88 की रिपोर्ट को चार साल बाद दिया, 1988-89 का रिपोर्ट तीन साल बाद दिया। इस प्रकार ये 3-4 साल की देरी से रिपोर्ट पेश करते रहे हैं। मैं इस रिपोर्ट के आधार पर इनके हिसाब किताब में नहीं जाता हूं। ऑडिट रिपोर्ट तो भयावह है। अगर आप इस बारे में यहां सदन में एक दिन बहस चलायें और सारे अपराधियों को पकड़ने के आदेश दे दें तो इस देश के लिये बहुत बड़ी सेवा होगी।

[अनुवाद]

"1 जून, 1986 को आयोग के गठन के बाद से प्राधिकरण का यह सातवां प्रतिवेदन है। वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षण के दौरान वर्ष प्रतिवर्ष, लेखापरीक्षा में

वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में कई कमियों को इंगित किया गया है जैसे प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक लेखाओं के लिये सामान्यतया स्वीकृत सिद्धान्तों का पालन न करना, अंतिम लेखाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले लेन-देन का लेखाकरण न करना, लेखाओं की समुचित और आवश्यक बहियों को न बनाना। वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में ये कमियां बदस्तूर जारी रहीं।"

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : जार्ज साहब, एक क्लैरिफिकेशन दें कि आप जिस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं, यह कब की है और कब सदन में रखी गयी थी?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह 1992-93 की रिपोर्ट है जो सदन में रखी गयी है 14 मार्च, 1995 को। हालांकि बाहर 1992-93 लिखा हुआ है और यह वार्षिक रिपोर्ट हो सकती है या हमारी लाईब्रेरी की गलती हो। आगे इसमें 1993-94 की रिपोर्ट भी है जो सदन में 12 जून, 1995 को रखी गयी है। इसके बाद की रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

"लेखापरीक्षा बोर्ड, व्यावसायिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य ने यह मामला अक्तूबर 1992 में प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष रखा जिसमें धन के दुरूपयोग और धोखाधड़ी की सम्भावना पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी। लेखापरीक्षा बोर्ड के सदस्य चाहते थे कि लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जो उपचारात्मक उपाय किए जाएं, प्राधिकरण के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें या लेखापरीक्षा बोर्ड के उपनियंत्रक और महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष ने नवम्बर, 1993 में नागरिक विमानन सचिव को लिखे पत्र में इन विचारों को दोहराया और चेतावनी दी थी कि सुधारात्मक उपाय उठाने में किसी प्रकार के विलम्ब से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस बारे में अपनी निश्चित राय बनाने में कठिनाई हो सकती है कि क्या लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत लेखा प्राधिकरण के कार्यकलापों की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।"

[हिन्दी]

बात यहीं समाप्त नहीं होती है। उसमें आगे बोलते हैं कि जो प्रैस्क्राइब्ड फार्म है, उस पर तो भले ही एकाउन्ट रखा हो लेकिन कैशबुक, संड्री बुक्स आदि चीजों में भारी घपला है।

[अनुवाद]

"प्राधिकरण केवल नकदी बहियों, बैंक बहियों, सामान्य खाता, सावधि जमा रजिस्टरों, अग्रिम एवं पेशगी धनराशि के रजिस्टर और जमा/प्रतिभूति जमा रजिस्टर ही रखता है। प्राधिकरण ने स्थिर आस्तियां रजिस्टर, विविध लेनदार खाता, विविध देनदार खाता और संकर्म रजिस्टर नहीं बनाए हैं। इसके अतिरिक्त बैंक बहियां और नकदी बहियां समुचित तरीके से नहीं रखी जाती हैं जिसमें सभी नकदी और बैंक लेन-देन का ब्यौरा उल्लिखित किया गया हो।

प्राधिकरण के गठन के समय विद्यमान निर्धारित परिसम्पत्तियों से संबंधित कोई निर्धारित परिसम्पत्तियां रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। प्राधिकारण के गठन के बाद भी ऐसा कोई निर्धारित परिसम्पत्तियां रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसमें अर्जित 39,118.38 लाख रुपये मूल्य की स्थिर आस्तियों के संबंध में भी परिमाण और नियोजन के ब्यौरों का उल्लेख हो। आवधिक अन्तरालों पर स्थिर आस्तियों की प्रत्यक्ष जांच के लिए भी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

हालांकि क्षेत्रीय लेखा इकाईयों में बिल रजिस्टर रखे जाते थे, लेकिन विविध देनदार रजिस्टर न तो स्टेशनों और न ही क्षेत्रीय लेखा इकाईयों या सुरक्षात्मक कार्यालय में रखे जाते थे।

प्राधिकरण की बैंक बहियों में दिखाया गया बैंक में अधिशेष भी नियमित अन्तरालों पर बैंक विवरणियों से लाए नहीं गये थे, फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि कुछ मामलों में बैंक द्वारा लेखाओं में अधिक जमा या नामे दिखाया जाता था और कुछ मामलों में बैंक खातों में कम शेष दिखाया गया था। जबकि प्राधिकरण के पास ओवरड्राफ्ट सुविधा भी नहीं थी।

तुलन-पत्र और लाभ हानि के लेखे **शेष परीक्षण** और सामान्य खाते से मेल खाते हैं। हालांकि, शेष परीक्षण और सामान्य खाते में की गई सभी प्रविष्टियों की सत्यता निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि कई सहायक लेखा बहियां जैसे लेनदार खाता, स्थिर आस्तियां रजिस्टर, विविध देनदार बहियां और इसी तरह की अन्य बहियां उपलब्ध नहीं थीं।"

[हिन्दी]

सभापति जी, यह 1992-93 की रिपोर्ट है। उसके बाद 1993-94 की रिपोर्ट में ये सारी चीजें ज्यों की त्यों लिखी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय का वह जिम्मेदार अधिकारी कौन है, जिस पर यह जिम्मेदारी है? वह सैक्रेटरी कौन था, जिसके पास औडिटर का पत्र आया था और जिसमें कहा गया था कि दुरूस्त करा दो क्योंकि उसमें घपला हो रहा है, पैसे की बड़ी हेराफेरी हो रही है? उसके बारे में क्या हुआ? यह बहुत अहम सवाल है क्योंकि जिस मामले पर हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, सवाल-जवाब कर रहे हैं, उसके साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि कौन सी चीज खरीदी गई, कौन सी चीज लाई गई, कौन

सी बैठाई गई, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना सैंक्शन हुआ, जो चीज सैंक्शन हुई, क्या वही चीज खरीदी गई या कोई चोरी का माल खरीद लिया गया या बाजार में ही खरीद-बिक्री हो गई और वहीं हिसाब कर लिया गया, पैसा कहीं और चला गया। अगर हम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जांच करने लायक हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मामला वह नहीं है, जैसा अभी मंत्री जी ने अखबारों को पढ़कर यहां बयान दिया है, मामला वह नहीं है।

इसके साथ, मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय के लोग कितनी लापरवाही के साथ काम करते हैं। आज इस मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस मंत्रालय के लोगों ने पिछले कई सालों में कैसे काम किए हैं। वर्ष 1990 में, यानी आज से 7 साल पहले, यह तय हुआ था कि मुम्बई हवाई अड्डे पर राडार तथा अन्य फैसिलिटीज हम लोगों को लगानी हैं। उसके लिए ग्लोबल टैंडर हुआ और अमेरिका की एक कम्पनी, जिसका नाम रेथयोन है, उसे ठेका दे दिया गया। उसे 210 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया और 1990 में ही उसे काम शुरू करना था क्योंकि कई साल तक पूछताछ करने और दूसरी जानकारी लेने के बाद ही यह टैंडर दिया गया था, लेकिन 1990 में काम शुरू नहीं हुआ बल्कि कहा जाता है कि वह काम 1995 में शुरू हुआ। जब यह टैंडर दिया गया था, उस समय 210 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज वह ठीक 423 करोड़ रुपए पर आ पहुंचा है।

कौन सा मंत्रालय इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहा है? कौन लोग उस समय सरकार चला रहे थे? कौन जिम्मेदार थी? और यह मामला कहां से कहां पहुंचा दिया?

सभापति जी, हम मंत्री जी से चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि यह मुम्बई का काम कब पूरा होना है? मैं दो-चार बातें पूछकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। तीन-चार साल पहले पायलट और इंजीनियरों की हड़ताल हुई थी। इस सदन में सभी पक्ष के लोगों ने बड़ी अपील करके उस हड़ताल को समाप्त कराने की कोशिश की थी। मैं मंत्री जी से कई बार यूनियन के लोगों के साथ मिला था और अंत में समझौता हुआ। उसमें कुछ तनख्वाह की मांग थी, लेकिन सेफ्टी का सबसे बड़ा सवाल फ्लाइट इंजीनियर और ग्राउंड इंजीनियरों ने उठाया था। इस हड़ताल की समाप्ति के बाद एक शिवरमन कमेटी बनी थी। शिवरमन कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दे दी और उसमें एयर सेफ्टी का जो मामला है उसके बारे में कुछ सिफारिशें दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी सिफारिशों पर अमल हुआ और कितनी पर अमल नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

सभापति महोदय, एक नैशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड था जिसके तहत एयर सेफ्टी का भी मामला आता था। इसको 1991 में बर्खास्त कर दिया। कोई जरूरत ही नहीं है। उसे खत्म कर दिया। फिर एयर सेफ्टी कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष श्री सिंघल थे, वे हट गए क्योंकि उन्हें डायरैक्टोरेट जनरल आफ सिविल ऐविएशन की जांच करने से रोक दिया था। उन्हें कहा गया कि सरसरी तौर पर देखो, मगर उन्होंने खोज का काम शुरू कर दिया जिसको करने से उन्हें रोका गया, क्योंकि खोज रूपी कार्य से तो सारी चीजें सामने आएंगी और लापरवाही पता चलेगी। इस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे चले गए।

हम लोग खा-पी कर, हवाई सेवाओं में घूम कर खूब मस्त हैं। यह जो मंत्रालय है, यह ग्लैमरस मंत्रालय के नाम से जाना जाता है और घूमना फिरना होता रहता है। नए नवाबों की तरह से घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है जिसके लिए इनको खजाने से तनख्वाह मिलती है, उसको ये नहीं निभाते हैं और यह लापरवाही होती है और रिपोर्टों पर कोई अमल नहीं होता है।

सभापति महोदय, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जब ये विमान आकाश में आपस में टकराए, तो बड़ी चालाकी से एक खबर फैलाई कि ए.टी.सी. कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। चूंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया इसलिए हो सकता है कि आंदोलनकर्ताओं ने कुछ गड़बड़ की हो, लेकिन आंदोलनकर्ता संगठन के नेताओं ने तुरन्त मुंहतोड़ जवाब दिया कि ऐसा नहीं है।

ए.टी.सी. के कर्मचारियों की कुछ मांगें हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं। ए.टी.सी. के कर्मचारियों का काम कोई मामूली काम नहीं है। यह संसद में जैसे हम भाषण देते हैं, वैसा नहीं है या दफ्तर में एयर कंडीशन में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर कर देने जैसा नहीं है। ए.टी.सी. के कर्मचारियों की जिम्मेदारी पायलट से किसी भी हालत में कम नहीं है। उनकी बराबर की जिम्मेदारी है और उनको आप एक साधारण टैक्नीशियन के तौर पर मानते हैं। पायलट को क्यों 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपए देते हैं? विदेश में जाने का हजारों रुपया रोज क्यों देते हैं? जहाज में काम करने वालों को सारी सुविधाएं क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उनके काम में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? आजकल हवाई जहाज चलाने में कोई ज्यादा टैक्नीकलिटी नहीं है। हवाई जहाज चलाना ट्रक चलाने के बराबर हो गया है और अब तो जिस हिसाब से तकनीकी प्रगति हो रही है उस हिसाब से एक दिन ऐसा आने वाला है कि एक बार हवाई जहाज चलाकर सो जाओ और जहां पहुंचना है वहां हवाई जहाज पहुंचा देगा। आजकल तो फ्लाई-बाई-वायर है। जिसको जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं और जिसकी जिम्मेदारी नहीं है उसको जिम्मेदार मानते हैं। उसका असली कारण है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। वह जहाज में बैठा है। उसको मालूम है कि इसमें 350 या 400 यात्री बैठे हैं। मेरे भी बाल-बच्चे हैं, वे भी घर में बैठे हैं। हम लोगों को भी शाम को घर जाना है और इसका जो दिमाग पर असर होता है, वह है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट फेडरेशन उनकी तनख्वाह के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इन सारी चीजों के लिए जो स्थिति है उसमें उनकी तनख्वाह तय होती है। ए.टी.सी. के कर्मचारियों की उससे कुछ कम है। उनकी स्क्रीन के ऊपर जहाज चल रहे हैं। छोटे-छोटे बिन्दु चलते हैं। उन्हें सारी चीजों को

नजर में रखना है। कभी-कभी आपका वी.आई.पी. मूवमेंट होता है। वी.आई.पी. मूवमेंट होने पर आपको भी अनुभव होगा। मुझे भी हुआ है, दर्जनों बार हुआ है क्योंकि मैं खूब घूमता हूं। जहां वी.आई.पी. मूवमेंट हो, वहां एयरपोर्ट क्लोज हो जाता है। 10, 13, 14 और 15 हजार फीट की ऊंचाई पर जहाजों को घुमाया जाता है। दर्जनों जहाजों को एक साथ घुमाया जाता है। पायलट बोलता है कि वी वी आई पी मूवमैंट के कारण लाइन में हमारा नम्बर बारहवां है।

वी.वी.आई.पी. मूवमेंट के लिए हवाई अड्डे को बंद करने पर हम लोगों और एयरलाइंस का जो नुकसान होता है, वह तो छोड़िये। ए.टी.सी. के कर्मचारियों की क्या हालत होती है, इस पर कभी आपने सोचा है। हम मंत्री जी से इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि वे उन कर्मचारियों की जो भी समस्यायें हैं, वे समस्यायें तत्काल देखें और जो भी इंसाफ उनको चाहिए, वे इंसाफ दें।

सभापति जी, मैं आखिरी दो मुद्दे कहना चाहता हूं। पहला, पिछले पांच सालों में हमारे जहाजों का देशी और अंतर्राष्ट्रीय जो मूवमेंट है, उसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मगर उसके लिए गजेटरी की कर्मचारियों की व अन्य चीजों की जो सुविधायें होनी चाहिए। हम मंत्री जी से इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। हमें यह बताया जाता है कि अब एक घंटे में कितने जहाजों का आना-जाना होता है। एक घंटे में 35 जहाज मुम्बई और दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ाने के लिए कुछ सोच हो रही है और स्वाभाविक है कि वह सोच हो जाये क्योंकि जैसे ही विमान सेवायें बढ़ेंगी, जैसे-जैसे विकास होता रहेगा, यह आवश्यक होगा। एक घंटे में 35 विमानों को उड़ाने का मतलब होता है कि हर डेढ़-पौने दो मिनट में एक जहाज को उतरना या उड़ाना हो। इसके लिए आपके पास आवश्यक इंतजाम होना चाहिए, उस इंतजाम के बारे में हम चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ जानकारी यहां पर दें। हम मंत्री जी से यह भी कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो या देशी एयरपोर्ट हो सबसे आधुनिक जहां भी आपको गैजेटरी की जरूरत है, जो भी इंस्ट्रूमेशन की जरूरत है, वह लाना चाहिए और दो कारणों से लाना चाहिए। एक तो हिन्दुस्तानियों को सैंकंड क्लास का दुनिया में माना जाता है। कम से कम हमारे देश के अंदर नहीं माना जाये और दूसरा जिस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अपेक्षा आप करते हैं, वे पर्यटक भी हिन्दुस्तान आने से घबराते रहेंगे। अगर वे भी यह महसूस करें कि इन लोगों ने तो अपने को सैंकंड़ क्लास माना है लेकिन हमको भी उसके अंदर धकेल रहे हैं तो उससे आपका बहुत नुकसान हो जायेगा।

इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सिंगल कारीडोर की जो बात कर रहे हैं, जिसकी अखबारों के जरिये खूब चर्चा है। क्या पिछले 4,5,10 सालों में आपके विभाग के दिमाग में यह बात नहीं आई। कहीं फ्रेंकफर्ट में दौड़ते हो, कहीं लंदन में दौड़ते हो, कभी खाने के लिए वाशिंगटन या न्यूयार्क पहुंच जाते हो, इतना घूमते रहते हो। मैं मंत्री जी से नहीं कह रहा हूं। जो जिम्मेदार लोग हैं, पिछले पांच सालों में जिन लोगों को काम करना चाहिए था, क्या उनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि दिल्ली या मुम्बई में सिंगल कोरीडेर है। उसी कोरीडोर में जहाज उतरते हैं और उसी में उड़ाये जाते हैं। क्या उनके दिमाग में नहीं आया कि वहां पर दो कोरीडोर करने चाहिए? क्या आसमान में भी जगह की कमी महसूस हो गयी? जमीन पर तो हम समझ सकते हैं लेकिन आसमान में इन लोगों को क्या तकलीफ हो गयी? इसलिए ड्यूल कोरीडोर की जो बात है, उसको तत्काल करना चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ पेरलल रनवे यहां सहारन एयरपोर्ट और सांताक्रुज में भी होने चाहिए। एक रनवे के ऊपर भरोसा रखकर जो सारा काम होता है, जब दो जहाजों को एक साथ उतारना या एक जहाज को उतारते हुए दूसरे को उड़ाना, इसमें हिन्दुस्तान को अभी अपनी इंतजामी करनी चाहिए। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सवाल जो हमने 14 हजार, 15 हजार फीट को लेकर कहा, उन्होंने समझा, उनका कहा हमने न समझा मगर यह जो चर्चा चल रही है, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। इनके डी.जी.सी.ए. अधिकारियों को कभी सोचना चाहिए था। हमने जितना भी अखबारों में पढ़ा उससे ऐसा दिखाई दिया कि हम लोग केवल ऊंचाई पर जहाज उड़ा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ाना चाहिए। अब 14 चलो, 15 पर चलो, हम केवल उनको आदेश देते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन यह नहीं बताते हैं कि दो जहाजों के बीच में कितना अंतर रहना चाहिए। ऊंचाई में फर्क रहे, इतना ही कहा जाता है। इसे सुधारने के लिए भी मंत्री जी कदम उठाएं। मुझे इस पर मंत्री जी से और सदन से इतना ही कहना था और जवाब की अपेक्षा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री काशीराम राणा बोलेंगे श्री राणा, प्रस्ताव के प्रस्तुकर्ता ने अनुमत समय से ज्यादा समय ले लिया है और लगभग सभी बातें कह दी हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल यह कह रहा हूं कि यदि आप कुछ नई बातें कहना चाहते हैं तो कहिए। कृपया पूरी घटना के बारे में चर्चा न करें।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति जी, भारतीय आकाश में 12 नवम्बर को जो ट्रैजडी हुई, उससे एयर सेफ्टी के बारे में तो बहुत बड़ा सवाल् खड़ा हुआ है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर भी इसका गंभीर असर होने वाला है। वैसे तो जब हादसा हुआ तब कहा गया था कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि हमारा बी.एच.एफ. कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होता, यदि उसके लिए सिविल एविएशन डिपार्टमैंट ने साधन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी या लगाने की कोशिश की होती तो ऐसी घटना नहीं घटती।

श्री फर्नान्डीज ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं मंत्री जी से एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं। जो राडार अभी इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर है और जिसे रैथॉन कम्पनी से खरीदा गया था, क्या उसे इंटरनैशनल मान्यता प्राप्त है? क्या इंटरनैशनल अथॉरिटी ने उसे सर्टीफाई किया है कि वह राडार चल सकता है। क्योंकि आज दुनियाभर में एडवांस राडार लगाए जाते हैं, सैकंडरी सर्वेलैंस राडार लगाए जाते हैं जिससे ट्रैफिक कंट्रोलर पॉयलट को जो सूचना देते हैं, वह सूचना उसे मिली है या नहीं, इसे भी वह जान सकते हैं। लेकिन हमने जो राडार लगाया है, मुझे लगता है कि यह ट्रैजडी उससे हुई है। रैथॉन कम्पनी का जो राडार लिया गया था, क्या उसके बारे में सिविल एविएशन डिपार्टमैंट ने कोई छानबीन की थी? आज सारे एयरपोर्टस में अमरीकन वैस्टिंग हाउस इलैक्ट्रॉनिक कौपोरेशन के राडार लगाए जाते हैं तो हमने रैथॉन कम्पनी का क्यों लगाया, यह बहुत बड़ा सवाल है।

दूसरी बात यह है कि पहले जो मिड-एयर कोलीजन होने वाली थी, उससे हम बच गए थे। क्या यह सही है कि इंडियन कमर्शियल पॉयलट एसोसिएशन ने 1995 की पहली तारीख को यह लिखा था कि हमारे एयरपोर्ट के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसे और भी आधुनिकतम और मजबूत बनाना चाहिए? क्या यह बात लिखी थी? 1995 में लिखी गई वह बात अब तक इम्प्लीमैंट क्यों नहीं की गई? यदि वह इम्प्लीमैंट की गई होती तो ऐसी घटना नहीं घटती। दोनों विमानों में सवार जो साढ़े तीन सौ लोग मरे, जिन्होंने हवाई सेवा के बारे में हमारी प्रैस्टीज को नुकसान पहुंचाया, यह नहीं होता। इसलिए मेरा यह कहना है कि हम साधनों पर अरबों रुपये लगाते हैं। रिपोर्ट में कहते हैं, लेकिन उसका वास्तव में कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मेरे दो ही क्वश्चंस हैं कि हमारे यहां जो राडार लगाये गये, इनके बारे में क्या पूरी छानबीन की गई थी, हमने लेटैस्ट राडार क्यों नहीं लगाये, क्यों हमने इस कम्पनी के

[हिन्दी]

राडार लगाये? दूसरे, 1995 में हमें सूचित किया गया, क्या यह बात सही है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते तो आज इतनी जन हानि नहीं होती? मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल स्टेंडर्ड हैं, जो नेवीगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हैं, ...**(व्यवधान)** मैं यही कहना चाहता हूं कि आज प्राइवेट एयर सर्विसेज और नई-नई एयर सर्विसेज आ रही हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : यह बहुत गंभीर मामला है। हमारे राज्य के लोग भी इस विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। सभापति को कुछ अन्य सदस्यों को भी इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपकी बात ठीक हैं। लेकिन इस नियम के अंतर्गत नहीं क्योंकि यह चर्चा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत चल रही है। आप बाद में चर्चा के लिए कह सकते हैं लेकिन अब नहीं। कृपया बैठ जाईए।

राणाजी, आपने पहले ही अपना प्रश्न तैयार कर लिया है।

श्री काशीराम राणा : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो इंटरनेशनल स्टेंडर्ड आज नेवीगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में है, क्या यह सही है कि इन स्टेंडर्ड को हमने फॉलो नहीं किया? हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा अंत में यह कहना है कि ईंडियन एयरलाइंस के बारे में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड की बहुत फेमस और रिकगनाइज्ड संस्था है, उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और उन्होंने अभी नहीं, 1985 से 1994 के बीच जो हवाई एक्सीडेंट हुए, इसको लेकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, यह यह है कि

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिवहन एसोसिएशन की तकनीकी समिति ने 16 और 17 अप्रैल को सिंगापुर में गुप्त बैठक की और 1985 तथा 1994 की अवधि के बीच हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया। समिति की रिपोर्ट में नोट किया गया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान इंडियन एअर लाईन्स की आठ विमान दुर्घटनाएं हुई। बैठक में एक गोपनीय पत्र दिया गया जिसमें ईंडियन एअर लाईन्स में विश्व की औसत से अधिक दुर्घटनाएं दर्शाई गई।

[हिन्दी]

सभापति जी, इसके लिए मैं एक ही सवाल करूंगा कि कई साल पहले हमें इस प्रकार से सावधान किया गया, फिर भी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने क्यों इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सजेशन आये तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया और ऐसे ऐसे राडार लगाये, जिसकी वजह से आज 350 से ज्यादा जानें गई हैं?

अपराह्न 3.07 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

श्री रमेश चेन्नित्तला : मंत्री महोदय के उत्तर से पहले कुछ और सदस्यों को भी बोलने का अवसर दीजिए। निसंदेह, नियम हमें इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बोलने की इजाजत नहीं देता है। मैं जानता हूं। लेकिन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए कृपया हमें इजाजत दीजिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि नियम इसकी इजाजत नहीं देता है तथा आपका मुझसे इस नियम का उल्लंघन करने का आग्रह करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आप नियम जानते हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : हम नियम जानते हैं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : हम अध्यक्षपीठ से सहमत हैं। मेरा केवल एक सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नित्तला : इस विषय के महत्व को देखते हुए हम लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)** इसके बारे में मैं आपकी रूलिंग को क्वश्चन नहीं कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल (सदर दिल्ली) : सभापति जी, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, नियमों का आपको पता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सूचीबद्ध सदस्यों को बोलने का मौका देने दीजिए।

श्री ई. अहमद : हम आपके विनिर्णय पर उंगली नहीं उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : हमें सूची के अनुसार चलना चाहिए। आप व्यव कैसे डाल सकते हैं।

श्री ई. अहमद : माननीय मंत्री जी से कुछ बातें पूछी जानी हैं, क्योंकि इस दुर्घटना में देश के 350 लोग मारे गए हैं।

श्री ई. अहमद : महोदय, मामला बहुत गंभीर है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया नियम 197 पढ़िए। विषय-वस्तु हमारे सामने है। माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है। प्रस्तावक ने पहले ही लंबा वक्तव्य दिया है तथा कुछ प्रश्न किए हैं और अन्य सदस्य श्री काशीराम राणा ने भी कुछ वक्तव्य दिया है और कुछ प्रश्न पूछे हैं। इस नियम में प्रावधान है कि केवल उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी जिनका नाम सूची में है। यह जानते हुए भी आप मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए कैसे कह सकते हैं। कुछ भी हो आप सूचीबद्ध सदस्यों को बोलने दीजिए। तब शायद आपको बोलने की अनुमति मिल सके। लेकिन इसे मेरा विनिर्णय नहीं समझा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री का अभी हाल ही में हुई विमान दुर्घटना के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मुझे यह आपत्ति है कि आपने अपने वक्तव्य के हिन्दी संस्करण में दूसरे पेज में छठी लाइन के अंदर कहा है कि 94 शव दफना/जला दिए गए। आपने दफना दिया शब्द इस्तेमाल किया, सही शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन किसी भी मृतक के लिए जला देना शब्द ठीक नहीं है। उसके लिए हमारी भाषा में संस्कारित शब्द है—दाह संस्कार करना। आशा है आप इसमें सुधार करेंगे।

1966 से लेकर अब तक देश में 20 से 30 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। जब भी विमान दुर्घटना होती हैं तो इसी प्रकार से जैसे अब रिपोर्ट बनाई गई और कमेटी नियुक्त की गई, कमेटीज नियुक्त की जाती रही होगी। उन सभी जांच समितियों की रिपोर्ट भी आई होगी। क्या उनका पालन किया गया? क्या उनमें दिए गए सुझावों पर हमने अमल किया? आपने कहा था कि एक-एक एयरक्राफ्ट का सेफ्टी आडिट होगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या सब एयरक्राफ्ट्स का सेफ्टी आडिट हुआ है? लगता है हमने पिछली 23 दुर्घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। इस दुर्घटना में, जिसमें बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, एक आशंका यह भी है कि जो ए.टी.सी. कर्मचारियों की हड़ताल थी, उसके अंदर कोई व्यवधान हुआ, क्या ऐसा कोई कंफ्यूजन आया है, जिसका जिक्र जार्ज साहब ने भी किया था? किंतु एक कंफ्यूजन और है, प्रधान मंत्री देवेगौड़ा जो उसी दिन और उसी समय उड़ीसा से रवाना हुए थे। वे भी आकाश में होंगे। वी.वी.आई.पी. को लेकर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जो अति-उत्साहित रहते हैं, कहीं उस रूट के अंदर फेर-बदल किया होगा, इसके बारे में भी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं? पिछले दिनों एक अस्पताल के अंदर लिफ्ट से मंगोलिया के राष्ट्रपति की पत्नी को निकाल दिया गया था, ताकि प्रधान मंत्री जा सकें, यह भी हमारे अति-उत्साहित सिक्योरिटी गार्ड्स की कृपा से हुआ था। क्या ए.टी.सी. फेल हुआ था, उसके बारे में भी मंत्री जी बताएं?

आज ट्रैफिक बढ़ गया है। चाहे मुम्बई हो या चेन्नई या कोई अन्य जगह हो। ए.टी.सी. के कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त लोड़ बढ़ गया हैं जो नया राडार सिस्टम 1995 में लग जाना चाहिए था, वह अभी तक क्यों नहीं लगा? जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि 1997 तक यह काम पूरा हो जाएगा। यह भी पता चला है कि सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल का पद एडहॉक बेस पर चलाया जा रहा है। मंत्रालय में और भी महत्वपूर्ण पद होंगे जिनको एडहॉक बेसेस पर लगा रखा होगा। क्या आप यह आशा करते हैं कि एडहॉक बेसेस पर काम करने वाले अधिकारी सही परिणाम दे सकेंगे? यह भी बताएं कि आपके मंत्रालय में कितने पद खाड़ी पड़े हैं?

इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने कहा था कि दिल्ली और मुम्बई में ऐसे ट्रांसपोंडर्स लगने चाहिए जो हाई फ्रिक्वेंसी के हों और साथ ही एक्सटेंडेड रेंज के हों तथा केटेगोरिकली सेकंड लेंडेड फैसेलिटी के होने चाहिए। क्या वे इस फैसिलिटी के हैं या नहीं?

पिछले दिनों जो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, समय-समय पर उनकी जांच रिपोर्ट आई, उन पर क्या कदम उठाए गए, कृपया इसके बारे में भी जानकारी दें? जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय शाम के 6 बजकर 45 मिनट हुए थे। उस समय आपके मंत्रालय से कौन वहां पहुंचा था? मुझे पता चला है कि अगर कोई लाशों को ठीक तरह से सम्भालने में लगे हुए थे। या लोगों की सहायता करने में लगे हुए थे तो वे केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे। आपके मंत्रालय में से तब तक कोई भी पहुंचा नहीं था जबकि इसकी सूचना आपको आधे घंटे के बाद दे दी गई थी। इस बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति जी, आज हम हवाई दुर्घटना पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अगर पहले उस रिपोर्ट को देखा जाए तो बड़ा दुख होता है क्योंकि जितनी भी बातें पेपर में आई हैं, केवल उसकों ही रिपीट किया गया है। कुछ प्रश्न हमेशा हमारे समक्ष खड़े होते हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब भी दुर्घटनाएं होती हैं, हम चर्चा के लिए खड़े होते हैं लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। उसके बाद एक्शन क्या होता है, उस पर भी हम कभी भी ध्यान नहीं देते। इसलिए दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति भी होती है जो यहां पर भी हुई है। पहले भी इसी प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। उसके बाद एक-दो बार दुर्घटना टल भी गई, होते-होते बच गई। अब फिर यह बड़ी दुर्घटना हो गई और हम चर्चा के लिए खड़े हो गए हैं। फिर वही प्रश्न सामने आते हैं।

अभी जैसे बात हो गई कि कई प्रकार की अथोरिटीज इसमें काम करती हैं, जैसे नेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी, डीजीसीए, एयर सेफ्टी वाले तथा इंडियन एयर लाइन्स वाले हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न आता है कि क्या इन सबका आपस में कोई कोऑर्डीनेशन है? इस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लगता है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं और अभी एक बात जो जॉर्ज फर्नान्डीज साहब ने कही कि हवाई अड्डों का जो घटिया निर्माण हो रहा है, उस घटिया निर्माण के बारे में मन में जो प्रश्न उठता है, जैसे इंदौर का हवाई अड्डा हिन्दुस्तान के जो 10-12 हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं, उसमें से एक है और उसमें जो निर्माण कार्य हुआ है, वह निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने के कारण बजट करीब-करीब दुगुना-चौगुना हो जाता है, जैसे अभी जार्ज फर्नान्डीज साहब ने एक बात कही है, वैसा ही इंदौर में भी हो रहा है। करीब-करीब इसका बजट तिगुना हो गया है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इंदौर हवाई अड्डे में भी घटिया निर्माण हुआ है गा जगह-जगह घटिया निर्माण होता है। वहां तो अभी भी हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले ही जो प्लास्टरिंग हुई थी या ऊपर छत बनी थी, चार महीने के अंदर जगह-जगह से छत गिर गई है। उसकी जांच तो हो गई लेकिन परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमने इस बारे में कभी विचार किया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसके बनने, शुरू होने तथा पूरा होने में जो देरी होती है और उसके कारण जो बजट दुगुना-चौगुना होता है, इसके लिए एकाउंटेबिलिटी किसकी होगी तथा इस प्रकार का जो घटिया निर्माण होता है, उसके लिए मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं?

इसके अलावा मैं यह जानना चाहूंगी कि अथोरिटीज का आपस में कोई कोऑर्डीनेशन होता है या नहीं? क्या मंत्री महोदय ने इसकी जांच की है? यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अभी जो दुर्घटना हुई है जिसके कारण कुछ चर्चाएं सामने आने लगी हैं, इसमें एक बड़ी चर्चा यह होने लगी थी कि वह सेकेंडरी सर्वीलेंस राडार जो हैं, ये राडार इंस्टॉल नहीं हुए। इंस्टॉल होने की बात तो हो गई और कुछ पैसा खर्च भी हो गया लेकिन इंस्टॉल नहीं हुए, उसने काम करना शुरू नहीं किया और वे काम करना शुरू करें, उसके लिए हवाई जहाजों में एक एस-बैंड होना आवश्यक है। यह जो दुर्घटना हुई है, 1000 फीट की दूरी थी या नहीं थी? ये जो दो बिन्दु जैसे टी.सी वाले ने कहा कि कई बार होता है कि ऊपर से निकल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि वास्तव में क्या हुआ और यहां पर भी यही हुआ। जब दो बिन्दु आपस में अलग-अलग नहीं हुए तो शंका हुई। यह जो एस-बैंड हमारे हवाई जहाजों में लगाया गया है, उसमें हाईट, डायरेक्शन तथा डिजिटल डिस्प्ले होता है। यह एस-बैंड तो लगाया गया है और उसमें लाखों डॉलर्स खर्च भी हो गए हैं लेकिन वर्किंग में नहीं आ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, प्रश्न तो इसी में से निकल रहे हैं।

महोदय, प्रश्न तो इसी में से निकलेंगे। यह जो इस प्रकार से इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, यह राडार चालू नहीं हुआ, यह जो एस-बैंड लगा यह भी काम नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं यह पूछना चाहूंगी, क्योंकि यह आशंका प्रकट की जा रही है कि जब तक इस राडार के इंस्टालेशन का काम होगा तब तक हो सकता है कि इसमें से 50 परसैंट हवाई जहाज बेकार कर देंगे, दूसरे नये खरीदेंगे। मतलब, इसमें जो लाखों रुपए खर्च करके एस-बैंड लगाया वह काम में नही आएगा, इस स्थिति को आप थोड़ा क्लियर करें कि इसकी क्या स्थिति है?

महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी। अभी एटीसी वालों की चर्चा हुई। वास्तव में यह जो एयर ट्रेफिक कंट्रोलर है, इनके काम करने की जो वर्किंग कंडीशंस हैं इनका मॉरेल-लो न हो इसके लिए भी कुछ जांच हुई थी। उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, क्या वह प्रस्तुत हुई थी यह आप बताएं। उस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। वास्तव में ये महत्वपूर्ण लोग हैं लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, इनकी सम्मानजनक स्थिति नहीं है इनके लिए हमने क्या सोचा है। क्योंकि ये सभी बातें तब होती हैं जब एक्सडेंट्स होते हैं। तब केवल चर्चा होती है। हम आज आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं, नयी आर्थिक नीति की बात हो रही है। उसमें वैश्वीकरण की बात

भी होती है लेकिन इन सबके लिए जो इनफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है उसके लिए हमने कभी नहीं सोचा है। इसलिए आज जो यह बात आती है कि एक ही मार्ग है, एक घंटे में अगर छह या सात हवाई जहाज जाने हैं वहां 30-35 जा रहे हैं। ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये न हो इनके लिए जो इनफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है इसके बारे में आपने क्या सोचा है?

महोदय, जांच कमेटी तो बिठाई है लेकिन उसके मुद्दे क्या दिए गए हैं। ये जो सब बातें हैं कि आपस में कोऑर्डीनेशन, घटिया निर्माण, इनफ्रास्ट्रक्चर का न होना, इनके कारण जो आज हमें नुकसान हो रहा है, कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्या इसके बारे में मंत्री जी कुछ ऐसी पहल करेंगे कि इन सब बातों में भी किसी की जिम्मेदारी स्थापित हो जाए। ये दुर्घटनाएं न हो इसके लिए आप क्या करेंगे और जांच कमेटी के मुद्दों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : सभापति महोदय, जिस मामले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है वह गहन चिन्ता और दुःख का विषय है। बहुमूल्य जान की हानि निश्चित तौर पर मानव गलती की ओर इंगित करती है। गलती चाहे पायलट की भी हो सकती है, एटीसी क्रीमी अथवा उपकरण की भी हो सकती है। तथापि, वास्तविक कारण हमें जांच समिति की रिपोर्ट मिलने पर ही पता चल सकेगा। मैं वर्तमान मंत्री को उसमें दोषी नहीं मानता क्योंकि उन्होंने तीन या चार महीने पहले ही कार्यभार संभाला है। अतः मैं स्पष्टीकरण हेतु कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मेरा पहला प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत के विमानन इतिहास में इस प्रकार आकाश में विमानों की दुर्घटना पहले भी कभी हुई है या नहीं। यदि हुई है तो कब और कहां तथा क्या तब किसी ने कोई उपचारात्मक सुझाव दिए थे या नहीं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या थे तथा क्या पूर्व सरकार द्वारा उन सुझावों का अनुकरण किया गया या नहीं।

दूसरे, क्या विमान यातायात नियंत्रकों को उड़ान मार्ग से वायुयान के मार्ग बदलने का पता लगाने हेतु उपकरणों और तकनीक की आवश्यकता है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन उपकरणों को कब से इस्तेमाल में लाया जाएगा?

तीसरे, क्या देश के दो प्रमुख विमानपत्तनों अर्थात मुम्बई और दिल्ली में स्वचालित उपकरण प्रणाली लगाने हेतु 423 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना थी?

क्या परियोजना को लागू किया जा रहा है? परियोजना को लागू करने में देरी के लिए क्या बाधाएं हैं?

चौथा, क्या यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का भारतीय वायु यातायात प्राधिकरणों द्वारा पालन नहीं किया गया है?

पांचवे, क्या यह सच है कि इंटरनेशनल फेडेरेशन ऑफ एअर लाइन पायलट एसोसिएशन ने विश्व के उन विमानपत्तनों की काली सूची प्रकाशित की है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खड़े नहीं उतरते तथा दिल्ली विमानपत्तन का नाम भी अपने घटिया जहाजरानी के लिए बदनाम होने के कारण उस सूची में है? यदि हां, तो सरकार ने गलती को सुधारने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए हैं?

छठा, बड़े यात्री विमानों में आकाश में विमान भिड़न्त को टालने की दृष्टि से तकनीक इस्तेमाल में हैं। ऐसी प्रणाली को "ट्रेफिक एलर्ट एंड कोल्यूसन एवायर्डेन्स सिस्टम" कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सऊदी जम्बो जैट में ऐसा उपकरण लगा था।

कुछ समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि इंटरनेशनल एअरलाइन पेसेन्जर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री मार्टि सल्फेन ने कहा है कि दुर्घटाना में एअर इंडिया के यात्रियों के लगभग 50 गुना अधिक होने की संभावना है। इस संदर्भ में उन्होंने विमानपत्तनों में अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं का हवाला दिया है। उन्होंने ऐसा 1994 में कहा था। सरकार ने कमी को दूर करने हेतु अब तक क्या किया है?

अब तक मृत्तकों के नजदीकी संबंधियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को अदायगी कर दी जानी चाहिए थी। क्या सरकार ने संबंधित विमान संवाओं द्वारा मृतकों के संबंधियों को मुआवजा भेजने की व्यवस्था करने हेतु तीव्र और उचित कदम उठाए हैं? ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मृतकों के संबंधियों को अभी मुआवजा राशि दी जानी है?

क्या इस जांच के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कब तक जांच के पूरा होने की आशा है।

यह पाया गया है कि राहत दल को राहत कार्यों के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराए थे। स्थिति को बेहतर बनाने हेतु राहत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई कदम उठाए जाएंगे?

अब यह मेरा अंतिम प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब हुई है। मेरी कामना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश की उज्जवल छवि को पुनः बरकरार करने हेतु सरकार उचित कदम उठाएगी।

सभापति महोदय : पहले जब प्रस्ताव को लिया गया था तो श्री जी.एम. बनातवाला ने कहा था कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन प्रस्ताव के रूप में बदल दिया जाना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : कृपया इसे अभी कीजिए।

सभापति महोदय : खैर, अध्यक्ष जी ने अपने विवेक के आधार पर प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकार किया है। मेरे ख्याल से यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। कई माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं। लेकिन नियमानुसार उन्हीं लोगों को बोलना चाहिए जिनके नाम कार्य-सूची में हैं। पांच माननीय सदस्यों ने पहले ही अपने विचार बता दिए हैं। लेकिन एक विशेष मामले के रूप में

तथा भविष्य के लिए कोई पूर्वदृष्टान्त बनाए बिना तीन माननीय सदस्यों ने मुझे पर्चियां भेजी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे ईमानदारी के साथ एक-एक प्रश्न पूछें। प्रत्येक मामले में प्रश्न पूछने की अवधि दो मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मैं एक प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछूंगा।

सभापति महोदय : दो मिनट की समय-सीमा से ज्यादा मत बोलिए।

श्री जगमोहन : ठीक है। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में तथा विषयानुसार ही करूंगा।

पहली बात जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विभिन्न जांच न्यायालयों द्वारा पहले कई सिफारिशें की गई हैं। क्या विमान सुरक्षा से संबंधित उन सभी सिफारिशों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?

यदि उनका अनुपालन नहीं किया गया है तो क्यों?

दूसरी बात जिसे मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि क्या सभी भारतीय हवाई अड्डों पर 'इन्स्ट्रूमेन्ट लैण्डिंग सिस्टम' उपलब्ध है। प्रश्न यह है कि विनाशकारी दुर्घटनाओं को टालने के लिए- जैसाकि अभी एक दुर्घटना हुई है—हमें अभिकल्पना करनी होगी तथा कल्पनाशील होना होगा। यह नहीं कि दुर्घटना होने के बाद हम अपनी कार्यवाही शुरू करें।

महोदय, तीसरा प्रश्न यह है कि पक्षियों का हवाई जहाजों से टकराने का गंभीर खतरा बना हुआ है और किसी दिन किसी भी प्रमुख हवाई अड्डे पर कोई गंभीर विमान दुर्घटना हो सकती है। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि पक्षियों के टकराने की घटनाओं से बचने के लिए तथा महानगरों में स्थित हवाई अड्डों के इर्दगिर्द भीड़भाड़ कम करने और जानवरों की अवैध हत्याओं को रोकने हेतु कारगर और स्थायी बन्दोबस्त करने के सिलसिले में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

अतः मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में क्या निवारक और कारगर उपाय किए गए हैं।

चौथी बात, जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा वह पुनः सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक हवाई अड्डों पर दोहरा नियंत्रण है। कुछ हवाई अड्डों को नौसेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कुछेक को वायुसेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है और कुछ हवाई अड्डों का नियंत्रण नागर विमानन मंत्रालय के हाथ में है अर्थात् कुछ नियंत्रण उनके द्वारा किया जाता है और कुछ नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। इससे भी भ्रम पैदा होने की गुंजाइश हो सकती है।

पांचवी चीज, जिसे मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, वह यह है कि क्यों न हम स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों की तारीफ करें। भारत विकास परिषद, आर.एस.एस. जैसे अनेक स्वयं सेवी संगठन हैं-श्री गोयल ने भी इनमें से एक का नाम लिया है- जिन्होंने अति प्रशंसनीय कार्य किए हैं; वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर काफी समय व्यतीत किया तथा काफी सहायता की। इससे स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी आपात कालीन स्थितियों में सामने आकर यथासंभव सहायता करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हमारी ओर से यह शुभ संकेत होगा। मेरे ख्याल से, हमें इसका सुझाव देना चाहिए।

दूसरी बात, जिसे मैं जानना चाहूंगा, वह है कि शवों का परिवहन खर्चा किसने वहन किया था? जिन मृतकों के सम्बन्धियों को वहां जाना पड़ा था उनका क्या हुआ?

एक दूसरी बात, जिसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा, यह है कि क्या सरकार राजनयिक स्तर पर इस मामले को उठाने के बारे में सोच रही है कि मरने वालों के निकट सम्बन्धियों को दिया गया मुआवजा उसी आधार पर है जैसाकि अन्य देशों में दिया जाता है? दूसरे देशों में दी जाने वाली मुआवजे की राशि से यह कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सकल रूप से देखा जाये तो देश की प्रतिष्ठा भी शामिल होती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मामले को राजनयिक स्तर पर उठा रही है अथवा नहीं।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार लोगों को मुआवजे के सम्बन्ध में विधिक सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यह व्यवस्था बहुत कारगर होनी चाहिए और यह कानूनी सलाह उच्च स्तर की होनी चाहिए ताकि हमारे लोग बीमा कम्पनियों के समक्ष अपने मामले को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। मुझे दो या तीन बातें अभी और कहनी थीं लेकिन समयाभाव के कारण मैं केवल इन्हीं सवालों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री अहमद, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कृपया अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त करें और कृपया मेरे लिए कोई कठिनाई न पैदा करें।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैंने कभी किसी को कठिनाई में नहीं डाला है।

अब, प्रश्न यह है कि क्या व्यस्त विमान यातायात के प्रमुख समय के दौरान भी भाटकित हवाई जहाजों को उतरने और उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए कोई दैनिक प्रक्रिया है? क्या जब किसी निश्चित हवाई जहाज को निर्धारित उड़ान भरनी हो तो उस समय भाटकित हवाई जहाजों को उतरने की अनुमति देने के लिए कोई प्रक्रिया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

चूंकि समय का अभाव है, अतः मैं अपनी बातें प्रश्न के रूप में रखना चाहूंगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली हवाई अड्डे को ऊपर उड़ने वाले विमानों को केवल एक हजार फुट की ही एयरस्पेस दी जा रही है। यदि यह शिकागो हवाई अड्डे का मामला होता तो हमें यह बात समझ में आती जहां घंटे में 120 जहाज उड़ान भरते हैं

और उतरते हैं और जहां 13 वायुमार्ग हैं-छः उड़ने के लिए और छः उतरने के लिए तथा एक सेना के प्रयोग के लिए।

यदि यह लन्दन के हिथ्रो हवाई अड्डे अथवा न्यूयार्क के जे.एफ. के. या जापान के मारिटा हवाई अड्डे का मामला होता तो हमें यह बात आसानी से समझ में आती। मैं जानना चाहूंगा कि जब स्थान उपलब्ध है तो एक ही दिशा में दो हवाई जहाजों के बीच उड़ने और उतरने के लिए केवल एक हजार फुट की ही वायुदूरी क्यों दी जाती है, चाहे यह वैधानिक रूप से अनुमत्य ही क्यों न हो?

सभापति महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। दूसरी बात, जिसे मैं जानना चाहूंगा, यह है कि क्या यह सत्य है कि क्या हमारे विमान यातायात नियन्त्रण टावरों पर लगे 'ट्रान्सपोन्डर' काम नहीं कर रहे हैं? ट्रान्सपोन्डर्स बिल्कुल बेकार हैं क्योंकि उन्हें विशेष राडार चाहिए जो सिगनल (संकेत) प्राप्त करने में सक्षम हों। कोई भी भारतीय टावर उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

इस समय भारतीय टावरों के पास विमान की ऊंचाई जानने के लिए विमान चालकों द्वारा उन्हें बताए जाने के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है।

क्या यह सच है; यदि हां, तो हम इसका पता लगाने में कैसे सक्षम होंगे?

चौथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत कम एयरस्पेस है क्योंकि दिल्ली में अधिकतर एयरस्पेस वायु सेना ने ले लिए हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू अथवा माटकित जहाजों के पास उड़ने तथा उतरने के लिए बहुत कम एयर स्पेस है।

सभापति महोदय : कृपया अपने शब्दों को बार-बार मत कहिए।

श्री ई. अहमद : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर, दो महीने पहले दो लोग ब्रिटिश एयरवेज, के एक विमान के निचले हिस्से में पहिए के पास बैठकर चले गए थे और किसी को इसका पता नहीं चला था। उन दोनों के पास टिकट नहीं था। जब हिथ्रो हवाई अड्डे पर जहाज का निचला हिस्सा खोला गया तो उनमें से एक जम गया था।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद : नहीं, महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि ....

सभापति महोदय : 'नहीं' का क्या मतलब है? आपने वायदा किया था कि आप केवल एक बात को लेकर बोलेंगे। मैंने आपसे दो मिनट में बोलने का अनुरोध किया था लेकिन आप उसके बाद भी बोलते रहे और अब कह रहे हैं कि 'नहीं'।

श्री ई. अहमद : मेरी मंशा अध्यक्षपीठ का अपमान करने की कभी नहीं होती है।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति जी, आपने नियम 197 के अधीन इतने लोगों को बोलने के लिए अलाऊ किया है, जब हम बोलना चाहें तो हमें भी अलाऊ करेंगे।

श्री ई. अहमद : मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रता से पूछता हूं कि दिल्ली हवाई अड्डे से दो व्यक्ति, मैं नहीं जानता कि वे भारतीय थे अथव नहीं, अवैध तरीके से ब्रिटिश एयरवेज के विमान के निचले हिस्से में घुस गए ...**(व्यवधान)** मुझे यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय। दिल्ली हवाई अड्डे से दो व्यक्ति लन्दन जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज के एक जहाज के निचले हिस्से में अवैध रूप से घुस गए। हिथ्रो हवाई अड्डे पर उनमें से एक ठंड से जम गया था और दूसरे की तत्काल मौत हो गयी थी।

सभापति महोदय : श्री चेन्नित्तला, कृपया केवल एक ही प्रश्न पूछिए। कृपया मेरे लिए कठिनाई न पैदा करें।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, पिछले कुछ महीनों में घटने वाली यह सबसे दुखद घटना थी। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। मै जानना चाहता हूं कि क्या विमान दुर्घटना का कारण दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर आधुनिक सुविधाओं का अभाव था? यदि हां, तो मंत्री जी ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

यह आम धारणा है कि हमारी सरकार सिर्फ आधुनिक विमान खरीदने की इच्छुक तो रही है किन्तु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को आधुनिक बनाने की इच्छुक नहीं है। इन घटनाओं के पीछे यह भी एक कारण हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है। अगर कोई सड़क या रेल दुर्घटना घटती है तो हम समझ सकते हैं; प्रथम बार इस प्रकार की वायुयान दुर्घटना हुई है।

दूसरे, कुछ अखबारों ने खबरें छापी हैं कि बचाव और सहायता कार्य सिर्फ उस गांव में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी) के आगमन तक ही सीमित थे। सरकारी तंत्र पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिये तैयार नहीं था। पीड़ितों के परिजनों ने जब दिल्ली में पूछताछ की तो भी उचित समन्वय नहीं था। शवों की पहचान करने अथवा पीड़ितों को उचित सहायता देने के लिये कोई कदम नहीं उठाए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि इन समाचारों में कितनी सच्चाई है?

तीसरे, यह समाचार मिले हैं कि सऊदी एयरलाइन्स ने शवों के दाह संस्कार आदि हेतु कुछ मुआवजा दिया है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नागर विमानन मंत्रालय ने सऊदी एयर लायन्स से कोई सम्पर्क स्थापित किया है ताकि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके अथवा वे उन पर उचित मुआवजा देने हेतु

कुछ दबाव डालने जा रहे हैं। मुआवजे के भुगतान हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सऊदी एयरलाइन्स के साथ कोई समझौता करेगी?

अंततः, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उचित ही कहा है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने धन का दुरूप्रयोग किया है धोखाधडी की है और बहुत फिजूलखर्ची की है। समयाभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर कई आरोप लगाए गए हैं और बताया गया है कि वे संसद द्वारा आबंटित धन का किस तरह से दुरूप्रयोग कर रहे हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह आरोप नागर विमानन मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सभा की समिति गठित करने को तैयार है? सभा को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा धोखाधडी, धन का दुरूप्रयोग करने और फिजूलखर्ची की जांच कराने हेतु एक समिति गठित करनी चाहिये।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : सभापति महोदय, हाल ही में हुई विमान दुर्घटना में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तीन शवों की पहचान हो गयी थी और शेष की पहचान नहीं हो सकी थी। इस संबंध में सऊदी एयरलाइन्स ने मृतकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी परन्तु इस राशि का भुगतान करने हेतु कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किये गए हैं। इसलिये, मैं भारत सरकार से वित्तीय सहायता के भुगतान पर निगरानी रखने का अनुरोध करता हूं। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सऊदी एयरलाइन्स द्वारा मृतकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता के वितरण पर निगरानी रखने हेतु कोई उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी?

भारत सरकार ने अब तक मृतकों के आश्रितों को सहायता देने की कोई घोषणा नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शोकसंतृप्त परिवारों को कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय,

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति जी, मुझे दो मिनट दीजिये क्योंकि मेरी कांस्टीटुएंसी के 14 लोग इस हादसे में मारे गए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह असम्भव है। कृपया सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया : एक मिनट ही दे दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नियमों से हट कर चला गया था। कृपया सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप तो कोआपरेट कर रहे हैं लेकिन मेरी कांस्टीटूएंसी के 14 लोग मारे गए हैं।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, हरियाणा के लोगों नें घटनास्थल पर पहुंचकर सहायता कार्यों में सहयोग किया था। **(व्यवधान)** हरियाणा के लोगों के प्रयास ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ माननीय सदस्य चाहते थे कि मैं उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दूं। ऐसा इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए किया गया था। अब और अधिक समय देना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही विमान दुर्घटना हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सऊदी अरब एयरलाइन्स से उन कृषकों, जिनकी भूमि दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, को पुनः कृषियोग्य बनाने हेतु कुछ मुआवजा दिलाने के लिये सम्पर्क किया है?

सभापति महोदय : कृपया प्रश्नों की तरफ ध्यान दीजिये और सम्भव हो तो उत्तर भी दीजिये।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : सभापति जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेते हुए अपनी राय हमें दी, नई जानकारी दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में मेरी पैदाइश 1.6.1996 को हुई, जब यह विभाग मेरे हाथ में आया।

यह विभाग दिनांक 1-6-1996 को मेरे हाथ में आया और जैसे ही इस विभाग को हमने संभाला, तो पहली बार हमने अधिकारियों के स्तर पर, टैक्नीकल विंग से और एयर पोर्ट अथारिटी के साथ रिव्यूज मीटिंग की। तीन महीने की एक्सरसाइज करने के बाद दिनांक 3-9-96 को हमने एक कमेटी कांस्टीट्यूट की जिसमें एयर मार्शल जी.के. सेठ, जो रिटायर्ड हैं, वे चेयरमैन बनाए, चेयरमैन एयरपोर्ट अथारिटी आफ

इंडिया मैम्बर, मैनेजिंग डायरैक्टर इंडियन एयरलाइंस मैम्बर, डी.जी.सी.ए. विभाग से एक मैम्बर थे। उनकी टर्म एंड रैफरेंस जो थी वे इस प्रकार थी :—

[अनुवाद]

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(एक) डी.जी.सी.ए. के वर्तमान कर्मचारी परिमानों और ढांचागत व्यवस्था की समीक्षा करना और उसके पुनर्गठन हेतु सुझाव देना।

(दो) विमान अधिनिमय, 1934 और विमान नियम, 1937 की समीक्षा करना तथा विनियमों में संशोधन हेतु सुझाव देना ताकि इनको वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नाया जा सके।

(तीन) उड़ानों की पूर्ण सुरक्षा हेतु वर्तमान सुरक्षा विनियम प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करना।

(चार) विमानन कार्मिकों जैसे चालक, अभियंताओं और अन्य महत्वपूर्ण कर्मियों को विकसित करने की सुविधाओं की समीक्षा करना।

(पांच) दक्षता और कुशलता तथा सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान विमानन, कार्मिकों को लाइसेंस देने और आपरेटरों को परमिट देने की व्यवस्था की समीक्षा करना।

(छह) वर्तमान हवाई यातायात, संचार प्रणाली और निरीक्षण प्रणाली की समीक्षा करना और आधुनिकीकरण, विस्तार और प्रणाली के विनियमन नियंत्रण के बारे में सुझाव देना।

(सात) विभिन्न प्रकार के विमानों, आपरेटरों, विमानन सहायक एजेंसियों और विमानपत्तन प्राधिकरण की सुरक्षा जांच हेतु स्थायी तंत्र को बनाना ताकि विमानन क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(आठ) समिति का कार्यकाल छह महीने का होगा जिसमें वह प्रतिवेदन तैयार करेगी और उचित अनुशंसा करेगी। डी.जी.सी.ए. समिति को सचिवालय संबंधी सहायता उपलब्ध करायेगा और कार्यालय स्थल उपलब्ध करायेगा।

एयर मार्शल जे.के. सेठ के नियुक्ति संबंधी नियामक शर्तें अलग से जारी की जा रही हैं। अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एम.डी.,आई.ए. और डी.जी.सी.ए. अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे और अपनी-अपनी संस्थाओं से टी ए/डी ए लेंगे।

[हिन्दी]

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि दुर्घटना होने के बाद नहीं, बल्कि जिस दिन हमने विभाग संभाला, फौरन हमको यह लगा कि इस बारे में जांच होनी चाहिए और हमने अपने आप अपनी संतुष्टि के लिए यह किया। हमने अपने विभाग के अधिकारियों से यह जांच कराने का निर्णय नहीं लिया बल्कि ऐसे अधिकारियों से यह जांच कराने का निर्णय लिया जो हमारे विभाग के नहीं हों और इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हों। ऐसे अधिकारियों की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई और वह रिपोर्ट दे ताकि पता लग सके कि हमारे अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। यह सब जांचने के लिए हमने दो महीने पहले ही एक कमेटी बनाई है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए जो कमेटी हमने बनाई है, उसका आप सब लोग स्वागत करेंगे और जिस काम को हमने उठाया है उसको पूरा करने में आप हमें अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो कई माननीय सदस्यों ने और वरिष्ठ साथी जार्ज फर्नान्डीज साहब ने कही है वह नैशनल एयरपोर्ट आथारिटी की कही है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसका मर्जर दिनांक 1-4-95 को एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के साथ किया गया था। आप जो एनुअल रिपोर्ट कोट कर रहे थे, वह 1967-68 का है। उस वक्त सिविल एवीयेशन में एक्सपैंशन का ग्रोथ काफी कम था लेकिन जो चीजें आपने उठायी हैं, उनके बारे में मैं अवश्य अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि पहले क्या हुआ। मैं अभी आया हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है लेकिन जो भी सिविल एवीयेशन में पहले हुआ है, उसकी पूरी जानकारी लेकर हम उसको सीधा करेंगे। यह मेरी जिम्मेदारी है। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह 1992-93-94 का है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं जरूर देखूंगा। यह नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एडवाईजरी एबालिश हुई है, वह 1990-91 में हुई हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने वही कहा है। आपने सुना नहीं। ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : उस वक्त तो आप भी मंत्री थे। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कहां मंत्री था?

श्री सी.एम. इब्राहीम : जब वी.पी.सिंह की सरकार थी। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने 1990-91 के बारे में कहा है। उसमें क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : वही कह रहा हूं कि हमने एबालिश नहीं किया है। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने आपके बारे में नहीं कहा और न आपके मंत्रालय के बारे में कहा है। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन सरकार नहीं बनी। उस वक्त आप 6 महीने के होंगे। सरकारें तो

लगातार चलती हैं। ...**(व्यवधान)** मंत्री जी को यह मालूम नहीं कि सरकार लगातार चलती हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : सरकारें लगातार चलती हैं। ... **(व्यवधान)** आप भी मंत्री थे। ...**(व्यवधान)** कुछ नहीं हुआ। यह तो डेमोक्रेसी में होता रहता है। कभी मंत्री तो कभी ओपोजिशन, कभी ओपोजिशन तो कभी मंत्री, यह सब तो बदलता रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम सरकार की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं परेशान नहीं हो रहा हूं। मैं भी तो वही कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम आपकी सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार कोई एक दिन की चीज नहीं हैं। मंत्री जी को यह पता नहीं कि वे सरकार की ओर से बोल रहे हैं। जिस दिन से मंत्री बन जाते हैं उसी दिन से सरकार नहीं बनती है। इस रिपोर्ट के लिए क्या अब कोई जिम्मेदार नहीं होगा? क्या मुझे नरसिम्हा राव जी के पास इसके जवाब के लिए जाना होगा? इसका जवाब कौन देगा? लोग मजाक समझते हैं। इसमें लिखा है कि फ्राड का है, इसमें लिखा है कि कोई हिसाब-किताब नहीं मिल रहा है कि कितना खर्च हुआ? कहां रखा और कहां बेचा। मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे आये हुए 6 महीने हुए हैं ...**(व्यवधान)** यह मजाक की चीज नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह उसी सन्दर्भ में कह रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, माफ करें, महोदय।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं माननीय सदस्य को इतना कहना चाहता हूं कि हमने यह नहीं कहा कि हम पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदार न होने के बावजूद भी इसको हम देखेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : यही तो हम कह रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, वह सरकार की ही बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने शुरूआत ही मजाक से की है कि मैं इस दिन पैदा हुआ ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, आपने जो वक्तव्य दिया है, यह उसी की ओर संकेत कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें इसे ठीक करना चाहिए। उन्हें उसी वक्तव्य का उद्धरण नहीं देते रहना चाहिए।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने अपने द्वारा पहले कही बात का विरोध बाद कभी नहीं किया।

[हिन्दी]

आपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा है। पहले की रिपोर्ट आपने कही। मैं अवश्य उस पर देखूंगा। दूसरा उस वक्त जो घटना हुई तो दूसरे दिन मैं, मेरे चेयरमैन सिविल सैक्रेट्री और वहां के एम.पी. श्री सुरेन्द्र सिंह जी, हम तीनों सुबह साढ़े नौ बजे वहां पर पहुंचे। कई अखबारों में आया कि वहां के गांव वालों ने लूटमार की। यह पढकर मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैं आपको कहता हूं कि उस गांव के किसानों ने जितनी सेवा की उसकी हम जितनी भी सराहना करें, वह कम होगी क्योंकि एक्सीडेंट साईट पर केवल गांव वाले ही सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने उनकी पूरी-पूरी सहायता की। इतना ही नहीं, वहां जितनी संस्थायें थीं चाहे वे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे विकास पार्टी हो, बी. जे.पी. हो या आर.एस.एस. हो, विश्व हिन्दू परिषद हो या मुस्लिम संगठन हो, पूरे संगठनों ने एकजुट होकर वहां पर इस घटना के अंदर सहायता करने में साथ दिया। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : आप नाम लेने में क्यों हिचकिचाते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : हमने तो कहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ...**(व्यवधान)**

हम वहां तकरीर करके आए हैं, उनकी सराहना करके आए हैं। हमने तो संगठन का नाम लेकर कहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : किस संगठन का नाम लेकर कहा है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : आर.एस.एस. वालों ने किया है, विकास परिषद ने किया है, मुस्लिम परिषद ने किया है। सब लोगों ने किया है। जो चीज अच्छी है उसे अच्छी कहने में हम नहीं हिचकिचाते। बी. जे.पी. के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। ...**(व्यवधान)** मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर जो अरेंजमैंट हुआ, उससे हमें पूरी संतुष्टि है।

दूसरी बात, एक माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है कि क्या ऐसा सेफ्टी न होने की वजह से हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप विदेश की बात लें, यूरोपियन कंट्रीज की जो औथेन्टिक रिपोर्ट है, जो सूचना मुझे मिली है, उसमें यह

[अनुवाद]

वर्ष 1991-94 के बीच वर्ग 'ए' की 100 हवाई दुर्घटनाएं प्रति वर्ष रिकार्ड की गई जिसका मतलब यह है कि दुर्घटना की दर 4.2 प्रतिशत

प्रति एक लाख उड़ानें हुआ। 'ए' वर्ग की हवाई दुर्घटना वह है जिसमें सीधे टकराव का खतरा है, जबकि वर्ग 'बी' की हवाई दुर्घटना वह है जिसमें टकराव की सम्भावना है।

चाहे वह यू.के. में हो, चाहे दुनिया की दूसरी जगह में हो, वहां आधुनक सिस्टम होने के बावजूद ऐक्सीडैंट हुए हैं। जहां तक माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि विदेश के अखबारों में आ रहा है, उस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का सवाल है, हमारे पॉयलट या ए.टी. सी. के कर्मचारी दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। ए.टी.सी. वालों का जो मसला था, इसी साल उनके साथ एक ऐग्रीमैंट हुआ है जिसके अनुसार सौ करोड़ रुपये तक उनको देने पड़ेंगे। अब ए.टी.सी. और एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई डिमांड बाकी नहीं है। उनको जो सौ करोड़ रुपये देने थे, वह दे चुके हैं।

ऐक्सीडैंट की रिपोर्ट के बारे में आपने जो पूछा है, हर ऐक्सीडैंट की एक्शन टेकन रिपोर्ट को पार्लियामैंट के सामने फौरन रख दिया जाता है। ऐसी रिपोर्ट शायद इस सदन में पहले भी रखी जा चुकी है। दूसरा एयर कौरीडॉर के बारे में पूछा गया है। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : श्री जगमोहन और मैंने यह पूछा था कि पहले जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी रिपोर्ट पर कितना अमल हुआ है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : वह रिपोर्ट एक्शन टेकन के साथ ही रखी हुई है।

एक एयर कौरीडॉर का रिस्ट्रिक्शन डिफैंस की वजह से है। 70 प्रतिशत एरिया डिफैंस का है और 30 प्रतिशत सिविल एविएशन के मिल रहा है। लेकिन एविएशन की यह कोशिश है कि डिफैंस के साथ चर्चा करके ज्यादा से ज्यादा कौरीडॉर लेने की कोशिश करे।

अपराह्न 4.00 बजे

जहां तक रैथान्स का सवाल है, यह काम ग्लोबल टेंडर बुलाने के बाद दिया गया। फिर इसके बाद यह मानीला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद रैथान को यह टेंडर दिया गया। अक्टूबर, 1995 में यह काम पूरा होना था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ तो मैंने डी.जी.सी.ए. को फौरन आर्डर किया कि काम समय पर क्यों पूरा नहीं हुआ है, इसके कारणकर्ता कौन हैं, इसकी इन्क्वायरी की जाय। इसकी भी जांच वहां पर हम करवा रहे हैं। दूसरे हिन्दुस्तान के जितने सिविल एयरपोर्ट्स हैं, इन तमाम सिवि एयरपोर्ट्स में वायरलैस की सुविधा मौजूद है। शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार ये सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। शिवरामन कमेटी की जितनी रिकमेडेशंस थीं, उनमें से चन्द को पूरा किया गया है और चन्द चीजें अभी बाकी हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि सेठ कमेटी की रिपोर्ट आते ही फौरन उसको पूरी तरह से हम लेने की कोशिश

जहां तक इन्दौर के बारे में आपने कहा कि एयरपोर्ट में डिले हुई है तो मैं इसकी जांच करवाकर आपको सैपरेट एक पत्र में पूरा लिखूंगा। जहां तक कोआर्डीनेशन का सवाल है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे? अच्छा आप उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : आप बैठ जाओ, आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : हम बैठने के लिए नही कह रहे, जवाब देने का समय आ रहा है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं बैठ जांऊ? ठीक है। जहां तक कोआर्डीनेशन का सवाल है, पूरी तरह से उसका कोआर्डीनेशन हो रहा है। हम चाहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मजबूती के साथ आगे बढ़ें। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : मुआवजे के सम्बन्ध में आपका क्या उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक कंपेंसेशन का सवाल है, सऊदी एयरलाइंस की यह जिम्मेदारी थी कि इकावा की नीति के अनुसार जो भी दुर्घटना होती है, उस एयरलाइंस वालों की जिम्मेदारी होती है कि उनकी बॉडीज को, एक्सीडेंट वालों को, उनके रिलेटिव्ज को लाने, ले जाने, पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है।

अपराह्न 4.02 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

उनके देरी करने के बाद हमने फौरन यह तय किया कि हम यह काम करें और बॉडीज को हमारी तरफ से पहुंचाने का काम स्पेशल फ्लाइट से करने के बाद पटना बाडीज को पहुंचाया गया। वहां पर रहने के लिए सैंटूर होटल में उसकी व्यवस्था की गई। पूरा कंपेंसेशन मिलने के लिए सिविल एविएशन की तरफ से पूरी लीगल असिसटेंस दी जाएगी। लायरों को, वकीलों को हम हमारी तरफ से नियमित करेंगे और उनको कंपेंसेशन दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक जमीन पर तेल पड़कर नुकसान होने का सवाल है, सऊदी हुकूमत से हमारी बातचीत हुई है, वह आगे आये हैं और उन्होंने कहा है कि जितनी जमीन में नुकसान हुआ है, जो तेल पड़ा हुआ है, वहां पर जितना कंपेंसेशन होगा, वह हम देने के लिए तैयार हैं। यह असश्वासन सऊदी अरब ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या भारत सरकार विशेष राहत देगी?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया : भारत सरकार क्या दे रही है? प्रधान मंत्री जी ने वहां पर खुद दौरा किया है, प्रधान मंत्री जी वहां पर खुद गये हैं, इतनी बड़ी घटना हुई, आज पूरा देश कह रहा है कि भारत सरकार ने इसके लिए कुछ भी घोषणा नहीं की। पीड़ित परिवार के अन्दर एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जाय, आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि आपने वहां पर कुछ भी नहीं किया।

श्री सी.एम. इब्राहीम : दुर्घटना कजाकिस्तान और सऊदी एयरलाइंस के बीच में हुई और जो इंश्योरेंस है, बाकायदा हर एक व्यक्ति को इसका इंश्योरेंस मिलेगा। उस इंश्योरेंस को हासिल करने के लिए हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से पूरी तरह से जो कानूनी मदद चाहिए, वह पहली बार दी जा रही है, पहले कभी दूसरी दुर्घटना में ऐसी कानूनी मदद नहीं दी गई। हमने कहा कि चाहे लाख रुपये खर्च क्यों न हों लेकिन अच्छे से अच्छे लायर्स को लिया जाय। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : सरकार को तुरन्त राहत देनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री सुरेश, मंत्री जी को टोकें नहीं, उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री सी.एम. इब्राहीम : उन्हें वह राशि मिलेगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए होंगे। परन्तु मैं आपको इतना बता दूं कि यहां हवाई पटिटयां पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बीच में न बोलें, इनको पूरा करने दें।

श्री सी.एम. इब्राहीम : यू.के. में हो गई, वहां कौन सा स्टैंडर्ड है। सालाना 180 एयर मिसहैप हो रहे हैं। लेकिन जितना हमारा स्टैंडर्ड है, यह आधुनिक और पुराने में एक ही फर्क है। अब 15 हजार फीट पर जाएं या 14 हजार फीट पर जाएं, मैं उसके पूरे विवरण में नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जांच समिति बन गई है और सारा मामला उसके सामने है। हमारा सेफ्टी का स्टैंडर्ड अंतराष्ट्रीय स्तर का है जो भी अच्छा काम होगा, उसके लिए लिख देंगे कि एम.डी. ने अच्छा काम किया है और गलत काम होगा तो कहें कि मंत्री जी की गलती है। अगर यही हाल रहा तो फिर कोई मंत्री सही काम कर ही नहीं सकेगा। मैं जार्ज फर्नान्डीज जी को कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में मौका मिले तो छः महीने के लिए इस मंत्रालय का कार्यभार संभाल कर देखें। नींद हराम हो जाती है, जब तक जहाज जमीन पर नहीं आता हमें चैन नहीं आता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : किसका आग्रह है, छोड़ दें। क्या हम पर मेहरबानी कर हैं?

श्री सी.एम. इब्राहीम : यह जनता का आग्रह और विश्वास है। जब आपको जनता का विश्वास प्राप्त होगा तो आप इसको लेकर देखें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, हम इस पर सदन में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्या यह हमें फिर से चर्चा के लिए कह रहे हैं?

सभापति महोदय : आप उनसे बात न करें।

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं समझता हूं जहां तक सिविल एविएशन में सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड का प्रश्न है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप है। विदेशों में इसका गलत प्रचार नहीं जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : आपने उड़ीसा यात्रा का जिक्र नहीं किया।

श्री सी.एम. इब्राहीम : उस समय ऐसा कुछ नहीं था, जिसने आपको बताया, गलत बताया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, आपने किसानों को मुआवजा देने सम्बन्धी भिवानी के माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैंने कहा कि सऊदी हुकूमत से हमने कहा है कि तेल गिरने से जितनी जमीन काश्त के लायक नहीं रही है, जब तक वह काश्त के लायक नहीं होती, कोई उचित व्यवस्था की जाए। मैं भारत सरकार की तरफ से गांव के किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने वहां पर राहत कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उनको जितना नुकसान हुआ है उसको लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यह आश्वासन मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं सभा की आम राय जानना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित हैं। उन्हें आन्ध्र प्रदेश पर हुई चर्चा का उत्तर देना है। अभी नियम 377 के अन्तर्गत कई मामलों पर भी चर्चा होनी है। उड़ीसा में सूखे की स्थिति पर भी नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी। यदि सदन की अनुमति हो तो मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूं कि वह अपना भाषण दें।

कई माननीय सदस्य : यह उचित है।

सभापति महोदय : क्या यह ठीक है? प्रधान मंत्री जी, क्या आप तैयार हैं?

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवे गौड़ा) : जी, हां।

अपराह्न 4.10 बजे

आन्ध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति–जारी

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं आन्ध्र-प्रदेश में आए समुद्री तूफान में किये गये राहत उपायों का विवरण देना चाहूंगा।

कल मेरे सहयोगी, कृषि मंत्री ने इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था और तत्पश्चात् सदस्यों ने स्थिति की गंभीरता और हुए नुकसान पर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए समुचित प्रबन्ध नहीं किए। सरकार पर किए गए आक्षेपों में यह भी एक आरोप था।

सर्वप्रथम मैं घटना का विवरण और ब्यौरा देना चाहूंगा। सारा नुकसान पिछले महीने की 6 तारीख को 4 घण्टों के बीच हुआ। 220 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका मुख्य कारण थीं। चाहे राज्य सरकारों ने इस संबंध में पर्याप्त चेतावनी पहले से दी थी, परन्तु समुद्री समुद्र तटों पर रहने वाले लोगों ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। हमारे कुछ मित्रों ने बताया ही है कि कुछ लोग झींगा और अन्य मछलियां लेने गए हुए थे। यही कारण है कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद इस तूफान में मारे गए दुर्भाग्यपूर्ण लोगों ने इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया।

मैं दस तारीख को वहां गया था। असल में मैं सात की सुबह को वहां जाना चाहता था। मैंने मुख्यमंत्री से सम्पर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी वहां वर्षा हो रही थी और वहां उतरना अथवा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना भी संभव नहीं था। मैंने आठ को उनसे पुनः सम्पर्क किया। आठ को भी उन्होंने मुझे वहां कुछ बताया। अतः मैं दस की सुबह को वहां गया। मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी सम्पर्क किया।

पांडिचेरी के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत कटु बातें कहीं हैं। राज्य चाहे पांडिचेरी हो, या आन्ध्र प्रदेश या तमिलनाडु किसी की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह इस क्षेत्र या इस क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। मैंने सम्बद्ध मुख्यमंत्रियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि नुकसान इतना अधिक नहीं हुआ जहां मेरे जाने की आवश्यकता हो, जब मैं आन्ध्र प्रदेश गया तब वहां मुख्यमंत्री और सभी नेता मौजूद थे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद, मैंने अधिकारियों और राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसके दौरान उनके द्वारा नुकसान का कुल आकलन 6,000 करोड़ के करीब आंका गया। उन्होंने इस बारे में विवरण भी दिए।

बाद में राज्य सरकार ने राहत हेतु केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। उसके अनुसार उन्हें लगभग 125 करोड़ रुपयों की राहत निधि की तत्काल आवश्यकता थी। फलों की फसलों के नुकसान का आकलन 4,136 करोड़ रुपये का था और इसके लिए 350 करोड़ की राहत की मांग की गई थी। आवासीय कालोनियों में 963 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया और केन्द्र सरकार से 1,042 करोड़ की रहत राशि की मांग की गई थी। कृषि के सम्बन्ध में नुकसान का आकलन 396.53 करोड़ रुपए का किया गया और 50 करोड़ की मुआवजा राशि मांगी गई।

आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 102 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और वह चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस सम्पूर्ण राशि की भरपाई करे। नगरपालिका क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और वह 100 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की मांग कर रहे हैं। पंचायती क्षेत्र में 150 करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र से 130 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में 45 करोड़ का नुकसान हुआ और वह केन्द्र से 30 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सड़कों और इमारतों के क्षेत्र में 35 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा था और इतना ही धन वह केन्द्र से मांग रहे हैं।

सिंचाई क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है और 80 करोड़ रुपए की केन्द्र से मांग रहे हैं। मछली-पालन क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पूर्ण राशि की मांग केन्द्र से कर रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र में 27 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया गया है और इस सम्पूर्ण राशि की मांग केन्द्र से कर रहे हैं। उद्योगों तथा रेशम उत्पादन क्षेत्र में क्षति 10 करोड़ रुपये की है और उन्होंने 6 करोड़ रुपये की मांग की है। जन स्वास्थ्य तथा सफाई क्षेत्र में उन्होंने 25 करोड़ रुपये की मांग की है। कुल मांगी गई धनराशि 2142 करोड़ रुपये है।

इसी धनराशि की आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने ज्ञापन में केन्द्र सरकार से मांग की है। कुछ इस बारे में यह कहते हैं कि हमने क्या कार्यवाही की है, अथवा यह कि सरकार निर्दयी है अथवा यह कि सरकार समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह कई माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया थी। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह ब्यौरा देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस सदन के माध्यम से केवल माननीय सदस्यों के लाभ के लिए और आम लोगों के लाभ के लिए क्या कार्यवाही की है। मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा देना चाहता हूं।

जिस दिन मैं वहां गया, मैंने 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। उसी शाम को मैंने वह धनराशि प्रदान की थी। मैं

लगभग चार बजे वापस आया और मैंने अधिकारियों को कहा था कि उक्त धनराशि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जायेगी।

93 करोड़ रुपये की समस्त धनराशि, जो आन्ध्र प्रदेश आपदा राहत निधि में केन्द्र सरकार का अंशदान था, पूरी तरह से प्रदान की गई है। नौवें वित्त आयोग के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार इसकी हकदार थी और इसे जारी किया गया था। 93 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि जारी की गई थी। आन्ध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री के समुद्री तूफान राहत कोष में अंशदान के लिए शत प्रतिशत आयकर छूट प्रदान की गई थी। हमने एक अध्यादेश लाकर उक्त छूट प्रदान की।

प्रधानमंत्री राहत कोष से 4.85 करोड़ रुपये मृतकों के परिवारों के लिए दिए गये थे। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा प्रदान किए गये आंकड़ों के अनुसार लगभग 970 व्यक्ति मारे गये हैं। हमने प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये की दर से 4.85 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

सड़कों को हुई क्षति को ठीक करने के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं। विद्युत मंत्रालय ने इस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए विद्युत आपूर्ति के स्रोतों की पुनर्बहाली, मरम्मत तथा उनमें पुनः कनैक्शन करने के लिए विद्युत वित्त निगम के माध्यम से 30 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी है। हमने भारत सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश के 8 जिलों में गुणवत्ता के मानदण्डों में छूट देते हुए धान की खरीद के लिए आदेश जारी किए गये हैं। बाढ़ के कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई है। फिर भी, हम उसे खरीदना चाहते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुणवत्ता के संबध में निर्धारित शर्तों में भी छूट प्रदान की गई है। केवल उन दो मिलों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 50 हजार टन चावल तदर्थ आबंटन के रूप में जारी किया गया है।

10000 लीटर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन भी जारी किया गया है।

केन्द्रीय करों का त्वरित विकेन्द्रीकरण तथा 331 करोड़ रुपये की साधन अग्रिम धनराशि का आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रस्ताव किया गया था ताकि राहत कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार की मुद्रा प्रसार स्थिति प्रभावित न हो। यह समस्या है और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसे भविष्य में समायोजित किया जायेगा। इसी कारण, वे 331 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि को अनुदान के रूप में लेना चाहते थे। इस एक क्षेत्र में राज्य सरकार उस धनराशि का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है जो हम जारी करने के लिए तैयार हैं।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने पश्चिमी गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी, दो जिलों को जवाहर रोजगार योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 11 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी की है। इसके अतिरिक्त, इन दो जिलों के लिए सामान्य आबंटन के अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन भी जारी किया गया है। हमने यह भी किया है।

फिर, हुडको ने उक्त जिलों में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण अथवा अंशतः क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 190 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 50 करोड़ रुपये अनुदान है और 140 करोड़ रुपये रियायती ब्याज दर पर ऋण है। इसके अतिरिक्त, हुडको ने 1.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ प्रभावित जिलों के लिए 10 भवन केन्द्रों का प्रस्ताव किया है।

स्थायी राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश में निधियों के प्रवाह में सुधार के लिए प्रदान की जा रही अन्य सहायता निम्नलिखित है।

ग्रामीण विकास उपकर के रूप में हमने 113 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह मुद्दा विगत कई वर्षों से लम्बित था और अभी भी विभिन्न अन्य राज्यों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। जहां तक उपकर का संबंध है, अन्य राज्य भी इसी तरह की वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं और संसाधनों की कमी के कारण हमने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन विशेषकर इस संबंध में, आन्ध्र प्रदेश राज्य की सहायता करने के लिए हमने खाद्यान्नों की खरीद के लिए 113 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास उपकर के रूप में जारी करने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों से इसकी मांग है, लेकिन मैं अब उन ब्यौरों में नहीं जा रहा हूं।

इसके अतिरिक्त, हमने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है। वास्तव में, अगले दिन इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम के द्वारा मैंने स्वयं अनुरोध किया। यह कोई दलीय मामला नहीं है और सभी राजनैतिक दलों को सहयोग करने के लिए आगे आना चाहिए। मैंने मुख्य मंत्री से भी लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि जो धनराशि जारी की जा रही है, वह कथित रूप से खर्च की जाये, सभी राजनैतिक दलों का सहयोग लेने के लिए अनुरोध किया और उन्हें यह बताया कि सरकार की विश्वसनीयता पर अनावश्यक रूप से शक करने की कोई गुंजाइस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे यह बताया कि उन्होंने पहले ही जिला स्तर पर एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है।

अतः, इसके अतिरिक्त, स्वयं 11 नवम्बर को हमने विश्व बैंक से सम्पर्क किया और विश्व बैंक के अध्यक्ष आवास निर्माण के लिए 100 मिलियन यू.एस. डालर जारी करने के लिए सहमत हो गये हैं जो लगभग 350 करोड़ रुपये बनता है तथा जो लगभग 40 वर्षों में वापस करने के लिए आसान शर्तों वाला ऋण है। अब, उन्होंने एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसे विचार हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आवास निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और समस्त परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

महोदय, हमने ये कुछ उपाय किए हैं। मेरे विचार से सरकार ने निर्णय लेते समय कोई गलती नहीं की है, जहां तक राहत कार्यों का

संबंध है। मैं पूरी ईमानदारीपूर्वक आपको बता सकता हूं कि यह अनुदान अथवा ऋण अथवा विशेष सहायता, जो भारत सरकार ने अभी तक प्रदान की हैं, के रूप में सर्वाधिक सहायता है। समुद्री तूफान पहले भी तमिलनाडु अथवा आन्ध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा अथवा पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं। इस तरह की क्षति पहले भी हुई थी। मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता कि उन दिनों कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। लेकिन जहां तक इन जिलों का संबंध है, जिनमें दो विशेष समुद्री तूफानों से क्षति हुई है, में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक जो कुछ किया गया है, वहीं तक सीमित रहूंगा। मैंने माननीय सदन के समक्ष तथ्य रखे हैं। महोदय, यहां कोई राजनीति मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है: और कोई विशेष व्यवहार करने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हमने समस्या की गम्भीरता को पूर्णतया समझते हुए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है। मुझे आशा है कि सदन हमारे द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दिए गये इस स्पष्टीकरण के पश्चात सन्तुष्ट होगा। मेरे विचार से सदन, कम से कम, मेरे साथ इस बात पर सहमत होगा कि सरकार विशेषकर इस संबंध में, ईमानदार है।

सभापति महोदय : श्री नरसिंह राव कुछ कहना चाहते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बरहामपुर) : महोदय, मैं प्रधानमंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन दो या तीन जिलों में हजारों बुनकर पूर्णतया बर्बाद हो गये हैं। सभी ने देखा है कि उनके हजारों करघे पूर्णतया नष्ट हो गये हैं और मैं सरकार से चाहता हूं कि वह उनको राहत देने तथा स्थायी आधार पर उनका यथोचित पुनर्वास करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे। यदि कुछ किया गया है, तो मुझे प्रधान मंत्री से उसके बारे में जानकर प्रसन्नता होगी।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : मैंने हथकरघों के संबंध में ब्यौरा दिया है। उन्होंने 27 करोड़ रुपये की मांग की है। मैंने सरकार द्वारा अब तक जारी की गई धनराशि की पहले ही सूची प्रदान कर दी है। कुल पैकेज लगभग 650 करोड़ रुपये बनता है।

यह विश्व बैंक से सुलभ ऋण के रूप में मिलने वाले धन के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, अब तक हमने 650 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : कृषि मंत्री ने कहा था कि 37 करोड़ रुपए नारियल के पेड़ों के लिए आवंटित किये गये थे और राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी।

श्री एच.डी. देवे गोड़ा : मैंने सब कुछ बता दिया है। मैं जल-भूतल परिवहन, विद्युत, विद्युत करघों की मरम्मत, आदि सहित सभी बातों का उल्लेख कर चुका हूं...**(व्यवधान)**

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, हम लोग कल से सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें पहले चरण में आये तूफान से हुए नुकसान को भी शामिल किया जाए। दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री के उत्तर में पहले चरण में आए तूफान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं। पहले चरण में आए तूफान के समय भी मैंने वहां का दौरा किया था। हमने पहले चरण में 50 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किये थे। इसमें उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसमें से 27 करोड़ अग्रिम के तौर पर दिया गया था और 23 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : महोदय समस्या कुछ ऐसी है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या आवास की है।

पहले चरण में ही करीब 90,000 से 1,00,000 घर आंशिक तौर पर या पूर्णतः बर्बाद हो गए हैं। दूसरे चरण में लगभग 6,00,000 घर आंशिक रूप से या पूर्णतः बर्बाद हो गए। केन्द्रीय सरकार के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि हुडकों द्वारा 150 करोड़ रुपए की ऋण या सहायता और संभवतः 300 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दूसरे चरण में आवास कार्यक्रमों हेतु 1000 करोड़ रुपए की सहायता का अनुरोध किया गया था। हो सकता है कि पहले चरण हेतु भी उसे 1000 करोड़ रुपए की और आवश्यकता हो।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे पर पर्याप्त उत्तर दे दिया है।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : आवास लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आगामी तीन-चार वर्षों के दौरान सभी लोगों को उपलब्ध कराना केन्द्रीय सरकार की नीति है। राष्ट्रीय मोर्चा के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के अनुसार भी अगामी तीन-चार वर्षों के दौरान सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानमंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि, पहले और दूसरे चरण में जो घर आंशिक या पूर्णतः बर्बाद हो गये हैं, विश्व बैंक या हुडको या इंदिरा आवास योजना या किसी अन्य तरीके से, पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए?

सभापति महोदय : श्री मूर्ति, अब आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : पहले उत्तर आने दीजिए।

सभापति महोदय : पहले श्री मूर्ति को बोलने दीजिए और फिर प्रधानमंत्री उत्तर देंगे। श्री मूर्ति, आप संक्षेप में बोलें।

श्री के.एस.आर. मूर्ति (अमलापुरम) : हम माननीय प्रधान मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा 2400 करोड़ रुपए की सहायता की मांग के विरुद्ध उन्हें विश्व बैंक द्वारा अब तक दी गई सहायता सहित 835 करोड़ रुपए की सहायता की पेशकश की गई है।

सभापति महोदय : कृपया दोहराइये नहीं। श्री राजशेखर रेड्डी पहले ही प्रश्न उठा चुके हैं।

श्री के.एस.आर. मूर्ति : जहां तक बागवानी का संबंध है, इसके लिए लगभग 350 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए कितनी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी इसका कोई संकेत नहीं है। कृषि हेतु राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए मांगे हैं। बुनकरों के अलावा मछुआरे का एक ऐसा बड़ा भाग भी है जिनकी नावें और जाल खो गये हैं। इन क्षेत्रों के लिए हमें कितना मुआवजा दिया जाना है। धन्यवाद।

श्री जी.ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, अपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने खोये हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई उल्लेख क्यों नहीं किया है। लगभग 1000 मछुआरों का अभी भी कोई पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री ने इस संबंध में राष्ट्र से कोई आम अपील नहीं की।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : हे भगवान।

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरन्नूल) : कृषि मंत्री ने सुबह कहा था कि नारियल के पेड़ लगाने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा 63 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और प्रत्येक नष्ट हुए पेड़ के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि यह राशि 200 रुपए प्रत्येक पेड़ की जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने मछुआरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। इन मछुआरों को नावें और जाल दिये जाएं। तत्पश्चात् फसल बीमा का भी ध्यान रखा जाए। माननीय कृषि मंत्री इस स्थिति से निपटने के लिए एक आधार-पोत खरीदने का उल्लेख कर रहे थे जो समुद्र के बीच में लंगर डालेगा जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मछुआरे उसमें शरण ले सकेंगे। लेकिन यह जहाज किसके कीमत पर खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह जहाज राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की कीमत पर खरीदा जाएगा। हम उन सभी व्यक्तियों और राजनैतिक दलों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दलगत भावनाओं से ऊपर आकर हमारा समर्थन किया है। हमारी मांग है कि 331 करोड़ 3पए की धनराशि अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए और हम इस बात से दुःखी हैं कि ज्यादातर चीजें ऋण के रूप में दी जा रही हैं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

डा. एम. जगन्नाथ : भारत सरकार से हमें जो मामूली सहायता मिली है उससे हम खुश नहीं हैं। धन्यवाद।

श्री पी. कोदंड रमैया (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश में तूफान से हुई तबाही के संबंध में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, जो कि एक बवंडर के स्वरूप का था और भारत सरकार द्वारा जो भी किया गया उस संबंध में विरोध और सहमति जाहिर की गई। प्रधान मंत्री इससे काफी चिंतित थे और यही कारण था कि उन्होंने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का शीघ्रातिशीघ्र दौरा करके स्वयं वहां का सर्वेक्षण भी किया। बाद में, उन्होंने इस सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री को वहां भेजा।

और फिर प्रधानमंत्री ने इसके सहायतार्थ हैदाराबाद में कुछ घोषणायें कीं और फिर बाद में दिल्ली में। इसके सहायतार्थ आंध्र प्रदेश द्वारा ज्ञापन दिया गया और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई ज्यादातर मांगे स्वीकार कर ली हैं।

यहां एक बात समझने वाली है। प्राकृतिक आपदाओं हेतु दी जाने वाली सहायता कैसी होनी चाहिए इसके लिए दसवें वित्त आयोग ने कुछ कहा था परन्तु भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकर की मांग को पूरा करने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से भी आगे निकल गई। यह बात समझने वाली है आंध्र प्रदेश की सहायता देने में आप कभी पीछे नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उमा जी, मध्य प्रदेश में तो कोई डैमेज नहीं हुआ?

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : डैमेज तो नहीं हुआ चूंकि मैंने इस डिबेट में भाग लिया था और मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं आया, सिर्फ वे ही बातें मुझे प्रश्न के रूप में पूछनी हैं। मुझे कोई भाषण इस अवसर पर नहीं देना है बल्कि सिर्फ कुछ प्रश्न ही प्रधानमंत्री जी से पूछने हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि हमारे यहां एक नैचुरल कैलेमिटी फण्ड बना हुआ है जिसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसमें से शायद, प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 93 करोड़ रुपए आन्ध्र प्रदेश को दिए गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वे इस कमेटी की बैठक बहुत शीघ्र बुलाएंगे क्योंकि 800 करोड़ रुपया इस प्रकार की कैलेमिटी को देखते हुए बहुत कम है, क्या इस प्रावधान को बढ़ाएंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस सरकार की आयु कितनी है, वह किसी को नहीं मालूम लेकिन इस प्रकार की घटना देश में आगे न घटने पाएं...

सभापति महोदय : उमा जी, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, आप उसी तक अपने को रैस्ट्रिक्ट रखिए।

कुमारी उमा भारती : मैं वही आ रही हूं और जानना चाहती हूं कि आगे इस प्रकार की घटनाएं न घटने पाएं, उसके लिए 1978-79 के टाइम जो कदम उठाए गए थे, जिन्हें बीच में ही रोक दिया गया था, क्या प्रधानमंत्री जी उन लोगों पर दया करके, जो ऐसी घटनाओं में मारे जाते हैं, फिर से उस व्यवस्था को लागू करेंगे क्योंकि वह बीच में ही लटक कर रह गई थी।

इसलिए मेरे दो सवाल हैं-एक में घरेलू कैलेमिटी रिलीफ फंड की बैठक शीघ्र बुलाने के बारे में उसके प्रावधान को बढ़ाने के बारे में और दूसरा जब भी ऐसी घटना हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक हो...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एम. सैल्वारासु (नागापट्टीनम) : माननीय प्रधान मंत्री के उत्तर के अनुसार, यनम तूफान प्रभावित क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि यनम, जो कि पांडिचेरी के अन्तर्गत आता है, को कितनी धनराशि दी जा रही है। यह बहुत ही छोटा क्षेत्र है।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री ने विशेषतः पांडिचेरी के बारे में जिक्र किया था।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी (खम्माम) : मैं तेलुगू में बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपको अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने अपने भाषण को भाषान्तर करने हेतु पहले से अनुवादक के लिए कह रखा है।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : नहीं, अब मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा।

दिनभर की चर्चा के बाद, प्रधानमंत्री ने कोई भी नई बात की घोषणा नहीं की है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रधान मंत्री हमारे साथ नहीं हैं। इसलिए, कृपया आंध्र प्रदेश को दी जा रही सहायता पर पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री बिलकुल आपके साथ हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वह हमारे साथ नहीं हैं। वह यहां हमारे साथ हैं।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : मेरी विनम्र सलाह यह है कि कृपया दिए गए वक्तव्य पर पुनर्विचार किया जाए। ऋण का भार बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री द्वारा घोषित धनराशि पर उनके द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा। कृपया आज कम से कम 50 करोड़ रुपए की और अधिक धनराशि की घोषणा करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या आप मुझे श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी जो कह रहे हैं उसको स्पष्ट करने की अनुमति देंगे? दी जा रही कुल धनराशि अनुदानों और ऋणों में विभक्त की गई हैं। सभी राज्य अपने आपको अत्यधिक ऋणी मानते हैं। वह सुझाव दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री कृपया कुल धनराशि, जो कि दी जा रही है, में ऋणों के भाग को कम करने और अनुदानों के भाग को बढ़ाने पर विचार करेंगे।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मुझे केवल एक ही टिप्पणी करनी है या सुझाव देना है। जब बड़ी संख्या में मकानों का पुनर्निर्माण या मरम्मत या नया निर्माण कराया जाएगा, तब क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि तूफान का सामना करने लायक कुछ व्यवस्थाएं की जायें?

यह सही है कि जहां पर बहुत तेज तूफान आता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। परन्तु एक कम तीव्रता वाले तूफान की स्थित में मकानों की सुरक्षा की जा सकती है। यह नई प्रौद्यागिकी को विकसित करने, नई सामग्री को प्रयोग में लाए जाने और पूरी तरह नष्ट हुए मकानों को नई जगहों पर बनाने का प्रश्न है। यदि उनको नई जगहों पर बनाना है जो उनको ऐसी जगहों पर बनाया जाना चाहिए जहां पर तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रभावी तूफान के आने पर उनके नष्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा नहीं रहे।

सभापति महोदय : क्या प्रधानमंत्री इन प्रश्नों में से किसी पर उत्तर देना चाहेंगे?

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : श्रीमान, मैं केन्द्रीय सहायता जो कि ऐसी परिस्थितियों में दी जाती है, के बारे में फिर से स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सूखे या बाढ या तूफान में से किसी से भी होने वाले नुकसान की मात्रा कुछ भी होने पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला धन एक अल्प धनराशि हुआ करती थी। केवल योजना सहायता दी जाती थी। केन्द्रीय सहायता मात्र एक अलप धनराशि होती थी। मेरे विचार से, नौंवे वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष बनाने की सिफारिश की है। तब तक यह गैर-योजना सहायता के अन्तर्गत केन्द्र से तदर्थ सहायता के रूप में दी जाती थी। भारत सरकार के पास जो भी धन उपलब्ध होता था उसमें से वह 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए जैसी राशियां दिया करते थे। मैं कुछ देर बाद इसका ब्यौरा दूंगा।

दसवें वित्त आयोग को सिफारिश के अनुसार आपदा राहत कोष में 1,197 करोड़ रुपए होंगे जिसमें से 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण भाग होगा। दसवें वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारिश में दर्शायी गई अधिकतम धनराशि राजस्थान को 179 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश को 124 करोड़ रुपए और गुजरात को 139 करोड़ रुपए है। मैं इस मामले में राजनीति नहीं लाना चाहता। प्रति वर्ष तीव्र बाढ़ों से बिहार को होने वाले नुकसान की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहां पर छः या सात नदियां है। यही स्थिति असम की है। बिहार के लिए यह केवल 51 करोड़ रुपए है। यह कैसे हो गया इन सब बातों को मैं उठाना नहीं चाहता हूं। सीमित रूप में, मैं केवल कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं...**(व्यवधान)** कृपया धैर्य रखिए। सभा में आन्ध्र की राजनीति को न लाइए। मैं इसके बारे में सुन चुका हूं। सदस्य कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं सभा का ध्यान एक पहलू पर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय आपने मुझसे पूछा है कि 1964 में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ और मई 1990 में क्या हुआ। मैं आपको ब्यौरा दूंगा। 1900 में नष्ट हुए मकानों की संख्या 13,96,000 थी। इस समय उनके आंकड़ों के अनुसार यह 6,41,000 है। मैं यह बताना चाहूंगा कि उस समय दी गई सहायता की धनराशि क्या थी। हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि यह सरकार इस मुद्दे के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस सरकार ने कतिपय मानवीय आधारों पर कुछ निर्णय लिए हैं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : राज्य सरकार के अनुसार उस समय होने वाले नुकसान का आंकलन 2,247 करोड़ रु. था। भारत सरकार की ओर से जो दल गया था उसने 168 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी जबकि क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 13,96,000 थी। जिसमें से, भारत सरकार के अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप ने 1990 की आपदा के सम्बन्ध में

केन्द्रीय राहत कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास उपलब्ध 96 करोड़ रुपये की कटौती करके राज्य सरकार को 167.54 की सहायता की सिफारिश की थी। कृषि मंत्रालय ने 81.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत का प्रस्ताव किया था। इसे अगस्त, 1991 में मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा गया था। इस पर निर्णय आस्थगित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल द्वारा 1992 में इस परिवर्तन के साथ सिफारिश की गई 31.5 करोड़ रुपए की सहायता में से 75 प्रतिशत को अनुदान समझा जाये और 25 प्रतिशत को ऋण समझा जाए। फिर भी, प्रकतत यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान से ज्यादा किसी भी अतिरिक्त सहायता के अनुदान पर वित्त मंत्रालय ने आपत्ति प्रकट की थी। मेरे माननीय साथी कहते हैं कि यह सरकार सहृदय नहीं है।

सभापति महोदय : श्रीमान मूर्ति जी कृपया व्यवधान न डालें। पहले प्रधानमंत्री को अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : सौतेले व्यवहार में हमने भाग नहीं लिया था।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : हमें इस मामले में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं इसके बारे में जानता हूं। मैंने 650 करोड़ रुपए का एक कुल पैकेज दिया है और इसके अलावा हम 331 करोड़ रुपये जारी करना चाहते हैं। और वह कहते हैं, कि हमें यह नहीं चाहिए। राज शेखर रेड्डी जी आपने 1,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। हम विश्व बैंक से मकानों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ के लिए सिफारिश कर चुके हैं। परन्तु राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग थी? राज्य सरकार ने आवास निर्माण के लिए 963 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस 1,000 करोड़ रुपए, जिसके लिए हमने विश्व बैंक से सिफारिश की है, के अलावा हम हुडको के साथ भी पहले ही कुछ कदम उठा चुके हैं। मैं यह ब्यौरा भी दे चुका हूं कि यह कितना है। हुडको ने 180 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 50 करोड़ रुपए अनुदान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 60 करोड़ रुपए आने की सम्भावना है। 93 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष है जिसे राज्य सरकार विधि सम्मत रूप से प्राप्त करेगी।

इसके अतिरिक्त, 113 करोड़ रुपए उपकर के रूप में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कहना कि खाद्यान्न खरीद के सम्बन्ध में हैं हमने यह निर्यण लिया है। यह सब मिलकर 650 करोड़ रुपए होते हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या विदेश मंत्री अफगानिस्तान पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम विस्तार से चर्चा कर चुके।

(व्यवधान)

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : हमारा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जा रहे वक्तव्य से सरोकार नहीं है।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने आपको स्पष्ट और बहुत संतोषप्रद उत्तर दिया है। आपकी राज्य सरकार ने केवल 900 करोड़ रुपये मांगे थे। उन्होंने 1000 करोड़ रुपये की सिफारिश की है।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है। यह उस सियार की कहावत की तरह है जो ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठा है और ताजमहल उसी के सिर पर गिर जाता है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक वैसी है। इसलिए वह वस्तुतः हाथ में भीख मांगने का कटोरा लेकर हर राज्य और हर संभव स्थान जा रही है। अतः राज्य सरकार की गंभीर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत....

सभापति महोदय : मैं नहीं मानता कि यह भीख मांगने जैसी स्थिति है। जब भी इस तरह की विपदायें आती हैं हर किसी को भटकना पड़ता है।

(व्यवधान)

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : कम से कम आवास के पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का भी हिस्सा है।

सभापति महोदय : श्री राजशेखर रेड्डी कृपया

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब माननीय विदेश मंत्री अफगानिस्तान के बारे में वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विदेश मंत्री बोल रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, एक मिनट जो भी विचार माननीय सदस्य राजशेखर रेड्डी ने व्यक्त किए मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहता हूं। सभी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति एक जैसी है। यह मत सोचिये कि आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है और अन्य राज्य वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं ...**(व्यवधान)** हम जानते हैं वह यह है। केन्द्रीय सरकार सहित ...**(व्यवधान)** पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इसे क्यों अस्वीकार किया गया? ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में अनावश्यक रूप से राजनीति करने की कोशिश मत कीजिये।

आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की। मैंने पहली बार इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण देश- राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं से अपील की जो सभी अखबारों में छपा। महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि तीन दिन के अन्दर मैं अपना एक महीने का वेतन भेज दूंगा और मैं यह कहना नहीं चाहता हूं। और मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता

हूं। मैंने अपने वेतन का चेक तीन दिनों के भीतर भेजा और मैंने जनता से भी इसके लिये निवेदन किया। भगवान के लिए इस मामले में राजनीति मत कीजिये। अन्य राज्य भी हैं। जब हम संपूर्ण देश के बारे में सोचना चाहते हैं तो हमें इसमें राजनीति को लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हमारी पार्टी का प्रत्येक सदस्य पहले ही 5000 रुपये दान कर चुका है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब मेरे विचार से इस विषय पर बहुत विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जगन्नाथ जी, कृपया बैठ जाइये

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं माननीय विदेश मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे "अफगानिस्तान में स्थिति" के बारे में वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें सभा में कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हां, विदेश मंत्री जी।

अपराह्न 4.49 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अफगानिस्तान की स्थिति

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, अफगानिस्तान में हाल की घटनाओं ने सबका ध्यान आकर्षित किया है और सभी के लिए चिन्ता की बात है। 27 सितम्बर को तालीबान सैनिकों के हाथों काबुल सरकार की पराजय निर्णायक बिन्दु थी। इसके फलस्वरूप पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला और उनके भाई की निर्मम हत्या हुई। यह और भी अधिक हृदय विदारक है क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में थे जिससे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। भारत सरकार और मैंने अपनी ओर से इस दुखदायी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

तालीबान नेतृत्व द्वारा अपनाए जाने वाले अस्पष्टता के सिद्धान्त तथा तत्पश्चात् मानवाधिकारों विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की व्यापक रूप से निन्दा की गई है। इन घटनाओं की विवक्षाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, विशेष रूप से भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले विपरीत खतरों का। हम अफगानिस्तान की घटनाओं पर निकट से दृष्टि रखे हुए हैं और अपने संदर्भ में इनका मूल्यांकन करते हैं।

अफगानिस्तान में स्थिति अस्थिर बनी हुई है। जो विपक्षी दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं वे हैं-तालिबान और अफगानिस्तान की सुरक्षा से सम्बद्ध सर्वोच्च परिषद बल (एस सी डी ए) (जिसमें सरकार, जनरल रसीद दोस्तूम और हिज्बे वाहदत्त नेता करीमा खलिली के बल शामिल हैं) । काबुल के अड़ोस-पड़ोस और अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में सीमाओं में तनाव है और इक्का-दुक्का घटनाएं जारी हैं। कुछ समय की स्थिरता के बाद काबुल के उत्तरी भाग में भारी लड़ाई होने की खबरें मिली हैं। सर्दी का मौसम शुरू होने से लोगों के सामने कठिनाइयां बढ़ जाएंगी और मानवीय सहायता की उनकी आवश्यकता में वृद्धि होगी।

हमने राष्ट्रपति श्री रब्बानी के नेतृत्व वाली वैध सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखा है। हालांकि हमने 27 सितम्बर, 1996 को काबुल स्थित अपना राजदूतावास बन्द कर दिया था परन्तु दिल्ली स्थित अफगान दूतावास काम कर रहा है। जैसाकि माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में खाद्य शिखर सम्मेलन के सिलसिले में अपनी रोम यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री रब्बानी से मुलाकात की थी। हमने विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 10 नवम्बर को जनरल रसीद दोस्तूम से मुलाकात के लिए मजारे-शरीफ भेजा था। हम उन देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं जो अफगानिस्तान के मामले में दिलचस्पी रखते हैं। यह मान्यता की बात है कि भारत की अफगानिस्तान में सक्रिय दिलचस्पी है और इसलिए वहां शांति और अमन बनाए रखने में भारत सहयोग कर रहा है। जैसाकि विदित है कि तेहरान में अक्तूबर में सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ईरान ने भारत को आमंत्रित किया है। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान ने भारत के भाग लेने का विरोध किया परन्तु ईरान द्वारा उसकी बात को मानने से इन्कार कर दिए जाने पर पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 19 देशों के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई जिन्हें अफगानिस्तान के बारे में जानकारी थी, उसमें रूचि थी और उस पर प्रभाव रखते थे। भारत को इसमें आमंत्रित किया गया था और हमने 18 नवम्बर, को हुई इस बैठक में भाग लिया था। अफगानिस्तान को सहायता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी भारत को आमंत्रित किया गया है। हमने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। इस सम्मेलन के आयोजन स्थल का सुनिश्चय अभी किया जाना है। पहले इसे पेशावर में आयोजित करने का प्रस्ताव था परन्तु पाकिस्तान को भारत की भागीदारी पर ऐतराज होने के कारण इस प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा।

अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में हमारे रवैये की विशेष बातें इस प्रकार हैं :—

* भारत अफगानिस्तान की एकता, स्वाधीनता, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पूरी तरह समर्थन करता है। अफगान लोगों के कल्याण और अफगानिस्तान की प्रदत्त

सामरिक अवस्थिति और समस्त क्षेत्र की शान्ति और स्थायित्व क लिए ये अत्यावश्यक हैं।

* स्थिति के समाधान के लिए अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप को रोकना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

* इसका कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। अफगान पक्षों के बीच शान्तिपूर्ण विचार-विमर्शों और बातचीत के माध्यम से इस स्थिति को सुलझाना होगा। अफगान नेताओं पर यह जिम्मेदारी है कि वे विवाद और संघर्ष का रास्ता छोड़ दें और शान्ति की स्थापना करें, इससे अफगानिस्तान में मेल-मिलाप और नवीकरण और पुनर्निर्माण हागा।

* अफगानिस्तान में शान्ति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसके विशेष प्रतिनिधियों के प्रयासों का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र विशेष मिशन ने अपने कार्य को धैर्य और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया है। भारत उनके प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

* काबुल के हिंसा और सशस्त्र युद्ध के रुकने से और सैनिक शासन को हटाने से राजनीतिक प्रक्रिया के लिए सही माहौल बनेगा। इन पर सक्रिय रूप से अमल करना चाहिए।

* अफगानिस्तान को होने वाली शस्त्रों की आपूर्ति को रोका जाना चाहिए। इस विचार को सावधानीपूर्वक कार्य रूप में परिणत करना होगा।

* अफगानिस्तान में संघर्ष के परिणामस्वरूप नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार और आतंकवाद में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह चिंता का विषय है।

हाल ही में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के हनन से हम बहुत अधिक चिंतित और व्यथित हैं। हम संयुक्त सुरक्षा परिषद संकल्प 1076 में निहित इन कार्यों की भर्त्सना करते हैं। यह संकल्प अफगानिस्तान में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव और मानवाधिकारों के अन्य उल्लंघनों और अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की निन्दा करता है और अफगानिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों पर तीव्र संभावित प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।

अपराह्न 5.00 बजे

इस संदर्भ में, मैं पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला और उनके भाई की नृशंस और घृणित हत्या का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला का परिवार 1992 से भारत में रह रहा है। व्यक्तिगत रूप से दुख व्यक्त करते हुए मैंने श्रीमती नजीबुल्ला को बताया कि अपने भविष्य के बारे में स्वाभाविक रूप से निर्णय लेते समय हम उन्हें अतिथि का सम्मान देंगे और उनके परिवार के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

अनिश्चितता के इस वातावरण में हमने अफगानिस्तान को जो मानवीय सहायता दी थी हम उसे बरकरार रखेंगे। यह सहायता दवाइयों, खाद्यपदार्थ तथा कपड़ों के रूप में होगी। उन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए सामान्य रूप से जिनके भू-सुरगों में अंग-भंग हो गए थे, हमने काबुल में अगस्त सितम्बर, 1996 में एक महीने की अवधि का कैम्प लगाया था। इस कैम्प में 1100 से अधिक अंग लगाए गए।

तालिबान हरकत-उल-अंसार को आंतकवादी प्रशिक्षण सुविधाएं दे रहा है, अतर्राष्ट्रीय मीडिया में हाल ही में छपी इन विश्वसनीय रिपोर्टों की हमें जानकारी है। यह बताया गया है कि इन कैम्पों में पाकिस्तानी तथ अन्य नवयुवकों को कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार और हमारे देश के लोग सतर्क हैं और देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

अफगानिस्तान के साथ हमारे कार्य-कलाप रचनात्मक और सकारात्मक हैं। ये किसी अन्य देश के प्रति दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। इसका प्रयोजन एक ऐसे देश में शांति और स्थायित्व लाने में सहायता करना है जिसके साथ हमारी सभ्यता की समानताएं हैं तथा जिसके साथ भ्रातृत्व, मैत्री और सहयोग के संबंध हैं।

अपराह्न 5.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में रसोई गैस बिक्री केन्द्र शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी ललितपुर जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ललितपुर में भारत पैट्रोलियम की एक अतिरिक्त गैस एजेंसी आरंभ करने का विज्ञापन किया जा चुका है तथा नगर महरौनी तथा तालबेहट में एल.पी.जी. की योजना को आरंभ करने को अनुमति दी जा चुकी है। झांसी जनपद के नगर झांसी में तीन और रानीपुर में एक एल.पी.जी. की एजेंसी 1994-95 की योजना में खुलने का निर्णय ले लिया गया है, इस बारे में विज्ञापन भी हो चुका है। नग बरुवासागर, चिरगांव, मोठ, गुरसराय और बड़गांव में एल.पी.जी. एजेंसी आरंभ करने हेतु इन्हें 1995-96 की योजना में सम्मिलित किया गया है।

उक्त एजेंसियों के सम्बन्ध में मुझे दी गई जानकारी के बावजूद कोई भी एजेंसी प्रारम्भ नहीं हुई है। अतः पैट्रोलियम मंत्रालय से मेरी मांग है कि अविलंब ये सभी एजेसियां आरंभ कराई जाएं जिससे मेरे क्षेत्र की एल.पी.जी. की गंभीर समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

(दो) केरल में मेन सेन्टर रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल की मैन सेन्टर रोड एक महत्वपूर्ण सड़क है जो ट्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में कई शहरों से जुड़ी है, इस सड़क के त्रिवेन्द्रम-अंगामली खंड पर यातायात में बहुत वृद्धि हुई है और आये दिन कई दुर्घटनाएं हो रही हैं।

केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सड़क को पहली प्राथमिकता देने और इसका दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की सिफारिश की है। यह इस क्षेत्र के लोगों की काफी समय से लम्बित मांग हैं।

मैं इस पर केन्द्रीय सरकार से गंभीरता से विचार करने और मैन सेन्टर रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में लोज का आग्रह करता हूं।

(तीन) तमिलनाडु में चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन जंक्शन के निकट एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के. परसुरामन (चेंगलपट्टू) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चेंगलपट्टू, जो मद्रास-हगगोरे के बाद पहला रेलवे स्टेशन जंक्शन है, में रेलवे स्टेशन के पास राजमार्ग संख्या 45 से एक सड़क निकलती है जो कलपक्कम, थिरूकाजू कन्द्रम और ममल्लापुरम, प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र और नौंवी तथा बारहवीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं का एकमात्र समुद्री पत्तन था, को जाती है।

चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन के पास सड़क के आरपार रेलपथ है जो इन तीन प्रसिद्ध नगरों की ओर जाता है। इस सड़क पर सदा भारी यातायात रहता है क्योंकि हजारों लोग और बड़ी-बड़ी मशीनें प्रतिदिन कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केन्द्र की ओर जाती हैं। यात्री थिरूकाजुकुनरम और पल्लव वहां के प्रसिद्ध पतन नगर, ममल्लापुरम जहां ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित हैं और दुनिया भर के पर्यटकों को दिखाये जाते हैं, को जाते हैं।

महोदय, इस जगह पर विशेषकर भीड़भाड के समय रेल फाटक बारंबार और निरंतर लंबे समय तक बंद रहने के कारण हजारों लोगों को प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। लोग दुर्घटनाओं को रोकने और इस भीडभाड़ वाली सड़क पर बिना अवरूद्ध के यातायात जारी रखने के प्रयोजन से इस व्यस्त रेल फाटक पर एक उपरि पुल का निर्माण किये जाने की मांग करते रहे हैं।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस स्थान पर उपरि पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार करने और इसे स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह करता हूं ताकि उपरि पुल के निर्माण का काम शीघ्र हाथ में लिया जा सके।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश के देवरिया, पदरौना तथा बलिया जिलों में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढे जाने की आवश्यकता

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के देवरिया, पदरौना तथा बलिया जनपदों में गंगा, घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक, छोटी गंडक, खनुवा आदि नदियां स्थित हैं। इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती है जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इससे किसानों की माली हालत प्रतिवर्ष घटते-घटते गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गयी है। बाढ़-बचाव में हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। बाढ़ समाप्ति के बाद शासन का ध्यान इधर से हट जाता है जिससे स्थायी हल नहीं हो पाता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बाढ़ से बचाव के लिए स्थायी हल हेतु तकनीकी जांच कराकर धन आवंटित किया जाए।

(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, बिहार राज्य का जहानाबाद जिला उग्रवाद से पीड़ित माना गया है। वहां अशिक्षित लोग हैं। वहां पर उग्रवाद, जातिवाद एवम् सम्प्रदायवाद पनपता है। मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह जी के पास आवेदन पत्र दिया था कि जहानाबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए, उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अपने मंतव्य के साथ भिजवाया था। संगठन ने अपने जहानाबाद शाखा में अपने अधिकारियों को इस आशय की सूचना भिजवायी थी। अधिकारियों ने मुझे सूचित किया था कि पांच कमरे, बरामदा के साथ प्रशासनिक बिल्डिंग और सामूहिक शिक्षा कक्ष, छापाखाना, पखाना, पेशाबखाना के साथ 15 एकड़ में उपलब्ध कीजिए। शहरी इलाका में 15 एकड़ जमीन मिलना कठिन है। इसलिए सरकार ने उसको कम रखा है। इसलिए किसानों से एक ही जगह दस एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई। स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की कोलतार की सड़क बनवाई गई। ये सभी जमीन, भवन निर्माण सब मिलाकर एक करोड़ रुपए खर्च हुए। कलैक्टर जो कि विद्यालय का चेयरमैन होता है, उससे पूछा गया था। कलैक्टर मे पूरी रिपोर्ट

वीडियो कैसेट बनाकर, फोटोग्राफ लगाकर भिजवा दी थी। लेकिन अभी तक विद्यालय नहीं खोला गया। इस शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय नहीं खोले जाने की वजह से लोगों में असंतोष व्याप्त है। इसलिए इस वर्ष विद्यालय को शुरू कर दिया जाए।

[अनुवाद]

(छ:) सोनारपुर-कैनिंग रेल लाइन का दोहरीकरण और सियालदाह-कैनिंग ब्रांच लाइन पर सवारी डिब्बों की हालत सुधारे जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पूर्वी रेलवे पर सियालदाह केनिंग रेल लाइन देश में निर्मित दूसरी पुरानी रेल लाइन मानी जाती है। केनिंग सुंदरबन क्षेत्र का द्वार है, जो अपने अनोखे जीवजन्तु और वनस्पति तथा कच्छ वनस्पति जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु यह दरिद्रता से भरा क्षेत्र है जिसमें कोई उद्योग नहीं है और स्थानीय जनता पर्यटन यातायात पर निर्भर है। इस समय सियालदाह और सोनारपुर के बीच दोहरी लाइन है, मेरा सुझाव है कि नवीं योजना के दौरान मात्र 25 कि.मी. लम्बी सोनारपुर-केनिंग लाइन का दोहरीकरण किया जाए ताकि पर्यटन यातायात को बढ़ावा मिले और वहां की दरिद्र जनता अपनी गुजर बसर कर सके। ऐसा किये जाने तक, मेरा सुझाव है कि सोनारपुर से केनिंग तक के इस खंड पर रोकन राहत प्रणाली आरंभ की जाए जिससे पर्यटकों को रेलगाड़ियों के गुजरने का इंतजार करने का समय बचाया जा सकें और सियालदाह-केनिंग शाखा लाइन पर सवारी डिब्बों की स्थिति में सुधार और डिब्बों में वर्तमान प्रबंध को सुदृढ़ किया जाए ताकि देशी और विदेशी पर्यटक खिड़कियों के शटर गायब होने और बैठने की व्यवस्था न होने के कारण परेशान न हों।

(सात) सम्बलपुर, झारसुगुडा और सुन्दरगढ़ जिलों को नवसृजित पूर्व तटीय रेलवे के क्षेत्राधिकार में लाये जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि काफी विलम्ब के पश्चात ही सही, पूर्व तटीय रेलवे नाम का नया रेल जोन स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा परन्तु फिर भी बम्बई-हावड़ा रेलमार्ग पर उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र जैसे सम्बलपुर, झारसुगुडा और सुन्दरगढ़ को वहां के लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत इस नए रेल जोन में नहीं रखा गया है। इस क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय गारडन रीच, कलकत्ता में है, के क्षेत्राधिकार में रखना तर्कसंगत नहीं है। इसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष और रोष व्याप्त है।

इसलिये, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को स्वयं देखें और स्थिति को अविलम्ब सुधारें।

अपराह्न 5.11 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय कृषि मंत्री की ओर से श्री श्रीकान्त जेना उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : माननीय कृषि मंत्री जी दूसरे सदन में व्यस्त हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. एम.पी. जायसवाल (बेतिया) : मेरा भी नियम 377 था उसका क्या हुआ?

सभापति महोदय : आप स्पीकर साहब से मिल लें। मुझे जो उन्होंने आदेश दिये थे वे नाम मैंने पढ़ दिए हैं।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी को सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री श्रीकान्त जेना : वे आ रहे हैं। वे दूसरे सदन में हैं। मैं वक्तव्य पढ़ देता हूं, उसके पश्चात आप भाग ले सकते हैं। इस दौरान वे भी आ जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि सभा में नियम 193 के अधीन उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित रहेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हां।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : इस दौरान दिल्ली विकास विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, नहीं। यह सम्भव नहीं है।

महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री की ओर से उड़ीसा में सूखे की स्थिति और सरकार द्वारा चलाए जा रहे सहायता तथा पुनर्वास उपायों के बारे में वक्तव्य देने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं। साधारणतः, मानसून जून के आरम्भ में आता हैं और सितम्बर के अन्त तक जारी रहता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 1482 मि.मी. वर्षा होती है। चालू वर्ष में कुछ क्षेत्रों में मानसून विलंब से आया और वर्षा कम हुई तथा कभी-कभार ही हुई। जुलाई और सितम्बर माह में वर्षा

औसत से काफी कम हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा 24 प्रतिशत कम हुई। उड़ीसा सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार 30 में से 26 जिलों के 27,08। गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है। यह उड़ीसा सरकार द्वारा पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित है। सबसे खराब स्थिति बोलंगीर, कालाहाण्डी, नयागढ़, नौपदा और रायगढ़ जिलों में है।

अपराह्न 5.13 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

कम और अनियमित वर्षा के कारण और नमी के कारण 1996 के खरीफ मौसम में धान और अन्य फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभिन्न बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों में पानी की कमी के कारण सिंचित क्षेत्रों में भी पानी की समुचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार कुल 26 लाख टन फसल, जिसका मूल्य 991 करोड़ रुपये है, के नुकसान होने की आशंका है। राज्य सरकार ने रबी के मौसम के दौरान बड़े स्तर पर फसलों को उगाने की योजना तैयार की है। लोगों को जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण तथा अन्य योजनागत कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ताकि लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिये क्रय शक्ति उपलब्ध कराई जा सके।

राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, लगभग 12.33 लाख व्यक्तियों को नवम्बर, 1996 से जून, 1997 के दौरान अर्थात 8 महीनों में, मजदूरी उपलब्ध कराने से लगभग 364 लाख श्रम-दिवसों का सृजन किया जायेगा। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है ताकि कुपोषण और अतिसार जैसी महामारियों की संभावनाएं कम की जा सकें। सूखे से प्रभावित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने और रबी की फसल के लिये 'लिफ्ट' सिंचाई तथा अन्य लघु सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार का 49.01 करोड़ रुपये धनराशि का आपदा राहत कोष है जिसमें 4 तिमाही किश्तों में केन्द्र सरकार, 75 प्रतिशत अनुदान करता है। सरकार ने सभी चारों किश्तें जारी कर दी हैं जिनमें 1 जनवरी, 1997 को देय किश्त भी शामिल है जो अग्रिम ही दे दी गई है।

उड़ीसा में सूखे की स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं 14-11-1996 को राज्य का दौरा किया था और राज्य के मुख्य मंत्री और जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था। माननीय प्रधान मंत्री जी के दौरे के पश्चात, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिये 30 करोड़ रुपये की धनराशि दे दी गई है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उड़ीसा में सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने और उड़ीसा सरकार को सहायता दिये जाने के बारे में अनुशंसा करने के लिये 17 से 20 नवम्बर तक एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था। इस दल की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध हो जायेगी। तत्पश्चात, मैंने स्थिति का जायजा लेने के लिये उड़ीसा का दौरा किया था। मैंने बोलंगीर जिले में दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं और अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था। मैंने राज्य सरकार को आश्वासन दिया था कि स्थिति से निपटने के लिये राज्य को भरपूर सहायता दी जायेगी।

श्री जगमोहन : महोदया, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक को चर्चार्थ लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विषय पर चर्चा के दौरान माननीय कृषि मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री श्रीकान्त जेना : आप अभी चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं।

श्री जगमोहन : यह एक छोटा-सा विधेयक है। इसमें 10-15 मिनट ही लगेंगे। उन्होंने माननीय मंत्री द्वारा विधेयक प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दी है। हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वास्तव में, पहले इसको मद संख्या 12 के रूप में दर्शाया गया था।

सभापति महोदय : मैं सोचती हूं कि वास्तव में चर्चा प्रारम्भ हो जानी चाहिये थी। नियम 377 के अधीन मामलों के कारण इसको छोड़ दिया गया था। इसलिये, मेरे विचार से वक्तव्य के पढ़े जाने के पश्चात् चर्चा तुरन्त प्रारम्भ हो जानी चाहिये और किसी अन्य विषय को नहीं लिया जाना चाहिये। निःसंदेह, माननीय कृषि मंत्री के आने तक वह मुख्य बातें नोट करते रहेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : अब वह आने वाले हैं। मैंने सूचना भेज दी है।

सभापति महोदय : माननीय कृषि मंत्री 5 मिनट में आने वाले हैं। इस दौरान वह मुख्य बातों को नोट करेंगे।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, उड़ीसा को न्याय दिलाने के लिये माननीय प्रधान मंत्री और माननीय कृषि मंत्री दोनों को ही उपस्थित रहना चाहिये। माननीय कृषि मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उड़ीसा की आपदा बहुत ही विनाशकारी है।

सभापति महोदय : कृपया आप सभी खड़े मत होइये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदया, हम बैठ रहे हैं। परन्तु, हम सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी को सभा में उपस्थित रहना चाहिये।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको बैठना ही होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त का हिस्सा नहीं बनेगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

माननीय कृषि मंत्री दूसरे सदन में हैं। वे तत्काल आयेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री भी आने वाले हैं। ऐसी ही सम्भावना है।

कुछ मिनट पूर्व आप सभी ने सहमति प्रकट की कि चर्चा प्रारम्भ की जा सकती है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

सभापति महोदय : श्री भक्त चरण दास भी खड़े हुये थे। यही स्थिति थी। अब लगता है उनका मन बदल गया है। क्या हम कोई अंतराल रख सकते हैं?

श्री जगमोहन : सभा की अनुमति लेकर अन्य कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं विचार जानना चाहती हूं। क्या हम अंतराल रख सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अगर दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जाती है, तो चर्चा जारी रहेगी।

श्री जगमोहन : महोदया, इसमे आधे घन्टे से अधिक नहीं लगेगा।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : लगता है आज सभा की कार्यवाही अपराह्न 6.00 बजे के पश्चात् नहीं चलेगी।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदया, इसलिये, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किये हैं, वे चर्चा प्रारम्भ कर दें, खैर कुछ भी हो चर्चा कल तक हो चलेगी। माननीय प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। इसलिये, चर्चा प्रारम्भ की जाए।...**(व्यवधान)**

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : महोदया, उड़ीसा में भीषण सूखे की स्थिति विद्यमान है। 30 जिलों में से 26 जिले भीषण रूप से अकालग्रस्त हैं। माननीय कृषि मंत्री, श्री चतुरानन मिश्र, ने अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है।

मैं निश्चित तौर पर माननीय कृषि मंत्री का उनके वक्तव्य और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को भी उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, कल हमने आंध्र प्रदेश में तूफान से आई बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न हालात के बारे में भाषण सुने। हमने उस चर्चा में संसद सदस्यों की रूचि को देखा। अब यदि इस मामले में माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री यहां नहीं हैं तो इस प्रकार चर्चा नहीं चल सकती है। क्या यही गंभीरता है जो हम इस सूखे की स्थिति पर दिखा रहे हैं? प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री की उपस्थिति के बिना गंभीरता व्यक्त नहीं होगी।

महोदया, मैं कही मांग करता हूं कि इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को इस सभा में उपस्थित होना चाहिए।

श्री शरत पटनायक : महोदया, हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सूखे के कारण स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। अतः हमारा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को इस सभा में उपस्थित होना चाहिए।

श्री भक्त चरण दास : महोदया, गांवों में पानी नहीं है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपकी राय ली कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें कोई और बात करनी चाहिए? आपने कहा "नहीं"। तब मैंने पूछा हमें गौण रहना चाहिए। आपकी राय लेने के बाद ही मैंने आपको बुलाया होता।

(व्यवधान)

श्री शरत पटनायक : महोदया, संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को अभी-अभी आना था।...**(व्यवधान)** लेकिन पांच मिनट बीत चुके हैं। वे यहां नहीं पहुंचे हैं...**(व्यवधान)**

श्री भक्त चरण दास : महोदया माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारे राज्य से हैं...**(व्यवधान)** हम उनको परेशान नहीं करना चाहते हैं...**(व्यवधान)** वे भी प्रभावित हुए हैं...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ प्राणिग्रही : महोदया, इस विषय को उचित स्थान और महत्व देते हुए यह बहुत आवश्यक है कि प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री चर्चा के दौरान यहां बैठें। हमारा यह नम्र निवेदन है...**(व्यवधान)**

श्री शरत पटनायक : हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री यहां हों और केवल तब ही हम चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री पिनाकी मिश्र : इस विषय के लिए केवल आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया था। यह बहुत कम है...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कोई समय सीमा नहीं है।

श्री पिनाकी मिश्र : यह बहुत महत्व का मामला है।

श्री श्रीबल्लभ प्राणिग्रही : यह चर्चा तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी वक्ता अपना भाषण न दे लें...**(व्यवधान)**

श्री पिनाकी मिश्र : महोदया, चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जेना हमारे साथी हैं इसलिए हमारा सुझाव है कि कल की कार्यसूची की पहली मद, अर्थात् शून्य काल के बाद, यह होनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने अपना मध्याह्न भोजन कर लिया होगा, वे आएं और धैर्य के साथ हमें सुनें तथा हम कुछ घंटे तक अपनी बात कह सकें।

सभापति महोदय : श्री जेना, कृपया मामले को देखिए।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदया, कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री दोनों राज्य सभा में हैं। वे आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा का उत्तर देने में व्यस्त हैं और मुझे आशा है कि कृषि मंत्री यहां आ रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हम इसकी सराहना करते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : सम्पूर्ण समस्या यह है कि आज हमारे पास केवल आधा घंटा है। किसी भी हालात में हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, सूखे के इस मामले को इस प्रकार टाला नहीं जाना चाहिए। यह लोक सभा है।

सभापति महोदय : हम दोनों सदनों अर्थात् अपने सदन और दूसरे सदन का आदर करते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को दूसरे सदन में उपस्थित होना था लेकिन इसके साथ-साथ आपको हमारी भावनाओं का भी आदर करना चाहिए।

सभापति महोदय : जब मैं बोल रही हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : यदि आप चाहती हैं कि मैं अपनी बात जारी रखूं तो मैं अपनी बात जारी रखूंगा। हम सभी संसद सदस्य हैं। अब भी संसद सदस्य हैं लेकिन आप इस स्थान पर बैठकर एक कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। आपको स्थिति की सराहना करनी चाहिए और माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। वहां पर अकाल जैसी स्थिति है। हम माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री के आभारी हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। हम स्थिति की आंध्र प्रदेश के साथ तुलना नहीं करना चाहते हैं। कल क्या हुआ था? हम किसी आपदा को कम नहीं आंकना चाहते हैं। श्री जेना ने कहा कि कृषि मंत्री के किसी भी समय आने की आशा है। 5.30 बज रहे हैं। यदि उन्हें आने में कुछ समय की देरी हो तो मेरा सुझाव है कि दिल्ली विधेयक पर बात की जाए और 6 बजे तक समाप्त की जाए तथा कल प्रश्न काल के बाद तुरंत इस विषय को लिया जाए।

श्री शरत पटनायक : हम इस पर प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री की उपस्थिति में चर्चा करना चाहेंगे।

श्री पिनाकी मिश्र : प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है...

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है। अब मैं सरकार की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं सदस्यों की भावनाओं की पूर्णतया: सराहना करता हूं। यह पहला अवसर है कि उड़ीसा से एक मंत्री को कृषि मंत्रालय का अस्थाई कार्य सौंपा गया है। उन्होंने कृषि मंत्री की ओर से भी वक्तव्य दिया है। यदि आप इसे अब स्थगित करते हैं तो, यह एक गलत परम्परा होगी। महोदया, उन्हें बोलने दीजिए। क्या इससे गलत परम्परा नहीं स्थापित होगी कि प्रत्येक भाषण के लिए प्रधान मंत्री को इस सभा में उपस्थित होना पड़े? यदि श्री जेना इसका आश्वासन दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए विकल्प यही हो सकता है, कि श्री भक्त आधे घंटे से अधिक बोलें और उन्हें कल भी अपना भाषण जारी रखने का अवसर दिया जाए। वे प्रधान मंत्री की उपस्थिति में कल महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : कृषि मंत्री पांच मिनट के भीतर सभा में आ रहे हैं।

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : सभापति महोदया, हम भी चाहते हैं कि ऐसी भंयकर स्थिति में और इस राष्ट्रीय आपदा की गंभीरता को देखते हुये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को यहां रहना चाहिये। यह समस्या आज की नहीं, एक लम्बे समय से पैदा हो रही है। इसलिये इसकी गंभीरता को देखते हुये इस पर चर्चा करना चाहते हैं। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री शरत पटनायक : वहां खाने के लिये अनाज नहीं है, लाखों लोग घर छोड़कर चले गये हैं...**(व्यवधान)**... यहां आज चर्चा करने की क्या आवश्यकता है?

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : कृषि मंत्री पांच मिनट में सभा में आ रहे हैं।

श्री शरत पटनायक : महोदय, प्रधान मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, वहां पर गंभीर सूखा पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं, यह कोई मामूली स्थिति नहीं है।...**(व्यवधान)** मामले की गंभीरता को समझा जाये और इसलिये यह आवश्यक है कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस सदन में आना चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृषि मंत्री आ चुके हैं तथा कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने भी सुझाव दिया है, हमें श्री भक्त को बोलने का अवसर देना चाहिए। वे अपना भाषण कल भी जारी रख सकते हैं। यह सुझाव श्री देव द्वारा दिया गया था। कुछ अन्य सदस्यों ने कुछ और सुझाव दिया

था लेकिन हमें एक निर्णय लेना है। अतः हमें 6 बजे तक चर्चा जारी रखनी चाहिए। इसे कल दोबारा लिया जा सकता है जबकि हर किसी के सभा में उपस्थित होने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति जी, प्रधानमंत्री जी को सदन में बुलाईए...**(व्यवधान)** कृषि मंत्री जी जब वहां गए थे तो उन्होंने अपने प्रैस वक्तव्य में खुद कहा है कि उड़ीसा में स्थिति आन्ध्र प्रदेश से ज्यादा भयावह है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस मामले को अच्छी तरह देखने की आवश्यकता है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : वह तो आ गया, आप ऐसी बात मत करिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री महोदय ने यह भावना व्यक्त की थी कि उड़ीसा में स्थिति आन्ध्र प्रदेश से ज्यादा भयावह है।

[अनुवाद]

उन्होंने स्वयं कहा है कि आंध्र प्रदेश की तुलना में उड़ीसा की स्थिति ज्यादा खराब है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी ने वहां देखकर क्या भावना बताई, वे उसके बारे में खुद बोलेंगे। आप उन्हें बोलने दीजिए। वे यहां किसलिए आए हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, मुद्दा यह है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने उस स्थान के लिए 4,000 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया था...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री ने स्वीकर नहीं किया है।

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : यदि इन्सिस्ट करते हैं तो आपकी अनुमति से मैं कुछ कह देता हूं। साइक्लोन तथा ड्राउट में फर्क होता है। साइक्लोन में अगर पैसा मिल जाए तो 2-3 महीने में लोगों को सैटल करवा दिया जाता है। ड्राउट में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां किसान अपनी उपज को नवम्बर-दिसम्बर तक खायेंगे। फिर जनवरी में क्या होगा, उसके लिए वहां की सरकार ने कहा है कि 40 लाख आदमियों के खाने की जरूरत पड़ेगी। हमारे आंकड़े उससे कुछ ज्यादा हैं क्योंकि उसमें उन्होंने मिडिल क्लास को शामिल नहीं किया है। मैं मानता हूं कि ऐसी कंडीशन में सबको तकलीफ होती है लेकिन किसे पास कितनी जमीन है, उससे कोई फैसला नहीं होगा-इसे हर कोई मानेगा लेकिन आप ऐसा मत कहिए कि हम आन्ध्र प्रदेश को अंडरमाइन कर रहे हैं या उड़ीसा को अंडरमाइन कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि सदन में प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो जाएं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, उसे शायद वे भूल गए। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी यहां आकर सदन को आश्वस्त करें कि वे 4000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आपने यहां जो हिन्दी ट्रांसलेशन किया है, उससे लगता था कि यहां आन्ध्र प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है ...**(व्यवधान)** ऐसा हमने नहीं कहा। मैंने इतना ही कहा कि साइक्लोन के लिए जब पैसा खर्च हो जाएगा तो आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के लोग कम से कम 5 साल पीछे चले जाएंगे—ऐसा मेरा असैसमैंट है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : इस हिसाब से बिहार तो 200-300 साल पीछे चला गया।

श्री चतुरानन मिश्र : अगर आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए और इस चर्चा को आज ही खत्म कर लीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित रहें ताकि वे हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकें।

श्री चतुरानन मिश्र : हम आपके डिस्पोजल पर हैं और दोनों सदनों में दौड़ते रहते हैं-कभी इस हाउस में, कभी उस हाउस में। बुढ़ापे में घोड़े को इतना मत दौड़ाईए और कुछ ख्याल रखिए। एक टाइम यहां रखिए दूसरे टाइम उस सदन में रखिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : प्रधान मंत्री को उपस्थित होना चाहिए। हम चर्चा कल तक बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : भक्त चरण दास जी, कृपया प्रारंभ कीजिए।

अपराह्न 5.39 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : मैं माननीय कृषि मंत्री को उनके उड़ीसा दौरे के लिए धन्यवाद दे रहा था। राज्य में सूखे की स्थिति बहुत गंभीर है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि उड़ीसा के 30 जिलों में से 25 जिले सूखे की चपेट में हैं। जबकि जुलाई के महीने में सामान्य तौर

पर 351.6 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, किंतु, उस माह में केवल 252.3 मिलीमीटर वर्षा ही हुई। इसी प्रकार अगस्त में सामान्य तौर पर 335.6 मिलीमीटर बर्षा की आवश्यकता होती है लेकिन उस महीने भी केवल 307.7 मिलीमीटर ही वर्षा हुई। सितम्बर का महीना फसलों की स्थिति को निर्धारित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है लेकिन उस महीने भी आवश्यक 236.5 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा को बजाय वास्तव में केवल 103.5 मिलीमीटर वर्षा ही हुई।

अनुमानतः 12.1 दिन वर्षा होने के विपरीत केवल 6.7 दिन ही वर्षा हुई और अक्तूबर में समूचे उड़ीसा में कुल 6.1 दिन में 131.6 मि.मी. सामान्य वर्षा होने की बजाय केवल 3 दिनों में 51.6 मिमी. वर्षा हुई तथा अक्तूबर में बहुत ही मामूली वर्षा हुई है।

50 प्रतिशत से ज्यादा गांव सूखे की चपेट में, जिनकी कुल संख्या 27,081 है और इनमें से 13,664 गांवों में 75 प्रतिशत से भी ज्यादा सूखा पड़ा है। कुल मिलाकर राज्य के 40,745 गांवों में भयंकर सूखा पड़ा है। 314 खण्डों में से 256 खण्ड सूखे से प्रभावित हैं तथा 5263 ग्राम पंचायतों में से 3544 पर इसका असर पड़ा है। इससे कोई भी अन्दाजा लगा सकता है कि राज्य में सूखे की कितनी भयंकर और गंभीर स्थिति है। उड़ीसा सरकार के आकलन के अनुसार आज तक कुल 26 लाख मीट्रिक टन फसलों का नुकसान हुआ है जिनकी कीमत 991.42 करोड़ रु. है और जब तक सारी फसलों की कटाई पूरी होगी तब तक 2098 करोड़ रु. की फसलों के नुकसान होने की आशंका है।

जहां तक के.बी.के. जिलों का सम्बन्ध है, वहां सूखे की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है और कालाहाण्डी, नुआपाड़ा और बोलंगीर जैसे के.बी.के. जिलों में लगभग अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र में 1936 में सूखा पड़ा था। 1965-66 में अकाल जैसी स्थिति थी और उस अवधि के दौरान कालाहाण्डी और नुआपाडा में पड़े अकाल ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था तथा देश का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था और केन्द्र सरकार की टीमों ने इस क्षेत्र का दौरा बार-बार किया था। पुनः 1986 से 1989 तक लगातार चार सालों तक वहां गंभीर सूखा पड़ा था। इस अवधि के दौरान लोगों ने अपने बच्चे बेच दिए थे; भुखमरी से और इस हद तक मौतें हुई थीं कि 2,500 लोग इस अवधि के दौरान भुखमरी के कारण मर गए थे। चारों ओर लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। कालाहाण्डी, नुआपाडा और बोलनगीर जिलों में रहने वाले लोग अपना घर द्वार छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में बाहर चले गए थे। 1986 से 1989 की अवधि में हुई वर्षा का प्रतिशत और इस वर्ष हुई वर्षा का प्रतिशत बराबर है।

महोदय, अविभक्त कालाहाण्डी का भौगोलिक क्षेत्र 11,000 वर्ग मीटर है तथा जनसंख्या 15 लाख की है जिसमें से 93 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और पूरी तरह से कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं। जिले में लगभग 7,87,100 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है जिनमें से हमने 1,83,460 हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की है और जहां तक धान के उत्पादन का संबंध है, वह अधिकतम अर्थात 30 से 35 हजार हेक्टेयर रहा है। इस वर्ष अविभक्त कालाहांडी में धान का उत्पादन अधिकतम अर्थात् 30 से 35 हजार हेक्टेयर है। अतः महोदय आप कल्पना कर सकते हैं कि इन जिलों में कितनी फसल हानि हुई है। अविभक्त कालाहाण्डी के 2652 राजस्व गांवों और 766 पुरवों में से 2500 पुरवे और राजस्व गांव सूखे से प्रमाणित हैं—इसमें नुआपाडा और कालाहाण्डी भी शामिल है।

हमने लगभग 2,12,800 हेक्टेयर जमीन पर अनाज, बाजरा, मूंगफली की खेती की है। आमतौर पर गरीब किसान जिनके पास एक हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर अथवा दो हेक्टेयर जमीन है, उन्होंने इस प्रकार की फसलों की खेती की थी और इन फसलों की खेती ऊंचाई पर स्थित खेतों में की गई थी और ये जमीन लगभग 212800 हेक्टेयर है। यह पूरी तरह से नष्ट हो गई है।

2,10,000 हेक्टेयर जमीन में हमने जिन फसलों की खेती की थी उनमें सब्जियां, कपास, इत्यादि शामिल थे। यह फसलें भी 75 प्रतिशत से ज्यादा तक नष्ट हो गई हैं। इस प्रकार आप कल्पना कर सकते हैं कि उड़ीसा में ग्रामवार और खण्डवार फसलों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। कालाहान्डी जिले के सभी 13 खण्ड और नुआपाडा जिले के सभी पांचों खण्ड सूखे से प्रभावित हैं। बोलनगीर जिले के के.बी.के. में सभी के सभी 14 खण्ड सूखे की चपेट में हैं। उड़ीसा के मेरे अन्य माननीय मित्र उड़ीसा के अन्य भागों के बारे में बोलेंगे। मैं अपनी बात केवल के.बी.के. क्षेत्र पर ही केन्द्रित रखूंगा।

जिले में हमें वर्षा की औसत आवश्यकता 1378.20 मिमी. है। लेकिन कालाहाण्डी में हुई वर्षा केवल 1033 मिमी. थी। 1986-89 की अवधि के दौरान जब गंभीर सूखा पड़ा था तो उस समय 1987 में 1043 मि.मी. वर्षा हुई थी; 1988 में 965.2 मि.मी. हुई थी तथा 1989 में 1053.3 मिमी. बारिश हुई थी। इस वर्ष भी 1033 मि.मी. वर्षा हुई है।

महोदया, पिछले वर्ष मई में, कालाहाण्डी में 183.7 मिमी. वर्षा हुई थी लेकिन इस वर्ष केवल 9.2 मि.मी. ही वर्षा हुई है। पिछले वर्ष जून माह में 125.5 मिमी. वर्षा हुई थी। इस वर्ष यह केवल 89.5 मिमी. ही हुई है। पिछले वर्ष जुलाई में 472.2 मिमी. बारिश हुई थी जबकि इस वर्ष केवल 365.2 मिमी. ही हुई है। पिछले साल अगस्त महीने में 384.8 मिमी. वर्षा हुई थी जबकि इस वर्ष केवल 377.1 मिमी. ही बारिश हुई है। पिछले साल सितम्बर में 194.1 मिमी. वर्षा हुई तब बहुत अच्छी फसल हुई थी। इस वर्ष इस महीने के दौरान केवल 110.8 मिमी. वर्षा हुई है। पिछले साल के अक्तूबर महीने में 84.31 मि.मी. वर्षा हुई थी जबकि इस वर्ष कालाहाण्डी में न के बराबर वर्षा हुई है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : आप सजेशन दीजिए कि क्या-क्या करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : महोदया, मैं सूखे की स्थिति की वास्तविक गंभीरता के बारे में बता रहा हूं।

जुलाई महीने में पिछले बजट सत्र के दौरान इस बात को माननीय कृषि मंत्री जी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं—मैंने उड़ीसा सरकार को तथा साथ ही केन्द्र सरकार को भी उड़ीसा में सूखे की स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी। उस समय जब प्राकृतिक आपदा पर, खासतौर से बाढ़ की स्थिति पर, नियम 193 के अधीन चर्चा चल रही थी, तो मैं ही एकमात्र ऐसा सदस्य था जो उड़ीसा में पड़ने वाले सूखे की स्थिति के बारे में बोला था। लेकिन उसके बावजूद कोई भी एहतियाती उपाय नहीं किए गए थे।

महोदया, सूखे की स्थिति इतनी भयंकर है कि इन जिलों में सभी जलाशय, तालाब और नदियां सूखी पड़ी हैं। पानी बिल्कुल सूख गया है। इन जिलों में पानी का स्तर एकदम नीचे चला गया है। वहां उपलब्ध नलकूप पर्याप्त पेय जल दे सकने में अक्षम हैं, आप लोगों द्वारा गांवों के तालाबों में नहाने की बात को तो भूल ही जाइए।

इस सत्र के दौरान, नवम्बर महीने में वे चार-पांच दिनों तक नहीं नहा पा रहे हैं। उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है और पानी निकालने के लिए नदियों में कुएं खोदने पड़ते हैं तथा उस पानी का प्रयोग वे नहाने के लिए करते हैं।

महोदया, जानवरों और गायों का क्या होगा? महोदया, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। सूखे के परिणामस्वरूप कालाहाण्डी, नुआपाडा और बोलनगीर जिलों से लोग अपना घर द्वार छोड़कर अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। अविभक्त कालाहाण्डी जिले से लगभग 1,50,000 लोग अन्य स्थानों पर जा चुके हैं और लगभग 1,25,000 लोग बोलनगीर जिले को छोड़कर देश के विभिन्न भागों में जा चुके हैं। उन्होंने अपना घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं वहीं छोड़ दी हैं। उन्होंने अपने मकानों में ताला लगा दिया है और जिन लोगों के पास 20 एकड़ या 10 एकड़ भी जमीन है, उन्होंने भी इस बार अपनी घरगृहस्थी त्याग दी है और सिर्फ अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए हैं। इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि देश के इस भाग में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? चाहे यह प्राकृतिक आपदा हो अथवा नहीं, चाहे इसकी अपनी गंभीरता हो अथवा नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा इस सदन में की ही जानी चाहिए।

महोदया, जैसाकि आप जानती हैं, कि कालाहांडी जिला पहली बार सूखे से प्रभावित नहीं हुआ है बल्कि इस जिले को अनेक बार सूखे की मार झेलनी पड़ी है लेकिन कोई भी स्थायी उपाय नहीं किया गया है; कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार बहुत ही ज्यादा निष्ठुर रही हैं। जहां तक लोगों को सूखे से बचाने हेतु स्थायी समाधान करने का प्रश्न है, निगरानी अभिकरणों द्वारा इसे कोई महत्व नहीं दिया गया है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं।

पशुधन की जनसंख्या लगभग 12,50,000 है। सूखे की मार पशुओं पर बराबर होती है। पेयजल की गंभीर समस्या, खाद्य और चारे की अनुपलब्धता के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। जिले में चारे की समस्या को लेकर जो भी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, वे जस के तस रह जाते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह 30,000 मीट्रिक टन खाद्य और चारा प्रदान करें तथा प्रत्येक राजस्व जिले में चारा डिपो खोले जाने चाहिए ताकि गंभीर रूप से प्रभावित इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुधन को बचाया जा सके।

सूखे के कारण, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए कुएं, नलकूप, चारे आदि की खेती के लिए सभी तरह के उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्येक पशु चिकित्सा केन्द्र में पर्याप्त दवाई रखने सहित सभी तरह की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

कालाहांडी जिले में 10,000 से अधिक नलकूप हैं, जिनमें पानी नहीं है और उनका उपयोगा नहीं किया जा रहा है। अतः, मैं सरकार से इन नलकूपों को तुरन्त बदलने का अनुरोध करता हूं। ब्लाक मुख्यालय में अस्थाई चल पानी के टैंक प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे जनवरी, फरवरी तथा उससे आगे के महीनों में अकाल की स्थिति का मुकाबला कर सकें। कुछ ऐसे गांव हैं जहां जल स्तर नीचे चला गया है और उन गांवों में नलकूपों का कोई लाभ नहीं है। इसलिए, अस्थायी उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्येक ब्लाक में और नगरपालिकाओं में अकाल तथा गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति के लिए पानी के टैंक प्रदान किए जाने चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह 3,000 नलकूप कालाहांडी जिले में, 2500 नलकूप बोलांगीर जिले में तथा 1000 नलकूप नुआपाडा जिले में स्थापित करें। इस संबंध में तुरन्त उपाय किए जाने चाहिए। माननीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकार से कहा है कि वह तुरन्त नलकूप प्रदान करना प्रारम्भ करे लेकिन राज्य सरकार के पास बहुत कम निधियां उपलब्ध है। राज्य सरकार सभी नलकूप प्रदान नहीं कर सकते। इस संबंध में कुछ विशेष अनुदेश होने चाहिए और इन जिलों में नलकूप प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार को भारत सरकार से सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

प्रत्येक गांव में एक निःशुल्क रसोई स्थापित की जानी चाहिए। विशेष आई.सी डी.एस. केन्द्र खोले जाने चाहिए। इस क्षेत्र में भोजन

उपलब्ध कराने के सभी तरह के आपातकालीन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

इस क्षेत्र में भोजन उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के आपातकालीन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए। हजारों वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पैंशन नहीं मिल रहीं है। इसलिए, केन्द्र सरकार को ऐसे वृद्धावस्था लोगों की भूख से मृत्यु रोकने के लिए कालाहांडी तथा बोलंगीर प्रत्येक जिले में न्यूनतम 20,000 रुपये तथा नुआपाडा जिले में न्यूनतम 5000 रुपये वृद्धावस्था पैंशन स्वीकृत की जानी चाहिए। सामान्तया प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में गया हूं। मैंने देखा है, अनुभव किया है और इन क्षेत्रों में कार्य किया है। इसलिए, मैंने स्वयं को उनकी स्थिति से तथा समस्याओं से अवगत किया है। इसी वजह से, मैं जानता हूं कि सामान्तया मृत्यु हो जाती है। जब भूख से मृत्यु होती है अथवा कुपोषण से मृत्यु होती है, जैसा कि होता है, तो आपको अधिकांश वृद्ध लोग मिलेंगे। इस राष्ट्र को और हमारे लोगों को जो इस प्रणाली में है जिला तथा खण्ड स्तर प्रशासन में, उनको क्या हुआ है? कुछ जो पैंशन के हकदार नहीं है, ऐसे लोगों को पैंशन मिल रहीं है। लेकिन यदि आप एक गांव में जायें, तो 25, 10 वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध महिलाएं प्रत्येक गांव में आयेगी और पूछेगी 'बाबा' हमें पैंशन नहीं मिलती है। वे आपके समक्ष अपना सिर झुकाएंगी। वे यहां तक कि आपके सामने सड़क पर लेट जायेगी और एक भीख के कटोरे के साथ मांगेगी। उन वृद्ध व्यक्तियों को पैंशन नहीं मिल रहीं है। यह व्यवस्था है। ऐसा हमारे राज्य में घटित हुआ है। मैं माननीय मंत्री से इसकी जांच करने तथा इस क्षेत्र के इन वृद्ध लोगों को पर्याप्त वृद्धावस्था पैंशन प्रदान करनी चाहिए।

कालाहांडी जिले में प्रति माह 10,000 टन चावल की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खपत के अनुसार, इस स्थिति में हमारी मांग बढ़ गई है। पहले जब अच्छी फसल हुई थी तो हम स्वयं गांव में चावल खरीदते थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार, हमें 2090 मीट्रिक टन चावल प्रति माह मिलता था जबकि हमारी मांग न्यूनतम 10000 टन चावल प्रतिमास की है। इसलिए मैं माननीय खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा कृषि मंत्री से आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं। मेरे विचार से कृषि मंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री से केवल कालाहांडी के लिए 10000 मीट्रिक टन चावल प्रतिमाह आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध करेंगे।

महोदया, उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि वह डी.पी.ए.पी. ब्लाकों में 2 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से चावल वितरित करेंगे। कालाहांडी में, 10 डी.पी.ए.पी. ब्लाक है लेकिन केवल 6 डी.पी.ए.पी. ब्लाकों में ही 2 रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल मिल रहे हैं और कालाहांडी के शेष सर्वाधिक सूखा प्रभावित ब्लाक तथा वहां रहने वाले लोगों को स्थायी सूखे के बावजूद 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कामगार लोगों, श्रमिक वर्ग के लोगों की तो बात छोडिए। यहां तक कि मध्यम वर्ग किसान तथा सीमान्त श्रेणी किसान भी बुरी तरह टुटे हुए है। उन्होंने अपनी क्रम शक्ति खो दी है। वे चावल 4 रुपये प्रतिकिलो अथवा पांच रुपये प्रतिकिलो के भाव पर भी नहीं खरीद सकते। जब तक उनके पास नौकरी न हो, जबतक कि उनके पास कमाने के लिए कार्य न हो, वे यहां तक कि दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी चावल नहीं खरीद सकते। कमाने के लिए कोई कार्य नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार सभी सूखा प्रभावित ब्लाकों के लिए यह दो रुपये प्रति किलों चावल जारी क्यों नहीं करती? यह बहुत गम्भीर मामला है कि इस क्षेत्र में एक प्रमुख भाग पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो लोग हकदार हैं वे भी डी.पी.ए.पी. ब्लाकों से हैं। उन्हें भी यह 2 रुपये प्रतिकिलो चावल नहीं मिल रहा है। यदि राज्य सरकार के पास निधि नहीं है, तो भारत सरकार को उनसे बातचीत करके राज्य सरकार को राजसहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार को विशेषकर दो रुपये प्रतिकिलो की दर से इस क्षेत्र में चावल प्रदान करने के लिए कम से कम अगली फसल आने तक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

मैं इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री अथवा माननीय कृषि मंत्री से चाहूंगा। वे इस संबंध में क्या उपाय कर रहे हैं?...**(व्यवधान)** मैंने माननीय कृषि मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुख्य मंत्री से पहले ही बात की है। प्रधान मंत्री के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दौरे के दौरान मैंने मुख्य मंत्री से चर्चा की थी। महोदय, लोगों ने अपनी क्रय क्षमता खो दी है। इसीलिए, इस तरह का विचार अपनाना चाहिए।

चूंकि इस क्षेत्र का भू-जल सर्वेक्षण पूरा हो गया है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करने तथा उसके बारे में संसद में, विधान सभा में तथा समाचार पत्रों में चर्चा करने की अपेक्षा हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ करना चाहिए।

हम अपने कार्यक्रमों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, परियोजनाएं बना सकते हैं और इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कालाहांडी, नुआपारा तथा बोलंगीर क्षेत्र का भू-जल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसलिए, हम प्रत्येक गांव में फसल बचाने के लिए सिंचाई के लिए एक गहरा कुंआ प्रदान कर सकते हैं। हम उन गांवों अथवा पंचायतों को गहरे कुएं क्यों नहीं स्थापित करते जिनको किसी लघु अथव मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नहीं लाया गया है? यह एक मौलिक प्रश्न है।

इस स्वतन्त्र राष्ट्र में लोग सूखे की दशा में निरूत्तर क्यों रहे जबकि राज्य तथा केन्द्र में बार-बार सरकार बदलती-बनती रह रही

हैं। क्या हम सूखा की स्थिति पर इस सदन में अगले वर्ष अथवा पांच वर्ष पश्चात अथवा दस वर्ष पश्चात चर्चा करेंगे? अतः, कम-से-कम हमें इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए ईमानदार होना चाहिए जो निरन्तर तथा बार-बार सूखे से प्रभावित है। इसका सभी पूर्व सूखा अवधियों में सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा दौरा किया गया है और इस संबंध में अन्य मंत्रियों तथा अन्य संसदीय समितियों, प्रतिनिधियों, भारत सरकार के अधिकारियों के दौरे की तो बात छोड़िए।

अतः मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में लगभग सभी गांवों में खेती करने के प्रयोनार्थ गहरे कुएं खोदने का भारत सरकार प्रावधान कर सकती है। लघु तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की अन्य बातों की तरह अवहेलना की जाती है। सूखा की स्थिति के कारण, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अपर इन्द्रावती परियोजना नाम से एक परियोजना की नींव रखी थी, जिससे 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगी और कालाहांडी में लगभग 250000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। उस समय इस पर लगभग 232 करोड़ रुपये लागत का अनुमान था और इसे अधिक-से-अधिक 1985 तक पूरा किया जाना था। अब, 1996 समाप्त हो गया है और इसे पूरा नहीं किया गया है। जबकि अनुमानित लागत 232 करोड़ रुपये से बढ़कर 1400 करोड़ रुपये तक चला गया है। इसमें पांच से दस वर्ष का और समय लगेगा। यदि ये बातें इसी तरह चलती रहीं तो इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय जल संसाधन मंत्री का अवश्य धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने अपर इन्द्रावती परियोजना की दाहिनी नहर को पूरा करने के लिए 38 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। लेकिन वन विभाग की स्वीकृति अभी भी बनी हुई है। इसी कारण से, भारत सरकार को इस परियोजना को वन विभाग से स्वीकृति दिलाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।

फिर, नुआपाड़ा जिले में जोंक नदी परियोजना है। लेकिन कोई शाखा नहर नहीं है। अतः, सरकार को उपाय करने चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देने चाहिए। अपर इन्द्रावती परियोजना की इस जोंक परियोजना की शाखा नहर और प्रमुख नहर के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए माननीय कृषि मंत्री को इस मसले पर माननीय जल संसाधन मंत्री के साथ चर्चा करनी चाहिए। अपर इन्द्रावती परियोजना की लिफ्ट नहर को बिल्कुल नहीं लिया गया है।

कालाहांडी जिले का बड़ा क्षेत्र, अपर इन्दिरावती परियोजना की मुख्य नहर साथ-साथ जा रही है, लेकिन कोकसारा ब्लाक, धर्मगढ़ ब्लाक तथा जय पटना ब्लाक, तीन ब्लाक प्रमुख क्षेत्र, जिनमें अपर इन्दिरावती परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई की जानी है, सरकार ने उनकी पूरी तरह से अवहेलना की है। लिफ्ट नहर पर कार्य बिल्कुल प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह लिफ्ट नहर निर्माण कार्य यथा संभव शीघ्र प्रारम्भ हो। लेवर इन्दिरा तथा सुकतेल मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन विभाग तथा सी.डब्लू.सी. स्वीकृति के लिए संबंद्ध अधिकारियों को तुरन्त निर्देश दिए जाने चाहिए। इसे भारत सरकार की नौवीं योजना में शामिल किया जाना चाहिए और इसी वर्ष से इसके लिए निधियां दी जानी चाहिए। सरकार को कुछ स्थायी उपाय भी करने है। मैं सरकार को कुछ स्थायी उपाय करने का सुझाव दे रहा हूं। यदि ये उपाय नहीं किए गये, तो भविष्य में एक और सूखा भी पड़ सकता है। अतः कुछ उपाय किए जाने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान लोवर इंदिरा तथा सुकतेल परियोजनाओं का उल्लेख किया है। वे उन परियोजनाओं को प्रारम्भ कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने भी इन परियोजनाओं को प्रारम्भ किया है। लेकिन उन्होंने वन स्वीकृति पर विचार नहीं किया और सी.डब्लू. सी. स्वीकृति प्रश्न पर विचार नहीं किया हैं। तकनीकी कारणों से, इन परियोजनाओं को भारत सरकार की नौंवी योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः, सरकार को आगे आकर उनको एक सप्ताह के भीतर इस बारे में निर्देश देने चाहिए। उन्हें इनको परियोजनाओं को नौंवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं यह सुझाव दूंगा कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब छः बजने वाले है।

श्री भक्त चरण दास : महोदया, सूखे के बारे में है। हमें बार-बार बोलने का अवसर नहीं मिल सकता। मैं केवल सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय : डरिये नहीं। मैं आपको रोक नहीं रही हूं। हमने पहले ही निर्णय किया है कि आज 6 बजें हम सभा स्थगित करेंगे।

श्री भक्त चरण दास : मैं कल भी बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : यहीं सुझाव दिया गया था कि आप आज प्रारम्भ कीजिए लेकिन 6 बजे हम सभा स्थगित करेंगे और कल पुनः आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री भक्त चरण दास : फिर मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : आप पहले ही चालीस मिनट बोल चुके हैं। इसलिए, कृपया कल अपनी बात संक्षिप्त में कहिए।

श्री भक्त चरण दास : कल मैं पन्द्रह मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा क्योंकि मैं केवल सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय : कम से कम अपने सुझाव पूरे करने के लिए यथासंभव संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहिए। उस समय कोई और पीठासीन होगा।

अतः सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा तो अब कल 28 नवम्बर 1996 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए सभा स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 28 नवम्बर, 1996/7 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.—48/6/5/96 **(एन.)**

250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वांईट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।